

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2012 – आश्विन 14, 1934

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 39/सी.एस.ई.आर.सी./2011 – विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 के क्र. 36) की धारा 43(1) सहपठित धारा 181(टी) धारा 44, धारा 46, सहपठित धारा 181(1) धारा 47(1) सहपठित धारा 181(व्ही), धारा 47(4) सहपठित धारा 181 (डब्ल्यू), धारा 47(2)(3) एवं (5), धारा 84(बी) एवं धारा 50 सहपठित धारा 181(एक्स) तथा धारा 56 में और भारत शासन के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत (कठिनाईयों को हटाना) आदेश 2005 दिनांक 08/06/2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति और उसकी प्रक्रियाएँ तथा देयक पद्धति, उसके भुगतान का स्वरूप, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों, कृत्यों और दायित्वों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को अधिशासित करते हुए निम्नलिखित संहिता बनाता है। यह संहिता ऐसे प्रक्रियाओं को भी उल्लेखित करता है जिन्हें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दक्षतापूर्ण, मूल्य प्रभावी तथा मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु अपनाना चाहिए।

### अध्याय 1 : संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा समीक्षा प्रक्रिया

- 1.1 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के नाम से जानी जाएगी।
- 1.2 यह संहिता छत्तीसगढ़ राजपत्र में मूल अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।
- 1.3 यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी।

- 1.4 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी तथा उन सभी व्यक्तियों पर जो विद्युत वितरण के व्यवसाय में विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हों, उनके अभिकर्ताओं सहित विद्युत उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी। यह संहिता उन सब व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्ति लेने से विमुक्त किया गया हो।
- 1.5 इस संहिता तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण हेतु विनियम की समय-समय पर संशोधित प्रतियां अनुज्ञप्तिधारियों के पंजीकृत कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, वृत्त कार्यालयों, सम्भागीय कार्यालयों, वितरण केन्द्रों और अनुज्ञप्तिधारी अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में रखी जाएंगी।

### विद्युत प्रदाय संहिता के समीक्षा हेतु तंत्र (मेकेनिज्म)

- 1.6 आयोग इस संहिता सहित उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण विनियम के नियमित रूप से समीक्षा हेतु एक विद्युत प्रदाय संहिता समीक्षा समिति (समीक्षा समिति) का गठन करेगी। समीक्षा समिति में इतनी संख्या में व्यक्ति होंगे जो आयोग के विचार में आवश्यक व पर्याप्त हो, जिन्हें आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
- (ए) राज्य के प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी
- (बी) राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस.टी.यू) या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
- (सी) निम्नदाब उपभोक्ता, उच्चदाब उपभोक्ता, अति उच्चदाब उपभोक्ता तथा उनके संगठन व उपभोक्ता समूह तथा
- (डी) गैर सरकारी संगठन सहित अन्य हितबद्ध समूह जैसा आयोग उचित समझे।
- 1.7 आयोग अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि में से एक को समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। अध्यक्ष अपने एक अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त करेगा। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी समीक्षा समिति को उनके कार्यों में निर्वहन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी।
- 1.8 समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।
- 1.9 समीक्षा समिति का सदस्य सचिव बैठक आयोजित होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर बैठक की कार्यवाही विवरण आयोग को प्रेषित करेगा।
- 1.10 आयोग विद्युत प्रदाय संहिता को स्वप्रेरणा से अथवा समीक्षा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित कर सकेगा। तथापि संहिता में किसी भी प्रकार के संशोधन के पूर्व आयोग प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य पारेषण युटिलिटी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और आम जनता से सुझाव प्राप्त करेगा।
- 1.11 विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में बहुप्रसारित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा जिसमें उल्लेखित किया जाएगा कि संशोधित विद्युत प्रदाय की प्रतियां कंडिका 1.5 में दर्शाए कार्यालयों में क्रय हेतु उपलब्ध है।

**अध्याय 2 : परिभाषाएँ**

2.1 इस संहिता में जब तक संदर्भ अन्यथा न हो —

- (ए) **“अधिनियम”** से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो।
- (बी) **“अनुबंध”** से तात्पर्य इस संहिता के तहत अपने व्याकरणाय विभेदों और समीपीय अभिव्यक्तियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किए गए अनुबंध से है।
- (सी) **“उपकरण”** से तात्पर्य है विद्युत उपकरण और इसमें सभी मशीन पूर्ण, सहायक उपकरण और यंत्र सम्मिलित हैं जिसमें विद्युत चालकों का उपयोग किया जाता है।
- (डी) **“आवेदक”** से तात्पर्य है किसी भूमि/परिसर के स्वामी या अधिशासी जो अधिनियम तथा उसके अनुसार बनाये गए संहिता नियम व विनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति हेतु, संविदा भार/मांग में वृद्धि या कमी, स्वामित्व में परिवर्तन, विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने या पुनर्संयोजित करने या अनुबंध समाप्त करने जैसा भी प्रकरण हो, या अन्य सेवा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।
- (ई) **“आवेदन”** से तात्पर्य है आवश्यक भुगतान तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने संबंधी प्रपत्र सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे गए उपयुक्त प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र।
- (एफ) **“आवेदन प्रपत्र”** से तात्पर्य है राशि के भुगतान पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे गए प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र।
- (जी) **“आपूर्ति का क्षेत्र”** से तात्पर्य है वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के तहत विद्युत प्रदाय के लिए प्राधिकृत है।
- (एच) **“औसत पॉवर फेक्टर”** से तात्पर्य औसत मासिक पावर फेक्टर है, जिसे बिलिंग माह में प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटों को कुल किलो वोल्ट एम्पियर घंटों के अनुपात में प्रतिशत में दर्शाया जावेगा। इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में दर्शाया जावेगा। दशमलव के तीसरे स्थान पर पॉच या इससे अधिक संख्या होने पर उसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक बनाया जावेगा। यदि किलोवाट घंटों या किलो वोल्ट एम्पियर घंटों में वाचन सुविधा उपलब्ध न हो और यदि मीटर में किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव घंटे रिकार्ड करने की सुविधा हो तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव घंटों के वाचन के आधार पर औसत मासिक पावर फेक्टर की गणना की जावेगी।
- (आई) **“बिलिंग माह या माह”** से तात्पर्य है माहवारी बिलिंग की स्थिति में बिल किये जाने के प्रयोजन हेतु ली गई क्रम से दो मीटर वाचन के बीच में लगभग 30 दिवस की अवधि।
- (जे) **“बिलिंग साइकिल”** से तात्पर्य है बिलिंग हेतु दो निकटवर्ती मीटर वाचन के मध्य 30 दिवस से अधिक की अवधि जैसे कि द्विमासिक/त्रैमासिक बिलिंग।
- (के) **“ब्रेकडाउन या व्यवधान”** से तात्पर्य है विद्युत लाइन सहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना जो सामान्य कार्यप्रणाली को रोक देती है।
- (एल) **“संहिता या प्रदाय संहिता”** से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता जैसे कि समय-समय पर लागू हो।
- (एम) **“आयोग”** अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
- (एन) **“चालक”** से तात्पर्य है ऐसा कोई तार, केबल, छड़, नली (ट्यूब), रेल (रेलपोल) या प्लेट जो विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त होता है तथा इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया हो ताकि इसे विद्युत प्रणाली से संयोजित किया जा सके।

- (ओ) **“संयोजित भार”** से तात्पर्य है उपभोक्ता के परिसर में स्थित ऊर्जा खपत करने वाले उन सभी विद्युत उपकरणों के निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमतानुसार विद्युत भार का कुल योग जो एक साथ प्रयोग किये जा सकते हैं। इसके अभिव्यक्ति किलोवाट या हार्स पावर इकाई में की जावेगी और इसका निर्धारण इस संहिता के खंड 5.48 “स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण” में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- (पी) **“संयोजन बिन्दु”** से तात्पर्य है वह बिन्दु जहाँ उपभोक्ता के स्थापना और/या संयंत्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से जुड़ते हैं।
- (क्यू) **“उपभोक्ता”** से तात्पर्य है जैसा कि अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित है तथा इस संहिता के संदर्भ में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या जिसने विद्युत कनेक्शन लिया हो परन्तु जिसका विद्युत प्रदाय किन्हीं भी कारणों से फिलहाल काट दिया गया हो।
- (आर) **“उपभोक्ता की स्थापना”** से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई जिसमें विद्युत तार, पुर्जे, मोटरें, चलित एवं स्थाई उपकरण शामिल होंगे जो उपभोक्ता द्वारा या उसके लिये उपभोक्ता के परिसर में स्थापित या तारों से जोड़े गये हैं।
- (एस) **“संविदा भार या संविदा मांग”** से तात्पर्य है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर या हार्सपावर जैसा भी प्रकरण हो में अधिकतम विद्युत भार जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिये उपभोक्ता ने अनुबंध किया हो एवं जो अनुबंध में उल्लेखित हो।
- (टी) **“कट आउट”** से तात्पर्य है कोई उपकरण जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय अवरुद्ध करता है एवं इसमें फ्यूज होने वाले तार का कट आउट भी सम्मिलित है।
- (यू) **“कनेक्शन प्रदान करने की तिथि”** से तात्पर्य वह तिथि है जब अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना को मीटर लगाकर वितरण में से जोड़ते हुए ऊर्जीकृत करता है।
- (व्ही) **“अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि”** से तात्पर्य वह तिथि है जो उपभोक्ता को दी गई उसके परिसर तक विद्युत प्रदाय उपलब्धता की सूचना पत्र जारी होने के उपरांत निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए एक माह व उच्चदाब तथा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए तीन महीनों के बाद पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा संयोजन (कनेक्शन) जारी करने की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो।
- (डब्ल्यू) **“मांग प्रभार”** से तात्पर्य किसी बिलिंग माह के लिए उपभोक्ता से बिलिंग मांग के आधार पर लिया जाने वाला वह प्रभार है, जिसकी गणना आयोग द्वारा अधिनियम के भाग VII के अंतर्गत पारित टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।
- (एक्स) **“वितरण मेन्स”** से तात्पर्य वितरण प्रणाली का वह भाग है जिससे सर्विस लाइन जोड़ा गया हो या निकट भविष्य में जोड़ा जाने वाला हो।
- (वाई) **“वितरण प्रणाली”** से तात्पर्य है वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तारों की प्रणाली तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण जो उपभोक्ता की स्थापना से जोड़ा गया हो या जोड़ा जाने वाला हो। जिसमें विद्युत लाइन, सब-स्टेशन, विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है जो कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु संधारित किये जाते हैं तथापि ऐसी लाइन, सब-स्टेशन या विद्युत संयंत्र चाहे उच्चदाब केबल या शिरोपरि लाइन हो या उनसे संबंधित हो अथवा प्रसंगवश अन्यो के लिए विद्युत पारेषण हेतु उपयोग में लाया जाता हो।

- (जेड) **“भूयोजित या भूमि से संयोजित”** से तात्पर्य है भूमि से इस प्रकार संयोजित करना कि ऊर्जा का उन्मोचन (डिसचार्ज) सभी समय तत्काल एवं प्रभावी रूप से बिना खतरे के हो सके।
- (एए) **“विद्युत निरीक्षक”** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 54 में परिभाषित निरीक्षक से है।
- (बीबी) **“विद्युत लाइन”** से तात्पर्य है कोई लाइन जो कि किसी भी प्रयोजन के लिए विद्युत प्रवाहित करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है:
- किसी लाइन का सपोर्ट (संबल) जैसे कि कोई ढांचा, टावर, पोल (खम्भा) या अन्य जिसमें से, जिसके ऊपर या जिससे होकर ऐसी लाइन लटकायी या ले जायी जाती है या ले जायी गई है।
  - कोई तंत्र जो कि विद्युत प्रवाहित करने हेतु ऐसी किसी लाइन से जुड़ी हो।
- (सीसी) **“ऊर्जा”** से तात्पर्य ऐसी विद्युत ऊर्जा जो कि
- किसी उद्देश्य के लिये उत्पादित, पारेषित या प्रदाय की जा रही हो। अथवा
  - जो संदेश प्रसारित करने के अलावा किसी और कार्य के लिये उपयोग की जा रही हो।
- (डीडी) **“ऊर्जा प्रभार”** से तात्पर्य उस प्रभार से है जो कि टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा (किलोवाट घंटा या किलोवोल्ट एम्पियर घंटा) के आधार पर लगाया जाता है।
- (ईई) **“अति उच्चदाब”** से तात्पर्य वह वोल्टेज है जो 33000 वोल्ट से अधिक हो तथा जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (एफएफ) **“फीडर”** से तात्पर्य है निम्नदाब, उच्चदाब या अति उच्चदाब वितरण लाइन (वितरक) जो कि सब-स्टेशन से निकलती है जिससे कि निम्नदाब, उच्चदाब या अति उच्चदाब उपभोक्ता संयोजित है।
- (जीजी) **“स्थिर प्रभार”** से तात्पर्य है वह प्रभार जो कि आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी हेतु जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में प्रावधानित है।
- (एचएच) **“हार्मोनिक्स”** से तात्पर्य है 50 हर्ट्ज की मौलिक विद्युत फ्रिक्वेंसी के एकीकृत गुणक सामयिक तरंग या घटक जिससे वोल्टेज या विद्युत धारा की शुद्ध सीनोसाइडल तरंग के आकार में विकृति आती है यह IEEE STD 519-1992, "IEEE रिकमेंडेड प्रक्टिसेस एंड रिकवायरमेंट फार हारमोनिक कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम" से शासित होंगे और अधिनियम की धारा 185(2)(सी) के अधीन बनाये गये मापदंडों के अनुसार होंगे।
- (आईआई) **“उच्चदाब”** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक की वोल्टेज जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (जेजे) **“स्वतंत्र/समर्पित (इण्डिपेंडेंट/डेडीकेटेड) फीडर”** से तात्पर्य है वह फीडर जिसका निर्माण किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह की राशि से किया गया हो तथा जिससे सिर्फ उस उपभोक्ता या उन उपभोक्ताओं के समूह को ही विद्युत प्रदाय किया जाता हो।
- (केके) **“अनुबंध की प्रारंभिक अवधि”** से तात्पर्य है अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष का समय। अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि उस माह के अंतिम दिवस तक प्रभावी रहेगा जिस माह में दो वर्ष का अंतिम दिवस समाप्त होता है।
- (एलएल) **“स्थापना”** से तात्पर्य है ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन, वितरण अथवा उपभोग में प्रयुक्त हो रही हो।

- (एमएम) **“अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार”** से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा नियमन 2010 की कंडिका 29 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
- (एनएन) **“अनुज्ञप्तिधारी”** से तात्पर्य है जब तक अन्यथा न हो ऐसा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो।
- (ओओ) **“लोड फैक्टर”** से तात्पर्य किसी समयावधि में खपत की गई कुल यूनिटों तथा संविदा मांग/स्वीकृत भार के उस अवधि में पूर्ण उपयोग होने की स्थिति में आकलित विद्युत खपत का अनुपात जिसे सामान्यतः प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाएगा।
- प्रतिशत में लोड फैक्टर =  $\frac{\text{दिए गए समयावधि में खपत की गई विद्युत यूनिटों में } X \times 100}{\text{स्वीकृत भार किलोवाट में } X \text{ दिये गये समयावधि में घंटों की संख्या}}$
- (पीपी) **“निम्नदाब”** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में वोल्टेज 230 वोल्ट से अधिक न हो तथा जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (क्यूक्यू) **“अधिकतम मांग”** से तात्पर्य उस मांग से है जिसकी गणना संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिये आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश के अनुसार हो।
- (आरआर) **“मध्यम दाब”** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थितियों में 230 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट से अधिक न हो तथा जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (एसएस) **“मीटर”** से तात्पर्य है एकीकृत उपकरणों व यंत्रों का समूह जैसा कि आवश्यक हो जिसे किलोवाट घंटे, या किलोवोल्ट एम्पियर घंटों में ऊर्जा, किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पियर में अधिकतम मांग, के.व्ही.ए.आर. घंटे में रिएक्टिव ऊर्जा इत्यादि को दिए गए समय में मापने और/या अंकित करने और/या संग्रहण करने हेतु प्रयुक्त किया जावे। इसमें पूर्ण (होल) करंट मीटर सहित ऐसे मीटर या उसके मीटरिंग उपकरणों के यथा करंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी), कैपासिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीव्हीटी), पोर्टेशियल ट्रांसफॉर्मर (पीटी) सहित केबल वायरिंग तथा परीक्षण व सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले अन्य साधन यथा टेस्ट टर्मिनल ब्लाक, स्विच, एमसीबी/लोड लिमिटर फ्यूज तथा उनके लगाने हेतु उपयोग किया गया बाक्स व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये जाने वाले सील व सीलिंग व्यवस्था भी सम्मिलित होंगे।
- (टीटी) **“प्रदाय बिन्दु या आपूर्ति बिन्दु”** से तात्पर्य है उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्वीचगियर के लिये वितरण प्रणाली के आने वाले अंतिम छोर (इनकमिंग टर्मिनल) का बिन्दु।
- (यूयू) **“पावर फैक्टर”** से तात्पर्य है प्रत्यावर्ती धारा (अल्टरनेटिंग करंट) सर्किट में वोल्टेज व विद्युत धारा (करंट) व्हेक्टर के मध्य विद्युतीय झुकाव का कोसाइन (कोज्या)।
- (व्हीव्ही) **“परिसर”** से तात्पर्य है भूमि, भवन, ढांचा का भाग या उनका संयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु अलग से मीटर या मीटरिंग व्यवस्था की गई हो।
- (डब्ल्यूडब्ल्यू) **“ग्रामीण क्षेत्र”** से तात्पर्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
- (एक्सएक्स) **“स्वीकृत भार”** से तात्पर्य है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर या हार्स पावर जैसा भी प्रकरण हो में भार जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के साथ अनुबंध की अनुपस्थिति में भी शासित नियम व शर्तों के अनुसार प्रदाय हेतु सहमत हुआ हो।
- (बाईबाई) **“टैरिफ आदेश”** से तात्पर्य है अनुज्ञप्तिधारी के लिये आयोग द्वारा हाल ही में जारी आदेश जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से विद्युत प्रदाय हेतु बिल किये जाने वाले विद्युत दर का उल्लेख हो।
- (जेडजेड) **“चोरी”** से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिभाषित विद्युत चोरी।

- (एएए) “**पारेषण अनुज्ञप्तिधारी**” से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत पोरषण लाइन के निर्माण व संचालन हेतु अधिकृत करते हुए अनुज्ञप्ति जारी किया गया है।
- (बीबीबी) “**पारेषण प्रणाली**” से तात्पर्य है ऐसी प्रणाली जिसमें अति उच्चदाब पर संचालित विद्युत लाईन सहित प्रणाली (जनरेटर को प्रणाली से जोड़ने के लिए समर्पित लाइनों को छोड़कर) जो कि एक पॉवर स्टेशन से किसी सब-स्टेशन या दूसरे पॉवर स्टेशन या दो सब-स्टेशनों के मध्य या किसी बाह्य जुड़े उपकरण से वितरण प्रणाली तक जिसमें विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व व उपयोग होने वाले यंत्र, संयंत्र व मीटर सम्मिलित हो परन्तु किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित न हो।
- (सीसीसी) “**शहरी क्षेत्र**” से तात्पर्य है नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत सहित नगरीय विकास अभिकरण, कन्टूनमेंट अभिकरण (सैनिक छावनी) एवं औद्योगिक प्रक्षेत्र या नगर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

2.2 उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त जो भी पारिभाषिक एवं अन्य शब्द इस संहिता में प्रयुक्त किये हैं, परन्तु इस संहिता में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य अधिनियम में दी गई परिभाषा से होगा, यदि वे अधिनियम में परिभाषित किये गये हों। अन्य परिभाषित शब्द, जो इस संहिता में उपयोग किये गये हैं परन्तु इस संहिता या अधिनियम में परिभाषित नहीं किये गये हैं, यदि उन्हें संसद द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू किसी अन्य विधि या अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित किये गये टैरिफ आदेश में दिया गया है, तो उनका तात्पर्य उस विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

उपर्युक्त के अधीन उपयोग किये गये पारिभाषित शब्द, जिन्हें विशेष रूप से इस संहिता या अधिनियम या संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का तात्पर्य ऐसे शब्दों की उस परिभाषा से होगा जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रयुक्त की जाती है।

### अध्याय 3 : विद्युत प्रदाय प्रणाली तथा उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

#### आपूर्ति प्रणाली

- 3.1 प्रत्यावर्ती धारा (अल्टरनेटिंग करेंट/ए.सी.) की घोषित फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकेंड (हर्ट्ज) होगी।
- 3.2 ए.सी. आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :-  
(ए) निम्न दाब (एल.टी)  
(i) एकल फेज : 230 वोल्ट – फेज व न्यूट्रल के मध्य ;  
(ii) तीन फेज : 400 वोल्ट – फेजों के मध्य ;  
(बी) उच्च दाब (एच.टी) – तीन फेज : 11 के.व्ही या 33 के.व्ही फेजों के मध्य;  
(सी) अति उच्च दाब (ई.एच.टी.) – तीन फेज : 132 के.व्ही या 220 के.व्ही. फेजों के मध्य रेल्वे ट्रेक्शन (कर्षण) हेतु दो फेज पर विद्युत प्रदाय हो सकती है।
- 3.3 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली को पारेषण प्रणाली के अनुसार आकल्पित एवं संचालित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु पर घोषित वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज की अनुमति निम्नलिखित स्थितियों के सिवाय नहीं देगा:-  
(ए) निम्न दाब की दशा में घोषित वोल्टेज से 6 प्रतिशत से अधिक का अंतर;  
(बी) उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर स्तर पर 6 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर स्तर पर 9 प्रतिशत से अधिक का अंतर ;  
(सी) अति उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर स्तर पर 12.5 प्रतिशत से अधिक का अंतर।

उपर्युक्त से विलग कोई भी अनुमति केवल उपभोक्ता की लिखित सहमति अथवा आयोग के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी।

#### उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज तथा संविदा मांग की सीमा

- 3.4 वोल्टेजवार न्यूनतम व अधिकतम संविदा मांग पर विद्युत आपूर्ति सामान्यतः निम्नानुसार होगी :-

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	—	3 किलोवॉट
400 वोल्ट	3 किलोवॉट से अधिक	100 हार्स पावर अथवा 75 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	500 के.व्ही.ए
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	10000 के.व्ही.ए
132 के.व्ही	4000 के.व्ही.ए	40000 के.व्ही.ए
220 के.व्ही	15000 के.व्ही.ए	150000 के.व्ही.ए.

परंतु यह कि तकनीकी कारणों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी आयोग से परामर्श कर, उपरोक्त प्रावधान शिथिल कर सकता है। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता की संविदा मांग यदि उपरोक्त दर्शित अधिकतम संविदा मांग से अधिक होती है तो उन्हें आयोग द्वारा प्रासंगिक टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।



- 3.5 इस संहिता की कंडिका 3.4 में दर्शित न्यूनतम संविदा मांग ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र (जनरेटर) जिन्होंने स्टार्ट-अप पावर लिया है तथा केप्टिव जनरेटिंग प्लांट के ऐसे केप्टिव तथा नान-केप्टिव उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी जो इस संहिता की कंडिका 12.14 व 12.15 के अनुसार अपनी संविदा मांग किसी भी सीमा तक यथा शून्य तक कम कर सकते हैं।
- 3.6 रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन) के प्रकरण में इस संहिता की कंडिका 3.4 में दर्शित अधिकतम व न्यूनतम संविदा मांग की सीमाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता व साध्यता के आधार पर परस्पर सहमति से शिथिल किया जा सकता है।

### हार्मोनिक्स

- 3.7 इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स (AIEEE) मानक 519 (1992) जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) टेक्नीकल स्टैंडर्ड आफ कनेक्टिविटी टू ग्रिड) नियमन 2007 (सीईए तकनीकी मान नियमन) भाग II की कंडिका 5 में अंगीकृत किया गया है के अनुसार हार्मोनिक्स में अधिकतम अनुमति योग्य सीमा निम्नानुसार है:-

(ए) वोल्टेज विकृति (डिस्टार्शन) सीमा (प्रतिशत में) – अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी

बस वोल्टेज	अधिकतम वैयक्तिक (इनडिविजुवल) वोल्टेज विकृति	कुल अधिकतम वोल्टेज विकृति
33 के.व्ही. व 132 के.व्ही.	3.0	5.0
220 के.व्ही.	2.0	2.5
400 के.व्ही.	1.5	2.0

(बी) करेंट (धारा) विकृति (डिस्टार्शन) – उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी  
संयोजन बिन्दु पर पारेषण प्रणाली से लिये जाने वाले करेंट (धारा) की कुल हार्मोनिक विकृति 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 3.8 वोल्टेज का असंतुलन यथा किसी भी दो फेज के मध्य वोल्टेज का अंतर 33 के.व्ही. तथा अधिक वोल्टेज के प्रकरण में प्रदाय बिन्दु पर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

### भार का संतुलन

- 3.9 तीन फेज प्रदाय लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को अपने विद्युत भार इस प्रकार संतुलित करना चाहिए ताकि प्रत्येक फेज का भार और तीनों फेज के औसत भार का अंतर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

### उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

- 3.10 उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, टैरिफ और प्रत्येक वर्ग को लागू विद्युत आपूर्ति की शर्तें आयोग द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित टैरिफ आदेश या अन्यथा किये गये निर्धारण के अनुसार होगा। अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुरूप उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत या पुनर्वर्गीकृत कर सकेगा।
- 3.11 उपभोक्ताओं के वर्गीकरण एवं उपयुक्तता के लिए आयोग का स्पष्टीकरण अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता दोनों के लिए अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

## अध्याय 4 : नए संयोजन (कनेक्शन) देने तथा वर्तमान में स्थित संयोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया

### अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति के दायित्व

- 4.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिवासी (आक्यूपेंट) से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिसर को इस संहिता की कंडिका 4.58 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा, यदि :

- (ए) विद्युत की आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य हो,
- (बी) आवेदक द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया हो, तथा
- (सी) आवेदक इस संहिता में विनिर्दिष्ट आपूर्ति के लिए विस्तार का मूल्य वहन करे।

उपरोक्त उल्लेखित आवेदन का आशय सभी संदर्भों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित समुचित प्रारूप में प्रपत्रों सहित पूर्ण आवेदन से है जिसमें आवश्यक राशि के भुगतान संबंधी प्रपत्र सहित अन्य परिपालनों यथा अनुबंध करना व टेस्ट रिपोर्ट (परीक्षण प्रपत्र)/विद्युत निरीक्षक से अनुमति जैसा प्रकरण हो भी सम्मिलित है।

### अनुज्ञप्तिधारी पर वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में हिस्सा

- 4.2 वर्तमान के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय हेतु प्रणाली के सुदृढीकरण व उन्नयन का खर्च अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जावेगा जिसे टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त किया जावेगा।
- 4.3 नये उपभोक्ताओं के मांग पूर्ण करने तथा वर्तमान उपभोक्ताओं के भार में वृद्धि हेतु प्रदाय बिन्दु तक वितरण मेंस के विस्तार तथा प्रणाली के उन्नयन का खर्च उपभोक्ता/आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा जब तक कि इस संहिता में विशिष्ट रूप से अन्यथा दर्शित न हो अथवा अधिनियम की धारा 46 के तहत आयोग द्वारा तत्संबंध में विविध तथा सामान्य शुल्क निर्धारित न किया गया हो।
- 4.4 किसी नए निम्नदाब औद्योगिक संयोजन (एल.टी. इण्डस्ट्रियल कनेक्शन) प्रदान करने अथवा वर्तमान निम्नदाब औद्योगिक संयोजन (एल.टी. इण्डस्ट्रियल कनेक्शन) के संविदा भार वृद्धि के मामले में विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि आवश्यक होने या अलग से ट्रांसफार्मर लगाये जाने की स्थिति में, उपभोक्ता द्वारा आवेदित भार के अनुपात में ही ट्रांसफार्मर का खर्च देय होगा। यदि सार्वजनिक भूमि पर उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव न हो तो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और स्विचगियर के लिए सुलभ पहुंच वाली भूमि/कक्ष बिना मूल्य उपलब्ध करायेगा जिसके लिये कोई भाड़ा या प्रीमियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं दिया जायेगा।
- 4.5 वितरण प्रणाली का विस्तार चाहे इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी जिसका संधारण (रखरखाव) अनुज्ञप्तिधारी अपने खर्च पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह इस विस्तार कार्य का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति हेतु करे बशर्ते कि ऐसे उपयोग से पूर्व से ही वितरण नेटवर्क से संयोजित उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
- 4.6 जब अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति करने के लिये तैयार हो जाए तो वह निम्न दाब के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब के प्रकरण में तीन माह की सूचना (नोटिस) यह दर्शित करते हुए उपभोक्ता को प्रदान करेगा कि विद्युत उसके परिसर तक उपलब्ध करा दी गई है तथा उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त कर ले। सूचना व्यक्तिगत रूप से या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत

पोस्ट से प्रेषित किया जायेगा। यदि उपभोक्ता सूचना पत्र की अवधि के भीतर कनेक्शन लेने में असमर्थ होता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के अगले दिन से इस संहिता के प्रावधानों के भीतर प्रचलित टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट दर से देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

### संयोजन प्रदान करने की शर्तें तथा उपभोक्ताओं का दायित्व

- 4.7** विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा स्वीकार्य मापदंड के अनुरूप सर्विस लाइन विछायेगा। वितरण मेंस से प्रदाय बिन्दु तक जहाँ मीटर लगाया जाना हो तक के सर्विस लाइन की लम्बाई सामान्यतः 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्विस लाइन शिरोपरि या भूमिगत केबल हो सकेगी और उसमें किसी भी प्रकार का जोड़ मान्य नहीं होगा। सर्विस लाइन बिछाने के अतिरिक्त उपभोक्ता को सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन तथा अनुबंध शुल्क का भुगतान आवश्यक होगा। विद्युत भार वृद्धि के प्रकरण में जहाँ भी आवश्यक हो उपभोक्ता को सर्विस कनेक्शन केबल के परिमाण (साइज) में वृद्धि करनी होगी।
- 4.8** निम्न दाब संयोजन हेतु विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता हो या न हो सर्विस लाइन बिछाने का कार्य उपभोक्ता द्वारा अधिकृत अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठेकेदार से करा कर संयोजन प्रदान करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण प्रपत्र (टेस्ट रिपोर्ट) जमा करना होगा।
- 4.9** जहाँ विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता हो, उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत ले-आउट, ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार लाइन विस्तार कार्य अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से करा सकता है। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता, सामान की लागत व मजदूरी (लेबर चार्ज) पर आयोग द्वारा स्वीकृत निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा। विस्तार कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह लाइन अनुज्ञप्तिधारी के आधिपत्य में देना होगा तथा कनेक्शन प्रदान करने के पश्चात उक्त लाइन का स्वामित्व व संधारण कार्य अनुज्ञप्तिधारी का होगा।
- 4.10** यदि उपभोक्ता लाइन विस्तार कार्य अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार से कराना चाहे तो उपभोक्ता स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत उत्पाद (मेक) तथा स्वीकृत वेंडर सूची से सामान खरीद सकता है अन्यथा गारंटी अवधि में किसी उपकरण के फेल (खराब) होने पर बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। सामग्री संबंधित बी.आई.एस. मानकों या उसके समतुल्य होने चाहिये तथा जहाँ लागू हो वहाँ आई.एस.आई. चिन्हित होने चाहिये। अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिए दस्तावेजी सबूत मांग सकता है। स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन इस संहिता की कंडिका 5.10 से 5.17 के अनुसार होना चाहिए।
- 4.11** जहाँ लाइन विस्तार कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जायेगा वहाँ कार्य इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समय सीमा में करना होगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की सूचना देकर विद्युत प्रदाय का आवेदन निरस्त कर सकता है।

### नये कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया

#### विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन

- 4.12** विद्युत आपूर्ति के लिये आवेदन जैसा भी प्रकरण हो संलग्नक 1 /संलग्नक 2 में दर्शित प्रारूप के अनुसार होगा जिसकी प्रतियाँ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर तत्काल पावती दी जावेगी। प्रपत्रों की छायाप्रति अथवा अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट से प्राप्त की गई प्रतियाँ भी उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी और अनुज्ञप्तिधारी उन्हें स्वीकार करेगा।

- 4.13** परिसर, जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है पर अधिवासी व्यक्ति आवेदन में पूरा नाम, पोस्टल पता, दूरभाष/मोबाईल नंबर (यदि उपलब्ध हो), विद्युत प्रदाय बिन्दु आदि दर्शित करेगा। आवेदन पत्र भरने में आवेदक को कोई सहायता या जानकारी की आवश्यकता होने पर यह उपभोक्ता को उस कार्यालय से प्रदान किया जायेगा जहाँ आवेदन पत्र जमा होना है। परिसर पर अधिवासी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीन/उपकरणों के स्थापना तथा वायरिंग का कार्य, इसे करने के लिये अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से कराया जावे।
- 4.14** नये संयोजन अथवा विद्यमान कनेक्शन में परिवर्तन के आवेदन के लिए अनुज्ञप्तिधारी बेवसाइट, कॉल सेंटर के माध्यम से नयी प्रक्रियाएं भी अपनायेगा जिससे कि इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के साथ सम्पर्क की न्यूनतम आवश्यकता हो।
- 4.15** नये संयोजन हेतु आवेदन पत्र आवेदक के पहचान पत्र, उस परिसर जहाँ कि विद्युत संयोजन मांगा जा रहा हो के स्वामित्व, या अधिवासी होने के प्रमाण, आवेदक के वर्तमान पता तथा विशेष प्रकरण में इस संहिता की कंडिका 4.17 में दर्शित अन्य आवश्यक प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां निश्चित रूप से संलग्न होनी चाहिए।
- 4.16** नये कनेक्शन के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा निर्धारित रजिस्ट्री व प्रक्रिया शुल्क (रजिस्ट्रेशन-कम-प्रोसेसिंग चार्ज) लिया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह शुल्क भविष्य में जारी होने वाले बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि उपभोक्ता औपचारिकताएं पूरी नहीं करता और उसका आवेदन निरस्त किया जाता है तो प्रक्रिया शुल्क उपभोक्ता को वापस नहीं किया जावेगा।

#### पहचान के प्रमाण पत्र

निम्न में से कोई भी प्रपत्र पहचान के स्वीकार्य प्रमाण पत्र माने जायेंगे:-

(ए) यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो-

- (1) मतदाता पहचान पत्र
- (2) पासपोर्ट
- (3) ड्राइविंग लायसेंस
- (4) राशन कार्ड
- (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- (6) पैनकार्ड
- (7) सरपंच या ग्रामीण स्तर के शासकीय विभाग से संबंधित यथा पटवारी, पोस्टमास्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इंचार्ज से फोटो पहचान पत्र
- (8) आधार कार्ड

(बी) यदि आवेदक कोई कम्पनी, ट्रस्ट, शिक्षा संस्थान, शासकीय विभाग आदि हो तो आवेदन पत्र संबंधित संस्थान के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा तथा संबंधित संस्थान के घोषणा पत्र (रिजाल्युशन)/अधिकार प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे।

**विधिक स्वामित्व / अधिवासी का प्रमाण**

निम्न में से कोई भी प्रपत्र विधिक स्वामित्व/अधिवासी होने के स्वीकार्य प्रमाण पत्र माने जायेंगे:—

- (1) पंजीकृत विक्रय पत्र, भू-भाटक विलेख (लीज डीड) भागीदार विलेख (डीड), उत्तराधिकारी या वारिस होने का प्रमाण पत्र या वसीयतनामा की प्रति।
- (2) पंजीकृत मुख्तियारनामा
- (3) तात्कालिक निगम टैक्स (संपदा कर) भुगतान की प्रति
- (4) शासकीय प्राधिकरण/विभाग द्वारा भूमि/भवन के आवंटन पत्र
- (5) गाँव के प्रकरण में सरपंच द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र
- (6) शासकीय विभाग द्वारा जारी पट्टा
- (7) आवेदक यदि परिसर का स्वामी न होकर अधिवासी है तो आवेदन के साथ उपरोक्त 1 से 6 में से कोई भी प्रमाण पत्र सहित परिसर के विधिक स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।
- (8) कृषि सिंचाई पंप के प्रकरण में जहाँ विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है उस भूमि का बी-1 सहित खसरा नक्शा की प्रति जिसमें भूमि के खसरा नंबर सहित स्थल जहाँ कुआं खोदा गया हो। नदी, नाला, तालाब से पानी लेने की स्थिति में सक्षम राजस्व अधिकारी से और भूमि के सामूहिक स्वामित्व के प्रकरण में आवेदक के नाम से अधिकार पत्र जमा करने होंगे।

**वर्तमान पता का प्रमाण**

निम्न में से कोई भी प्रपत्र पत्राचार के लिये वर्तमान पता स्वीकार्य प्रमाण माने जायेंगे:—

- (1) मतदाता पहचान पत्र
- (2) पासपोर्ट
- (3) ड्राइविंग लायसेंस
- (4) राशन कार्ड
- (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- (6) प्रचलित बैंक एकाउण्ट पासबुक
- (7) तात्कालिक जल/टेलिफोन/विद्युत/ गैस कनेक्शन बिल
- (8) इंकम टैक्स असेसमेंट आदेश

**4.17** जहाँ भी लागू हो उपभोक्ता आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रति भी संलग्न करेंगे:—

- (ए) किसी विधिक नियमों के अधीन आवश्यक हो तो स्थानीय/विधिक प्राधिकारी का अनुमोदन/स्वीकृति। यह औद्योगिक, बड़े व्यवसायिक संयोजन व बहुउपभोक्ता परिसर (काम्पलेक्स) के लिये आवश्यक हो सकता है।
- (बी) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख, आवेदक को आवेदन प्रपत्र एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु दिया गया अधिकार पत्र।

- (सी) सार्वजनिक या निजी मर्यादित कम्पनियों के मामले में संस्था का ज्ञापन और संस्था की नियमावली और निगमन के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक को आवेदन प्रपत्र और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु उसके नाम से दिया गया अधिकार पत्र ।
- (डी) जहाँ कही आवश्यक हो, वहाँ संबंधित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति यदि आवेदन प्रस्तुत करते समय उपलब्ध हो, अन्यथा यह संयोजन प्रदान करने के पूर्व जमा करना होगा ।
- (ई) लघु उद्योग की दशा में लघु उद्योग पंजीयन और अन्य उद्योग की दशा में उद्योग विभाग में पंजीयन की प्रति ।
- (एफ) स्टोन क्रशर, स्टोन पालिशिंग और हॉट मिक्स प्लांट को विद्युत आपूर्ति के आवेदनों की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी:-
- (i) संबंधित विभाग से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य जो यह दर्शाता हो कि विद्युत की आपूर्ति कम से कम दो वर्ष के लिए आवश्यक होगी, और
- (ii) आवेदक का स्थायी पता ।
- (जी) उद्योग के प्रकरण में विद्युत एवं प्रक्रिया की आवश्यकता से संबंधी परियोजना प्रतिवेदन का सुसंगत भाग ।
- (एच) उपभोक्ता यह भी बतायेगा कि लाईन विस्तार कार्य, यदि कोई हो स्वयं उसके द्वारा किये जायेंगे या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ।
- (आई) आयोग द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया शुल्क जमा किये जाने का प्रमाण ।

**टीप:-** सत्यापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है ।

**4.18** घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शन हेतु आवेदक, यदि परिसर के विधि सम्मत अधिवासी होने का सबूत देने में असमर्थ हो तो वितरण केन्द्र (लोकल ऑफिस) के प्रभारी द्वारा ऐसे सबूत की आवश्यकता को, लिखित रूप में इसके कारणों को दर्शाते हुए समाप्त किया जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में आवेदक, परिसर को विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली क्षति की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति तथा भविष्य में भूमिस्वामी द्वारा कोई अड़चन/एतराज करने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने अधिकृत करते हुए बंधपत्र निष्पादित करेगा। तथापि उन मामलों में, जहां लाइन का विस्तार भूमि पर किया जाना आवश्यक हो, उपभोक्ता भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा। ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा 90 दिन की औसत खपत के आधार पर सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं से जमा कराई जायेगी। इस प्रकार के परिसर में प्रदाय किये गये विद्युत कनेक्शन को, परिसर पर कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

**4.19** यदि उपभोक्ता, किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम से निष्पादित किया गया था या उस फर्म या कम्पनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में संबद्ध रहा हो के नाम में निष्पादित किया गया था, पर उस परिसर जहां नवीन कनेक्शन का आवेदन दिया जाता है, अन्य बकाया राशि है और यह बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति का एक नई सम्पत्ति का अधिष्ठाता बनने पर उसका यह दायित्व होगा कि आधिपत्य ग्रहण करने के पहले वह पूर्व महीनों के विद्युत बिलों की जांच करे अथवा आपूर्ति संयोजन के विच्छेदित रहने की स्थिति में

परिसर के अधिष्ठापन के शीघ्र पहले, अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों से बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करे और यह सुनिश्चित करे कि बिल में दर्शायी बकाया विद्युत राशि का निपटान एवं भारमोचन हो चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस परिसर में पूर्व में या वर्तमान में स्थापित कनेक्शन पर बकाया राशि का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर जारी करने तथा भुगतान पश्चात कनेक्शन चालू करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा।

- 4.20** (i) किसी उपभोक्ता को, उसके संपूर्ण परिसर के लिए किसी एक बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति की शर्तों एवं निबंधनों के उद्देश्य से परिसर पृथक-पृथक जाने जावेंगे यदि:-
- (ए) स्वामित्व विभिन्न व्यक्तियों का हो या यदि इसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पट्टे पर लिया गया है तो यह संयोजन के समय कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिये वैध हो,
  - (बी) यदि घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को पृथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी संबंधित दस्तावेज हो,
  - (सी) ऐसे घरेलू परिसर जिसका कोई भाग गैर-घरेलू उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया जा रहा हो, तथा
  - (डी) ऐसी औद्योगिक स्थापनायें जो विभिन्न उत्पादों का एकल उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उत्पादन नहीं करते हों और उनका भौतिक अस्तित्व पृथक एवं भिन्न हो।
- (ii) प्रत्येक पृथक परिसर को पृथक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी। यह कि उच्चदाब उपभोक्ता उसी परिसर में अपने अति आवश्यक भार के लिए इस संहिता की कंडिका 4.40 में दर्शित प्रावधान के तहत अलग से निम्नदाब कनेक्शन ले सकते हैं।

- 4.21** निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण व संबंधित प्रपत्रों सहित विद्युत प्रदाय के लिये उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन को प्रस्तुति दिवस पर आवेदन पत्र की प्राप्ति माना जायेगा। उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात इस संहिता की कंडिका 6.4 व 6.5 के अनुसार सुरक्षा निधि सहित सभी शुल्कों के भुगतान पश्चात अनुबंध करने व अन्य दायित्व यथा परीक्षण प्रपत्र/ विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जहां लागू हो इस संहिता की कंडिका 4.17 के अनुसार संबंधित प्रपत्रों की प्राप्ति को प्रस्तुति दिवस पर आवेदन की प्राप्ति माना जायेगा।

### आवेदन पत्र पर कार्यवाही

- 4.22** अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा सहपत्रों की जांच करेगा। सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शित करते हुए उपभोक्ता को लिखित पावती देगा। यदि आवेदन पत्र अपूर्ण है या उसमें इन्दाज सही नहीं है तो 5 कार्य दिवस के भीतर आवेदन पत्र की कमियां लिखित रूप में आवेदक को प्रेषित की जायेंगी। आवश्यक प्रपत्रों सहित सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण के प्रस्तावित दिवस की सूचना देगा जो कि शहरी क्षेत्र के लिए 2 कार्य दिवस व ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 कार्य दिवस होंगे।
- 4.23** अनुज्ञप्तिधारी सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का आवेदन पत्र रजिस्टर या डाटा बेस में स्थाई रिकार्ड रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को उनके प्राप्त होने के क्रमानुसार (पहचान हेतु) स्थाई आवेदन पत्र क्रमांक दिये जायेंगे। विभिन्न श्रेणियों के आवेदन पत्र जैसे जिसमें लाइन विस्तार कार्य करने की आवश्यकता है व जहां लाइन विस्तार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है के लिए अलग-अलग

रजिस्टर/डाटाबेस रखना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक आवेदन पत्र पर अदिनांक तक (अपडेटेड) स्तरवार की गई कार्यवाही दर्शित करते हुए रजिस्टर/डाटाबेस रखना होगा।

- 4.24** परिसर के निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से चर्चा कर प्रदाय बिन्दु व स्थान जहां मीटर लगाया जायेगा तय करेगा। यह कि सर्विस लाइन पहुंच स्थान तक खींचा जायेगा व मीटर इस संहिता की कंडिका 8.9 व 11.64 के अनुसार परिसर के प्रवेश स्थल पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह वर्षा आदि में सुरक्षित रहे तथा परिसर को बिना खुलाये या बिना ताला खुलाये मीटर रीडिंग (वाचन) लिया जा सके।
- 4.25** यदि आवेदन पत्र में सही रूप से पोस्टल पता नहीं लिखा है तो अनुज्ञप्तिधारी सही पोस्टल पता दर्ज करेगा तथा परिसर के पास के मुख्य लैंडमार्क (चिन्हित स्थल) सहित पोल नंबर जहां से सर्विस तार खींचा जाना हो भी दर्ज करेगा।
- 4.26** उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के वितरण मेन से खींची जाने वाली सर्विस लाइन किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर वितरण लाइन का निर्माण करने या सर्विस लाइन डालने के लिए आवश्यक पहुंच रास्ता (वे-लीव) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को देगा। जब तक वे लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था हो नहीं जाती अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा। वे-लीव अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आपूर्ति लाइन डालने में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वे-लीव की पर्याप्तता व प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं होगी, यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी।
- 4.27** वे-लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सर्विस लाइन में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा नई सर्विस लाइन के प्रावधान, जो इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो जाये, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा। भुगतान न होने या भुगतान में विलम्ब की दशा में उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित किये जाने योग्य होगी।
- 4.28** विद्यमान लाइन से विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में 5 कार्यकारी दिवस और ग्रामीण क्षेत्र में 7 कार्यकारी दिवस के भीतर सुरक्षा निधि व सर्विस कनेक्शन शुल्क तथा अन्य कोई लगने वाली शुल्क जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करेगा। शुल्क की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करना होगा तत्पश्चात सर्विस कनेक्शन तार बिछाने का कार्य किया जा सकता है। मांग पत्र में यह दर्शित होना चाहिये कि भुगतान करने के पश्चात उपभोक्ता आवश्यक अनुबंध (एग्रीमेन्ट) करे तथा कनेक्शन (संयोजन) लेने हेतु सर्विस लाइन बिछाने के पश्चात परीक्षण प्रपत्र (टेस्ट रिपोर्ट) जमा करे।
- 4.29** यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वितरण लाइन का विस्तार करना आवश्यक हो तो वितरण लाइन के विस्तार की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 10 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित तथा अन्य औपचारिकताओं को सूचित करेगा। आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा जिसके बाद ही सर्विस लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित मांग पत्र में यह भी दर्शित करेगा कि राशि भुगतान पश्चात उपभोक्ता अनुबंध करे व कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सर्विस लाइन खींचने के पश्चात परीक्षण पत्र प्रस्तुत करे।



- 4.30 उपभोक्ता द्वारा 15 दिवसों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा अन्यथा जिसमें विफल रहने पर उसका आपूर्ति का आवेदन पत्र सूचना देते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। उसके बाद उपभोक्ता को प्रक्रिया फीस सहित नया आवेदन पत्र देना होगा।
- 4.31 सुरक्षा निधि सहित आवश्यक राशि के भुगतान तथा अनुबंध करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी वितरण लाईन विस्तार कार्य प्रारम्भ करेगा। विस्तार कार्य अधिकतम निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में (पंप को छोड़कर) 60 दिन में, उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 90 दिन तथा अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 180 दिन में पूर्ण करेगा। कृषि पंप के प्रकरण में यह अवधि उपभोक्ता परिसर तक जहां खेतों तक पहुंच हो 90 दिन तथा जहां पहुंच न हो 180 दिन होगा। आवश्यक पहुंच रास्ता (वे-लीव) स्वीकृति की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर होगी। अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करने पर तथा संयोजन प्रदान करने हेतु तैयार होने पर इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार उपभोक्ता को सूचना (नोटिस) जारी करेगा।
- 4.32 कार्य की प्राक्कलित राशि के भुगतान पश्चात यदि लाईन विस्तार कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है तो कार्य पूर्ण होने के 90 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य में हुए वास्तविक राशि का आकलन कर उपरोक्त निर्धारित समय में अतिरिक्त राशि यदि लिया गया निकलता है तो वापस करेगा। वापसी में देर होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापस होने योग्य राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश पर ब्याज देना होगा। इस कार्य हेतु इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार नोटिस जारी करने की तिथि कार्य पूर्ण होने के तिथि मानी जायेगी।  
यदि किया गया वास्तविक खर्च प्राक्कलित व लिए गए राशि से अधिक पाया जाता है तो अंतर की राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य होगी। यदि उपभोक्ता यह राशि जमा नहीं करता तो आवश्यक नोटिस के पश्चात उक्त राशि नियमित मासिक बिल में जोड़ दिया जायेगा व वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- 4.33 यदि उपभोक्ता निरीक्षण शुल्क जमा कर लाईन विस्तार कार्य स्वयं करना चाहता है तो उपभोक्ता आवश्यक निरीक्षण हेतु कार्य प्रारम्भ होने की अग्रिम लिखित सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगा। उपभोक्ता कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आवश्यक विधिक अनुमति प्राप्त करेगा। उपभोक्ता भी इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समयावधि में लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करेगा तथा कार्य पूर्ण होने की लिखित सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगा।

### निम्नदाब संयोजन प्रदाय करना

- 4.34 परीक्षण प्रपत्र व अन्य आवश्यक विधिक अनुमति तथा जानकारी प्राप्त होने पर कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापना कार्य व सर्विस लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है, यदि निरीक्षण की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी 3 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को निरीक्षण/जांच दिवस की सूचना देगा। ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी सेन्ट्रल एलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी (मेटर्स रिलेटिंग टु सेप्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम) के विनियम 31 के अनुसार आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और उसके विद्युत ठेकेदार के समक्ष निरीक्षण व परीक्षण कार्य करेगा। निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी यदि कोई त्रुटि (जैसे कि उपभोक्ता का स्थापना कार्य पूर्ण न हुआ हो, तार के खुले सिरे या जोड़ इन्सुलेशन टेप से सही ढंके न हो, की गई वायरिंग जीवन/सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो) पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदक को यथासम्भव स्थल पर ही उपयुक्त पावती के साथ देना चाहिए।
- 4.35 आवेदक इस संहिता की कंडिका 4.34 के अनुसार उल्लेखित त्रुटियों की सूचना प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के भीतर ठीक कर अनुज्ञप्तिधारी को पावती सहित लिखित सूचना देगा। यदि

आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने या उपरोक्त समयावधि में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में विफल रहता है तो आवेदन पत्र शून्य माना जायेगा तथा आवेदक को नये रूप से आवेदन करना होगा। यदि आवेदक त्रुटि की सूचना प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर लिखित निवेदन करता है तो अनुज्ञप्तिधारी कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दे सकता है।

- 4.36 आवेदक से त्रुटि दूर होने की सूचना प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी आवेदक से स्थल पर ही चर्चा कर पुनर्निरीक्षण की तिथि तय कर लिखित पावती सहित सूचित करेगा। पुनर्निरीक्षण, जानकारी प्राप्त होने व आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात की तिथि से शहरी क्षेत्र में 3 कार्य दिवस व ग्रामीण क्षेत्र में 5 कार्य दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।
- 4.37 यदि पुनर्निरीक्षण में पूर्व में उल्लेखित त्रुटियां यथावत पाई जाती हैं तो अनुज्ञप्तिधारी उन्हें पुनः रिकार्ड करेगा और उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को प्रदान करेगा, तब आवेदन पत्र शून्य माना जावेगा और इसकी लिखित सूचना आवेदक को पावती सहित दी जावेगी।  
यदि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के इस कार्य से असंतुष्ट हो तो वह संबंधित विद्युत निरीक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- 4.38 परीक्षण के परिणाम से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर स्थापित व सील कर इस संहिता में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर संयोजन प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर बाक्स के भीतर मीटर स्थापित किया जावेगा।
- 4.39 सर्विस कनेक्शन, ट्रांसफार्मर व पावर लोड हेतु अनुशंसित परिमाण (साइज) व रेटिंग संलग्नक 10 में दर्शित है। सर्विस कनेक्शन हेतु एक फेज कनेक्शन के लिए ट्विन कोर (दो कोर) तथा तीन फेज कनेक्शन के लिए 4 कोर केबल का उपयोग करना चाहिए।
- 4.40 उच्चदाब उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उच्चदाब औद्योगिक संयोजन के परिसर में अलग से एक स्वतंत्र निम्नदाब संयोजन प्रदान कर सकता है ताकि आकस्मिक स्थिति में जब उच्चदाब कनेक्शन में विद्युत उपलब्ध न हो तो उसके अत्यावश्यक भार की मांग की पूर्ति की जा सके जिसकी शर्त निम्नलिखित होंगी:
- (i) अधिकतम अनुमति योग्य भार 20 किलोवाट
  - (ii) बिलिंग गैर घरेलू दर पर
  - (iii) प्रचलित नियम के अनुसार उपभोक्ता को लाइन विस्तार कार्य सहित सर्विस कनेक्शन शुल्क व सुरक्षा निधि आदि आवश्यक राशि भुगतान करने होंगे।
  - (iv) निम्नदाब संयोजन उस स्थापना से जहां से उच्चदाब संयोजन से विद्युत का उपयोग हो रहा है से अलग व दूर होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में उसे उच्चदाब स्थापना से अंतःसंबंधित (इन्टरकनेक्टेड) नहीं होना चाहिए।
  - (v) उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार इस प्रकार की अचूक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक आपूर्ति से दूसरे में फीड बैक होने की सम्भावना न हो। फीड बैक की सम्भावना की स्थिति में निम्नदाब कनेक्शन विच्छेदित किया जा सकता है।
  - (vi) इसके लिए अलग से निम्नदाब अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध में कंडिका 4.40 की उपकंडिका (iv) व (v) की शर्तें समाहित होंगी।

- (vii) निम्नदाब संयोजन तभी प्रदाय किया जायेगा जबकि उच्चदाब कनेक्शन के विरुद्ध कोई भुगतान बकाया न हो।

#### उच्च व अति उच्चदाब संयोजन प्रदाय करना

- 4.41 उच्चदाब/अति उच्चदाब पर विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी 5 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को आवेदित संयोजन के साध्यता को जाँच के लिए स्थल निरीक्षण के दिनांक की लिखित सूचना देगा। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अति उच्चदाब पर आपूर्ति या अति उच्चदाब उपकेन्द्र (सब-स्टेशन) से सीधे संयोजन होने की स्थिति में उपभोक्ता आवेदन पत्र की एक प्रति साथ ही पारेषण कम्पनी को भी प्रेषित कर सकता है। वितरण व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे तथा आपूर्ति की साध्यता की जांच सहित, स्थान जहाँ से लाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ करना है, आपूर्तिकर्ता की लाइन के परिसर में प्रवेश का स्थान आपूर्तिकर्ता के मीटर, मीटरिंग व अन्य उपकरण लगाने का स्थान निर्धारित करेंगे। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर संयोजन की साध्यता या अन्यथा के बारे में सूचित करेंगे तथा साध्यता रिपोर्ट जारी करने के 60 दिवस के भीतर प्राक्कलन स्वीकृत कर देय राशि हेतु मांग पत्र जारी करेंगे। उच्चदाब लाइन विस्तार हेतु आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार (लोड) स्वीकृत कर उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा निधि जमा करने व अनुबंध करने हेतु मांग पत्र जारी करेंगे।
- 4.42 जहाँ उच्चदाब कनेक्शन वितरण प्रणाली से सम्बद्ध होना है के लिए साध्यता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी होना है। पुनश्च साध्यता प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी प्राक्कलन स्वीकृत कर सुरक्षा निधि तथा अनुबंध आदि शुल्क दर्शित करते हुए मांग पत्र जारी करेगा। परिसर में प्रवेश स्थल पर मीटर इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि वह वर्षा आदि से सुरक्षित रहे तथा बिना परिसर को खोले (ताला सहित) रीडिंग (वाचन) के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध रहे। उच्चदाब संयोजन का अंतिम स्पान एरियल बंच केबल युक्त रहेगा तथा उच्च व अति उच्चदाब दोनों संयोजनों में सीटीपीटी व मीटर का संयोजन आर्मर्ड केबल के माध्यम से होगा।
- 4.43 उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सामान्यतः ऐसे फीडर (संभरक) से दी जायेगी जो कि विशेष कर उद्योगों के लिए निर्धारित हो। ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं जो सतत प्रक्रिया (कन्टीनुअस प्रोसेस) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अथवा जिनका भार 3 एम.व्ही.ए. या उससे अधिक हो के प्रकरण में विद्युत आपूर्ति समीपस्थ 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब सब-स्टेशन से पृथक फीडर के माध्यम से किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी। किसी भी दशा में दो अति उच्चदाब सब-स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रंक लाइन से किसी उपभोक्ता को आपूर्ति नहीं की जायेगी।
- 4.44 33 के.व्ही. व 11 के.व्ही. दोनों के उच्चदाब उपभोक्ताओं को सामान्यतः विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से नहीं की जायेगी। यदि आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा कि प्रणाली की परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण फीडरों की आपूर्ति को प्रतिबंधित व विनियमित किया जा सकता है। ऐसे उपभोक्ता आपूर्ति में प्रतिबंधों के लिए अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करने का एक बंध पत्र अनुज्ञप्तिधारी को देंगे।
- 4.45 उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता आपूर्ति बिन्दु पर CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010 के विनियम 35 के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण लगायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी के सुरक्षा प्रणाली से उपभोक्ता के सुरक्षा प्रणाली का समन्वयन (कोआर्डिनेशन) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत किया जायेगा। मीटर व उससे संबंधित उपकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति बिन्दु पर स्थापित किया जायेगा।

- 4.46 उच्चदाब (33 के.व्ही. व 11 के.व्ही.) उपभोक्ता के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के उच्चदाब के वाइंडिंग डेल्टा व निम्नदाब के वाइंडिंग स्टार व्हेक्टर ग्रुप के होंगे तथा न्यूट्रल टरमिनल पूर्णरूपेण भूयोजित होंगे। ट्रांसफार्मर प्रथमतः (प्रिफरेवली) ऊर्जा कुशल हो सकते हैं।
- 4.47 उपभोक्ता अपने परिसर में स्थापना कार्य पूर्ण कर उसके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत निरीक्षक का अनुमति पत्र तथा जहां आवश्यक हो पर्यावरण संबंधी अनुमति पत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करेंगे। खदानों के प्रकरण में इन्सपेक्टर आफ माइन्स के अनुमति प्रस्तुत करने होंगे।

#### उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की क्षति

- 4.48 मीटर तथा अन्य उपकरण किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये (handle) या हटाये नहीं जायेंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि न हो। सीलें, जो कि मीटर/मीटरिंग उपकरण, तथा मीटर बाक्स पर लगी हों, किसी भी कारण से छेड़ी, नष्ट अथवा तोड़ी नहीं जायें। उपभोक्ता के परिसर में लगे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा मीटर/मीटरिंग उपकरणों पर लगी सीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
- 4.49 यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के किसी कार्य, उपेक्षा अथवा गलती से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लागत, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताई जायेगी, का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग के 30 दिनों के भीतर यदि उपभोक्ता इसका भुगतान नहीं करता है तो इसे आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों और निबन्धन का उल्लंघन माना जायेगा तथा समुचित सूचना के बाद आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी। हालांकि, उपभोक्ता इस संहिता की कडिका 10.19 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्संयोजन के पूर्व संदर्भित टैरिफ आदेश के अनुसार लंबित प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होगा।

#### समर्पित फीडर (संभरक) :-

- 4.50 ऐसे उपभोक्ता जो समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर की सुविधा चाहते हों वे इस सुविधा के लिये अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन कर सकते हैं। समर्पित फीडर को विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक विस्तारित किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को समर्पित फीडर की लागत के अलावा फीडर हेतु पावर उपकेन्द्र में लगने वाले स्ट्रक्चर (बे), सुरक्षा उपकरण (प्रोटेक्शन स्विच गेयर) तथा इसके उपस्करों की लागत वहन करनी होगी। आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, समर्पित फीडर की उपयोगिता के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा। ऐसा समर्पित फीडर अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी और उसका रख-रखाव अनुज्ञप्तिधारी करेगा। फीडर के चालू होने के दिनांक से दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि में इससे बिना उस उपभोक्ता की लिखित सहमति के जिसने लाइन व बे हेतु राशि जमा की है किसी अन्य उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं किया जावेगा।

#### निम्नदाब संयोजन के लिए प्रकाश व पंखे का भार आकलन का आधार:-

4.51

- (1) किसी भवन/भवनों के समूह या बहुउपभोक्ता परिसर के भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे;

#### (i) आवासीय परिसरों के लिए

भार

प्रत्येक 400 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 किलोवाट

परन्तु राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत आर्थिकरूप से कमजोर वर्गों के लिये निर्मित होने वाले मकानों के लिये भार का आंकलन निम्नानुसार किया जावेगा:-

400 वर्गफीट तक के निर्मित क्षेत्र के लिए यदि:-

(ए) वह नगर निगम क्षेत्र में हो	1 किलोवाट
(बी) वह नगर पालिका क्षेत्र में हो	0.75 किलोवाट
(सी) वह नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो	0.50 किलोवाट

**(ii) गैर-आवासीय परिसरों के लिए**

(ए) प्रत्येक 200 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए	1 किलोवाट
(बी) स्कूल/गोदाम/शेड के प्रत्येक 1000 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए	1 किलोवाट

- (2) हाउसिंग कालोनी एवं उनके गैर-आवासीय भूखण्डों जो हाउसिंग कालोनी में हैं, के भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे;

**(i) आवासीय कालोनियों के लिए**

प्रत्येक 500 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्र या उसके भाग के लिए	1 किलोवाट
---	-----------

**(ii) गैर-आवासीय भूखण्ड के लिए**

प्रत्येक 200 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए	1 किलोवाट
--	-----------

**टीप:-**

- (i) भार आंकलन हेतु उपरोक्त मानदण्ड डिमांड आधारित संयोजन हेतु प्रयुक्त नहीं होंगे।
- (ii) भार का आंकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट, वाटर पम्प, सड़क बत्ती आदि के लिए डेवलपर/बिल्डर/संस्था/उपभोक्ता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भार लिया जाएगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया उपभोक्ता/ बहुउपभोक्ता परिसरों /आवासीय कालोनी के भार आंकलन में एकरूपता लाने तथा उसके लिए अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार करने के उद्देश्य से है; तथापि सुरक्षानिधि इत्यादि उपभोक्ता द्वारा प्रतिवेदन में बताये गये विद्युत भार के अनुसार परिगणित की जाएगी।
- (v) भार की गणना के लिए आवासीय बहुउपभोक्ता परिसरों के प्रकरण में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के निर्मित क्षेत्र लिये जाएंगे जबकि गैर-अधिवासी बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए परिसर का संपूर्ण निर्मित क्षेत्र लिया जावेगा।
- (vi) तथापि आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार आकलित भार से अधिक के लिए आवेदन दे सकता है और ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आवेदित भार के अनुसार होगा।

## 4.52 बहुउपभोक्ता परिसर एवं हाउसिंग कॉलोनी को आपूर्ति की विशेष शर्तें

(i) नई विद्युत आपूर्ति देने के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक कनेक्शन दिये जाने हों एवं कंडिका 4.51 के अनुसार आंकलित कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को विद्युत प्रदाय हेतु 'बहुउपभोक्ता' परिसर माना जायेगा। बहु-उपभोक्ता परिसर में आवासीय, गैर-आवासीय और वाणिज्यिक परिसर, हाउसिंग कालोनी, कार्यालय परिसर, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान भी सम्मिलित होंगे।

(ii) बहुउपभोक्ता परिसर को पर्याप्त क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो 100 के. व्ही. ए. से कम नहीं हो, विद्युत आपूर्ति की जावेगी। 11 के. व्ही. की लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर व निम्नदाब लाईन/केबल के विस्तार कार्य की लागत डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी, जो संयोजन हेतु आवेदन देगा। आवेदक वितरण ट्रांसफार्मर लगाने हेतु बिना किसी मूल्य के स्थल प्रदाय करेगा।

(iii) यदि आवेदक ट्रांसफार्मर सबस्टेशन निर्माण हेतु खुले में स्थान प्रदान नहीं कर सकता या यदि आवेदक भवन के भीतर ट्रांसफार्मर स्थापित करना चाहे, तो वह ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मीटर के लिये आवश्यक स्थान निःशुल्क उपलब्ध करायेगा जिसके लिये कोई किराया या प्रीमियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में ट्रांसफार्मर सूखे (ड्राई) टाइप तथा ऊर्जा दक्षता युक्त होना चाहिए तथा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(iv) यदि ऐसा आवेदक 11 के. व्ही लाईन एवं/अथवा निम्नदाब लाईन भूमिगत केबल के द्वारा लगाना चाहे तो उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुसरण की शर्त पर उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।

(v) यदि ऐसा उपभोक्ता 11/0.4 के. व्ही के 315 के. व्ही. ए. से अधिक का ट्रांसफार्मर विशेष प्रकार के सुरक्षा उपकरण (आई. एस. आई. मार्क के साथ) के साथ उपलब्ध कराना चाहे, तो उसे समान क्षमता की एक अतिरिक्त ईकाई स्थापित करनी होगी। आवेदक को 11 के.व्ही. तथा निम्नदाब लाइन/केबल तथा सबस्टेशन बे (यदि कोई हो) वितरण ट्रांसफार्मर आदि के निर्माण कार्य का खर्च वहन करना होगा।

(vi) यदि बहुउपभोक्ता परिसर/हाउसिंग कालोनी का कंडिका 4.51 में यथा-निर्धारित कुल भार, सभी चरणों को सम्मिलित करने पर 1500 किलोवॉट से अधिक हो तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि, जो 40X30 मीटर से कम नहीं होगी, रु. 1 के प्रतीकात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगा। स्थल का चयन आवेदक से परामर्श कर क्षेत्र के प्रभारी यंत्री द्वारा किया जावेगा।

(vii) अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त विद्युत भार आवश्यकता के कारण यदि कोई भवन/भवनों का समूह या आवासीय कॉलोनी बहुउपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आता है और यदि ऐसे भवन/भवनों को आपूर्ति प्रदान करने हेतु पर्याप्त क्षमता का पृथक वितरण ट्रांसफार्मर पूर्व में उपलब्ध न कराया गया हो तो वह आवेदक द्वारा मूल्य वहन करने पर उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु यदि विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की क्षमता का वर्धन आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपभोक्ता द्वारा लागत वहन किये जाने पर, ऐसा किया जा सकेगा। यदि बहुउपभोक्ता परिसर/आवासीय कॉलोनी के सभी फेज का भार [वर्तमान तथा निकटवर्ती प्रस्तावित (adjacent proposed)] 1500 किलोवाट से अधिक होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी

द्वारा 33/11 के.व्ही. के सबस्टेशन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि जो 40x30 मीटर से कम न हो रु. 1 के प्रतीकात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगा।

#### 4.53 अपूर्ण विकसित कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति – विशेष प्रावधान।

ऐसे कई मामले हैं जहाँ किसी डेव्हलपर/बिल्डर या डेव्हलपर्स/बिल्डर्स के समूह द्वारा भूखण्डों या भवनों का अंशतः अथवा पूर्णतः विकास और निर्माण किया गया है, परन्तु उसके लिए राज्य शासन/स्थानीय निकायों/सक्षम प्राधिकारियों से समुचित विधियों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमति/सहमति नहीं ली गई है और लाइन विस्तार कार्य नहीं कराया गया है। ऐसे मामलों में सामान्यतः भूखण्डों/भवनों का क्रेता व्यक्ति विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दे सकता है। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता/आवेदक को परिसर/कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के आनुपातिक व्यय के भुगतान के बाद विद्युत संयोजन दिया जा सकता है। एकल फेज और तीन फेज संयोजनों के लिए आनुपातिक लागत की परिगणना अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में हाउसिंग कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के विद्युतीकरण पर पूर्व में हुये व्ययों के औसत के आधार पर की जावेगी। आयोग द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रभारों का निर्धारण किया जावेगा। ऐसी कालोनियों के विद्यमान आवेदक (को) को संयोजन जारी करने के लिए आवश्यक सभी विस्तार कार्य, जिसमें 11 के.व्ही लाइन का विस्तार और ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना भी सम्मिलित है के कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत भुगतान किये जाने की शर्त पर किया जावेगा। यदि आवेदक(कों) द्वारा देय राशि विस्तार कार्य की लागत के 25 प्रतिशत से कम हो तो आवेदकगण शेष राशि अपने भूखण्ड के क्षेत्रफल के लोड के अनुपात में वहन करेंगे ताकि अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य कर सके। उस कॉलोनी में भविष्य में आने वाले कनेक्शन के लिए आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित निर्माण/विस्तार शुल्क का भुगतान करना होगा, भले ही उसके लिए लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो ताकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में किये गये खर्च की क्षतिपूर्ति किया जा सके। तथापि यदि आगे आने वाले आवेदकों के लिये लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता होती है यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

इस संबंध में एक उदाहरण संलग्नक 13 (ए) में दर्शित है।

#### 4.54 निम्नदाब कृषि/सिंचाई पंप को विद्युत आपूर्ति – विशेष शर्तें

(i) किसी पंजीकृत सहकारी समिति या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्य किसी किसानों के समूह को किसी एक बिन्दु पर कृषि/सिंचाई पम्प सेटों के लिए विद्युत प्रदाय की जावेगी।

(ii) आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर खर्च की वह सीमा निर्धारित की जावेगी, जहाँ तक कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा। आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होने वाले व्यय को उपभोक्ता वहन करेगा।

(iii) यदि लाइन का विस्तार आवश्यक पाया जावे तो निरीक्षण से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को यह सूचना दी जावेगी कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी निधि से कार्य प्रारंभ करेगा अथवा अतिरिक्त लागत की राशि उपभोक्ता द्वारा जमा कराये जाने के बाद कार्य प्रारंभ होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त राशि जमा कराया जाना आवश्यक हो तो उसे पत्र द्वारा वह निश्चित राशि सूचित की जावेगी जो उसके द्वारा जमा की जानी हो।

(iv) यदि राज्य शासन कृषि पम्पों को विद्युत आपूर्ति हेतु लगने वाली अतिरिक्त लागत को पूर्णतः या अंशतः वहन करना चाहे तो ऐसी सबसिडी की राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास अग्रिम में जमा करानी होगी। अनुज्ञप्तिधारी भी सिंचाई पम्पों को विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वितरण

लाइनों का विस्तार और/या वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य राज्य या केन्द्र शासन या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की किसी योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधार पर कार्य करने की सम्भावनायें तलाश करेगा।

#### 4.55 सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति – विशेष शर्तें

(i) सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 1) में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक सड़क बत्तियों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन (जिसे सार्वजनिक सड़क बत्तियों के संदर्भ में आगे सामान्यतः “स्थानीय निकाय” कहा जायेगा) के द्वारा दिया जायेगा।

(ii) सड़क बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं वहां के विद्यमान या नवीन खंभों की संख्या जहां सड़क बत्तियों की आवश्यकता है दर्शाते हुये नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानीय निकाय पर विद्युत का बकाया है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी नई सड़क बत्ती कनेक्शन या अतिरिक्त सड़क बत्ती प्रदान नहीं करेगा।

(iii) इस संहिता की कंडिका 4.3 के अनुसार स्थानीय निकाय सार्वजनिक सड़क बत्ती प्रदाय के खर्च वहन करेंगे।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लगाने वाले लाइन विस्तार कार्य के खर्च की लिखित जानकारी देंगे। स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक राशि जमा करने व अनुबंध करने के उपरांत लाइन विस्तार कार्य किया जायेगा।

(v) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर लगाने हेतु मौसम से अप्रभावित उपयुक्त डबल कम्पार्टमेंट मीटर बाक्स लगाया जायेगा।

(vi) सड़क बत्ती फिटिंग, बल्ब, टाइमर आदि उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर लगाया जायेगा। सड़क बत्ती को सूर्यास्त समय से 15 मिनट पूर्व चालू करने व सूर्योदय के समय से 15 मिनट बाद बंद करने के अनुसार टाइमर सेट किया जायेगा। सड़क बत्ती उपभोक्ता के निवेदन पर सड़क बत्ती को चालू व बंद करने खंभे पर सड़क बत्ती फिटिंग, बल्ब व टाइमर आदि बदलने का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। ऐसी समस्त सेवाएं भुगतान के आधार पर होंगी। भूमिगत वायरिंग सहित विशेष सड़क बत्ती जैसे कि ट्यूबलर पोल, हाई मास्ट लाइट आदि जिसका विस्तार कार्य स्थानीय निकाय द्वारा किया गया हो का संधारण स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जायेगा।

(vii) शहरी क्षेत्रों में नए सड़क बत्ती का कार्य उपयुक्त टाइमर के साथ करना वांछनीय होगा।

#### छोटे/गृह उद्योगों को विद्युत आपूर्ति – विशेष प्रावधान

4.56 25 हार्सपावर (अश्व शक्ति) तक के छोटे/गृह उद्योगों द्वारा लाइन विस्तार हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि तर्कसंगत करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विगत वर्षों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग स्वीकृत प्राक्कलन की औसत राशि निकाली जावे तथा आयोग से अनुमोदित कराई जावे। लाइन विस्तार की यह औसत राशि प्रति हार्सपावर की दर से 25 हार्स पावर तक के छोटे व गृह उद्योगों द्वारा देय होगी भले ही उसके लिए कोई लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता हो या न हो। जहां भी आवश्यकता होगी लाइन विस्तार कार्य आयोग द्वारा स्वीकृत प्रति हार्स पावर की दर तथा आवेदित भार के आधार पर प्राप्त राशि के, कनेक्शन देने



हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत होने पर किया जा सकेगा। यदि प्राक्कलन की राशि आयोग द्वारा स्वीकृत दर तथा आवेदित भार के आधार पर उपभोक्ता द्वारा देय राशि के दुगुने से अधिक होता है तो आवेदक आयोग द्वारा प्रति हार्स पावर की दर से निर्धारित राशि के साथ ही प्राक्कलन के अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करेगा। इस संबंध में एक उदाहरण संलग्नक 13(बी) में दर्शित है।

यह सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक इस संहिता की कंडिका 4.3 के अनुसार आयोग द्वारा उस श्रेणी के उपभोक्ता के संयोजन के लाइन विस्तार के लिए विविध व सामान्य शुल्क के अंतर्गत कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता।

### संयोजनों के समूह के लिए एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय

- 4.57 आवासीय कॉलोनी एवं वाणिज्यिक संस्थानों में निम्नदाब उपभोक्ताओं के समूह को व्यक्तिगत संयोजनों के स्थान पर उच्चदाब संयोजन को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ऐसे उच्चदाब उपभोक्ताओं को लगाने वाले टैरिफ में कुछ प्रतिशत में छूट देने पर विचार कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी 11/0.4 के.व्ही. ट्रांसफार्मर तथा संबंधित उच्च व निम्नदाब सुरक्षा उपकरण स्थापित कर आयोग द्वारा अनुमोदित मासिक शुल्क बिल करते हुए ट्रांसफार्मर का संधारण कार्य कर सकता है। इससे उपभोक्ता को ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन लगाने हेतु प्रारम्भिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ट्रांसफार्मर के नियमित संधारण से भी मुक्ति मिलेगी।

इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी उपयुक्त अध्ययन तथा मूल्यांकन के पश्चात आयोग के समक्ष याचिका के माध्यम से आ सकता है जिसे आयोग द्वारा आवश्यक नियमन प्रक्रिया पश्चात अनुमोदित किया जायेगा।

- 4.58 नये संयोजन तथा भार में वृद्धि से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने हेतु सारिणी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की कार्यवाही निम्नलिखित सारणी में दर्शित नियत अवधि में करेगा। इस संहिता के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र का तात्पर्य है, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य का तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्र :-

क्रमसंख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा
1. (ए)	<b>निम्नदाब कनेक्शन</b> पूर्ण आवेदन प्राप्त उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना (i) शहरी क्षेत्र (ii) ग्रामीण क्षेत्र	02 कार्य दिवस 05 कार्य दिवस
(सी)	(i) निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं हो और कनेक्शन विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	05 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस
	(ii) निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	10 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस *

(डी)	लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर/जहां लाइन विस्तार कार्य आवश्यक न हो पर आवेदक द्वारा आवश्यक प्रभारों के भुगतान करने, अनुबंध करने तथा परीक्षण प्रपत्र जमा करने के उपरांत कनेक्शन प्रदान करना (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	10 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस
(ई)	कार्य पूर्ण करने की अवधि यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है: (ए) कृषि कनेक्शन, को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन (बी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुंच उपलब्ध है। (सी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुंच उपलब्ध नहीं है।	60 दिन 90 दिन 180 दिन *
2. (ए) (बी) (सी) (डी)	<b>उच्च दाब उपभोक्ता</b> आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (साध्यता सूचना जारी होने के बाद) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि विस्तार कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवेदक द्वारा आवश्यक भुगतान करने, अनुबंध करने तथा विद्युत निरीक्षक की अनुमति जमा करने पर कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	15 कार्य दिवस 30 दिन 90 दिन 30 दिन
3. (ए) (बी) (सी) (डी)	<b>अति उच्चदाब कनेक्शन</b> आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा आवश्यक भुगतान करने, अनुबंध करने तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति जमा करने पर कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	30 कार्य दिवस 60 दिन 180 दिन 30 दिन

\* आयोग के आदेश क्रमांक 01/Reg/20/2012/190, dated 21.05.2012 के अनुसार यथा संशोधित।

#### 4.59 निम्नदाब और उच्च/अति उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत आपूर्ति

(i) कोई व्यक्ति जिसे एक वर्ष या कम अवधि के लिए अस्थाई स्वरूप के प्रयोजन हेतु विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता हो निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 1 या 2) में इस संहिता की कंडिका 4.16 और 4.17 में दर्शित प्रपत्रों के साथ आवेदन दे सकता है। आवेदक परिसर के

स्वामित्व या परिसर के मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसा भी प्रकरण हो प्रस्तुत करेंगे। यदि विद्युत आपूर्ति स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाले स्थान में लेना हो तो उसके लिये स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अस्थाई आपूर्ति प्रथमतः अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगी जो कि उस समय तकनीकी साध्यता के आधार पर अधिकतम एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है।

(ii) अस्थाई संयोजन का दिया जाना कोई अधिकार का विषय नहीं है। यह तभी दिया जा सकता है जब तकनीकी दृष्टि से साध्य हो तथा सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

(iii) उन मामलों में जहाँ अस्थायी आपूर्ति निर्माण उद्देश्यों के लिए अपेक्षित हो, तथा जहाँ बाद में स्थायी कनेक्शन आवश्यक हो वहाँ अस्थायी आपूर्ति की स्वीकृति देने पूर्व स्थायी संयोजन की साध्यता परीक्षित की जाएगी। अस्थायी संयोजन प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक को बाद में लगने वाले स्थायी संयोजन की साध्यता के बारे में बताया जावेगा।

(iv) अस्थाई संयोजन की स्वीकृति आवेदक के पक्ष में स्थाई संयोजन के दावे के लिए अधिकार निर्मित नहीं करेगा बल्कि अधिनियम तथा नियमन के प्रावधानों से शासित होगा।

(v) यदि इसमें विस्तार कार्य की आवश्यकता हो और इसे आवेदक के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइन निर्माण व डिस्मंटल हेतु देय राशि, आकलित मासिक खपत के बिल तथा मीटर, सामान व उपकरण के मासिक किराया आदि की राशि आवेदक को बतलाया जायेगा।

यह कि उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि विद्युत आपूर्ति विच्छेद होने के पश्चात वह अस्थाई संयोजन में उपयोग किये गये सामान रख सकता है या प्रचलित नियम के अनुसार डिस्मंटल सामान (जो अच्छी स्थिति में स्टोर में वापस होता है) का डेप्रीशिएटेड दर पर समायोजन (क्रेडिट) पा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की कंडिका 6.3 के अनुसार लाइन या उपकरण हेतु सुरक्षा निधि ले सकता है।

(vi) अस्थाई संयोजन प्रदान करने के पूर्व 3 माह या उस अवधि जिसके लिये अस्थाई संयोजन मांगा गया है जो भी कम हो के आकलित बिल की राशि जमा की जायेगी, जो कि समय-समय पर पुनः पूर्ति की जावेगी तथा विद्युत विच्छेदन के पश्चात अंतिम बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि उपरोक्त समय पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता तथा अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध अग्रिम राशि शेष अवधि की आकलित बिल की राशि से कम होता है तो विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है।

(vii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य औपचारिकताओं का पालन करने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रकरणों में जहां लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो 3 कार्य दिवस के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगा। जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है वहां निम्नदाब उपभोक्ता के लिये 30 दिन, उच्चदाब व अति उच्चदाब उपभोक्ता के लिए 60 दिन के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगा।

(viii) उपभोक्ता वितरण मेंस से प्रदाय बिन्दु तक के लाइन को व्यवस्थित रखने हेतु जिम्मेदार होगा।

(ix) अस्थाई कनेक्शन की अवधि में मीटर की नियमित रीडिंग ली जायें ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वास्तविक खपत की राशि अग्रिम प्राप्त राशि से अधिक न हो। अस्थाई आपूर्ति के लिये माह का तात्पर्य संयोजन तिथि से 30 दिवस या उसका भाग है।

(x) अस्थाई आपूर्ति के समय को विस्तारित करने के लिए उपभोक्ता वर्तमान अस्थाई आपूर्ति के समय-सीमा की समाप्ति के 7 दिन पूर्व आवेदन देगा।

(xi) अस्थाई आपूर्ति की अवधि समाप्त होने तथा आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी अंतिम बिल तैयार करेगा तथा आपूर्ति के विच्छेदन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा शेष वापसी योग्य राशि यदि कोई हो तो आपूर्ति विच्छेदन के 90 दिवस या मूल भुगतान रसीद जमा करने या मूल भुगतान रसीद गुम हो जाने की स्थिति में क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र/घोषणा पत्र जमा करने पर 60 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो वापस करेगा। भुगतान के लिये निर्धारित दिवस के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी वापसी योग्य देय राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। उपभोक्ता आवेदन पत्र में राशि की वापसी का माध्यम दर्शित कर सकता है।

#### अपवाद

- 4.60 इस अध्याय में उल्लेखित कोई भी बात अनुज्ञप्तिधारी को किसी परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु बाध्य नहीं कर सकती यदि इस संहिता की कंडिका 13.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने से रोक रही हो।
- 4.61 यह कि यदि अस्थाई आपूर्ति ऐसे परिसर/स्थल में लेना हो जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो तो आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र व विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्रस्तुत करना होगा।
- 4.62 यह कि संयोजन ऊर्जीकृत करने के पश्चात यदि कोई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वापस लिया जाता हो तो विद्युत आपूर्ति अविलंब विच्छेदित कर दिया जायेगा और तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4.63 यदि परिसर पर कोई राशि बकाया है तो तब तक अस्थाई आपूर्ति प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक उपभोक्ता द्वारा पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

## अध्याय 5 : विद्युत आपूर्ति के सामान्य नियम

### आपूर्ति का बिन्दु

- 5.1 जब तक कि किसी और पर सहमति न हो, आपूर्ति के प्रारंभ का बिन्दु उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्विच गियर के आने वाले टर्मिनल (इनकमिंग टर्मिनल) पर होगा:
- (ए) निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट; एवं
- (बी) उच्च अथवा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी आपसी सहमति से स्थापित किया जावेगा ।
- 5.2 उपभोक्ता परिसर में एकल बिन्दु पर या इस संहिता की कंडिका 4.20 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाएगी। तथापि कोयला खदानों के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक व्यवस्था (ले आउट) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता के परिसर में एक से अधिक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति दे सकता है। यदि किसी औद्योगिक उपभोक्ता के परिसर में उसी कार्य के विद्युत प्रदाय हेतु दो संयोजन हों तो कोई एक कनेक्शन अनुबंध अवधि के समाप्त होने पर 15 दिवस की सूचना जारी कर विच्छेदित कर दिया जायेगा ।

### उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी का उपकरण

- 5.3 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा स्वयं के एवम् अन्य उपभोक्ताओं की सेवा हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सीधे (डायरेक्ट) केबल या शिरोपरि लाइनों को लाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायेगा । इसके अलावा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक स्विचगियर एवं उनके संयोजनों को लगाने हेतु तथा अपने परिसर में लगे केबल और टर्मिनल से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्वीकृति देगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मतानुसार इससे उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा ।
- 5.4 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा उपकरणों के रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होगा जिन से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है ।

### आपूर्ति में अवरोध/फ्यूज उड़ना

- 5.5 यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस लाइन का फ्यूज गलकर टूट जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। केवल अधिकृत कर्मचारी, जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया गया फोटो परिचय पत्र हो, को अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट फ्यूज बदलने के लिये अनुमति होगी । उपभोक्ताओं को इन फ्यूजों को बदलने की अनुमति नहीं होगी । अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की आंतरिक स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहिए ।
- 5.6 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सतत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा लेकिन कण्डिका 13.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुये विद्युत प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके संयंत्र व मशीनरी को पहुंचे नुकसान या हानि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 5.7 अनुज्ञप्तिधारी, अपनी आपूर्ति प्रणाली के संचालन से संबद्ध उद्देश्यों के लिये विद्युत आपूर्ति में ऐसी अवधि, जो कि आवश्यक हो और उपभोक्ता को कम से कम असुविधा हो के अस्थायी

विच्छेदन का हकदार होगा बशर्ते इस संबंध में उपभोक्ता को उचित अग्रिम सूचना दिया गया हो।

### प्रदाय बिन्दु के पश्चात सुरक्षा प्रणाली:

- 5.8 सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति बिन्दु के बाद निम्नलिखित नियंत्रक स्थापित करना चाहिए ताकि वह सहज रूप से उपलब्ध रहे तथा उपभोक्ता की स्थापना के विद्युत प्रवाह को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने हेतु शीघ्र क्रियान्वित हो सके। ऐसे उपकरण किसी पृथक सर्किट या यंत्र के नियंत्रण हेतु लगाए गये उपकरण के अतिरिक्त होंगे।
- ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो – फ्यूज सहित लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर
  - ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिनके ट्रांसफॉर्मर / यंत्रों की एकीकृत क्षमता 11 के.व्ही. आपूर्ति पर 1000 के.व्ही.ए. तक तथा 33 के.व्ही. आपूर्ति होने पर 2500 के.व्ही.ए. तक हो – फ्यूज सहित लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर
  - ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिनके ट्रांसफॉर्मर/यंत्रों की एकीकृत क्षमता 11 के.व्ही. आपूर्ति की स्थिति में 1000 के.व्ही.ए. से अधिक व 33 के.व्ही. आपूर्ति में 2500 के.व्ही.ए. से अधिक हो – लिंक स्विच के साथ सर्किट ब्रेकर
  - उपभोक्ता को 33 के.व्ही. से अधिक के वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति में – उपयुक्त क्षमता का सर्किट ब्रेकर

### पृथक ट्रांसफॉर्मर हेतु सुरक्षा प्रणाली

- 5.9 प्रत्येक पृथक ट्रांसफॉर्मर हेतु निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण होना चाहिए।
- 1000 के.व्ही.ए. व अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हेतु प्राथमरी व सेकेंडरी दोनों ओर उपयुक्त क्षमता के सर्किट ब्रेकर।
  - 1000 से कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हेतु प्राथमरी व सेकेंडरी दोनों ओर फ्यूज सहित लिंक स्विच या उपयुक्त क्षमता का सर्किट ब्रेकर

यह कि ट्रांसफॉर्मर के प्राथमरी ओर का लिंक स्विच इतनी क्षमता का हो कि बंद (क्लोज) स्थिति में पूरा लोड करंट ले सके तथा नो लोड स्थिति में खोलते समय ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट ले सके।

### वितरण ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन

- 5.10 सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी (टेक्नीकल स्टैंडर्ड फार कन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रिकल प्लांट्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स) रेग्युलेशन 2010 (आगे सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम 2010) के अनुसार वितरण ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन के विवरण/पैरामीटर निम्नानुसार होंगे—

पैरामीटर	33 के.व्ही.	11 के.व्ही.	0.415 के.व्ही.
सामान्य प्रणाली वोल्टेज (के.व्ही.)	33	11	0.415
अधिकतम प्रणाली वोल्टेज (के.व्ही.)	36	12	0.450
प्रणाली भूयोजन (अर्थिंग)	पूर्णरूपेण भूयोजित	पूर्णरूपेण भूयोजित	पूर्णरूपेण भूयोजित
फ्रिक्वेंसी	50	50	50

लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंण्ड वोल्टेज (के.व्ही.आर.एम.एस)	170	75	—
पावर फ्रिक्वेंसी विथस्टैंण्ड वोल्टेज (के.व्ही.आर.एम.एस)	70	28	3

- 5.11 वितरण ट्रांसफार्मर इंडोर या आउटडोर प्रकार का हो सकता है। जहां जगह की कमी हो या भूमिगत (अंडरग्राउंड) स्थापना को विद्युत प्रदाय करना हो, सब-स्टेशन भूमिगत हो सकता है। आवासीय या वाणिज्यिक भवन के भीतर शुष्क (ड्राई) प्रकार का ट्रांसफार्मर ही लगाना चाहिए। बाढ़ प्रभावी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बाढ़ के समय संभावित जल स्तर के ऊपर स्थापित करना चाहिए।
- 5.12 तेल भरे ट्रांसफार्मर में अधिकतम ऊर्जा हानि (लास) ब्यूरो आफ इनर्जी एफीशियन्सी (बी.ई.ई.) द्वारा कम से कम तीन स्टार श्रेणी (रेटिंग) के ट्रांसफार्मर हेतु निर्धारित हानि से अधिक नहीं होने चाहिए।

### ट्रांसफार्मर लगाने हेतु ढांचा (स्ट्रक्चर)

- 5.13 ट्रांसफार्मर लगाने हेतु निम्नलिखित माउंटिंग व्यवस्था की जा सकती है—
- ट्रांसफार्मर के आकार, वजन तथा स्थल के अनुसार उसे एक पोल या दो पोल ढांचे पर या चबूतरा (पिलंथ) पर लगाया जाना चाहिए।
  - एक पोल पर माउंटिंग सिर्फ 25 के.व्ही.ए. तक के ट्रांसफार्मर हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए।
  - 25 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 250 के.व्ही.ए. तक के ट्रांसफार्मर दो पोल ढांचे पर या चबूतरा पर लगाया जा सकता है। 250 के.व्ही.ए. से अधिक का ट्रांसफार्मर सिर्फ चबूतरा पर स्थापित करना चाहिए।

### ट्रांसफार्मर की सुरक्षा

- 5.14 33/0.4 के.व्ही. के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर हाई रचरिंग केपेसिटी कार्टरीज फ्यूज या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीसीबी) या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) या एयर ब्रेक स्विच लगाया जाना चाहिए। ऐसे ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर ड्राप आउट एक्सपल्शन टाईप फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से सुरक्षित करना चाहिए।
- 5.15 100 के.व्ही.ए. व अधिक के 11/0.4 ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर उपयुक्त हाई रचरिंग केपेसिटी कार्टरीज फ्यूज या एमसीसीबी या एमसीबी या एयर ब्रेक स्विच लगाया जाना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर ड्राप आउट एक्सपल्शन फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से सुरक्षित करना चाहिए।
- 5.16 लाइटनिंग सर्ज (तड़ित विद्युत) को धरती की ओर जाने देने के लिए बाह्य प्रकार के सर्ज अरेस्टर 11 के.व्ही. के लिए 9 के.व्ही. क्षमता के, 22 के.व्ही. के लिए 20 के.व्ही. क्षमता तथा 33 के.व्ही. के लिए 30 के.व्ही. क्षमता के लगाने चाहिए।

### ट्रांसफार्मर की अर्थिंग (भूयोजन)

- 5.17 ट्रांसफार्मर का भूयोजन निम्नानुसार होना चाहिए —
- संबंधित भारतीय मानक (इंडियन स्टैंडर्ड) के अनुसरण में वितरण सब-स्टेशन में पाइप या छड़ से अर्थिंग करना चाहिए। 3 ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड, 3 अर्थिंग गड्ढे में लगाने चाहिए। जहां

कहीं भी आवश्यक हो अर्थ रजिस्ट्रेंस (भूमि प्रतिरोध) कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रोड की व्यवस्था करनी चाहिए (आयोग के आदेश क्रमांक 01/Reg/20/2012/ 190, dated 21.05.2012 के अनुसार यथा संशोधित)।

- (2) भूयोजन निम्नानुसार करना चाहिए—
- (ए) एक अर्थ इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर (लाइटनिंग अरेस्टर) से एक सीधे संयोजन से तथा यदि निम्न दाब सर्ज अरेस्टर लगाया गया हो तो एकअन्य सीधे संयोजन निम्नदाब सर्ज अरेस्टर से
- (बी) अन्य बचे दो इलेक्ट्रोड में से प्रत्येक को—
- (i) ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से अलग कनेक्शन
- (ii) ट्रांसफार्मर वाडी अर्थिंग से एक संयोजन तथा 33 के.व्ही. या 11 के.व्ही. एयर ब्रेक स्विच के हैंडल से तथा चेनल अर्थिंग से दूसरा संयोजन
- (iii) पोल के अर्थिंग टर्मिनल से एक अलग संयोजन
- (3) ट्रांसफार्मर न्यूट्रल का भूयोजन गड्डा सर्ज अरेस्टर के गड्डे के सामने व अलग होना चाहिए।

### ट्रांसफार्मर के लिए रिएक्टिव कम्पनसेशन

5.18 रिएक्टिव कम्पनसेशन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- (1) जहां पावर फेक्टर कम हो वितरण ट्रांसफार्मर में उपयुक्त क्षमता का स्थिर या स्वचालित स्विच टाइप केपेसिटर लगाना चाहिए।
- (2) स्थिर केपेसिटर के प्रकरण में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केपेसिटर की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि आफ पीक समय में अधिक (ओवर) कम्पनसेशन न हो सके।
- (3) जहां लोड बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तित होता है उपयुक्त डायनमिक (चलित) कम्पनसेशन स्विच केपेसिटर पर विचार करना चाहिए।

### उच्चदाब उपभोक्ता के सुरक्षा उपकरण की सेटिंग

5.19 उपभोक्ता के संस्थान के सभी ट्रांसफार्मर, स्विचगियर विद्युत उपकरण तथा अन्य उपकरण जो सीधे अनुज्ञप्तिधारी के लाइन या फीडर से जुड़े हों अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टि अनुसार उपयुक्त विन्यास (डिजाइन) के होने चाहिए तदनुसार उपभोक्ता द्वारा संधारित होना चाहिए। उपभोक्ता के कंट्रोल गियर के फ्यूज, रिले सेटिंग तथा उसके सर्किट ब्रेकर की रचरिंग कपासिटी अनुज्ञप्तिधारी से अनुमोदित होने चाहिए। सर्किट ब्रेकर की रचरिंग केपेसिटी जहां सर्किट ब्रेकर लगाया जाना है के फाल्ट स्तर (लेवल) से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक होने चाहिए ताकि भविष्य में बढ़ने वाले फाल्ट स्तर (लेवल) की आवश्यकता पूरी की जा सके।

### उपकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली को बाधित करना

5.20 यदि उपभोक्ता ऐसे उपकरण स्थापित करता है जो अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर बुरा प्रभाव डाल सकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 24 घंटे की कारण बताते हुए नोटिस जारी कर विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टि अनुसार उपयुक्त सुधार कार्य करने पर विद्युत प्रदाय पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।



**विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति**

- 5.21 इस संहिता की कंडिका 5.8 तथा 5.9 के प्रावधानों से प्रभावित हुए बिना उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि वे सामयिक कानून, नियम व विनियम के अनुसार सुरक्षा उपकरण या सर्किट ब्रेकर के उपयुक्तता तथा उसके ऊर्जीकरण हेतु विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करें तथा संयोजन प्राप्त करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करें। आवश्यकता होने पर सभी उच्चदाब उपकरणों के निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।

**अन्य सर्किट का स्पष्ट अंतर दर्शित करना**

- 5.22 प्रत्येक जनरेटिंग स्टेशन, सबस्टेशन, जंक्शन बाक्स या पिलर जिसमें कई सर्किट या उपकरण जो एक ही वोल्टेज या कई वोल्टेज पर क्रियान्वित किये जाने हो के मालिक स्थाई संकेतक व्यवस्था कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित सर्किट का एक दूसरे से स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर हो।

**खतरा सूचना**

- 5.23 250 वोल्टेज से अधिक के प्रत्येक संस्थान के मालिक स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले उपयुक्त स्थान पर स्थाई रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में खतरा सूचना पट प्रदर्शित करेंगे।

**उपभोक्ता संस्थान के निरीक्षण व परीक्षण**

- 5.24 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वायरिंग या उपकरण को प्रणाली में जोड़ने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निरीक्षण कर अनुमति दिया जाना है तथा बिना अनुज्ञप्तिधारी की अनुमति के संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5.25 यदि उपभोक्ता की स्थापना संयोजन के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन त्रुटियों/कमियों को दर्शाते हुए जिन्हें सुधारना है उपभोक्ता को लिखित में सलाह देगा। उन त्रुटियों को सुधार दिये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का पुनर्परीक्षण करेगा।
- 5.26 प्रथम परीक्षण के लिए अनुज्ञप्तिधारी कोई शुल्क नहीं लेगा। प्रथम परीक्षण में त्रुटि पाये जाने के कारण पुनर्परीक्षण हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित दर से परीक्षण शुल्क लिया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग या उपकरण के संधारण या परीक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

**कनेक्शन के पूर्व विद्युत लीकेज के विरुद्ध सावधानियाँ**

- 5.27 किसी आवेदक के परिसर में स्थित उपकरण या स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी तब तक अपने प्रणाली से नहीं जोड़ेगा जब तक वह यथोचित रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता कि संयोजन के समय उस उपकरण या स्थापना से विद्युत की उस मात्रा की लीकेज नहीं होगा जो कि सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा जो कि सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियमन के विनियमन 35 के प्रावधान के अनुसार स्थापना के इन्सुलेशन रजिस्ट्रेंस की निम्नानुसार जांच करते हुए मापी जायेगी—
- (i) सभी उपकरणों की इन्सुलेशन रजिस्ट्रेंस संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होने चाहिए।
  - (ii) प्रत्येक चालू (लाइव) तार व भूयोजन के मध्य एक मिनट तक 500 वोल्ट डायरेक्ट करेंट (डी.सी.) लगाने पर ऐसे स्थापना व उपकरण जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो का इन्सुलेशन रजिस्ट्रेंस कम से कम एक मेगाओम या जैसा कि भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो, होना चाहिए।

- (iii) प्रत्येक लाइव तार व भूयोजन के मध्य एक मिनट तक 2.5 के.व्ही. डी सी लगाने पर 650 वोल्ट से अधिक परन्तु 33 के.व्ही. तक के स्थापना व उपकरण के इन्सुलेशन रजिस्टेन्स कम से कम 5 मेगाओम या संबंधित भारतीय मानक में जो विनिर्दिष्ट हो, होना चाहिए।

5.28 यदि विद्युत आपूर्तिकर्ता इस संहिता की कंडिका 5.27 के तहत संयोजन प्रदान करने में इंकार करता है तो उसे आवेदक को इसका लिखित कारण सूचित करना चाहिए।

### विस्तार व परिवर्तन

- 5.29 उपभोक्ता के परिसर में विद्युत स्थापना का कोई कार्य, जिसमें फेर-बदल, समायोजन, परिवर्धन अथवा सुधार कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, फ्यूज, स्विचेज, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से कनेक्शन की क्षमता या चरित्र में बदलाव न करती हों, उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जावेगा। इस प्रकार के कार्य केवल अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार एवं ऐसे व्यक्ति, जिसके पास इस प्रकार के कार्य करने का सक्षमता प्रमाण-पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जावेगा। उच्च दाब/अति उच्च दाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना होगा। इसी प्रकार खदानों के प्रकरणों में विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के लिये खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 5.30 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं फेर-बदल के कारण उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में बढ़ोत्तरी (वृद्धि) की संभावना है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। संविदा मांग या संयोजित भार में बढ़ोत्तरी का नियमितीकरण न कराने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल उच्च दर पर बिलिंग की जायगी, बल्कि उचित सूचना देने के उपरांत विद्युत आपूर्ति विच्छेदित भी की जा सकती है।

### उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के लिये उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश/पहुंच

- 5.31 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर परिसर के अधिवासी को अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी देकर किसी भी परिसर में जिसमें उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई हो या की गई थी या कोई स्थान, भूमि जिसके नीचे की ओर, ऊपर से होकर नियमानुसार विद्युत आपूर्ति लाइन का या अन्य कार्य किये गये हों निम्नलिखित कारणों से प्रवेश कर सकता है—
- (1) विद्युत लाइन, मीटर, फिटिंग उपकरण या अन्य कार्य जो विद्युत आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये हैं के निरीक्षण, परीक्षण सुधार तथा परिवर्तन हेतु
  - (2) विद्युत की मात्रा या आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा ज्ञात करने हेतु
  - (3) जहां भविष्य में विद्युत आपूर्ति चालू रखने की आवश्यकता न हो तथा जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने तथा अपने विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर फिटिंग उपकरण हटाने या अन्य कार्य हेतु अधिकृत हो।
- 5.32 अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अधिकृत हो भी जिला मजिस्ट्रेट के इस संबंध में विशेष आदेश पर तथा अधिवासी को कम से कम 24 घंटे की पूर्व लिखित सूचना देकर —
- (1) इस संहिता की कंडिका 5.31 में दर्शित कार्य हेतु संबंधित परिसर या भूमि में प्रवेश कर सकता है।
  - (2) परिसर जहां उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति किया जाना हो तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपयोग किया जाना हो में विद्युत तार फिटिंग उपकरण या अन्य कार्यों की जाँच तथा परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है।

- 5.33 यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा उपरोक्त कंडिका के अनुसार उपभोक्ता के परिसर या भूमि में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति को प्रवेश देने में इंकार करता है या जब अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा कार्य करने से मना करता है जिसके लिये वह उपरोक्त कंडिका के अनुसार अधिकृत है, या परिसर में प्रवेश या कार्य हेतु उचित सुविधा प्रदान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी 24 घंटे की लिखित नोटिस देकर उक्त अवधि समाप्त होने पर उपभोक्ता का विद्युत प्रवाह विच्छेदित कर सकता है और तब तक विच्छेदन जारी रख सकता है जब तक यह इंकार या एतराज लागू रहता है।
- 5.34 उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता आयोग द्वारा समय-समय पर टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पॉवर फेक्टर बनाए रखेंगे। उपभोक्ता का पावर फेक्टर आयोग द्वारा निर्धारित पावर फेक्टर से भिन्न होने की स्थिति में उपभोक्ता दंड राशि का भुगतान करने या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। किसी स्थापना की औसत मासिक पावर फेक्टर 70 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी 15 दिन की सूचना देकर विच्छेदन के कार्यकाल में डिमांड/न्यूनतम शुल्क वसूल करने के अपने अधिकार को प्रभावित किये बिना विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है।

### निम्नदाब उपभोक्ता परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तथा अर्थिंग (भूयोजन)

#### निम्नदाब उपभोक्ता परिसर में वायरिंग तथा उपकरण व यंत्र की स्थापना

- 5.35 उपभोक्ता तथा जनसामान्य की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के अनुसार होनी चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए। वायरिंग के लिये उपयोग किया गया सामान संबंधित व्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी.आई.एस.) मानकों या उसके तुल्य होने चाहिए। जहां लागू हो उपयोग किया गया सामान आई.एस.आई. चिह्नित होने चाहिए। जैसे ही निम्नदाब उपभोक्ता का स्थापना कार्य सम्पूर्ण रूप से पूर्ण होता है तथा ठेकेदार द्वारा परीक्षण किया जाता है, उपभोक्ता को ठेकेदार का परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना चाहिए। इस कार्य के लिये परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में संयोजन प्रदान करने के पूर्व जमा करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उपरोक्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हो अन्यथा संयोजन प्रदान करने में विलंब हो सकता है।
- 5.36 उपभोक्ता के स्थापना में सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के विनियम 15 के प्रावधान का पालन होना चाहिए। उपभोक्ता की स्थापना में लाइन व भूयोजित तार को एक साथ क्रियान्वित करने हेतु लिंक स्विच ही उपयोग में लानी चाहिए।
- 5.37 सभी प्रकरण में उपभोक्ता के मेंस अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय बिन्दु तक लाये जाने चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी के यंत्र से जोड़ने हेतु पर्याप्त केबल उपलब्ध कराना चाहिए।

#### स्विच तथा फ्यूज

- 5.38 विद्युत आपूर्ति बिन्दु के निकट उपभोक्ता द्वारा समुचित क्षमता के लिंकड क्विक मेक और ब्रेक मेन स्विच की व्यवस्था प्रत्येक कन्डक्टर में विद्युत धारा के चालू तथा बंद होने के प्रबंध हेतु की जायेगी। उपभोक्ता के परिसर के स्विच चालू तार (लाइव वायर) पर होंगे तथा न्यूट्रल तार को वहाँ पर चिह्नित किया जायेगा, जहाँ वह उपभोक्ता के मैन स्विच से मीटर में जुड़ने के लिये जाता है। किसी भी न्यूट्रल कन्डक्टर में सिंगल पोल स्विच या कट आउट अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा।

### घरेलू उपकरण

- 5.39 उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग की सुरक्षा के लिए हीटर, गीजर, एयर कंडीशनर तथा खाना पकाने के उपकरण जैसे ओवन, माइक्रोवेव ओवन के लिए उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से समुचित माप के तारों का अलग सर्किट होगा। घरेलू उपकरणों की सर्किट के लिए उपयोग किये जाने वाले दीवार प्लग 3 पिन टाइप होंगे, तथा तीसरा पिन भूयोजित होगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमति नहीं है। स्नानघर में पानी गरम करने अथवा कपड़े धोने वाले अथवा गीली जगह में लगे हुए सभी उपकरणों को प्रभावी रूप से भूयोजित (अर्थ) किया जाना चाहिए।

### उपभोक्ता परिसर में भूयोजित टरमिनल

- 5.40 विद्युत आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के उपयोग के लिये उसके परिसर में पहुंच स्थल पर या प्रदाय बिन्दु के पास एक उपयुक्त भूयोजित टरमिनल प्रदान करना चाहिए तथा संधारण करना चाहिए। यह कि उपभोक्ता उपरोक्त भूयोजित व्यवस्था के अतिरिक्त एक स्वतंत्र इलेक्ट्रोड सहित स्वयं की भूयोजित प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।
- 5.41 विद्युत आपूर्तिकर्ता के भूयोजित टरमिनल तथा लीड तार को यांत्रिक (मेकेनिकल) नुकसान से बचाने हेतु उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त सावधानियां बरतनी चाहिए।

### उपभोक्ता परिसर में भूयोजन

- 5.42 650 वोल्ट तक के विद्युत स्थापना में सुरक्षा प्रावधानों के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए—
- (1) तीन फेज चार तार प्रणाली के न्यूट्रल तार को कम से कम दो अलग-अलग स्पष्ट दर्शित न्यूट्रल तारों के माध्यम से कम से कम दो या अधिक अलग भूयोजित इलेक्ट्रोड जैसा कि भूप्रतिरोध को संतोषप्रद स्तर तक लाने के लिए आवश्यक हो से भूयोजित करनी चाहिए।
  - (2) भूप्रतिरोध कम करने के लिये लगाये गये भूयोजन इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए।
  - (3) उपभोक्ता परिसर में किसी संयोजन को भूयोजित करने के अतिरिक्त वितरण प्रणाली में न्यूट्रल तार को भी एक या अधिक बिन्दुओं पर भूयोजित करना चाहिए।
  - (4) प्रणाली में सकेन्द्रीय (कान्सेक्ट्रिक) केबल से विद्युत आपूर्ति होने की स्थिति में केबल के बाहरी तार को दो स्वतंत्र तथा स्पष्ट दर्शित तारों के माध्यम से भूयोजित करनी चाहिए।
  - (5) प्रत्येक जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर तथा कोई भी यंत्र जो कि 250 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट तक के वोल्टेज के नियमन व नियंत्रण करने के उपयोग में आते हो के फ्रेम को दो अलग तथा स्पष्ट दर्शित तारों से भूयोजित करनी चाहिए।
  - (6) प्रत्येक जनरेटर व ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल बिन्दु को कम से कम दो अलग तथा स्पष्ट दर्शित तारों के माध्यम से भूयोजन प्रणाली से जोड़नी चाहिए।
- 5.43 भूयोजन प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा पानी के पाइपों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी वायरिंग को जितना सम्भव हो सके गैस तथा पानी के पाइपों से दूर होना चाहिए। वैकल्पिक विद्युत प्रदाय प्रणाली जैसे कि डीजल जनरेटिंग सेट आदि के लिए अलग-अलग न्यूट्रल तथा भूयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रणाली में विद्युत की वापसी (फीडबैक) होने की सम्भावना न हो।

**निम्नदाब उपभोक्ता के स्थापना का परीक्षण**

- 5.44 सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियम के विनियम 31 के प्रावधान के अनुसार नये संयोजन या अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर तथा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने या 6 माह पश्चात पुनर्प्रारम्भ करने के पूर्व विद्युत प्रदायदाता या तो स्वयं स्थापना का परीक्षण करेंगे या उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित हो स्वीकार करेंगे।
- 5.45 स्थापना के इन्सुलेशन परीक्षण करने के पूर्व स्थापना की वायरिंग समग्र रूप से पूर्ण होनी चाहिए। परीक्षण करने के पूर्व सभी फिटिंग तार से जुड़े हों, सभी फ्यूज लगे हो तथा सारे स्विच चालू (आन) स्थिति में हों। मेगर से स्थापना व भूयोजन के मध्य 500 वोल्ट का दबाव 1 मिनट तक लगाने पर इन्सुलेशन रजिस्टेंस ऐसा हो कि लीकेज करेंट स्थापना के अधिकतम मांग करेंट के पांच हजारवें भाग से अधिक न हो। दो तारों के मध्य का परीक्षण फल (इन्सुलेशन रजिस्टेंस) भूयोजन से प्राप्त परीक्षण फल का कम से कम आधा हो।
- 5.46 ऐसे निरीक्षण और परीक्षण से यदि आपूर्तिकर्ता इस बात से संतुष्ट होता है कि स्थापना खतरनाक हो सकता है तो वह आवेदनकर्ता को लिखित में स्थापना को सुरक्षित बनाने आवश्यक सुधार करने हेतु नोटिस जारी करेगा तथा जब तक आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया जाता तब तक संयोजन प्रारम्भ या पुनर्प्रारम्भ करने से मना कर सकता है।
- 5.47 यदि निरीक्षण के समय उपभोक्ता के स्थापना का इन्सुलेशन रजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियम की विनियम 34 के अनुसार सुरक्षात्मक विद्युत आपूर्ति की सम्भावना न हो तो अनुज्ञप्तिधारी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपभोक्ता को 48 घंटे की लिखित सूचना देकर नियम के अनुसार अन्य कार्यवाही करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए परिसर का विद्युत प्रवाह तब तक विच्छेदित रखेगा जब तक कि उन त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता।

**निम्नदाब स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण (रेटिंग)**

- 5.48 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के स्थापना, अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, रेटिंग/पुनः-रेटिंग के पात्र होंगे, यदि नेमप्लेट रेटिंग स्पष्ट दर्शित न हो या संदेहास्पद हो। यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निर्धारित की गई रेटिंग से संतुष्ट नहीं होता है तो वह शासकीय इन्जीनियरिंग संस्थाओं में से किसी एक से अपने उपकरण की क्षमता (रेटिंग) का निर्धारण करा सकता है। संस्था में भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के समय, उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिये नियुक्त कर सकते हैं। संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षणों का विवरण संलग्न किया जाना होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी, दोनों को स्वीकार्य होगी।

**ए.सी. मोटर की स्थापना**

- 5.49 कोई भी ए.सी. मोटर अनुज्ञप्तिधारी के निम्नदाब प्रणाली से तब तक नहीं जोड़ा जायेगा जब तक कि मोटर तथा स्थापना के प्रारम्भिक धारा (स्टार्टिंग करेंट) को निम्नलिखित तक सीमित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था न की गई हो।
- 5.50 निम्न दाब मोटर, कन्ट्रोल गेयर के साथ लगाई जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारम्भिक करेन्ट किसी भी स्थिति में निम्न अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो।

आपूर्ति का प्रकार	स्थापना का आकार	प्रारम्भिक करंट की सीमा
एकल फेज	1 बी.एच.पी. या उससे कम	कुल भार के अनुरूप करंट का 6 गुना
तीन फेज	1 बी.एच.पी. से अधिक एवं 10 बी. एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 3 गुना
	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा 15 बी. एच. पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 2 गुना
	15 बी.एच.पी. से अधिक	कुल भार के अनुरूप करंट का 1.5 गुना

इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर उपभोक्ता का संयोजन 15 दिवस का परिपालन हेतु नोटिस देकर विच्छेदन योग्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थल कार्यपरिस्थिति तथा तकनीकी आधार पर प्रारम्भिक धारा की सीमा शिथिल कर सकता है।

- 5.51 मोटर सर्किट का नियंत्रण नो वोल्ट रिलीज तथा ट्रिपल पोल फ्यूज (ओवर लोड रिलीज) से रक्षित ट्रिपल पोल लिंक स्विच से होना चाहिए। यह आवश्यक है कि रिलीज प्रणाली को अच्छी तरह कार्यान्वित स्थिति में रखा जावे। मोटर की सभी तीन फेज वायरिंग धातु के खोल के भीतर हो जो प्रभावी रूप से भूयोजित हो तथा मोटर के फ्रेम से भी जुड़ा हो, जहां से दो पृथक भूयोजन तार भी जुड़े होने चाहिए। भूयोजन तार हेतु न्यूनतम स्वीकार्य साइज 14 स्टैंडर्ड गेज (एस.डब्ल्यू.जी.) है। सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों का पूर्णरूप से परिपालन होना चाहिये।

#### यंत्र का पावर फेक्टर – निम्नदाब शंट केपेसिटर

- 5.52 कृषि/सिंचाई पंप को छोड़कर प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संयोजित भार में 3 अश्वशक्ति या अधिक के इन्डक्शन मोटर सम्मिलित हैं, स्वयं के व्यय पर उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब शंट केपेसिटर मोटर के टर्मिनलों के बीच लगाने की व्यवस्था करेंगे। 3 अश्वशक्ति से अधिक संयोजित भार के कृषि पंप उपभोक्ता उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब केपेसिटर लगाने की व्यवस्था करेंगे। 1500 चक्कर प्रति मिनट (आर.पी.एम.) के इन्डक्शन मोटर के टर्मिनल पर सीधे लगाये जाने वाले केपेसिटर का अनुशंसित मान सामान्य मार्गदर्शन हेतु संलग्नक 11 में दर्शित है। तथापि उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाये गये केपेसिटर मोटर की आवश्यकता के अनुरूप है, ताकि औसत मासिक पावर फेक्टर आयोग द्वारा समय-समय पर आदेशित टैरिफ आदेश के अनुसार सुनिश्चित हो। जहां ऐसे मीटर लगे हैं जो पावर फेक्टर अंकित करते हैं, मीटर द्वारा अंकित पावर फेक्टर ही मासिक पावर फेक्टर होगा, भले ही किसी भी क्षमता का केपेसिटर लगा हो।

तथापि जहां लगाये गये मीटर, भार के औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित नहीं कर सकते वहाँ संलग्नक 11 में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित कार्यरत केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेंगी।

- 5.53 जब तक पावर फेक्टर सुधार हेतु 3 अश्वशक्ति और अधिक की क्षमता के मोटर में उपयुक्त क्षमता के केपेसिटर न लगाया जाये तब तक विद्युत आपूर्ति प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5.54 कंडिका 5.52 में दर्शित 15 किलोवाट या अधिक के निम्नदाब उपभोक्ता (सिंचाई पंप व मोटिव लोड को छोड़ कर) उपयुक्त क्षमता का कैपासिटर लगायेंगे ताकि आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। पावर फेक्टर में भिन्नता होने की दशा में

उपभोक्ताओं द्वारा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिभार देय होगा या वे छूट (इन्सेन्टिव) प्राप्त करेंगे। तथापि 15 किलोवाट या अधिक के घरेलू तथा गैर घरेलू प्रकाश व पंखों के संयोजन में केपेसिटर लगाने की शर्तों पर उत्तरवर्ती (subsequent) टैरिफ आदेश में विचार किया जायेगा।

- 5.55 ऐसी किसी स्थापना जहां औसत मासिक पावर फैक्टर यदि 70 प्रतिशत से कम हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिवस की नोटिस के उपरांत, विच्छेदन अवधि में प्रयुक्त न्यूनतम शुल्क वसूल करने के अपने अधिकार को बिना प्रभावित किये संयोजन विच्छेदित कर सकता है।

**अध्याय 6 : सुरक्षा निधि**

- 6.1 अनुज्ञप्तिधारी उन व्यक्तियों से सुरक्षा निधि ले सकता है जो अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) की कंडिका (ए) के अनुसार विद्युत आपूर्ति लेना चाहते हैं।
- 6.2 सुरक्षा निधि नगद, ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। चेक के प्रकरण में विद्युत आपूर्ति चेक के भुगतान के पश्चात ही प्रारम्भ की जायेगी।

**नये संयोजन हेतु यंत्र/लाइन संबंधी सुरक्षा निधि**

- 6.3 अनुज्ञप्तिधारी उन उपभोक्ताओं से यंत्र या लाइन हेतु सुरक्षा निधि प्राप्त कर सकता है जहां ऐसे विद्युत यंत्र या लाइन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु किराये पर प्रदान किये जायेंगे।

**ऊर्जा संबंधी सुरक्षा निधि**

- 6.4 किसी नये विद्युत संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी अनुबंध में दर्शित हार्सपावर, किलोवाट या के.व्ही.ए. में संविदा भार/संविदा मांग जैसा प्रयुक्त हो पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से निम्न आधार पर गणना कर सुरक्षा निधि ले सकता है:-

क्र.	श्रेणी	सुरक्षा निधि की गणना हेतु (30 दिवस) हेतु अनुमानित खपत
1	घरेलू	(i) 140 यूनिट प्रति किलोवाट (ii) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसके भाग
2	गैर घरेलू	(i) 140 यूनिट प्रति किलोवाट (ii) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसके भाग
3	पेयजल	150 यूनिट प्रति किलोवाट या 110 यूनिट प्रति हार्सपावर
4	उद्योग	270 यूनिट प्रति किलोवाट या 200 यूनिट प्रति हार्सपावर
5	कृषि/सिंचाई	120 यूनिट प्रति हार्सपावर
6	सड़क बत्ती	180 यूनिट प्रति किलोवाट
7	उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता	420 यूनिट प्रति किलोवाट या 380 यूनिट प्रति के.व्ही.ए.

- 6.5 सुरक्षा निधि इस संहिता की कंडिका 6.4 में दर्शित अनुमानित खपत तथा निम्नलिखित सारणी में दर्शित दिनों में उपयोग के खपत पर प्रचलित टैरिफ लगाकर आकलित राशि व अन्य शुल्क की राशि के योग आधार पर निकाली जायेगी -

सं.क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	अवधि (दिवसों में)
1.	कृषि (i) स्थाई (ii) अस्थायी	90 अस्थायी कनेक्शन की अवधि के लिये जो कि 90 दिनों से अधिक न हो।
2.	स्टोन क्रेशर, हाट मिक्स प्लांट	90
3.	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के कानूनी अधिवासी होने का प्रमाण देने में असमर्थ हों।	90
4.	अन्य उपभोक्ता	45

- 6.6 उपरोक्त आधार पर गणना की गई सुरक्षा निधि रु. 10 के आगामी गुणांकों में होगी।



- 6.7 यदि नये संयोजन का आवेदनकर्ता ऐसी सुरक्षा निधि जमा नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी यदि उपयुक्त समझता हो, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु तब तक इन्कार कर सकता है जब तक कि राशि जमा नहीं की जाती।
- 6.8 यदि विद्युत आपूर्ति इच्छुक व्यक्ति प्रीपेड मीटर (पूर्व भुगतानयुक्त मीटर) के माध्यम से विद्युत आपूर्ति लेने हेतु तैयार होता है तो अनुज्ञप्तिधारी उससे सुरक्षा निधि लेने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

### ऊर्जा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा निधि / सुरक्षा निधि की वापसी

- 6.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में, उपभोक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि की पिछले वर्ष की खपत के आधार पर समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की कंडिका 6.5 में दर्शित अवधि के लिये औसत खपत पर प्रचलित टैरिफ के आधार पर आकलित की गई राशि के तुल्य सुरक्षा निधि निर्धारित करेगा।

बशर्ते कि यदि समीक्षा पर उपभोक्ता के पास उपलब्ध सुरक्षा निधि में भिन्नता (वृद्धि/कमी) परिलक्षित हो तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में यह उपलब्ध सुरक्षा निधि से 20 प्रतिशत या अधिक हो तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में ₹.10000 (रुपये दस हजार) या अधिक हो।

- 6.10 अतिरिक्त सुरक्षा निधि (यदि आवश्यक हो) नियमित विद्युत बिल में जोड़ा जाये तथा उसका भुगतान नियमित बिल के साथ निर्धारित तिथि के भीतर देय होगा। यदि उपभोक्ता बिल के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति रोकने हेतु अधिकृत होगा जब तक कि उपभोक्ता भुगतान नहीं हो जाता।

यह कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि वापसी के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के आगामी बिल में समायोजन के माध्यम से भुगतान करेगा। यदि समायोजन पश्चात भी कोई राशि शेष रह जाती है तो उपभोक्ता को 7 दिवस के भीतर वापस किया जायेगा।

- 6.11 ऐसे उपभोक्ता के प्रकरण में जिसके लिए अतिरिक्त भार की स्वीकृति हो गई है, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना अतिरिक्त भार के लिये उसी प्रकार की जायेगी जैसा कि नये संयोजन के लिए की जाती है। इसी प्रकार यदि संविदा मांग कम की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुनर्गणना कर अतिरिक्त सुरक्षा निधि यदि कोई निकलता हो का आगामी विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से भुगतान कर सकेगा।
- 6.12 उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि भुगतान हेतु उपयुक्त मासिक किश्त की सुविधा दे सकता है।

### सुरक्षा निधि पर ब्याज

- 6.13 अनुज्ञप्तिधारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के आधार पर सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा। यह अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से दर पता लगा कर उपभोक्ताओं को बिल के माध्यम से सूचित करे।
- 6.14 ब्याज की गणना प्रति वर्ष अप्रैल माह में पूर्ववर्ती वर्ष के लिये की जायेगी। इस प्रकार गणना किये पूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान माह मई के विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर आगामी माह के विद्युत बिलों में समायोजित किया जावेगा।

- 6.15 सुरक्षा निधि के ब्याज भुगतान में देर होने पर अनुज्ञप्तिधारी ब्याज पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर सरल ब्याज का देनदार होगा।
- 6.16 सुरक्षा निधि के ब्याज के समायोजन में देर/3 माह से अधिक अवधि बीतने पर उपभोक्ता अधिनियम की धारा 42 उपधारा (5) के अंतर्गत निर्मित संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है।

### **सुरक्षा निधि का समायोजन**

- 6.17 यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विद्युत बिल की राशि जमा न करने के कारण विच्छेदित कर दी गई हो जो अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध सुरक्षा निधि आवश्यक सूचना के पश्चात देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।
- 6.18 यदि इसके पश्चात उपभोक्ता पुनर्संयोजन हेतु आता है तो पुनर्संयोजन के पहले उसे सुरक्षा निधि के समायोजित राशि के तुल्य राशि जमा करनी होगी।

### **सुरक्षा निधि की वापसी**

- 6.19 स्थाई संयोजन के विच्छेदन या अस्थायी संयोजन की अवधि बीतने पर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन पश्चात अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध सुरक्षा निधि का समायोजन करते हुए अंतिम बिल (देयक) बना कर उपभोक्ता को स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन/अस्थायी कनेक्शन का विच्छेदन जैसा प्रकरण हो के 30 दिवस के भीतर प्रेषित करेगा तथा आगामी 60 दिवस के अंदर शेष राशि का भुगतान करेगा। तथापि इस संहिता की कंडिका 4.59 के अनुसार अस्थायी संयोजन (कनेक्शन) की स्थिति में राशि की वापसी आपूर्ति विच्छेदन के 90 दिन या जमा राशि की मूल रसीद/मूल रसीद गुमने की स्थिति में इन्डेमिटी वांड या घोषणा पत्र जमा करने के 60 दिवस जो भी बाद में हो के भीतर करेगा।
- 6.20 अनुज्ञप्तिधारी भुगतान हेतु निर्धारित समय पश्चात वापसी योग्य राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर सामान्य दर से ब्याज का देनदार होगा।

### **सुरक्षा निधि वापसी का माध्यम**

- 6.21 उपभोक्ता सुरक्षा निधि वापसी का माध्यम यथा नगद, चेक आदि चुन सकता है। यदि उपभोक्ता राशि वापसी का माध्यम डिमांड ड्राफ्ट / मनी आर्डर चुनता है तो राशि की वापसी डिमांड ड्राफ्ट / मनी आर्डर के शुल्क काटकर वापस किया जायेगा।

**अध्याय 7 : संविदा माँग, अनुबन्ध****संविदा माँग**

**उच्चतम माँग आधारित (टू-पार्ट) टैरिफ के अलावा निम्न दाब उपभोक्ता ।**

- 7.1 उच्चतम माँग आधारित (टू-पार्ट) टैरिफ के अलावा अन्य निम्नदाब उपभोक्ता की परिसर के लिये संविदा माँग अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध में दर्शित भार होगी।

**उच्चतम माँग (एम.डी.) आधारित निम्न दाब व सभी उच्च दाब व अति उच्च दाब उपभोक्ता**

- 7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा माँग, उपभोक्ता के स्थापना के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के बीच हुए अनुबंध के अनुसार होगी तथा संयोजित भार से स्वतंत्र होगी।

**संविदा माँग/संविदा भार में वृद्धि हेतु प्रक्रिया**

- 7.3 संविदा माँग/संविदा भार में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र में (संलग्नक क्रमांक 5) में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 7.4 30 दिनों के अन्दर, अनुज्ञप्तिधारी, बढ़े हुए भार के लिये आपूर्ति की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् डिमांड नोट (माँग पत्र) के साथ उपभोक्ता को सूचित करेगा कि –
- (ए) क्या अतिरिक्त माँग विद्यमान वोल्टेज स्तर पर दी जा सकती है अथवा इससे ज्यादा वोल्टेज स्तर पर;
  - (बी) क्या प्रणाली में कोई परिवर्तन, विस्तार या फेर-बदल करना आवश्यक है और यदि है तो उसके लिये उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली राशि की जानकारी;
  - (सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, जो जमा करना है; और
  - (डी) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो ।
- 7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा माँग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । तथापि, यदि उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर किसी न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा रोक लगाई गई हो, या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि का किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई हो तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।
- 7.6 अनुज्ञप्तिधारी से माँग पत्र प्राप्त होने पर उपभोक्ता :-
- (ए) निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में जहाँ स्थापना में फेर-बदल निहित है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।
  - (बी) उच्च व अति उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन पत्र और जहाँ आवश्यक हो किसी अन्य लागू विनियमों के अधीन चाहे गये वैधानिक अनुमति पत्र प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
  - (सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि तथा यदि प्रणाली में परिवर्तन या विस्तार की आवश्यकता हो तो उसकी लागत का भुगतान करेगा ।
  - (डी) पूरक अनुबंध का निष्पादन करेगा ।

- 7.7 मीटरिंग व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार उपभोक्ता द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के बाद या अनुबन्ध में अंकित की गई तिथि जो भी बाद में हो से दिया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के 15 दिवस के भीतर मीटरिंग व्यवस्था में परिवर्तन किया जावेगा।

यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा।

### अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धि की सूचना – जब लाइन विस्तार की आवश्यकता हो

- 7.8 जब अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करने तथा जहां आवश्यक हो मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने के पश्चात, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय करने की स्थिति में हो तो निम्नदाब, उच्चदाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धि की एक माह की लिखित नोटिस जारी करेगा। अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को जारी किये गये एक माह की नोटिस पश्चात या उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व कोई भी दिन यदि उपभोक्ता अतिरिक्त विद्युत लेना प्रारम्भ किये जाने की तिथि सूचित करता है, परन्तु सूचना जारी होने के दिन से पूर्व नहीं, से प्रभावी माना जायेगा।

### संविदा भार/संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रिया

- 7.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि जो अनुबंध प्रारम्भ होने से 2 वर्ष की होगी में 50 प्रतिशत से अधिक संविदा मांग/संविदा भार में कमी हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। तथापि अनुबंध की 2 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के भीतर संविदा मांग/संविदा भार में 50 प्रतिशत तक की कमी जो कि इस संहिता के कंडिका 3.4 में दर्शित संबंधित वोल्टेज हेतु निर्धारित न्यूनतम मांग/भार से कम न हो एक बार स्वीकृत किया जा सकता है।

यह कि ऐसे उपभोक्ता जो कि किसी केप्टिव पावर प्लांट के केप्टिव या नान-केप्टिव लोड हो, के प्रकरण में संविदा मांग में कमी इस संहिता की कंडिका 12.14 के अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

- 7.10 संविदा भार में कमी हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 5) में अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा :-

- (ए) विद्युत स्थापना में परिवर्तन, सुधार सहित कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तथा निम्नदाब संस्थान में परिवर्तन के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र।
- (बी) संविदा भार में कमी करने या कोई और कारण।
- (सी) उपभोक्ता द्वारा जनरेटर लगाने की स्थिति में जनरेटर का विवरण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जनरेटर लगाने में सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।

- 7.11 संविदा मांग/भार में कमी के आवेदन की प्राप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:-

- (ए) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में दिये गये आधारों पर विचार करेगा, उनका सत्यापन करेगा तथा 30 दिनों की अवधि के अन्दर आवेदन पर निर्णय करेगा। यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 45(5) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित विद्युत शिकायत निवारण फोरम में आवेदन कर सकता है,

और इसके बाद अधिनियम की धारा 46(6) के अंतर्गत आयोग द्वारा नियुक्त या नामांकित विद्युत लोकपाल को अपील की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु, अन्य विधि के अधीन उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार से वह वंचित नहीं होगा।

- (बी) यदि आवेदन पर 30 दिनों की अवधि के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक लिखित सूचना के माध्यम से लंबित प्रकरण पर अनुज्ञप्तिधारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि तत्पश्चात् 30 दिनों की अवधि के अन्दर उसे कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जावेगा कि उसे संविदा मांग/भार में आवेदन के अनुरूप कमी करने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् दे दी गई है तथा उपभोक्ता संविदा भार/मांग में कमी हेतु अनुज्ञप्तिधारी को पूरक अनुबंध प्रस्तुत कर सकता है।
- (सी) निम्नदाब उपभोक्ता पूरक (सप्लीमेंट्री) अनुबंध करने तथा भार में कमी करने के पश्चात् अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र जमा करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के प्रकरण में 2 दिन व ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण में 5 दिनों के भीतर निरीक्षण की व्यवस्था करेगा। निरीक्षण तथा भार के सत्यापन पश्चात् आवश्यकता होने पर 15 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी मीटर बदलेगा। भार में कमी उसके पश्चात् के आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगा।
- (डी) उच्चदाब व अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में स्वीकृति करने तथा पूरक अनुबंध होने के पश्चात् आवश्यकता होने पर अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस के भीतर मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने की व्यवस्था करेगा एवं संविदा मांग में कमी को प्रभावशील करेगा। संविदा मांग में कमी उसके पश्चात् के बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगी। यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण के बदलने की आवश्यकता नहीं होगी तो संविदा मांग में कमी पूरक अनुबंध करने के बाद के आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस या बाद का दिन जैसा कि पूरक अनुबंध में दर्शित हो से प्रभावशील होगा।

- 7.12 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में किसी भी सीमा तक कमी करने हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, उपरोक्त मांग में कमी खण्ड 3.4 में विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं की जावेगी। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से कम कर किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से (परन्तु केप्टिव उपभोक्ता जैसा नहीं) विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 42 (4) के अनुसार उसे अतिरिक्त सरचार्ज (आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित क्रास सब्सिडी सरचार्ज) का भुगतान करना होगा।
- 7.13 जब संविदा मांग में कमी की सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक पूरक अनुबन्ध निष्पादित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुर्नगणना करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के पास अधिक सुरक्षा निधि होने की स्थिति में उसे अगले बिल में समायोजित की जायेगी। समायोजन के पश्चात् भी यदि कोई राशि बच जाती है तो उसे बिल जारी करने के 7 दिवस के भीतर वापस करेगा।
- 7.14 यदि कोई उपभोक्ता जिसने अपना संविदा भार/संविदा मांग में किसी भी कारण से कमी किया हो, तथा कम करने के एक वर्ष के भीतर, भार/मांग को पुरानी स्थिति में लाना चाहता है तो उसे अनुमति दिया जाये परन्तु यह तकनीकी आधार पर तथा इस शर्त पर होगा कि अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के भीतर पुनः मांग/भार को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

**निम्नदाब संयोजन का उच्चदाब संयोजन में अंतरण**

7.15 जब निम्नदाब संयोजन में भार वृद्धि के कारण उपभोक्ता को उच्चदाब कनेक्शन लेने की आवश्यकता हो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:-

- (i) उपभोक्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा तथा भविष्य में निम्नदाब संयोजन के विरुद्ध बकाया यदि कोई होता है का भुगतान करने का वचन देगा।
- (ii) उच्चदाब संयोजन होने की तिथि से निम्नदाब अनुबंध निष्प्रभावी हो जायेगा।
- (iii) परिसर में उच्चदाब संयोजन करने की तिथि पर निम्नदाब संयोजन विच्छेदित कर दिया जायेगा।
- (iv) यदि उपभोक्ता द्वारा कोई दायित्व पूरा नहीं करने के कारण परिसर में उच्चदाब संयोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सके तथा निम्नदाब आपूर्ति उपभोक्ता के परिसर में उपलब्ध रहता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वास्तविक मांग के स्थान पर इस संहिता की कंडिका 10.23 के अनुसार उच्चदाब के कम मांग सहित निम्नदाब संयोजन हेतु बिल किया जायेगा एवं तदनुसार उच्चदाब संयोजन की अनुबंध अवधि में वृद्धि की जायेगी।
- (v) निम्नदाब संयोजन हेतु उपलब्ध सुरक्षा निधि को उच्चदाब संयोजन के विरुद्ध स्थानांतरित किया जायेगा।
- (vi) उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता उच्चदाब संयोजन हेतु अनुबंध करेगा।

**उच्चदाब संयोजन (11 के.व्ही.) का निम्नदाब संयोजन में अंतरण**

7.16 संविदा मांग में कमी होने के कारण यदि उच्चदाब उपभोक्ता निम्नदाब संयोजन हेतु निवेदन करता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:-

- (i) उपभोक्ता को अधिकतम 100 हार्सपावर के संयोजन भार के निम्नदाब में अंतरण हेतु अनुमति दी जायेगी।
- (ii) उच्चदाब मीटरिंग व्यवस्था यथावत रहेगी तथा विद्युत आपूर्ति की बिलिंग 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन हानि कम करने के पश्चात निम्नदाब टैरिफ पर की जायेगी। मीटर किराया उच्चदाब मीटरिंग के आधार पर होगा।
- (iii) उपभोक्ता को उच्चदाब संयोजन की बकाया राशि का भुगतान करना होगा तथा उच्चदाब संयोजन के विरुद्ध भविष्य में बकाया राशि यदि कोई होता है का भुगतान करने वचन देना होगा।
- (iv) निम्नदाब संयोजन प्रारम्भ होने की तिथि से उच्चदाब अनुबंध निष्प्रभावी हो जायेगा।
- (v) उच्चदाब संयोजन के ट्रांसफार्मर का स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में बिना मूल्य स्थानांतरित करना होगा तथा ट्रांसफार्मर का संधारण व उसके खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी पर होगा।
- (vi) उच्चदाब संयोजन हेतु उपलब्ध सुरक्षा निधि निम्नदाब संयोजन हेतु स्थानांतरित की जायेगी।
- (vii) उपभोक्ता को उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए निम्नदाब अनुबंध करना होगा।

**अनुबंध**

- 7.17 विद्युत आपूर्ति के पूर्व उपभोक्ता को नया संयोजन प्राप्त करने हेतु अनुबंध करना होगा। नाम तथा प्रयोजन में परिवर्तन करने तथा स्वीकृत संविदा भार/ मांग में वृद्धि या कमी हेतु उपभोक्ता को पूरक अनुबंध करने की आवश्यकता होगी जो कि अनुबंध का भाग होगा। उपभोक्ता को अनुबंध पत्र के सभी पृष्ठ के निचले भाग पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 7.18 अनुबंध में निम्न समाहित होंगे:—
- (1) उपभोक्ता का नाम व पता
  - (2) परिसर का पोस्टल पता जहां के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है व जिसके लिये अनुबंध किया जा रहा है
  - (3) संविदा भार/संविदा मांग
  - (4) विद्युत उपयोग का प्रयोजन
  - (5) उपभोक्ता द्वारा घोषणा—
    - (i) अधिनियम तथा इस संहिता का पालन करना
    - (ii) प्रचलित टैरिफ के आधार पर विद्युत आपूर्ति का भुगतान करना
    - (iii) इस संहिता तथा आयोग द्वारा समय-समय पर अनुज्ञप्तिधारी हेतु सामान्य तथा विविध शुल्क के अंतर्गत अनुमोदित सभी शुल्क का भुगतान करना।
    - (iv) अधिनियम तथा इस संहिता के प्रावधान के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त सुरक्षा निधि जमा करना।
- 7.19 किये गये अनुबंध की एक प्रति उपभोक्ता को दिया जाये। जहां अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य कोई लिखित अनुबंध न हो, यथा अस्थाई संयोजन, जनरेटर जिन्होंने स्टार्ट अप पावर संयोजन नहीं लिया हो तथा केप्टिव उपभोक्ता जो ओपन एक्सेस के माध्यम से प्रणाली से विद्युत प्राप्त करते हैं, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ होने पर वे इस संहिता के नियम व शर्तों से शासित होंगे तथा संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के तहत बिल किये जायेंगे।
- 7.20 यदि स्वामित्व/अधिवासी बदलने पर भी यदि उपभोक्ता का नाम नहीं बदला जाता तो भी इस संहिता की नियम व शर्तें उस व्यक्ति पर लागू रहेंगी जो उस संयोजन से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करता है।
- 7.21 ऐसे उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ हुए अनुबंध के किसी विशेष प्रावधान से शासित हैं, वे अनुबंध के उस विशेष प्रावधान के तहत शासित रहेंगे।
- 7.22 आवेदक द्वारा, निर्धारित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नया कनेक्शन लेने के लिये मानक प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबंध में कुछ विशिष्ट खण्डों को जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि यदि ऐसे खण्ड विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता एवं प्रभावशील अन्य नियमों तथा विनियमों के विपरीत नहीं हों। ये विशिष्ट खण्ड अनुबंध का हिस्सा होंगे।
- 7.23 घरेलू तथा एक फेज गैर घरेलू के सिवाय अन्य उपभोक्ता कम से कम 1 से.मी. = 12 मीटर (1 इंच = 100 फुट) स्केल का परिसर का प्लान नक्शा जिसमें परिसर जहां विद्युत आपूर्ति की

आवश्यकता है की स्पष्ट रंग से सीमा, प्रस्तावित लाइन विस्तार व आपूर्ति बिन्दु दर्शित हो, अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेंगे। जमा किया गया नक्शा जो कि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों द्वारा स्वीकृत व हस्ताक्षरित हो अनुबंध का भाग होगा।

### नये अधिवासी के नाम से संयोजन स्थानांतरित करना

- 7.24 उपभोक्ता के निधन होने या परिसर के स्वामित्व या अधिवासी में परिवर्तन होने पर इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन करने पर संयोजित नये मालिक या अधिवासी के नाम पर स्थानांतरित किया जायेगा।
- 7.25 सम्पत्ति के स्वामित्व/अधिवासी में परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के नाम परिवर्तन के आवेदन पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी—
- (1) उपभोक्ता के नाम परिवर्तन हेतु आवेदक इस संहिता के संलग्नक 4 में हाल में भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा। जब तक संबंधित संयोजन के सभी भुगतान योग्य बकाया राशि पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक संयोजन स्थानांतरण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र स्वामित्व/अधिवासी होने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक के नाम पर सुरक्षा निधि के स्थानांतरण के प्रकरण में परिसर के पंजीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्ववर्ती अधिवासी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  - (2) यदि पंजीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्ववर्ती अधिवासी से आवेदक के नाम पर सुरक्षा निधि स्थानांतरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता जो ऐसी स्थिति में नाम स्थानांतरण का आवेदन फार्म तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि इस संहिता में दिये गये प्रावधान के अनुसार नया सुरक्षा निधि जमा की जायेगी। तथापि मूल सुरक्षा निधि संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर वापस किया जायेगा।
  - (3) उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन आवेदन पत्र स्वीकार करने तथा पूरक अनुबंध निष्पादन पश्चात दो बिलिंग चक्र (साइकिल) के भीतर किया जायेगा।

### विधिक उत्तराधिकारी के नाम पर संयोजन का स्थानांतरण

- 7.26 विधि मान्य उत्तराधिकारी के नाम पर संयोजन के स्थानांतरण संबंधी आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी —
- (1) उपभोक्ता के नाम परिवर्तन हेतु आवेदक इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में हाल में भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकृत वसीयतनामा/अनुबंध, उत्तराधिकार पत्र/ विधि मान्य उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, म्यूनिसिपल का म्यूटेशन/भूमि रिकार्ड या अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकार किये जायेंगे।
  - (2) सुरक्षा निधि सहित उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, आवेदन स्वीकार करने तथा पूरक अनुबंध निष्पादन पश्चात दो बिलिंग चक्र (साइकिल) के भीतर किया जायेगा।
  - (3) कोई विद्युत शुल्क या विद्युत संबंधी अन्य राशि जो बकाया है तथा अनुज्ञप्तिधारी को देय है, भूमि या परिसर के दिवंगत उपभोक्ता या भूतपूर्व मालिक/अधिवासी जैसा कि प्रकरण हो, के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, की देनदारी उत्तराधिकारी या नये मालिक/अधिवासी पर लागू होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर के ऐसे विधि मान्य प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी या नये मालिक/अधिवासी जैसा कि प्रकरण हो से वसूली योग्य होगा।



**वर्तमान संयोजन/मीटर के स्थान परिवर्तन**

- 7.27 आवेदक वर्तमान परिसर के संयोजन के स्थान परिवर्तन या वर्तमान लाइन हटाने हेतु इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन पत्र पर इस संहिता की कंडिका 4.22 से 4.30 के प्रावधान के अनुसार स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्राक्कलित राशि हेतु मांग पत्र जारी करने तथा भुगतान प्राप्त हेतु कार्यवाही करेंगे।
- 7.28 राशि के भुगतान पश्चात कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित समय सारिणी का पालन किया जायेगा –
- |     |   |   |        |
|-----|---|---|--------|
| (1) | मीटर तथा सर्विस तार का स्थान परिवर्तन   | – | 7 दिन  |
| (2) | उच्च व निम्न दाब लाइन का स्थान परिवर्तन | – | 20 दिन |
| (3) | ट्रांसफार्मर का स्थान परिवर्तन          | – | 30 दिन |

**प्रयोजन / उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन**

- 7.29 यदि यह पाया जाता है कि कोई उपभोक्ता टैरिफ में गलत श्रेणी में रखा गया है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उपयुक्त श्रेणी में रखने हेतु कार्यवाही कर सकता है। उपभोक्ता को प्रस्तावित श्रेणी में रखने हेतु तथा सहमत न होने पर एतराज करने हेतु 30 दिवस की नोटिस जारी करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के जबाब पर यदि कोई हो, उपयुक्त विचार कर उपभोक्ता का श्रेणी परिवर्तन कर सकता है। मतभेद होने की स्थिति में प्रकरण उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को सौंपा जा सकता है।
- 7.30 यदि कोई उपभोक्ता अपने उपभोक्ता श्रेणी (कैटेगिरी) में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षण में यदि आवेदक का श्रेणी परिवर्तन का आवेदन उपयुक्त पाया जाता है तो निरीक्षण के बाद के बिलिंग माह के प्रारम्भ से श्रेणी परिवर्तन प्रभावशील किया जायेगा तथा इसकी लिखित पुष्टिकरण उपभोक्ता को भेजी जायेगी।
- 7.31 उपभोक्ता अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि (2 वर्ष) में एक बार टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकता है। टैरिफ परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण/सत्यापन के बाद के बिलिंग माह के प्रथम दिवस या आगामी माह जैसा कि उपभोक्ता द्वारा निवेदित हो से स्वीकृत किया जा सकता है। टैरिफ परिवर्तन का बिलिंग पर वास्तविक प्रभाव पूरक अनुबंध के स्वीकृत होने के पश्चात ही इस संहिता की कंडिका 7.5 के प्रावधानों के भीतर होगा।
- 7.32 यदि उपभोक्ता श्रेणी परिवर्तन के आवेदन को उपयुक्त नहीं पाता तो वह उपभोक्ता को निरीक्षण के 10 दिवस के भीतर इसका कारण बतलाते हुए लिखित सूचना देगा।
- 7.33 उस अवधि में जब उपभोक्ता के श्रेणी परिवर्तन का आवेदन लंबित हो उपभोक्ता के विरुद्ध इस आधार पर विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**अनुबंध का प्रारम्भ**

- 7.34 उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्ध होने की सूचना जारी करने के निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 3 माह की अवधि समाप्ति के दिन के तुरंत पश्चात अथवा संयोजन की तिथि जो भी पहले हो अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि मानी जायेगी।

### अनुबंध की निरंतरता

- 7.35 अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के प्रारम्भिक अवधि बीतने के पश्चात अनुबंध उसी नियम व शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष अपने आप प्रभावशील रहेगा।

### अनुबंध की समाप्ति

- 7.36 यदि दो वर्ष की अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि (भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई पूरक अनुबंध किया गया हो) पश्चात किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के अनुसार जारी किये गये किसी निर्देश का पालन न करने के कारण दो माह तक विच्छेदित रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में अनुबंध की समाप्ति हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करेगा जिसके उत्तर देने की समय सीमा 15 दिवस होगी। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने या विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो 15 दिवस की अवधि बीत जाने पर बिलिंग माह के अंतिम दिवस पर अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य विद्युत आपूर्ति के अनुबंध समाप्त किये जायेंगे। अस्थाई विच्छेदन की अवधि में उपभोक्ता प्रचलित टैरिफ के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।
- 7.37 यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि में विच्छेदित होती है तो प्रचलित टैरिफ के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभाव बिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बिना भुगतान किये दो माह तक कटी रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में बकाया राशि जमा करने तथा विद्युत आपूर्ति चालू करवाने, अन्यथा मीटर व मीटरिंग उपकरण हटा लिये जाने हेतु 15 दिवस की नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो 15 दिवस की पुनः नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के बिलिंग माह के 6 माह पश्चात या उस माह की अंतिम तिथि जब अनुबंध की आरम्भिक अवधि समाप्त होती है जो भी पहले हो, को मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिये जायेंगे।
- 7.38 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि में पुनः विद्युत आपूर्ति लेने हेतु आता है तो परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने/ विद्युत निरीक्षक के स्वीकृति पश्चात यदि मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिये गये हैं तो पुनः स्थापित कर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ किया जायेगा।
- 7.39 घरेलू, एकल (सिंगल) फेज गैर घरेलू, तथा सड़क बत्ती श्रेणी के उपभोक्ता दो वर्ष की अनुबंध की अवधि में भी संलग्नक 7 में दर्शित प्रपत्र में एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं।
- 7.40 घरेलू, सिंगल फेज गैर घरेलू, तथा सड़क बत्ती श्रेणी के सिवाय अन्य उपभोक्ता अनुबंध के दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि समाप्त होने के पश्चात संलग्नक 7 में दर्शित प्रपत्र में एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई पूरक अनुबंध किया गया हो। एक माह का समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नोटिस प्राप्ति से माना जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के लिए अंतिम बिल तैयार करने हेतु आपसी सहमति से तय तिथि पर विशेष मीटर रीडिंग की व्यवस्था करेगा। बिलिंग माह की अंतिम तिथि पर अनुबंध समाप्त कर अनुज्ञप्तिधारी अंतिम बिल जारी करेगा।

**उदाहरण :** यदि एक माह की नोटिस 3 सितम्बर को जारी किया गया हो तथा 5 सितम्बर को अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किया गया हो, तथा बिलिंग चक्र (साइकिल) 15 सितम्बर को पूर्ण होता हो, तब अनुबंध 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। यदि एक माह की नोटिस अनुज्ञप्तिधारी को 15 सितम्बर को प्रस्तुत किया गया हो तब भी अनुबंध समाप्ति की तिथि 15 अक्टूबर होगी अर्थात्

अनुबंध समाप्ति की तिथि एक माह की नोटिस समाप्ति के पश्चात बिलिंग माह की अंतिम तिथि को होगी।

- 7.41 घरेलू, सिंगल फेज गैर घरेलू, तथा सड़क बत्ती के सिवाय अन्य उपभोक्ता के संयोजन किसी भी कारण से, अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के पूर्व समाप्त करने हो तो उपभोक्ता को अनुबंध की दो वर्ष की शेष अवधि के लिए इस संहिता की कंडिका 7.37 के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभार बिल किया जायेगा।
- 7.42 अनुबंध की समाप्ति की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन के स्थाई विच्छेदन के पश्चात उपभोक्ता को संलग्नक 8 में दर्शित प्रपत्र में दी जायेगी।
- 7.43 अनुबंध समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये मीटर/सर्विस तार तथा अन्य उपकरण हटा सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में ताला लगे होने तथा नोटिस जारी होने के पश्चात भी नहीं खोलने के कारण मीटर, मीटरिंग उपकरण नहीं हटा सके तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर तथा मीटरिंग उपकरण हेतु राशि बिल कर सकता है। स्थाई विच्छेदन के पश्चात यदि उपभोक्ता संयोजन पुनर्जीवित करना चाहता है तो उनका आवेदन नये संयोजन हेतु माना जायेगा तथा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात ही उस पर विचार किया जायेगा।

## विविध

- 7.44 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों के आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कम की जा सकती है, रुक-रुक कर की जा सकती है या बंद की जा सकती है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के नियमित रख-रखाव हेतु भी, उचित सूचना देने के पश्चात्, उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय की पूर्ति कम की जा सकती है, रोक-रोक कर दी जा सकती है या उसे पूरी तरह से बन्द की जा सकती है।
- 7.45 आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं की आपूर्ति को, उचित सूचना के उपरान्त, विनियमित (योजनाबद्ध विद्युत कटौती) कर सकता है।
- 7.46 उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा तथा सभी उपयोग लागू अधिनियम तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किये जावेंगे।
- 7.47 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनुबन्ध में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा अथवा लाईन का विस्तार परिसर के बाहर नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विस्तार/विचलन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति न ली गई हो।
- 7.48 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो आपूर्ति का पुनःसंयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन, के उपरान्त तथा पूर्ण:संयोजन शुल्क के भुगतान के बाद किया जायेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार के भुगतान के लिये बाध्य होगा।

यदि विद्युत विच्छेदन उपभोक्ता द्वारा अधिनियम, नियम अथवा विनियम के उल्लंघन के कारण न होकर जिला दंडाधिकारी के आदेश पर विधि तथा आदेश (लॉ एंड आर्डर) के कारण किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से मांग / न्यूनतम प्रभार तथा विच्छेदन व पुनर्संयोजन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- 7.49 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति किये गये किसी ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य परिसर में तब तक प्रदाय नहीं करेगा, जब तक कि उसे आयोग/राज्य शासन से ऊर्जा विक्रय हेतु उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त न हो, या अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्ति हो, या उसे फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्त किया गया हो।

## अध्याय 8 : मीटरिंग

### मीटरों की आवश्यकता

- 8.1 बिना समुचित मापदंड व क्षमता के मीटर के कोई भी नया संयोजन नहीं दिया जायेगा।
- 8.2 सभी उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर में उपयुक्त मीटरिंग उपकरण, लोड लिमिटर, छेड़-छाड़ रोधी बॉक्स या अन्य उपकरण स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवम् उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए इस संहिता की कंडिका 11.64 व 4.24 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थल व जगह प्रदान करना होगा।
- 8.3 उच्चदाब विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में यदि उच्चदाब मीटरिंग तुरंत स्थापित नहीं की जा सकती है तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर निम्नदाब (एल.टी.) मीटरिंग लगाई जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में बिलिंग हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, ट्रांसफार्मेशन क्षति हेतु, एल.टी. मीटरिंग में दर्ज मात्रा में 3 प्रतिशत जोड़कर की जावेगी। यह व्यवस्था तीन माहों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रखी जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी इन तीन माहों के भीतर ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर मीटरिंग प्रणाली स्थापित करने का प्रबंध करेगा।
- 8.4 यदि उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता को केवल उसके उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती तो मीटरिंग की व्यवस्था या तो उपभोक्ता के परिसर में या, यदि आपसी सहमति हो तो, अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर की जा सकती है।
- 8.5 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान में लगाए गए मीटरों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु अधिकृत है। तकनीक में विकास के कारण यदि बेहतर गुणवत्तायुक्त मीटर उपलब्ध होते हैं तो उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा करते हुए इन्हें लगाया जावे। अनुज्ञप्तिधारी, रिमोट मीटरिंग प्रणाली भी तकनीकी आवश्यकताओं अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मीटर, जिसमें उच्चतम मांग एवं टाईम आफ डे रिकार्ड करने संबंधी विशेषताएँ या अन्य अतिरिक्त विशेषताएँ उपलब्ध हो भी लगा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी किसी एक उपभोक्ता के कनेक्शन अथवा उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के समूह के लिये चेक मीटर स्थापित कर सकता है।
- 8.6 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में यदि बिलिंग मीटर तथा चेक मीटर द्वारा अंकित खपत का अंतर यदि लगातार स्वीकृत सीमा से अधिक आता है तो उपभोक्ता को आवश्यक लिखित सूचना देकर अनुज्ञप्तिधारी बिलिंग मीटर पोल या पिलर बाक्स पर लगाने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसे प्रकरण में जहां ट्रांसफार्मर से सिर्फ एक ही उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय होता है, अनुज्ञप्तिधारी मीटरिंग को उच्चदाब की ओर स्थानांतरित कर सकता है तथा उच्चदाब मीटरिंग से 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन हानि घटा कर उपभोक्ता को बिल कर सकता है। ऐसे प्रकरण में मीटर किराया निम्नदाब मीटर का लगेगा।

### मीटर का प्रदाय व स्थापना

- 8.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नया संयोजन देते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी समय मीटर तथा मीटरिंग उपकरण स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही कार्य स्थिति में रखेगा और उपभोक्ता जहां प्रयुक्त हो उसका मासिक किराया आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विविध शुल्क की दर से भुगतान करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर या मीटरिंग उपकरण को सही कार्य स्थिति में नहीं रख पाता है तो मीटर खराब रहने की अवधि का किराया उपभोक्ता द्वारा देय नहीं होगा।

- 8.8 सामान्यतः उपभोक्ता मीटर अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व का रहेगा। यदि कोई उपभोक्ता चाहे तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत वेंडर सूची से अनुमोदित मापदंडों का मीटर व मीटरिंग उपकरण खरीद कर अनुज्ञप्तिधारी को लगाने हेतु प्रदाय कर सकता है। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को मीटर को सही परिशुद्धक (एक्यूरेट) व चालू हालत में रखना होगा। अनुमोदित परीक्षण शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर तथा मीटरिंग उपकरण का मियादी (शेड्यूल्ड) परीक्षण किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मासिक मीटर किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 8.9 मीटर सामान्यतः इस तरह से स्थापित किया जावेगा ताकि यह पानी इत्यादि से सुरक्षित रहे और मीटर रीडर द्वारा इसकी रीडिंग बाहर से ही बिना परिसर को खोले या बिना ताला खोले ली जा सके। विशेष अवस्था में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री स्तर या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा दी जावेगी। मीटर बाक्स सामान्यतः जमीन से 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जावेगा ताकि मीटर रीडिंग काउण्टर/डिस्प्ले विण्डो आँख की ऊंचाई पर रहे। मीटर की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इस संहिता की कंडिका 11.64 के अनुसार उपभोक्ता के संरक्षित परिसर में मुख्य द्वार के समीप, लगाई जानी चाहिए। इस प्रदाय बिन्दु से उपभोक्ता अपनी वायरिंग ले जायेगा।
- 8.10 बहुमंजिला भवन के प्रकरण में मीटर एक जगह सामान्यतः मुख्य प्रवेश द्वार के पास पिलर बाक्स में, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तय किया जायेगा, प्रथमतः (प्रिफरेबली) भूमि तल पर जहां उपयुक्त प्रकाश व हवा का आवागमन हो लगाया जायेगा।
- 8.11 निम्नदाब अस्थाई संयोजन में मीटर पोल पर वितरण लाइन के या सर्विस लाइन के विस्तार बिन्दु पर लगाया जायेगा।
- 8.12 सभी नये कनेक्शनों के मीटरों की स्थापना टेम्पर प्रूफ बाक्स में की जावे। अनुज्ञप्तिधारी, चरण-बद्ध योजना बनाकर ऐसे सभी मीटर, जो वर्तमान में टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित नहीं हैं, को टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित करेगा।
- 8.13 कच्चे मकानों के प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर दीवार पर ठीक तरीके से स्थापित किया जावे और मीटर तक मीटर रीडर की पहुंच सुगम हो। यदि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता की दीवार मीटर स्थापित करने के लिये उपलब्ध नहीं करा पाता तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को पोल पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये पिलर बक्से में लगा सकता है।
- 8.14 जब कभी भी कोई नया मीटर स्थापित किया जाएगा (बदलने या फिर नए कनेक्शन के लिए) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठीक तरह से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। मीटर या मीटरिंग प्रणाली की सील, नाम पट्टिकाओं और उन पर खुदे हुए विभेदकारी अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों।
- 8.15 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा। यदि मीटर गुम या चोरी हो जाये तो उपभोक्ता इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में करायेगा तथा विद्युत आपूर्ति की पुनर्स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के खर्च पर नये मीटर की स्थापना होने पर की जायेगी।

- 8.16 ऐसी स्थिति में जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रभार प्राप्त करने में दिक्कत महसूस कर रहा हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी पूर्व भुगतान (प्री पेड) मीटर लगा सकता है। पूर्व भुगतान की योजना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर पर्याप्त प्रचार प्रसार पश्चात क्रियान्वित करेगा। मीटर सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी (इन्स्टलेशन तथा ऑपरेशन आफ मीटर्स) रेग्युलेशन 2006 (आगे सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम) में विनिर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकतानुसार होनी चाहिए।

### मीटरों का मियादी परीक्षण

- 8.17 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मीटर के स्थापना के पूर्व उसकी परिशुद्धता से संतुष्ट हो और उस प्रयोजन हेतु वह मीटर का परीक्षण कर सकता है।
- 8.18 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित समयावधि के अनुसार भी मीटरों का परीक्षण करेगा –
- (अ) एकल फेज मीटर – पाँच वर्ष में एक बार
  - (ब) निम्नदाब 3 फेज मीटर (सी.टी.सहित) यदि हो तो – तीन वर्ष में एक बार
  - (स) उच्च तथा अति उच्चदाब मीटर, मीटरिंग उपकरण सहित – वर्ष में एक बार

### मीटरों का बदलना

#### खराब मीटर का परीक्षण

- 8.19 मीटर की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर एवं संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा और उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में सहायता उपलब्ध करायेगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।
- 8.20 मियादी या अन्य निरीक्षण के समय यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही खपत दर्शित करते नहीं पाता या उपभोक्ता इस संबंध में संलग्नक प्रपत्र 9 में शिकायत करता है तो अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में 7 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन के भीतर मीटर का परीक्षण करेगा। यदि निम्नदाब उपभोक्ता के संयोजन का मीटर खराब पाया जाता है तो शहरी क्षेत्र में 15 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिनों के भीतर बदलना चाहिए। उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर 15 दिवस में बदलना चाहिए।
- 8.21 यदि फिर भी उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता पर शंका जाहिर करता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक परीक्षण शुल्क सहित मीटर के परीक्षण हेतु आवेदन दे सकता है। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण फीस सहित आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर परीक्षणशाला में मीटर का परीक्षण करेगा।
- 8.22 परीक्षणशाला में मीटर परीक्षण के सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को मीटर परीक्षण के प्रस्तावित दिवस सूचित करते हुए कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि वह व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मीटर परीक्षण के समय उपस्थित रह सके। यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित हों तो उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप परीक्षण परिणाम प्रपत्र में उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे। यदि उपभोक्ता उनके प्रतिनिधि उपस्थिति न हो तो अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि व परीक्षणशाला के कर्मचारी परीक्षण परिणाम पत्र में हस्ताक्षर करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के दो कार्य दिवस के भीतर परीक्षण परिणाम उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा पावती प्राप्त करेगा। मीटर खराब पाये जाने की स्थिति में परीक्षण परिणाम के आधार पर उपभोक्ता को

अधिकतम 6 माह या पिछले परीक्षण / निरीक्षण की तिथि से या उस माह से जब से खपत में काफी कमी आई है जो भी कम हो की अवधि का बिल किया जायेगा।

- 8.23 यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर एतराज करता है तो वह विद्युत निरीक्षक को परीक्षण परिणाम सूचित करने के एक माह के भीतर प्रतिवेदन दे सकता है जो कि अपने सामने मीटर परीक्षण करा सकते हैं।

### विविध

- 8.24 यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित तकनीकी कारणों से जलता है जैसे कि वोल्टेज में बार-बार बदलाव (फ्लक्चुएशन), ट्रांजिएंट आदि तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर की कीमत नहीं वसूलेगा। यदि मीटर के जलने के कारण उपभोक्ता से संबंधित हो, जैसा कि अनाधिकृत भार में वृद्धि, अतिरिक्त विद्युत का आहरण आदि तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर की कीमत वसूल करने अधिकृत होगा।
- 8.25 सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो तथा आयोग द्वारा तत्संबंध में जारी आदेश/दिशा निर्देश मीटर के स्थापना तथा संचालन हेतु लागू होंगे।
- 8.26 यदि सी.टी. तथा व्ही.टी. मीटर के भाग होते हैं तो मीटर जहां तक सम्भव हो, (उपकरण) इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के समीप लगाया जायेगा ताकि द्वैतियिक (सेकंडरी) तार (लीड में) वोल्टेज में कमी को न्यूनतम किया जा सके।
- 8.27 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मीटर के परीक्षण संबंधी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रमाणिक मीटर परीक्षणशाला तैयार करेगा या अन्य प्रमाणिक परीक्षणशाला की सेवा प्राप्त करेगा।
- 8.28 उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण या तो स्थल पर किया जायेगा अथवा उसे परीक्षण किये गये मीटर से बदला जायेगा। उपभोक्ता के स्थल पर 650 वोल्ट तक के मीटर के परीक्षण में किये मीटर से बेहतर परिशुद्धता वाले प्रमाणिक संदर्भ मीटर उपयोग में लाया जायेगा। 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट वाले उपभोक्ता मीटर के परीक्षण में सभी मीटरिंग उपकरण यथा करेन्ट ट्रांसफार्मर (सी.टी.) तथा वोल्टेज ट्रांसफार्मर (व्ही.टी.) सम्मिलित होने चाहिए।
- 8.29 सी.टी. तथा व्ही.टी. की परिशुद्धता श्रेणी संबंधित मीटर की परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्ही.टी. या कैपेसिटिव व्ही.टी. होना चाहिए।

मीटर को निम्नलिखित परिशुद्धता श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए –

650 वोल्ट तक	—	1.0 या बेहतर
650 वोल्ट से अधिक और 33 किलोवोल्ट तक	—	0.5s या बेहतर
33 किलोवोल्ट से अधिक	—	0.2s या बेहतर



## अध्याय 9 : बिलिंग

### मीटर वाचन

- 9.1 विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मीटर वाचन की समयावधि आयोग के अनुमोदन के अनुसार होगी। उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मीटर वाचन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।  
जहां तक सम्भव हो मीटर वाचन माह के उसी तिथि को लिया जाये। घरेलू उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर वाचन सिर्फ दिन के प्रकाश अवधि में लेनी चाहिए।
- 9.2 मीटर वाचक / निरीक्षण अधिकारी अपने साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र रखेंगे तथा उसे इस प्रकार पहनेंगे कि वह मीटर रीडिंग के समय दिखाई दे, तथा वे मीटर कार्ड में रीडिंग अंकित करेंगे।
- 9.3 मीटर वाचन हेतु अनुज्ञप्तिधारी मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट (एम आर आई) या अन्य कोई प्रणाली जैसे कि आटोमेटेड मीटर रीडिंग (ए एम आर) या रिमोट मीटर वाचन व्यवस्था का उपयोग कर सकता है। यदि उपभोक्ता इस प्रकार की रीडिंग का रिकार्ड चाहता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मीटर रीडिंग का विवरण उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।
- 9.4 यह मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक संयोजन जहां मीटर वाचन नहीं लिया जा सका, प्रत्येक बंद तथा संदेहास्पद खराब मीटर की सूची प्रति कार्य दिवस के अंत में बनायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में स्थानीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को, तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को देगा जो कि बंद/खराब मीटर व मीटरिंग उपकरण तुरन्त बदलने हेतु जिम्मेदार होंगे। अनुज्ञप्तिधारी समय पर बंद व खराब मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने तथा खपत के सही आकलन हेतु जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व (एकाउण्टेबिलिटी) निर्धारित करते हुए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर क्रियान्वित करेंगे।

### घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा परिसर के परिवर्तन/रिक्त करने की दशा में विशेष मीटर वाचन

- 9.5 कनेक्शन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह परिसर के परिवर्तन अथवा रिक्त होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क कर, विशेष मीटर रीडिंग करवाये।
- 9.6 कनेक्शन का स्वामी/उपयोगकर्ता, परिसर के रिक्त होने या उपयोगकर्ता के परिवर्तित होने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व लिखित में विशेष मीटर वाचन हेतु आवेदन दे सकता है।
- 9.7 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी विशेष मीटर रीडिंग करवाने की व्यवस्था करेगा एवं बिलिंग की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर, उपभोक्ता को अन्तिम बिल प्रदाय करेगा।
- 9.8 अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त सेवा के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों के अनुसार, युक्ति-युक्त शुल्क ले सकता है।
- 9.9 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक विशेष (यूनीक) उपभोक्ता क्रमांक आवंटित करे तथा इसको संबंधित उपभोक्ता को सूचित करे। इस विशेष उपभोक्ता क्रमांक में पोल क्रमांक, ट्रांसफार्मर क्रमांक, 11 किलो वोल्ट फीडर (संभरक) क्रमांक, वितरण

केन्द्र क्रमांक तथा संभाग क्रमांक निहित हो सकते हैं, और इसे विद्युत बिल में दर्शित किया जायेगा।

## बिलिंग

- 9.10 आयोग के प्रचलित विद्युत दर आदेश में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के बिल बनाए जायेंगे।
- 9.11 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन महीने के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता है तो ऐसी दशा में मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार और/या अन्य इसी प्रकार के नियत प्रभारों की, महीने के जितने दिनों के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है, के अनुपातिक आधार पर बिलिंग की जावेगी। दर्ज की गई खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, अनुपातिक रूप से प्रभारित किया जावेगा। इस कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में महीने की अवधि 30 दिवसों की होगी।
- 9.12 यदि किसी कारण से वाचन हेतु मीटर तक पहुंच पाना सम्भव नहीं हो पाता तो मीटर वाचक परिसर में इस आशय का लिखित सूचना पत्र छोड़ेगा कि उपभोक्ता सूचना पत्र में दर्शित तिथि व समय पर वाचन हेतु मीटर उपलब्ध कराए, या स्वयं मीटर वाचन सूचित करे। सूचना के पश्चात भी यदि उपभोक्ता न तो मीटर वाचन सूचित करता है और न ही वाचन हेतु मीटर उपलब्ध कराता है तो अनुज्ञप्तिधारी गत वर्ष के औसत मासिक खपत के आधार पर अंतरकालीन (प्रोव्हीजिनल) बिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 9.13 इस प्रकार औसत आधार पर बिल की गई राशि का समायोजन मीटर रीडिंग के आधार पर बिल किये गये आगामी बिलिंग माह/चक्र (साइकिल) में प्रति माह 50 प्रतिशत खपत मानते हुए किया जायेगा। ऐसे अंतरकालीन बिलिंग एक बार में दो से अधिक बिलिंग माह/चक्र जो भी प्रयुक्त हो, से अधिक नहीं होगा। यदि आगामी मीटर वाचन के लिये भी मीटर उपलब्ध नहीं होता तो उपभोक्ता को निर्धारित दिन व समय पर परिसर खुला रखने हेतु सूचना जारी किया जायेगा। यदि सूचना में दर्शित दिन व समय पर वाचन हेतु मीटर उपलब्ध नहीं होता तो 24 घंटे की नोटिस पश्चात विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन किया जा सकता है।
- 9.14 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से या डाक से बिल भेज सकता है। उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी रजिस्ट्रीकृत डाक से भी बिल भेज सकता है और उपभोक्ता से इस माध्यम से बिल भेजने का खर्च वसूली योग्य होगा।
- 9.15 अनुज्ञप्तिधारी नगद भुगतान के अंतिम दिवस के कम से कम 7 दिवस पूर्व उपभोक्ता को बिल वितरित करेगा।

## बंद व खराब मीटर के प्रकरण में खपत का आकलन

- 9.16 यदि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर बंद/खराब रहता है तो खपत के आकलन व बिलिंग हेतु मार्गदर्शन निम्नानुसार होंगे –
- (ए) यदि जांच (चेक) मीटर भी स्थापित हो –
- (1) यदि मुख्य मीटर बंद हो और जांच मीटर सही कार्यरत हो तो बिलिंग जांच मीटर के अनुसार होगा।
  - (2) यदि दोनों मीटर कार्यरत पाये जाते हैं और इन दोनों मीटरों के खपत का अंतर स्वीकार्य सीमा के भीतर होता है तो बिलिंग मुख्य मीटर के द्वारा दर्शित खपत के आधार पर होगा।

- (3) यदि दोनों मीटर कार्यरत हो परंतु इन दोनों मीटरों के खपत का अंतर स्वीकार्य सीमा से अधिक होता है तो दोनों मीटरों का परीक्षण कर बिलिंग मुख्य मीटर द्वारा दर्शित खपत पर प्रतिशत त्रुटि के आधार पर किया जायेगा।
- (बी) यदि सिर्फ मुख्य मीटर स्थापित किया गया हो तो खपत का रुझान (ट्रेंड) जानने तथा इस निर्णय पर पहुंचने के लिये कि मीटर कब से खराब हुआ है, पिछले तीन वर्षों या संयोजन की तिथि से जो भी कम हो के खपत की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। मीटर के बंद/खराब होने की अवधि के सुसंगत (रीजनेवल) खपत के आकलन हेतु निम्न में से कोई तरीका या उनके सम्मिश्रण अपनाया जा सकता है –
- (1) पिछले तीन माह के औसत खपत के आधार पर – यदि इन तीन माहों में मीटर सही कार्यरत रहा हो तथा खपत में एकरूपता हो।
  - (2) पिछले एक वर्ष के औसत खपत के आधार पर – यदि पिछले एक वर्ष में मीटर सही कार्यरत रहा हो तथा माहवारी खपत में काफी अंतर पाया गया हो।
  - (3) पिछले वर्ष के संबंधित माह के खपत के आधार पर – यदि खपत में मौसम के आधार पर परिवर्तन पाया जाता है और मीटर पिछले वर्ष के संबंधित माह में सही कार्यरत रहा हो।
  - (4) यदि मीटर संयोजन तिथि से बंद/खराब रहा हो या संयोजन के पश्चात पर्याप्त अवधि का विश्वसनीय खपत उपलब्ध न हो तो अच्छा मीटर लगाने के पश्चात के तीन माह/बिलिंग चक्र के औसत खपत पर विचार किया जाये।
  - (5) संतुलित (बैलेंस) भार के प्रकरण में निरीक्षण/परीक्षण के समय यदि तीन फेज 4 तार निम्नदाब मीटर एक फेज में सही कार्यरत नहीं पाया जाता तथा दो फेज में ही कार्यरत पाया जाता है तब अंकित खपत व मांग को 1.5 के गुणन यथा दो फेज अंकित मांग व खपत में 50 प्रतिशत अधिक जोड़ कर बिल किया जाना चाहिए।
  - (6) संतुलित भार के प्रकरण में निरीक्षण/परीक्षण के समय यदि तीन फेज 4 तार निम्नदाब मीटर दो फेज में सही कार्यरत नहीं पाया जाता तथा एक फेज में ही सही कार्यरत पाया जाता है तब अंकित खपत व मांग को 3 के गुणन यथा एक फेज के अंकित मांग व खपत में 200 प्रतिशत जोड़ कर बिल किया जाना चाहिए।
  - (7) यदि इलेक्ट्रानिक मीटर के स्मरण (मेमोरी) से एम आर आई/ए एम आर के माध्यम से उपयुक्त आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उपलब्ध आंकड़ों के अभिकलन (कम्प्यूटेशन) के आधार पर बिलिंग पर निर्णय लिया जायेगा।
  - (8) मीटर का परीक्षण कर प्रतिशत त्रुटि का पता लगा कर प्राप्त प्रतिशत त्रुटि के आधार पर बिलिंग किया जाये।
  - (9) किये गये आकलन को अभिप्रमाणित करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी अन्य आधार यथा संयोजित भार, कार्यअवधि, लोड फेक्टर उसी प्रकार के अन्य संयोजन के खपत, एक्साइज विभाग द्वारा स्वीकृत उद्योग के उत्पादन के आंकड़ों का उपयोग कर सकता है।

9.17 बिलिंग का आधार तथा उसे अंगीकार करने का तर्क उपभोक्ता को बतलाया जाना चाहिए।

- 9.18 बिलिंग का आकलन, उस माह को सम्मिलित करते हुए जिसमें आकलन किया गया हो 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत नहीं पाया गया है जो भी कम हो की अवधि का किया जायेगा तथा मीटर के बदलने तक निरंतर जारी रहेगा।
- 9.19 यदि आकलन की अवधि में भार उस अवधि की तुलना में जिसके आधार पर आकलन किया जा रहा है से कम या अधिक हुआ है तो आकलित मांग व खपत भार में परिवर्तन होने के अनुपात में कम या अधिक किया जायेगा।
- 9.20 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में खराब मीटर पता लगने के दिन से शहरी क्षेत्र में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस के भीतर बदलनी चाहिए। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में त्रुटि की जानकारी के 15 दिवस के भीतर मीटर बदलना चाहिए।
- 9.21 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 हासपावर व अधिक के 100 प्रतिशत कनेक्शनों के अतिरिक्त एक वर्ष में प्रकाश व पंखे तथा पंप के कम से कम 5 प्रतिशत संयोजन का नमूने के तौर पर जांच किया जाये।

### विद्युत बिल की विषय वस्तु

- 9.22 मीटरयुक्त कनेक्शन के बिल में निम्नलिखित विवरण होंगे :-

- (ए) सर्विस कनेक्शन क्रमांक
- (बी) बिल क्रमांक
- (सी) बिल अवधि
- (डी) उपभोक्ता का नाम और पता
- (ई) पोल क्रमांक, जिससे कनेक्शन दिया गया है
- (एफ) वितरण केन्द्र का नाम, पता और दूरभाष क्रमांक
- (जी) बिल जारी करने की तारीख
- (एच) टैरिफ श्रेणी
- (आई) विद्युत दर, विद्युत शुल्क एवं उपकर की लागू दरें
- (जे) अनुबन्ध/संविदा भार/माँग
- (के) एक फेज अथवा तीन फेज कनेक्शन
- (एल) मीटर की पहचान का विवरण
- (एम) वाचन दिनांक — पूर्व तथा वर्तमान
- (एन) मीटर वाचन — पूर्व तथा वर्तमान
- (ओ) आंकलित खपत
- (पी) राशि जो उपभोक्ता द्वारा जमा है
- (क्यू) बिल आधार
- (आर) मीटर किराया

- (एस) चालू माह के प्रभार – ऊर्जा प्रभार, नियत/मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार, वी.सी.ए. चार्ज, विद्युत शुल्क, उपकर, मीटर किराया, वेल्लिंग/ केपेसिटर अधिभार, सुरक्षा निधि किश्त, रियायत राशि, अन्य यदि कोई हो ।
- (टी) बकाया विद्युत प्रभार, विलम्बित भुगतान पर अधिभार का बकाया
- (यू) बिल वितरण प्रभार, यदि लागू हो
- (व्ही) कुल प्रभार
- (डब्ल्यू) विलम्ब भुगतान अधिभार
- (एक्स) भुगतान की अंतिम तिथि ... चेक द्वारा और नगद भुगतान हेतु
- (वाय) प्राधिकारी जिसके पक्ष में चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी किए जाने हैं (बिल के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित किए जाएं)
- (जेड) सुरक्षा निधि, जो जमा है एवं जो लेना है।
- (एए) पिछले भुगतान का पुष्टिकरण : भुगतान की राशि व दिनांक
- 9.23 निम्नलिखित जानकारी भी बिल के साथ नत्थी कर अथवा बिल पर छपवाकर अथवा मुद्रांकित की जाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना होगी :-
- (ए) संग्रहण केन्द्रों के नाम/पते
- (बी) बिलों के संग्रहण के लिए कार्यालयीन समय
- (सी) प्राधिकारी का पद तथा पता, जिसको बिल, मीटर, मीटर वाचन, इत्यादि से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं
- (डी) कोई अन्य संदेश जो कि अनुज्ञप्तिधारी देना चाहे, जैसे – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के बाद रखे जाने वाले बिल के भाग पर, उपभोक्ता से उसका फोन नम्बर (यदि हो तो) दर्शाने का अनुरोध करना । यह जानकारी उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संसूचना के लिए उपयोग की जा सकती है।
- 9.24 बिल में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी उचित समझे।
- 9.25 उपभोक्ता को दूरभाष/मोबाइल पर मार्गदर्शन तथा जानकारी देने हेतु अनुज्ञप्तिधारी केन्द्र तथा सम्भागीय स्तर पर आवाज पर आधारित शिकायत दर्ज कराने संबंधी सुविधा सहित (व्हाइस बेस्ड कम्प्लेन्ट रिकार्डिंग फेसीलिटी) कॉल सेंटर/कंजूमर केयर सेंटर स्थापित करेगा। उपभोक्ता द्वारा अपना संयोजन क्रमांक तथा पता बतलाये जाने पर उसे भुगतान की स्थिति, बकाया राशि की स्थिति, अधिकृत भार, संविदा मांग आदि की जानकारी दी जाये।
- पूरक (नियमित बिल के अलावा अन्य) बिल**
- 9.26 अतिरिक्त सुरक्षा निधि तथा नियमित मासिक बिल के अतिरिक्त अन्य बिल यथा लेखा परीक्षा (ऑडिट) की वसूली हेतु अलग से (पूरक) बिल जारी किया जायेगा।
- 9.27 विद्युत के प्रतिकूल (प्रीज्युडीशियल) उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रकरण के पूरक बिल के साथ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को पूरक बिल जारी करने के कारण, आधार तथा बिलिंग अवधि का लिखित विवरण देते हुए भुगतान के लिये 15 दिवस की नोटिस जारी करेगा। विद्युत के प्रतिकूल उपयोग की बिलिंग हेतु इस संहिता की कंडिका 11.10 से 11.26 तथा 11.33 से 11.39 में दर्शित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

- उपभोक्ता बिल को स्वीकार कर पूरक बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में पूरक बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.28 उपभोक्ता पूरक बिल प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर यदि आवश्यकता हो पूरक बिल संबंधी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर भुगतान हेतु 7 दिवस का समय देते हुए प्रेषित किया जायेगा।  
उपभोक्ता बिल को स्वीकार कर पूरक बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में पूरक बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.29 उपभोक्ता अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर/पूरक बिल जारी होने के 15 दिवस के भीतर जैसी स्थिति हो, बिल जारीकर्ता अधिकारी को लिखित एतराज यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी सुनवाई का युक्तिसंगत मौका देकर तथा उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित आधारभूत तथ्य पर विचार कर जारी किये गये पूरक बिल की समीक्षा/पुष्टि कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने के कारण दर्शाते हुए उपभोक्ता को भुगतान हेतु 7 दिवस का समय देगा।  
उपभोक्ता इस बिल को स्वीकार कर बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में इस बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.30 पूरक बिल की समीक्षा/पुष्टि से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता निम्नदाब संयोजन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित कार्यपालन अभियंता या समकक्ष तथा उच्च व अति उच्चदाब संयोजन की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता या समकक्ष या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदांकित अन्य किसी अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते कि बिल किये गये राशि का 50 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी को जमा कर उसका दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवेदन के साथ जमा किया जाये।
- 9.31 अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है दोनों पक्षों को सुन कर उपभोक्ता के प्रतिवेदन के 30 दिवस के भीतर अपना निर्णय सूचित करेंगे। सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये वस्तुस्थिति पर समुचित विचार कर स्पष्ट आदेश जारी करेगा। आदेश में उपभोक्ता द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत तथ्य तथा उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारण भी समाहित होंगे। उपभोक्ता को आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित बिल जारी किया जायेगा जो 7 दिवस में भुगतान योग्य होगा।  
उपभोक्ता इस बिल को स्वीकार कर बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में इस बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.32 यदि अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस निर्णय पर पहुंचता है कि पूरक बिल जारी करने का कोई आधार नहीं बनता या इस संबंध में पूर्व में भुगतान की गई राशि वास्तविक देय राशि से अधिक है, तो शेष राशि उपभोक्ता के खाते में आगामी माह के बिल में वापसी योग्य राशि पर भुगतान के दिवस तक 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर ब्याज के साथ क्रेडिट किया जायेगा।
- 9.33 यदि उपभोक्ता अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह अधिनियम की धारा 42(5) के प्रावधान के तहत निर्मित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जा सकता है।
- 9.34 अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारी/कर्मचारी को संयोजन के प्रकार/भार/पूरक बिल की राशि आदि के आधार पर पूरक बिल जारी करने हेतु नामित/अधिकृत कर सकता है।

## अध्याय – 10: बिल का भुगतान, विद्युत आपूर्ति का अस्थाई व स्थाई विच्छेदन

### बिल का भुगतान

- 10.1 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये बिल के अनुसार उपयोग किये गये शक्ति (पावर) तथा खपत किये गये ऊर्जा (एनर्जी) का प्रतिमाह भुगतान करेंगे।
- 10.2 अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों के पते/स्थान तथा उनके कार्यकारी घण्टे, जिसमें उन बैंको को भी सम्मिलित किया जाय जहाँ उपभोक्ता भुगतान कर सकता है, का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी भुगतान के अधिकतम वैकल्पिक तरीके, जैसे नकद, स्थानीय चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति (ई.सी.एस.) एवं क्रेडिट/डेबिट-कार्ड आदि उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेगा।
- 10.3 ऐसे दिवसों में, जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग से कतार लगाकर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें प्राथमिकता देगा।
- 10.4 संग्रहण केन्द्रों पर एक से अधिक उपभोक्ताओं के बिल भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। इस सुविधा हेतु अलग खिड़की रखी जायेगी जिससे अन्य उपभोक्ताओं का प्रतीक्षा समय न बढ़े।
- 10.5 संग्रहण केन्द्रों का कार्यभार कम करने के लिये, रु. 5,000/- (पांच हजार) से ज्यादा की राशि के सभी बिलों का भुगतान, संबन्धित बैंक की स्थानीय शाखा में देय चेक/बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से करना होगा।
- 10.6 अनुज्ञप्तिधारी, ड्राप बाक्स के माध्यम से भुगतान लेने का प्रबंध करेगा, जिसमें उपभोक्ता केवल आदाता खाता के रेखांकित चेक डाल सकेगा। बिल भुगतान हेतु कतार में खड़े होने से बचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों एवं समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर, ड्राप बाक्स रखेगा। चेक बिल में दर्शित अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के नाम पर लिखा जाना चाहिये। चेक के पीछे सर्विस कनेक्शन क्रमांक, उपभोक्ता का नाम के साथ दूरभाष/मोबाईल क्रमांक, यदि कोई हो, स्पष्ट शब्दों में लिखा जावे। यदि बैंक द्वारा कोई शोधन प्रभार वसूल किया जाता है तो वह राशि उपभोक्ता से पश्चात्वर्ती बिलों में वसूल योग्य होगी।
- 10.7 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तारीख, बिल जारी किये जाने की तारीख से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी। यदि बिल में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो अगला कार्यदिवस अंतिम तिथि माना जाएगा।
- 10.8 चेक अस्वीकृत होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की सुरक्षा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा। देर से भुगतान का सरचार्ज लेने सहित अनुज्ञप्तिधारी को चेक के अस्वीकृत होने का शोधन भार लेने और विधि सम्मत अन्य कार्यवाही करने के अतिरिक्त, भविष्य में डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान देने का आग्रह करने का अधिकार होगा।
- 10.9 बिल प्राप्त होने की निर्धारित तिथि तक बिल प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता बिल जारी करने वाले कार्यालय से सम्पर्क कर बिल की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है तथा बिल का भुगतान कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी बिल प्राप्त न होने के कारणों का पता लगायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में उपभोक्ता को बिल समय पर प्राप्त होने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

- 10.10 भुगतान प्राप्त होने के पश्चात रसीद संबंधित उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि को प्रदान की जायेगी।
- 10.11 उपभोक्ता, आगामी बिलों के भुगतान के लिए अग्रिम के रूप में रकम जमा कर सकता है, जो उत्तरवर्ती माहों के बिलों में समायोजित की जाएगी। तथापि, अग्रिम भुगतान में से सिर्फ नियमित बिलों की राशि का ही समायोजन किया जावेगा। किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन करने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी, अग्रिम भुगतान के प्रकरणों में टैरिफ आदेश के अनुसार उचित रियायत देगा।
- 10.12 बिल की गई रकम के भुगतान में चूक करने वाले समस्त उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर पर, बकाया राशि पर, विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान करने को बाध्य होंगे।  
अंतिम तिथि के बाद भुगतान स्वीकार करते समय भुगतान योग्य अधिभार की गणना की जायगी और सामान्य बिल राशि के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान लिया जायगा।
- 10.13 उपभोक्ता द्वारा दिये समस्त भुगतान, प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में समायोजित होंगे:—  
(ए) वर्तमान माह के उपभोग पर विद्युत शुल्क और उपकर  
(बी) विद्युत शुल्क का बकाया और उपकर का बकाया  
(सी) विलम्ब भुगतान अधिभार  
(डी) बकाया का शेष, यदि कोई हो  
(ई) वर्तमान बिल की राशि।
- 10.14 **किश्तों में भुगतान की सुविधाएं:**  
अनुज्ञप्तिधारी, देय राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए किश्त सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति अधिकथित करेगा। इस नीति में किश्त सुविधा स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को पदांकित किया जायेगा।
- 10.15 **विवादित/गलत मासिक बिल :**  
(ए) बिल रकम के संबंध में किसी आपत्ति की दशा में उपभोक्ता, विद्युत बिल में दर्शाये गये पदांकित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति असहमति के अधीन निम्नलिखित राशि का भुगतान करता है तो उसका विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा :—  
(i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा  
(ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि।  
अनुज्ञप्तिधारी एवं उपरोक्त के बीच विचाराधीन विवाद के निपटारे तक, इनमें से जो भी कम हो।  
(बी) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में उपलब्ध शिकायत के प्रारूप में पदांकित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जाएगी। कार्यालय में ऐसे प्रारूप के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित विवरण के साथ एक सादे कागज पर शिकायत की जा सकेगी:—  
(i) उपभोक्ता के नाम और पते के साथ टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, यदि कोई हो,



- (ii) सर्विस कनेक्शन क्रमांक
- (iii) कनेक्शन की श्रेणी/प्रयोजन
- (iv) संक्षिप्त में शिकायत का विवरण

पदांकित अधिकारी विवाद को लिखित शिकायत की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों की कालावधि के भीतर निपटायेगा और यदि कोई कमी हो तो कारण बताते हुए संभाग के प्रभारी अधिकारी व उपभोक्ता को प्रतिवेदन भेजेगा।

- (सी) शिकायत की जाँच करने पर यदि बिल त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को भुगतान हेतु पुनरीक्षित अंतिम तारीख दर्शाते हुए, जो कि पुनरीक्षित बिल जारी करने के 7 (सात) दिवसों से कम नहीं हो, सही किया पुनरीक्षित बिल देगा। उपभोक्ता द्वारा जमा की गई अधिक राशि, यदि कोई पाया गया हो का समायोजन पश्चात्पूर्वी बिलों में किया जाएगा।
- (डी) यह साबित हो जाने की दशा में कि मूल बिल सही था, तब उपभोक्ता को अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान विलंब प्रभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तदनुसार सूचित किया जाएगा।
- (ई) विवाद पर दिये गये निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में दर्शाये अनुसार आगे कार्यवाही कर सकता है।

### विधिक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी

- 10.16 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान हेतु बाध्य होगा। विधिक उत्तराधिकारी तीन माह के भीतर संयोजन अपने नाम पर स्थानांतरित करा लेगा अन्यथा इस संहिता की नियम, शर्तें तथा उक्त संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये अनुबंध प्रभावशील रहेंगे।

### अस्थाई विच्छेदन :

- 10.17 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है। उपभोक्ता के सर्विस कनेक्शन का विच्छेदन करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्ट 15 (पंद्रह) दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के बालिग सदस्य को सूचित किया जाए। यदि विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विच्छेदन के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में दिए प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी कड़ाई से पालन करेगा।
- 10.18 किसी उपभोक्ता द्वारा देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली-योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो।
- 10.19 अस्थाई विच्छेदन के पश्चात्, आपूर्ति तभी शुरू की जाएगी, जब उपभोक्ता बकाया प्रभार/देय/किश्त की रकम, कनेक्शन काटने – जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।

- 10.20 यह अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि भुगतान न होने की स्थिति में बिना अस्थाई विच्छेदन के अधिकतम तीन माह की युक्तिसंगत अवधि से अधिक न रहे। अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान न होने के सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाये तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थाई विच्छेदन, तत्पश्चात अस्थाई विच्छेदन हेतु समयबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

#### उपभोक्ता के निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन—

- 10.21 यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन अस्थाई रूप से छः माह तक की अवधि हेतु विच्छेदित करवाना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के लिए उपभोक्ता ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों जैसे मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार, मीटर किराया आदि का अग्रिम भुगतान करने को बाध्य होगा। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता विच्छेदन संयोजन प्रभार का भुगतान करने को भी बाध्य होगा। उपभोक्ता के लिखित निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन की अवधि आवश्यक प्रभारों के अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई जा सकती है।

#### स्थाई विच्छेदन तथा अनुबंध की समाप्ति —

- 10.22 अस्थाई विच्छेदन के पश्चात यदि उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान कर विद्युत आपूर्ति के पुनः संयोजन हेतु आगे नहीं आता है, तो संहिता की कंडिका 7.36/7.37 जो भी प्रयुक्त हो में दर्शित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबंध की समाप्ति कर संयोजन का स्थाई विच्छेदन किया जायेगा।

#### असंयोजित निम्नदाब औद्योगिक तथा उच्चदाब कनेक्शन —

- 10.23 यदि निम्नदाब औद्योगिक / उच्चदाब उपभोक्ता जो कि एक माह/तीन माह जो भी प्रयुक्त हो के उपभोक्ता परिसर तक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो जाने की सूचना अवधि बीत जाने पर भी संयोजन नहीं ले पाता तो उपभोक्ता को संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार मांग/स्थाई प्रभार बिल किया जायेगा। जब उपभोक्ता अपनी तैयारी पूर्ण कर संयोजन लेने हेतु आता है तब पूर्व में किये गये बिलिंग में परिवर्तन कर वास्तविक संविदा मांग/भार को छोड़कर निम्नलिखित कम किये गये भार/मांग के आधार पर अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि से बिल कर संशोधित बकाया राशि के भुगतान पश्चात संयोजन प्रदान किया जायेगा। कम किये गये भार/मांग के आधार पर बिल किये गये अवधि के तुल्य अनुबंध अवधि में वृद्धि की जायेगी—

50 हार्सपावर तक के निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता	10 हार्सपावर
50 हार्सपावर से अधिक निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता	20 हार्सपावर
11 के.व्ही. व 33 के.व्ही. के उच्चदाब उपभोक्ता	60 के.व्ही.ए.

- 10.24 यदि उपभोक्ता कंडिका 10.23 में दर्शित उपरोक्त अनुबंध अवधि में संयोजन प्राप्त नहीं करता तो अनुबंध समाप्त होने की तिथि से बिलिंग बंद कर दी जायेगी। वास्तविक भार/मांग को छोड़ कर इस संहिता की उपरोक्त कंडिका 10.23 में दर्शित कम भार/मांग के आधार पर बिलिंग में संशोधन किया जायेगा।
- 10.25 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात संयोजन लेने हेतु आता है तो उसे नया संयोजन माना जायेगा तथा बकाया राशि यदि कोई हो के भुगतान पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**विच्छेदित निम्नदाब औद्योगिक तथा उच्चदाब उपभोक्ता**

10.26 यदि निम्नदाब औद्योगिक/उच्चदाब उपभोक्ता का विद्युत आपूर्ति अनुबंध अवधि में विच्छेदित हो जाता है तो मांग/स्थिर प्रभार संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार बिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता बिना भुगतान के 2 माह की अवधि तक विच्छेदित रहता है तो, उपभोक्ता को संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में बकाया राशि के भुगतान कर आपूर्ति पुनः चालू कराने, अन्यथा मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल दिये जाने बावत् 15 दिवस की नोटिस जारी की जायेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो 15 दिवस की पुनः नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के बिलिंग माह के 6 माह पश्चात या उस माह की अंतिम तिथि जब अनुबंध अवधि समाप्त होती है जो भी पहले हो को मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिया जायेगा।

10.27 यदि उपरोक्त कंडिका 10.26 में दर्शित उपभोक्ता अनुबंध अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति लेने आता है और यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण हटा लिये गये हैं तो नया परीक्षण प्रपत्र/विद्युत निरीक्षक के स्वीकृति जमा करने पर, पुनः लगा कर संयोजन प्रदान किये जायेंगे।

10.28 यदि उपरोक्त कंडिका 10.26 में दर्शित उपभोक्ता अनुबंध अवधि के समाप्त होते तक विद्युत संयोजन हेतु नहीं आता तो वास्तविक संविदा मांग/भार को छोड़ कर निम्नलिखित मांग/भार के आधार पर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन होने की तिथि से अनुबंध की अवधि समाप्त होने की अवधि तक की पूर्व में किये गये बिलिंग में संशोधन किया जायेगा: —

50 हार्सपावर तक के निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता	10 हार्सपावर
50 हार्सपावर से अधिक के औद्योगिक उपभोक्ता	20 हार्सपावर
11 के.व्ही. व 33 के.व्ही. के उच्चदाब उपभोक्ता	60 के.व्ही.ए.

10.29 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात संयोजन लेने हेतु आता है तो उसे नया संयोजन माना जायेगा तथा बकाया राशि यदि कोई हो के पूर्ण भुगतान पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

## अध्याय – 11: विद्युत प्रदाय का प्रतिकूल उपयोग

- 11.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी तथा अनाधिकृत उपयोग तथा विद्युत संयन्त्रों, लाइनों, उपकरणों तथा मीटरों को छेड़-छाड़, खतरे में डालने, क्षति पहुँचाने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।
- 11.2 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति का ऐसी रीति से उपयोग नहीं करेगा जिसके लिए वह अधिकृत न हो, या जो अधिनियम व इस संहिता के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के हितों के प्रतिकूल हो।

### उपभोक्ता परिसर तक पहुँच

- 11.3 अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग, उपकरणों में अनाधिकृत परिवर्धन (एडिशन) व परिवर्तन (आल्टरेशन) विद्युत की चोरी तथा दुरुपयोग, विद्युत के दूसरे स्थल में उपयोग, मीटर से छेड़छाड़ व बाईपास की जांच करने तथा सामान्य निरीक्षण व परीक्षण हेतु उपभोक्ता को सूचित करने के तुरन्त पश्चात परिसर में प्रवेश करने हेतु अधिकृत हैं। विद्युत के अनाधिकृत उपयोग, उपकरणों में अनाधिकृत परिवर्धन व परिवर्तन, विद्युत की चोरी तथा दुरुपयोग, विद्युत के दूसरे स्थल में उपयोग, मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम तथा इस संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- 11.4 किसी भी घरेलू स्थल या घरेलू परिसर का निरीक्षण, परीक्षण तथा जांच उस परिसर में रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति के सिवाय सूर्यास्त व सूर्योदय के मध्य नहीं करना चाहिए।
- 11.5 यदि उपभोक्ता उपरोक्त कंडिका 11.3 में दर्शित प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को परिसर में प्रवेश हेतु समुचित सुविधा प्रदान नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत विच्छेदन हेतु 24 घंटे की नोटिस जारी कर सकता है। इसके पश्चात भी यदि उपभोक्ता पहुँच उपलब्ध नहीं कराता तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने हेतु अधिकृत होगा।
- 11.6 अनुज्ञप्तिधारी का निरीक्षण दल जो कि किसी अधिकारी के नेतृत्व में होगा अपने साथ फोटो पहचान पत्र रखेंगे। परिसर में प्रवेश के पहले फोटो पहचान पत्र उपभोक्ता को दिखलाया जाना चाहिए।
- 11.7 निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण दल के सदस्य तथा उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ता रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो यह निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित करना चाहिए तथा इसकी एक प्रति उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि जो स्थल पर उपस्थित हो को तुरन्त प्रदान कर उसकी पावती ली जायेगी। यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने या पावती देने से इंकार किया जाता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के भीतर/बाहर स्पष्ट दर्शित स्थल पर चस्पा कर फोटोग्राफ लिया जायेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति उपभोक्ता को निरीक्षण दिवस या उसके अगले दिवस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी।

### विद्युत का अनाधिकृत उपयोग

- 11.8 विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का तात्पर्य विद्युत का उपयोग –
- ( i ) किसी कृत्रिम साधन से या

- (ii) ऐसे साधनों द्वारा जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किये गये या
  - (iii) छेड़खानी किये गये मीटर से या
  - (iv) जिस प्रयोजन के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया है उससे भिन्न प्रयोजन से है।
- अतः उपरोक्त (ii) में निम्नलिखित समाहित है –
- (ए) जिस परिसर या क्षेत्र के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया है उससे भिन्न परिसर या क्षेत्र में उपयोग
  - (बी) मीटर के स्थापना स्थल में परिवर्तन

### खपत का आकलन

- 11.9 यदि किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण करने पर या उपकरण, गजेट्स, मशीन या यंत्र का संयोजन या उपयोग करते पाये जाने पर या किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड के निरीक्षण के आधार पर यदि आकलनकर्ता अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में लिप्त है तो वह अपने सर्वोत्तम विवेक से ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति जो कि ऐसे उपयोग से लाभान्वित हुए हैं द्वारा संबंधित अवधि के पूर्व भुगतान का समायोजन कर देय विद्युत बिल की राशि का अंतरकालीन (प्रोव्हीजनल) आकलन करेगा।
- 11.10 आकलनकर्ता/अधिकृत प्राधिकारी विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के पूर्ण काल का बिल तैयार करेगा। यदि इस काल का आकलन न हो सके तो यह निरीक्षण दिवस के पूर्व अधिकतम 12 माह तक की अवधि का होगा।
- 11.11 यदि संयोजन प्रदान किये एक वर्ष से कम अवधि हुआ है या संयोजन की पिछले एक वर्ष की अवधि में जांच की गई है तो आकलन की अवधि कनेक्शन प्रदान करने की तिथि से या कनेक्शन जांच करने की तिथि से जो भी कम हो, होगी।
- 11.12 आकलन निरीक्षण के समय पाये गये उपयोग से संबंधित श्रेणी के उपभोक्ता के लिये लागू टैरिफ के दो गुना दर पर किया जायेगा।
- 11.13 यदि मीटर द्वारा अंकित खपत सही पाया जाता है और उस पर कोई मत भिन्नता नहीं है तो मीटर द्वारा दर्शित खपत पर प्रयुक्त योग्य टैरिफ के दुगुने दर से बिल किया जायेगा।

### अंतरकालीन (प्रोविजनल) तथा अंतिम आकलन

- 11.14 वितरण कम्पनी में निम्नलिखित अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (रूल्स) में अंतरकालीन (प्रोविजनल) तथा अंतिम आकलन हेतु अधिकृत किये गये हैं जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं—
- (1) सहायक इंजीनियर पद के अधिकारी — 15 किलोवाट तक के निम्नदाब संयोजन
  - (2) कार्यपालन इंजीनियर पद के अधिकारी— 15 किलोवाट से अधिक के सभी निम्नदाब संयोजन
  - (3) अधीक्षण इंजीनियर या उच्च पद के अधिकारी— सभी उच्च व अति उच्चदाब संयोजन

यदि उच्चाधिकारी द्वारा स्वयं परिसर का निरीक्षण किया गया है तो ऐसे उच्चाधिकारी उपरोक्तानुसार आकलनकर्ता अधिकारी के अधिकार का उपयोग करेंगे।

- 11.15 अंतरकालीन आकलन के आदेश उस स्थल के अधिवासी या आधिपत्यधारी या स्थल/परिसर के प्रभारी को निरीक्षण के 3 कार्य दिवस के भीतर नियम (रूल्स) में दर्शाये गये तरीके के अनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रदान कर पावती ली जायेगी।
- 11.16 वह व्यक्ति जिसे उपरोक्त कंडिका 11.15 के अनुसार अंतरकालीन आकलन का बिल भेजा गया है, ऐसे आकलन को स्वीकार कर आकलित राशि के बिल प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भुगतान कर सकता है।
- 11.17 वह व्यक्ति जिसे उपरोक्त कंडिका 11.15 के अनुसार नोटिस जारी की गई है, अंतरकालीन आकलित बिल प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा नियम (रूल्स) में अधिकृत अधिकारी को लिखित एतराज प्रस्तुत कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तिसंगत मौका देकर अंतरकालीन आकलन आदेश के दिन से एक माह के भीतर अंतिम आकलन आदेश जारी करेंगे।
- 11.18 सुनवाई के समय आकलनकर्ता अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक तथ्य पर विचार कर यह दर्शित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी करेगा कि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग साबित होता है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सारांश, उपभोक्ता द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत मौखिक व लिखित तथ्य तथा उसके स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के कारण समाहित होने चाहिए।
- 11.19 वह व्यक्ति जिसे अंतिम आकलित आदेश जारी किया गया है ऐसे आकलन को स्वीकार कर अनुज्ञप्तिधारी से आकलित आदेश प्राप्त करने के 7 दिवस के भीतर राशि जमा कर सकता है।
- 11.20 अंतिम आकलित बिल के प्रदान करने के 7 दिवस के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में 15 दिवस की नोटिस जारी कर संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा जो कि तब तक पुनर्संयोजित नहीं किया जायेगा जब तक आकलित राशि का भुगतान नहीं किया जाता। भुगतान न होने की स्थिति में उक्त राशि आगामी मासिक बिल में बकाया राशि के रूप में दर्शित कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

### अंतिम आकलन के विरुद्ध अपील

- 11.21 कोई व्यक्ति जो अंतिम आकलन आदेश से असंतुष्ट हो अंतिम आदेश के 30 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा नियम में अधिकृत अपीलेट प्राधिकारी को अपील कर सकता है, बशर्ते कि अंतिम आकलित राशि के 1 प्रतिशत फीस जो कि कम से कम रु.500/- अधिकतम रु. 10,000/- जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये सहित अंतिम आकलित राशि का 50 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी का जमा कर उसका दस्तावेजी प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत करे।
- 11.22 वितरण कम्पनी के निम्नलिखित अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (रूल्स) में अपीलेट प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किये गये हैं जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं—
  - (i) अगला उच्चाधिकारी – कार्यपालन इंजीनियर – 15 कि.वा. तक सभी निम्नदाब संयोजन
  - (ii) अगला उच्चाधिकारी— अधीक्षण इंजीनियर— 15 कि.वा. से अधिक सभी निम्नदाब संयोजन

## (iii) अगला उच्चाधिकारी – मुख्य इंजीनियर – सभी उच्च व अति उच्चदाब संयोजन

यदि उच्चाधिकारी द्वारा परिसर का स्वयं निरीक्षण किया गया हो व अंतिम आकलन आदेश जारी किया गया हो तो ऐसे अधिकारी का अगला उच्चाधिकारी अपीलेट प्राधिकारी होगा।

- 11.23 अपीलेट प्राधिकारी दोनों पक्षों को सुन कर अपील स्वीकार करने के 30 दिवस के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करेगा, तथा आदेश की प्रति आकलनकर्ता अधिकारी व आवेदनकर्ता को प्रेषित करेगा। अपीलेट प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा आगे अपील योग्य नहीं होगा।
- 11.24 अपीलेट प्राधिकारी के आदेश के अनुसार उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया जायेगा जो कि 7 दिवस के भीतर भुगतान योग्य होगा। यदि उपभोक्ता उपरोक्त अपीलेट प्राधिकारी के आदेश समेत बिल जारी करने के 7 दिवस के भीतर भुगतान नहीं करता तो 15 दिवस की नोटिस जारी करने के पश्चात विद्युत संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा और तब तक पुनर्संयोजित नहीं होगा जब तक राशि का भुगतान न कर दिया जाये। भुगतान न किये जाने की दशा में उक्त राशि आगामी माह के नियमित बिल में बकाया राशि के रूप में जोड़ दिया जायेगा तथा वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
- 11.25 जब कोई व्यक्ति आकलित राशि का भुगतान नहीं करता तो वह आकलित आदेश के 30 दिवस के पश्चात आकलित राशि सहित अधिनियम की धारा 127 के प्रावधान के अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) ब्याज का भी देनदार होगा।
- 11.26 यदि अपीलेट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का कोई आधार नहीं बनता, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्संबंध में उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) आगामी माह के बिल में समायोजन तक की अवधि के ब्याज सहित वापस की जायेगी। अपीलकर्ता 16 प्रतिशत, प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) की दर से जब तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक की अवधि के ब्याज सहित जमा की गई राशि नगद रूप से मांग सकता है।

**अनुबंध से अधिक भार/अधिकतम मांग**

- 11.27 उपभोक्ता के भार में वृद्धि/संविदा मांग से अधिक मांग के प्रकरण पर संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 11.28 जहां एक ही क्षमता के दो मोटर एक ही डेलीवरी पाइप से ऐसे जुड़े हों कि एक बार में एक ही मोटर का उपयोग हो सकता हो अर्थात् जब एक मोटर आकस्मिक स्थिति के लिये लगाया गया हो तो ऐसे प्रकरण में बिलिंग हेतु एक ही मोटर को आधार बनाया जायेगा।

**विद्युत की चोरी**

- 11.29 अधिनियम की धारा 135 में विद्युत चोरी के बारे में यह बतलाया गया है कि जो कोई भी बेईमानी पूर्वक—
- किसी अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता जैसा भी मामला हो, के शिरोपरि भूमिगत अथवा जलगत लाइनों या परिवेषण तार (केबल) या सर्विस लाइन या सेवा सुविधाओं से अपकर्षण या संयोजन करेगा अथवा ऐसा करवायेगा अथवा
  - मीटर से छेड़खानी (विकृत) करेगा या विकृत मीटर स्थापित या प्रयुक्त करेगा, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर, लूप संयोजन अथवा किसी अन्य साधनों या विधि से जिसके द्वारा विद्युत धारा का त्रुटि होने व उचित अंकन, परिगणना अथवा मापन में हस्तक्षेप करता है

या अन्यथा जिसका परिणाम ऐसी रीति में विद्युत चोरी या उसका अपव्यय होता हो अथवा

- (iii) विद्युत के उचित व त्रुटिहीन मापन में हस्तक्षेप करते हुए विद्युत मीटर, यंत्र उपकरण, या तारों को क्षति पहुंचाता है या उन्हें नष्ट करता है या करवाता है या किसी को ऐसा करने देता है, ताकि उससे विद्युत का खींचना (एक्सट्रेक्ट), उपभोग/उपयोग किया जा सके अथवा
- (iv) किसी विकृत मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करता है, अथवा
- (v) विद्युत के अधिकृत उपयोग के सिवाए किसी अन्य उद्देश्य के लिये विद्युत का उपयोग करता है। वह अधिनियम की धारा 135 के तहत दंड का भागी होगा।

11.30 अधिनियम की धारा 135 उपधारा (2) से संबंधित विद्युत चोरी के प्रकरण का पता लगाने हेतु प्रवेश, खोज, बरामदगी का कार्य राज्य शासन द्वारा नियम में अधिकृत अधिकारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के जूनियर इंजीनियर से नीचे पद के नहीं होंगे तथा ऐसे प्रवेश, खोज व बरामदगी उसमें दर्शित प्रक्रिया के तहत किये जायेंगे।

11.31 विस्तृत जांच पश्चात यदि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उपभोक्ता के विरुद्ध बेईमानी पूर्वक विद्युत के खींचने (एक्सट्रेक्ट), उपयोग या उपभोग का प्रथमतः (प्राइमाफेसी) प्रकरण बनता है जो अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता जैसा मामला हो ऐसे विद्युत चोरी के प्रकरण की जानकारी पश्चात तुरन्त विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

यह कि ऐसा विच्छेदन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी/आपूर्तिकर्ता निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में जूनियर इंजीनियर या उसके समकक्ष तथा उच्च व अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में कार्यपालन इंजीनियर या उसके समकक्ष जैसा प्रकरण हो से कम नहीं होना चाहिए या अनुज्ञप्तिधारी/आपूर्तिकर्ता के इस कंडिका में दर्शित पद से उच्च पद के अधिकारी हो सकते हैं। यह कि अनुज्ञप्तिधारी/ आपूर्तिकर्ता जैसा प्रकरण हो के ऐसे अधिकारी उस क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में ऐसे घटित अपराध की शिकायत विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के समय से 24 घंटे के भीतर लिखित रूप से करेगा।

11.32 इस संहिता की कंडिका 11.14 में दर्शित राज्य शासन के नियम में अधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 154(5) के प्रावधान के तहत विशेष न्यायालय में प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन होने की स्थिति में विद्युत चोरी का बिल तैयार करेगा।

### आकलन की अवधि

11.33 आकलित राशि संबंधित श्रेणी के उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ के ढाई गुना के बराबर की दर पर विद्युत चोरी के पता लगने के पहले के 12 माह या विद्युत चोरी की वास्तविक अवधि यदि ज्ञात होता है जो भी कम हो के लिए होगा।

आकलन की अवधि का निर्धारण निम्नलिखित दिशा निर्देश या उनके सम्मिश्रण या उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य कोई युक्तिसंगत प्रमाण पर विचार कर किया जायेगा –

- (1) विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने से लेकर विद्युत चोरी पता लगने तक की वास्तविक अवधि।
- (2) मीटरिंग प्रणाली के अवयव जिसमें प्रमाण मिले हैं के बदलने की तिथि से लेकर चोरी के पता लगने तक की अवधि।
- (3) स्थापना के पूर्ववर्ती जांच से लेकर विद्युत चोरी के पता लगने तक की अवधि
- (4) जहां उपलब्ध हो मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट (एम.आर.आई.) द्वारा प्राप्त डाटा भी विचारणीय होगा।



- 11.34 ऐसे आकलन करते समय अधिकृत अधिकारी 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन या और कोई प्रमाण जो वे उपयुक्त समझे पर गौर करेंगे। आकलन अधिकारी आकलन करने के आधार रिकार्ड करेंगे। आकलन अवधि से संबंधित उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान यदि कोई हो, की क्रेडिट दी जायेगी।
- 11.35 अधिकृत अधिकारी नियम में दर्शित प्रावधान के अनुसार 3 कार्य दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से विद्युत चोरी के भुगतान संबंधी आदेश पारित करेंगे।
- 11.36 चोरी के कारणों को दूर करने के 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ कर दी जायेगी बशर्ते कि आकलित राशि का पूर्णरूपेण भुगतान कर दिया गया हो। विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी उसी परिसर में पुनः चोरी होने की सम्भावना दूर करने के सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।
- 11.37 उपरोक्त कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम के अध्याय xv के प्रावधान के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में चोरी में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण चलाने के अपने अधिकार को अप्रभावित करते हुए किया जायेगा।

### उपभोक्ता पर अन्यथा सिद्ध करने की जिम्मेदारी

- 11.38 यदि यह सिद्ध पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत के उपयोग/उपभोग हेतु ऐसा कृत्रिम तरीका अपनाया गया है जिसके लिये वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा जैसा प्रकरण हो से अधिकृत नहीं है तो यह माना जायेगा कि ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी पूर्वक विद्युत का उपयोग/उपभोग किया गया है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाये।

- 11.39 विद्युत चोरी के प्रकरण में खपत आकलन करने का तरीका –

(ए) वर्तमान के संयोजन के संबंध में –

आकलित खपत =  $L \times D \times H \times F$  जहां

L= किलोवाट में वह भार जो निरीक्षण के समय संयोजित पाया जाये

D=दिनों में आकलन की अवधि

H=घंटों में उपयोग प्रतिदिन

F=लोड फैक्टर जो कि अलग-अलग श्रेणी के उपयोग के अनुसार निम्नानुसार लिये जायेंगे—

क्र.	विवरण	लोड फैक्टर
1	उच्चदाब उद्योग	100%
2	उद्योग को छोड़ कर अन्य उच्चदाब संयोजन यथा आवासीय, सामान्य उपयोग पेय जल आदि	75%
3	निम्नदाब उद्योग	75%
4	निम्नदाब गैर घरेलू तथा विविध कृषि	50%
5	निम्नदाब घरेलू	40%
6	निम्नदाब कृषि	50%
7	निम्नदाब पेय जल	50%
8	सड़क बत्ती	50%
9	सीधे चोरी (बिना संयोजन लिये) सभी श्रेणी	100%

H=	घरेलू व सड़क बत्ती को छोड़कर सभी उपभोक्ता	—	8 घंटे
	घरेलू	—	6 घंटे
	सड़क बत्ती	—	12 घंटे

उद्योगों के लिये कार्य अवधि उनके सामान्य कार्य पद्धति के अनुसार निर्णित की जायेगी जो कि 8 घंटे के कम नहीं होगी।

(बी) सीधे चोरी (बिना संयोजन लिये) के प्रकरण में खपत का आकलन –

आकलित खपत =  $L \times D \times H$  जहां

$L$ = किलोवाट में वह भार जो निरीक्षण के समय संयोजित पाया जाये

$D$ = दिनों में आकलन की अवधि

$H$ = घंटों में उपयोग प्रतिदिन जो कि उद्योग के सिवाए अन्य के लिये 8 घंटे होगा। उद्योग के प्रकरण में कार्य अवधि वह ली जायेगी जो उस श्रेणी के उद्योग के लिये सामान्यतः होती है जो कि 8 घंटे से कम नहीं होगी।

### असंयोजित परिसर में विद्युत चोरी (सीधे हूकिंग)

- 11.40 यदि ऐसे परिसर में विद्युत चोरी पकड़ी जाती है जहां कोई नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर की विद्युत आपूर्ति अविलंब विच्छेदित कर देगा तथा ऐसे चोरी के कारणों यथा वितरण मेंस तक लाइन, केबल, संयंत्र, अवैध मोटर और अन्य उपकरण जो कि विद्युत चोरी के प्रयोजन में उपयोग हो रहे हों को अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों व प्रक्रिया के अंतर्गत तुरन्त हटा देगा। अनुज्ञप्तिधारी तत्पश्चात भविष्य में विद्युत चोरी की सम्भावना को रोकते हुए लाइन, केबल या उपकरण हटा देगा/स्थानांतरित कर देगा या बदल देगा बशर्ते कि इस कारण अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रभावित न हो तथा उन्हें असुविधा न हो।

### चोरी की शंका की स्थिति में प्रक्रिया

- 11.41 बिजली चोरी की शंका की स्थिति में अधिकृत अधिकारी जब्ती बनाते हुए मीटर हटा लेगा तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष मीटर सील करेगा। अधिकृत अधिकारी व उपभोक्ता मीटर पर लगे सील पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चोरी की शंका के कारणों को दर्शित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता नया मीटर लगा कर विद्युत आपूर्ति चालू रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी के मीटर परीक्षणशाला में अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की उपस्थिति में पुराने मीटर का परीक्षण किया जायेगा। लिखित में दिये गये परीक्षण परिणाम, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ यदि कोई हो तो इसके प्रमाण स्वरूप होंगे।

यह कि यदि उपभोक्ता आग्रह करता है तो मीटर का परीक्षण आयोग द्वारा स्वीकृत तृतीय पक्ष यदि कोई हो या विद्युत निरीक्षक की उपस्थिति में हो सकता है।

- 11.42 सिर्फ मीटर पर सील के गायब होने, टेंपर (विकृत) होने या मीटर के कांच टूटने पर बिजली चोरी का प्रकरण तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक उपभोक्ता के खपत के आधार या अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध न हो।
- 11.43 यदि 10 किलोवाट से अधिक संयोजन के उपभोक्ता को भार में बाधा डालने, विद्युत के उपयोग या उपभोग करने या ऐसा करने का प्रयास करने पर दूसरे या अधिक बार सजा सुनाई जावे तो ऐसा व्यक्ति किसी अवधि के लिये जो 3 माह से कम न हो परन्तु दो वर्ष तक विस्तारित की जा सकती हो विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने से भी वंचित किया जायेगा और वह ऐसी अवधि में किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केन्द्र से भी विद्युत प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसे प्रकरण विशेष न्यायालय की जानकारी में ला कर दलील/अभ्युक्ति देना चाहिए।

**दुष्प्रेरित करना (अवेटमेंट)**

- 11.44 जो भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान के भीतर दंडनीय अपराध के लिये दुष्प्रेरित करता है वह भारतीय दंड संहिता (1860 के 45) में अंतर्विष्ट अपराध के लिये उपबंधित दंड के साथ दंडित किया जायेगा।
- 11.45 इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई पेनाल्टी या जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है या अभियोजन कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, को प्रतिकूल प्रभावित किये बिना यदि लायसेन्सी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कोई कार्य करने को करार करता है या मूक सम्मति देता है या वैसा कार्य करने से स्वयं को अलग रखता है या किसी कार्य या वस्तु की इजाजत देता है, छुपाता है, या मौन अनुकूल रहता है जिसके द्वारा विद्युत की चोरी की जाती है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि की सीमा तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ दण्डनीय होगा।
- 11.46 कोई विद्युत ठेकेदार, सुपरवाइजर या मिस्त्री जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 या 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता हो तो वह संदर्भित धारा के अधीन दण्डनीय होने के साथ उसकी अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण पत्र या अनुमति अनुज्ञप्ता प्राधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने योग्य होगी। ऐसे सभी मामले ज्ञात होने के पश्चात् अविलंब अनुज्ञप्त प्राधिकारी की जानकारी में लाये जाएंगे।
- 11.47 अधिनियम की धारा 151 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी संज्ञान ले सकेंगे। चोरी के सभी मामलों में सामान्यतया पुलिस को रिपोर्ट की जावे।
- 11.48 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अनुसंधान के उद्देश्य से नई धारा 151 ए के अधीन पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अधिकारों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है।

**अपराध की कम्पाउंडिंग (एकजाईता)**

- 11.49 अपराध की कम्पाउंडिंग अधिनियम की धारा 152 के प्रावधान के तहत होगी। अपराध के कम्पाउंडिंग हेतु अधिकृत अधिकारी अर्थात् मुख्य विद्युत निरीक्षक नियम (रूल्स) में दर्शित प्रक्रिया अपनायेंगे।
- 11.50 वह व्यक्ति या उपभोक्ता जिसके कब्जे में वह संयोजन है जहां विद्युत चोरी का अपराध हुआ है, को अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (2) में दर्शित निम्नलिखित राशि जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है के भुगतान पश्चात् मुक्त किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 152(2) के अनुसार किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई प्रकरण न तो प्रारम्भ किया जा सकता है और न ही चालू रखा जा सकता है।

सेवा का प्रकार	दर जिसमें कम्पाउंडिंग हेतु निम्नदाब से प्रति कि.वा. या हासपावर तथा उसके भाग पर और उच्च तथा अति उच्चदाब हेतु के.वी.ए. में संविदा मांग पर राशि ली जायेगी।
1. औद्योगिक सेवा	रु. बीस हजार
2. वाणिज्यिक सेवा	रु. दस हजार
3. कृषि सेवा	रु. दो हजार
4. अन्य	रु. चार हजार

- 11.51 अपराध की कम्पाउंडिंग अधिनियम की धारा 152 के अनुसार किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिये सिर्फ एक बार की जायेगी।

### विद्युत चोरी के नियंत्रण हेतु निरोधात्मक उपाय

- 11.52 ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन द्वारा अधिसूचित (विद्युत कठिनाईयों का निराकरण) आदेश 2005 [एस.ओ. 790 (ई) दिनांक 8 जून 2005] चोरी पर नियंत्रण हेतु समुचित उपाय अपनाने का आदेश देता है।

- 11.53 अनुज्ञप्तिधारी छेड़छाड़रोधी मीटर बॉक्स की व्यवस्था करेगा ताकि सभी परिसरों में छेड़छाड़रोधी मीटर बॉक्स लगे हों। अनुज्ञप्तिधारी साथ ही सर्विस लाइन की स्थिति का पुनरावलोकन करेगा कि ये सही स्थिति में हैं और जहां कहीं आवश्यक हो इसको बदलेगा ताकि (विद्युत) चोरी या मीटर को बाईपास करना रोका जा सके।

अनुज्ञप्तिधारी आगामी 5 वर्षों में सभी परिसरों में स्थापित सभी मीटरों के लिए छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स (आवरण) उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों को छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स उपलब्ध करायेगा। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी, मीटर बाईपास तथा विद्युत चोरी रोकने हेतु सर्विस लाइन तारों की स्थितियों का सतत अवलोकन करेगा कि वे सही स्थिति में हैं, और जहाँ कहीं आवश्यक हो उसे बदल देगा।

- 11.54 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के परिसरों के नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा और विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत यंत्र, विद्युत तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण क्षति रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। निरीक्षण/सावधानी हेतु चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।

- 11.55 सभी उच्चदाब संयोजनों और ऐसे निम्नदाब संयोजनों, जिनकी संविदा मांग/संयोजित भार 25 अश्वशक्ति या उससे अधिक हो, सहित बड़े उपभोक्ताओं की खपत का नियमित मासिक समीक्षा करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी एक तंत्र विकसित करेगा। खपत में अत्यधिक परिवर्तन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जावेगा। संदेहास्पद मामलों में अनुज्ञप्तिधारी त्वरित निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

- 11.56 अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के चिन्हित बड़े शहरों और नगरों, एवं जिले का मुख्यालय तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों के लिए 33 के.व्ही और 11 के.व्ही के संभरकों के खंडों में हानि की परिगणना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा। उपरोक्त रीति से परिगणना कर अधिक हानि वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किये गये स्थानों पर हानि कम करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी समुचित कदम उठायेगा।

- 11.57 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर स्थापित करेगा और ऊर्जा के अंकेक्षण करेगा, ताकि अधिक हानि वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उन क्षेत्रों में हानि कम करने के लिए अन्य समुचित कार्यवाही करेगा।

- 11.58 खपत की समीक्षा और विद्युत की चोरी रोकने के उद्देश्य से अनुज्ञप्तिधारी, सभी 50 हार्सपावर और अधिक के संयोजनों पर प्राथमिकता के साथ दूरस्थ मापक साधनों (रिमोट मीटरिंग डिवाइस) को स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी, 25 अश्वशक्ति तक के निम्नदाब संयोजनों पर भी दूरस्थ मापक साधन स्थापित करने का प्रयास करेगा।

- 11.59 वाणिज्यिक हानि के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव तथा विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत यंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण या क्षति रोकने या उसका पता लगाने में उपभोक्ताओं का सहयोग प्राप्त करने और उनमें जागरूकता लाने के

लिए अनुज्ञप्तिधारी प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के द्वारा इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगा।

- 11.60 अनुज्ञप्तिधारी जितनी जल्दी हो सके अपनी वेबसाईट पर क्षेत्रवार, वृत्तवार, संभागवार, उपकेन्द्रवार और संभरकवार (फीडरवाईज़) हानियों को प्रदर्शित करेगा। विद्युत के धारा परिवर्तन, चोरी अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत यंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण हानि रोकने के लिए कार्यवाही करेगा और प्राप्त परिणामों की जानकारी प्रदर्शित करेगा। यह वेबसाईट हर तिमाही में अद्यतन (अपडेशन) की जावेगी।
- 11.61 अनुज्ञप्तिधारी, अधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध करायेगा। ऐसा सुरक्षा दस्ता, छापों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार अधिकृत अधिकारियों के साथ रहेगा।
- 11.62 अनुज्ञप्तिधारी, चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में हुकिंग से सीधे चोरी रोकने हेतु शिरोपरि खुले विद्युत तारों को एरियल बंच केबल से बदलेगा।
- 11.63 अनुज्ञप्तिधारी चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए उच्चदाब वितरण (निम्नदाब रहित) प्रणाली उपलब्ध करायेगा।
- 11.64 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान उपभोक्ताओं के मीटर, उस परिसर की परिसीमा के भीतर, इस तरह से पुनर्स्थापित करने हेतु अधिकृत होगा, ताकि वह इस संहिता की कंडिका 8.9 के प्रावधानों के अनुसार पठन, निरीक्षण, परीक्षण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए सुगम्य हो। संदिग्ध प्रकरणों में जहाँ सत्त सावधानी संभव न हो अनुज्ञप्तिधारी अपने खम्बों या स्तम्भों (पिलर) में जांच मीटर लगा सकेगा। ऐसे मामलों में जहाँ विद्युत चोरी बार-बार हो, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संयोजनों के लिए उपभोक्ता को सूचित करते हुए अपने खम्बों या संभरक स्तम्भों पर देयक (बिलिंग) मीटर लगा सकेगा।
- 11.65 अनुज्ञप्तिधारी जहाँ विद्युत चोरी के प्रकरण पाये गये हैं वहाँ की सूची रखेगा ताकि उसे परिसर में दुबारा या उसके बाद के चोरी के प्रकरण की जानकारी हो सके तथा अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही किया जा सके।

## अध्याय 12 : जनरेटर का ग्रिड (प्रणाली) से संयोजन

### उपभोक्ता के परिसर में स्थापित जनरेटर

- 12.1** उपभोक्ता के परिसर में स्थापित जनरेटर का अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर संचालन केवल अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति से स्वीकार्य होगा।
- 12.2** यदि ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है तो उपभोक्ता अपने उत्पादन इकाई के संयंत्र, मशीन तथा उपकरण, जिसमें उसका परिवर्तन या विस्तार सम्मिलित हो, उसे पृथक रूप से चलायेगा तथा जनरेटर को किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं जोड़ेगा ताकि अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली में विद्युत के वापस जाने (फीड बैक) की सम्भावना न हो। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सूचित कर, उसके परिसर में प्रवेश कर उपभोक्ता व्यवस्था का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता का जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से किसी भी समय जोड़ा तो नहीं जाता।
- 12.3** ऐसे प्रकरण में जब अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन के बिना ही उपभोक्ता के किसी जनरेटर, या अन्य किसी स्रोत से आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सम्बद्ध हो जाती है, जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को नुकसान होता है अथवा जनहानि होती है तो उपभोक्ता उसके लिये जिम्मेदार होगा तथा विद्युत विच्छेदन के साथ अनुज्ञप्तिधारी या दूसरे प्रभावित व्यक्तियों को हुए सभी नुकसान की यथोचित क्षतिपूर्ति करेगा।
- 12.4** जहाँ प्रणाली से संयोजन के लिये सहमति दी गई है, वहाँ उपभोक्ता अपनी स्थापना में उपयुक्त सुरक्षा उपकरण लगाने की व्यवस्था करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे सही रूप से कार्यरत हो। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसकी आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से गलत तरीके से संबद्ध न हो। ऐसे किसी संचालन अथवा उसके कारण हुए किसी प्रतिकूल परिणाम के कारण उपभोक्ता के यंत्र, मशीन व उपकरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिये अनुज्ञप्तिधारी बाध्य नहीं होगा।

### प्रणाली (ग्रिड) से संयोजन

- 12.5** जनरेटर (विद्युत उत्पादन संयंत्र) की प्रणाली से संयोजन की प्रक्रिया सी.एस.ई.आर.सी. (कनेक्टिविटी एंड इन्ट्रा स्टेट ओपन एक्सेस) रेग्युलेशन 2011 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के अनुसार होगा। प्रणाली के तकनीकी मानक तथा सुरक्षा संचालन का मापदंड सी.ई.ए. सुरक्षा अधिनियम 2010 तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथरिटी (टेक्नीकल स्टैण्डर्ड फार कन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स) रेग्युलेशन 2010 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथरिटी (ग्रिड स्टैण्डर्ड फार ऑपरेशन एंड मेन्टीनेंस आफ ट्रांसमिशन लाइन) रेग्युलेशन जबसे वे प्रभावशील होंगे के अनुसार होगा।
- 12.6** जनरेटिंग स्टेशन/केप्टिव जनरेटिंग प्लांट द्वारा वोल्टेज स्तर वार निर्धारित विद्युत शक्ति (पावर) की मात्रा जो पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली में डाली जा सकती है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड 2007 (स्टेट ग्रिड कोड) जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के अनुसार होगी।
- 12.7** केप्टिव जनरेटिंग प्लांट सहित उपभोक्ता द्वारा वोल्टेज स्तरवार निर्धारित विद्युत शक्ति (पावर) की मात्रा (ओपन एक्सेस तथा अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंधित (संविदा) मांग का योग) जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली से ली जा सकती है, इस प्रदाय संहिता की कंडिका 3.4 के अनुसार होगी।

- 12.8 राज्य पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली से जनरेटर की संयोजन, राज्य पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा जनरेटर के मध्य संयोजन अनुबंध से अनुबंधित होगी। जनरेटर जिन्हें संयोजन की स्वीकृति दी गई हो को प्रणाली से भौतिक संयोजन के पूर्व संयोजन अनुबंध करना होगा।
- 12.9 संयोजन की स्वीकृति जनरेटर को प्रणाली में कोई पावर डालने का अधिकार तब तक नहीं देता जब तक कि वह लांग टर्म ओपन एक्सेस, मीडियम टर्म ओपन एक्सेस या शार्ट टर्म ओपन एक्सेस प्राप्त नहीं कर लेता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अनुबंध नहीं कर लेता।
- 12.10 जनरेटिंग स्टेशन या केप्टिव जनरेटिंग प्लांट अपनी स्वतंत्र समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण, संचालन व संधारण कर सकते हैं। जनरेटर अपने विद्युत उत्पादन संयंत्र से प्रणाली को जोड़ने वाली पोरषण लाइन का निर्माण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से करवा सकता है या स्वयं कर सकता है। ऐसे प्रकरण में लाइन विस्तार की प्रक्रिया तथा समय सारणी उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करने हेतु इस संहिता के कंडिका 4.58 के अनुसार होगी।
- 12.11 यदि जनरेटर अपनी स्वतंत्र ट्रांसमिशन लाइन का संधारण स्वयं करना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी से लाइन निर्माण कार्य की निगरानी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निगरानी शुल्क (सुपरविजन चार्ज) भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

### जनरेटर द्वारा स्टार्ट अप पावर

- 12.12 जनरेटर के पास विकल्प होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से स्टार्ट अप पावर ले या नहीं ले। यदि जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी से स्टार्ट अप पावर हेतु अनुबंध नहीं करता है परन्तु प्रणाली से आकस्मिक रूप से पावर लेता है तो उसे आयोग द्वारा पारित संबंधित टैरिफ के आधार पर बिल किया जायेगा।
- 12.13 जनरेटर स्टार्ट अप पावर हेतु आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में पारित प्रावधान के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंध कर सकता है। स्टार्ट अप पावर जनरेटर व इसके अवयवों (ऑक्सीलरीज) को क्रियान्वित (कमीशन) करने एवं उसके पश्चात के लिए लिया जा सकता है। इंटरफेज बिन्दु पर प्रणाली में डाले गये ऊर्जा अंकित करने हेतु स्थापित इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट मीटर को स्टार्ट अप पावर के मांग व खपत अंकित करने हेतु बिलिंग मीटर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। स्टार्ट अप पावर के मीटर वाचन, बिलिंग व भुगतान के लिये इस संहिता के संबंधित प्रावधान प्रयुक्त होंगे।

### भावी केप्टिव व नान-केप्टिव उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी

- 12.14 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता जो केप्टिव प्लांट (सी.जी.पी.) के केप्टिव/नान-केप्टिव उपभोक्ता बनते हैं, अनुज्ञप्तिधारी से अपने संविदा मांग में चाही गई स्तर तक, जो शून्य भी हो सकती है, कमी कर सकते हैं। यह सुविधा अनुबंध के प्रारम्भिक अवधि में सिर्फ एक बार प्राप्त होगी बशर्ते कि इस संहिता की कंडिका 7.9 के अनुसार पूर्व में ही प्रारम्भिक अनुबंध काल में संविदा मांग में कमी नहीं की गई हो। यह सुविधा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नये पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से नये केप्टिव पावर प्लांट पर ही लागू होगी। जनरेटर तथा केप्टिव लोड द्वारा ग्रिड से लिये गये विद्युत संबंधी मीटर वाचन, बिलिंग, भुगतान आदि हेतु इस संहिता की संबंधित कंडिका प्रयुक्त होगी।

- 12.15 ऐसे केप्टिव व नॉन केप्टिव उपभोक्ता जो किसी सीजीपी से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्होंने अपने संविदा मांग शून्य कर लिया है और ओपन एक्सेस लिया है और यदि सीजीपी से उत्पादन बंद होता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन्हें अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायेगा तथा लिये गये विद्युत की बिलिंग आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में दर्शित स्टैंड बाई चार्ज के अनुसार यह मानते हुए ली जायेगी कि प्राप्त की गई आपूर्ति अस्थायी प्रकृति की है, बशर्ते कि सी.जी.पी. द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी हो।

### अंतर्संयोजन (इंटरफेस) बिन्दु पर मीटरिंग

- 12.16 उस जनरेटर के लिये जो राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एस.टी.यू.) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से संयोजित होना चाहता है, इंटरफेस मीटर (मुख्य मीटर) जनरेटर की कीमत पर संबंधित एस.टी.यू. पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा कि प्रकरण हो द्वारा लगाया जायेगा तथा संधारित किया जायेगा।
- 12.17 अंतर्संयोजन बिन्दु पर मुख्य तथा जांच मीटर ए.बी.टी. के मापदंड के अनुसार होने चाहिए। मीटरिंग से संबंधित सभी व्यवस्था सी.ई.ए. (इंस्टालेशन एंड ऑपरेशन आफ मीटर) रेग्युलेशन 2006 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के द्वारा शासित होनी चाहिए। जनरेटर तथा सी.जी.पी. द्वारा प्रणाली में डाले गये ऊर्जा की मात्रा मापने हेतु मुख्य मीटर, अनुज्ञप्तिधारी के ग्रिड सबस्टेशन पर लगाये जाने चाहिए। बड़े उपभोक्ता जो कि ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत ले रहे हैं के द्वारा लिये जाने वाले ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने हेतु मुख्य मीटर उपभोक्ता के परिसर में लगाये जाने चाहिए।
- 12.18 संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुख्य व जांच मीटर हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए तथा संहिता की कंडिका 8.18 के अनुसार उसका जनरेटर की उपस्थिति में समयबद्ध परीक्षण तथा परिगणना (केलिब्रेशन) करनी चाहिए। मीटर दोनों पक्षों के समक्ष सील करनी चाहिए तथा खराब मीटर अविलंब बदलनी चाहिए।
- 12.19 मुख्य तथा जांच मीटर का वाचन समयबद्ध रूप से निर्धारित तिथि में संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी व जनरेटर या उसके प्रतिनिधि जैसी स्थिति हो, के द्वारा लिया जायेगा।

### खराब मीटर की स्थिति में आकलन

- 12.20 यदि किसी माह में मुख्य मीटर व जांच मीटर द्वारा दर्शित खपत का अंतर निर्धारित अनुमति योग्य परिशुद्धि (एक्यूरेसी) की सीमा से अधिक होता है तो मुख्य व जांच मीटर का परीक्षण किया जायेगा और मानक प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तर पर त्रुटि निकाली जायेगी व तदनुसार बिलिंग की जायेगी।
- 12.21 यदि मुख्य मीटर खराब या बंद पाया जाता है तो जांच मीटर का वाचन बिलिंग के लिये प्रयुक्त किया जायेगा बशर्ते कि जांच मीटर सही कार्य करता पाया जावे।
- 12.22 यदि मुख्य व जांच मीटर दोनों सही नहीं पाये जाते व संबंधित अवधि में ऊर्जा का आवागमन पाया जाता है तो सही कार्य करते पाये जाने की स्थिति में जनरेटर के गमन छोर स्थित मीटर द्वारा अंकित रीडिंग तथा पिछले 3 माह के औसत लाइन क्षति (जब दोनों मुख्य तथा जनरेटर मीटर सही कार्य करते रहे हों) के आधार पर ऊर्जा का आकलन किया जायेगा।



- 12.23 दोनों मुख्य व जांच मीटर तथा जनरेटर के गमन छोरे स्थित मीटर के सही नहीं पाये जाने की स्थिति में राज्य प्रणाली में डाले गये ऊर्जा का आकलन अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित सबस्टेशन में पिछले तीन माह के औसत ऊर्जा क्षति की गणना (जब मुख्य व जांच मीटर सही कार्य करते पाये गये हो) कर ऊर्जा संतुलन के आधार पर की जायेगी।
- 12.24 यदि बड़े उपभोक्ता जिन्होंने ओपन एक्सेस लिया है के परिसर में स्थापित मीटर खराब होता है तो लिये गये ऊर्जा का आकलन इस संहिता की कंडिका 9.16 में उपभोक्ता हेतु निर्धारित प्रावधान के तहत की जायेगी।

**अध्याय 13 : विविध****फोर्स मेजर (बाध्यकारी परिस्थिति)**

**13.1** कोई घटना जो कि संबंधित संस्था के नियंत्रण के बाहर हो, जिसका उन्होंने अंदाज नहीं लगाया या उपयुक्त सावधानी के पश्चात भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या जो रोका नहीं जा सका और जो संस्था के कार्य निष्पादन को वृहत रूप से प्रभावित करता है, परन्तु सिर्फ निम्नलिखित पर सीमित न हो –

- (ए) ईश्वरीय घटना, प्राकृतिक असाधारण घटना सहित परन्तु बाढ़, सूखा, भूकम्प व महामारी तक सीमित नहीं।
- (बी) आंतरिक या विदेशी शासकीय कृत्य परन्तु घोषित व अघोषित युद्ध, आतंकी हमले, निषेधाज्ञा व उपद्रव तक सीमित नहीं।
- (सी) दंगा या नागरिक विप्लव
- (डी) ग्रीड (प्रणाली) में व्यवधान जिसके लिये संबंधित संस्थान उत्तरदायी न हो।

**13.2** यदि विद्युत आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी परिस्थिति के कारण प्रभावित होती है तो उससे होने वाले नुकसान, टूटफूट अथवा मुआवजे के लिये अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध के जारी रहने के दौरान किसी समय यदि पूर्णतः या आंशिक रूप से उपरोक्त कंडिका 13.1 में दर्शित बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग करना सम्भव न हो तो इस परिस्थिति में उपभोक्ता लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी को 7 दिवस की सूचना देकर आवश्यक उपयुक्त कम आपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां उपभोक्ता बाध्यकारी परिस्थितियों का दावा करे अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत प्रतिनिधि उसका सत्यापन करेगा। ऐसी सुविधा उपभोक्ता को केवल तभी उपलब्ध होगी जबकि आपूर्ति में कमी की अवधि न्यूनतम 30 दिवस की हो। उपरोक्त कम आपूर्ति की अवधि अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक अवधि में नहीं जोड़ी जावेगी और अनुबंध की अवधि ऐसी कम आपूर्ति की अवधि के तुल्य बढ़ाई जायेगी।

**13.3** उस मामले में जहाँ कि अनुज्ञप्तिधारी, किसी उपभोक्ता को, जो अन्यथा बकायेदार न हो अथवा जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित या असंयोजित न हो, एक कैलेण्डर माह में दस दिनों (जिसमें प्रत्येक दिन 00 घंटे से 24.00 घंटे तक विद्युत प्रदाय बंद हो) या अधिक के लिये विद्युत प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से निम्नलिखित रीति से प्रभार प्राप्त करेगा:—

- (ए) ऊर्जा प्रभार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर होगा।
- (बी) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकरण सेस को छोड़कर) की गणना, जितने दिन तक बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की गई है, उसके अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

**विद्युत संयंत्र लाइन या मीटर को क्षति पहुंचाना**

**13.4** उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये विद्युत यंत्र, लाइन या मीटर या अन्य किसी उपकरण को यदि उपभोक्ता द्वारा या अन्यथा क्षति पहुंचाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे यंत्र लाइन, मीटर, या उपकरण को चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने का अधिकारी होगा। तथापि, इससे अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न

करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में किये जाने वाले आंकलन का अधिकार भी सम्मिलित है ।

### विद्युत लाइन से दूरी (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम कंडिका 63)

- 13.5 किसी शिरोपरि (ओवर हेड) लाइन चाहे इन्सुलेशन से ढका हो या न हो के निर्माण के पश्चात किसी समय यदि कोई व्यक्ति कोई भवन या ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक), सड़क की ऊंचाई बढ़ाने या अन्य किसी भी प्रकार का अस्थाई या स्थाई कार्य कराना चाहता हो या किसी भवन ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक) या सड़क में या के ऊपर कोई स्थाई या अस्थाई परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य करना चाहता हो तो वह व उसके ठेकेदार जिसे उन्होंने निर्माण, परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य हेतु नियुक्त किया है अपने इच्छुक कार्य की सूचना लिखित में उसके मालिक या आपूर्तिकर्ता तथा विद्युत निरीक्षक को प्रस्तावित भवन, ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक) सड़क तथा निर्माण के साथ परिवर्तन व अतिरिक्त कार्य के विवरण सहित प्रस्तुत करेगा ।
- 13.6 अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी विलम्ब के कथित शिरोपरी लाइन परिवर्तन हेतु होने वाले सम्भावित खर्च के प्राक्कलन की राशि जो कि जमा किया जाना है नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचित करेगा ।
- 13.7 भवन या ढाँचे में कोई परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य की अनुमति आवेदक द्वारा आपूर्तिकर्ता या मालिक को प्राक्कलन राशि जमा करने के पश्चात ही दी जायेगी ।
- 13.8 उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि भवन, ढांचा, अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन, सुधार कार्य तथा अन्य निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी के वर्तमान स्थित विद्युत लाइन से आवश्यक न्यूनतम दूरी रखेंगे । यह आवश्यक न्यूनतम दूरी सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम में दर्शित है । (संलग्नक 12)
- 13.9 विद्युत लाइन के नीचे पेड़ लगाते समय भी आवश्यक ध्यान रखना चाहिए । पेड़ के पूर्ण रूप से विकसित होने पर लाइन से अनुशासित न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु बौने प्रकार के पेड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

### फ्रेंचाइजी को प्राधिकृत करना

- 13.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र के किसी भाग में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिये किसी फ्रेंचाइजी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत कर सकता है और यह संहिता फ्रेंचाइजी पर भी लागू होगी ।

### सेज (स्पेशल इंकानामी जोन) क्षेत्र में विद्युत वितरण

इस संहिता के संबंधित कंडिका राज्य शासन द्वारा सेज क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु अधिकृत सभी व्यक्ति, वॉडी कार्पोरेट एजेन्सी पर भी लागू होगी ।

### नोटिस की तामील

- 13.11 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई पत्र, आदेश अथवा दस्तावेज, दिया हुआ मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में भेजा जाता है और व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाता है अथवा डाक/कोरियर द्वारा उस पते पर भेजा जाता है जो कि उपभोक्ता ने विद्युत आपूर्ति मांगते समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि किया हो) में दर्शाया हो या उपभोक्ता द्वारा बाद में सूचित किया गया हो । यदि परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्ति-युक्त

तरीके से उपरोक्त पत्र दिया जा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चिपका दिया जायेगा।

- 13.12 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत भार विनियमन, नये टैरिफ अथवा बिल भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचना, आदि को बहुप्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा।
- 13.13 अनुज्ञप्तिधारी को भेजे जाने वाले पत्रों को निम्नांकित पतों पर प्रेषित किया जावे –
- (ए) उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत या पदांकित अधिकारी
- (बी) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी का कार्यपालन इंजीनियर या समकक्ष अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति

### अप्रत्याशित परिस्थितियाँ

- 13.14 विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अलावा अप्रत्याशित रूप से यदि कोई स्थिति निर्मित होती है तब अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सद्भावना पूर्वक व्यवहारिक आधार पर सलाह-मशविरा कर सहमति पर पहुंचना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित होने वाले पक्षों के मध्य उपलब्ध समय-सीमा में सहमति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपनी सामर्थ्य अनुसार युक्ति-युक्त निर्णय लेगा।
- 13.15 जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचता है तब उसे ध्यान रखना होगा कि प्रभावित होने वाले पक्षों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी हालत में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त पूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्ष को अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय पर दिये गये सभी निर्देशों को मान्य करना होगा, बशर्ते ये निर्देश अधिनियम प्रचलित संहिता और विनियमों के अनुरूप हो। अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हुई परिस्थितियां एवम् इस बाबत लिये गये सभी निर्णय को अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को भेजेगा।
- 13.16 अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन तथा उपयुक्त विधि से कार्य सम्पन्न करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया दर्शित करते हुए मेनुअल /दिशा निर्देश जारी कर सकता है ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके तथा उपभोक्ता को शीघ्र संयोजन दिया जा सके।
- 13.17 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समानता लाने की दृष्टि से शहरी/अर्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज वार विद्युत पोल तथा न्यूनतम तार साइज निर्धारित करना चाहिए। व्यक्तिगत उपभोक्ता के कनेक्शन के प्रकरण के सिवाए अन्य निर्माण कार्य हेतु तार की साइज इस प्रकार का उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि कम से कम आगामी पांच वर्षों के बढ़ते भार की मांग पूरी कर सके।

### व्याख्या

- 13.18 इस संहिता में निहित शर्तों को वर्तमान में प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम 2003, सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम, सी.ई.ए. निर्माण विनियम, तथा इनके लिये बनाये गये नियमों तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित तत्समय में प्रचलित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा व समझा जायेगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता को केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।
- 13.19 इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ या विस्तार के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिए बाध्य होगी।

**रदद् करना (रिपील)**

- 13.20 छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संहिता के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित विद्युत प्रदाय संहिता तथा विनियम का प्रचलन समाप्त हो जायेगा।
1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय विनियम 2007
  2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा राशि) विनियम 2005
  3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की प्रक्रिया) विनियम 2005

**कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति**

- 13.21 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से जहाँ आवश्यक समझा जाय, विचार-विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा।

**न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**

- 13.22 इस संहिता के क्रियान्वयन और तदनुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्रांतर्गत अनुबंध निष्पादित किया गया है।

**व्यावृत्ति (सेविंग)**

- 13.23 इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हों।
- 13.24 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, आयोग को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।
- 13.25 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से, आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।
- 13.26 इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप परिस्थिति अनुसार भविष्य में आवश्यक होने पर अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता के संलग्न प्रपत्र के ढांचे में परिवर्तन कर सकता है ताकि प्रपत्र प्रचलित नियम, विनियम तथा इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हो सके।

**परिवर्तन करने की शक्ति**

- 13.27 आयोग किसी भी समय इस संहिता के प्रावधानों में सुधार, परिवर्तन व जोड़ सकता है।

**शिथिल करने की शक्ति**

13.28 उपयुक्त प्रकरण में आयोग जनहित में, लिखित में कारण दर्शित करते हुए इस संहिता के प्रावधानों को शिथिल कर सकता है।

**टीपः—** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के अंग्रेजी से हिन्दी के रूपांतरण उसके प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर मूल संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.एन. सिंह)  
सचिव

\*\*\*

## परिशिष्ट

## संलग्न प्रपत्र-1

आवेदन प्रपत्र – नए निम्नदाब संयोजन हेतु  
(जो आवश्यक नहीं है उसे काट देवे)

1	आवेदक का नाम / संस्थान:	
2	पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम:	
3(a)	पत्राचार हेतु पोस्टल पता	मकान/प्लॉट/परिसर क्रमांक सड़क क्षेत्र/कॉलोनी कस्बा/शहर/गाँव जिला मोबाइन नंबर ई-मेल:
(b)	स्थान जहाँ नए संयोजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है। (स्थान की पहचान हेतु किसी निर्दिष्ट चिन्ह को दर्शाए)	मकान/प्लॉट/परिसर क्रमांक सड़क क्षेत्र/कॉलोनी जिला
4	प्लॉट का आकार ..... वर्गफुट	ढका क्षेत्र ..... वर्गफुट
5	आपूर्ति की श्रेणी (श्रेणी की सूची संलग्न)	
6	आपूर्ति का प्रयोजन	
7	कुल आवेदित भार (कि.वा./हार्सपावर)	
8	आपूर्ति का प्रकार (स्थायी/अस्थायी)	
8(a)	यदि अस्थायी है तो अवधि दर्शाए	दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
9	कृपया दर्शित करें कि क्या विद्युत आपूर्ति हेतु सर्विस लाइन या / तथा लाइन विस्तार कार्य आप करना चाहते हैं	हाँ / नहीं
10	कृपया दर्शित करें कि क्या आप स्वयं का सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत मीटर लगाना चाहते हैं	हाँ / नहीं
11	संलग्न प्रपत्रों की सूची	
(a)	क्या आवेदन पत्र में फोटो लगा है	हाँ / नहीं
(b)	आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले पहचान प्रमाण पत्र	
	यदि आवेदक एक व्यक्ति है (कृपया किसी एक के सम्मुख सही का निशान लगायें)	(1) मतदाता पहचान पत्र (2) पासपोर्ट (3) ड्राइविंग लायसेंस (4) राशन कार्ड (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (6) पैनकार्ड (7) सरपंच या ग्रामीण स्तर के शासकीय विभाग से संबंधित यथा पटवारी, पोस्टमास्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इंचार्ज से फोटो पहचान पत्र

		(8) आधार कार्ड
	यदि आवेदक एक संस्था है	संबंधित संस्था के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र / अधिकार पत्र
(c)	विधिक स्वामित्व/अधिवासी होने के प्रमाण पत्र सहित विद्युत आपूर्ति बिन्दु दर्शित करते हुए स्थल का नक्शा (कृपया किसी एक के सम्मुख सही का निशान लगायें)	<p>(1) पंजीकृत विक्रय पत्र, भू-भाटक विलेख (लीज डीड) भागीदार विलेख (डीड), उत्तराधिकारी या वारिस होने का प्रमाण पत्र या वसीयतनामा की प्रति।</p> <p>(2) पंजीकृत मुख्तारनामा</p> <p>(3) तात्कालिक निगम टैक्स (संपदा कर) भुगतान की प्रति</p> <p>(4) शासकीय प्राधिकरण/विभाग द्वारा भूमि/भवन के आवंटन पत्र</p> <p>(5) गाँव के प्रकरण में सरपंच द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र</p> <p>(6) शासकीय विभाग द्वारा जारी पट्टा</p> <p>(7) आवेदक यदि परिसर का स्वामी न होकर अधिवासी है तो आवेदन के साथ उपरोक्त 1 से 6 में से कोई भी प्रमाण पत्र सहित परिसर के विधिक स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(8) कृषि सिंचाई पंप के प्रकरण में जहाँ विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है उस भूमि का बी-1 सहित खसरा नक्शा की प्रति जिसमें भूमि के खसरा नंबर सहित स्थल जहाँ कुआं खोदा गया हो। नदी, नाला, तालाब से पानी लेने की स्थिति में सक्षम राजस्व अधिकारी से और भूमि के सामूहिक स्वामित्व के प्रकरण में आवेदक के नाम से अधिकार पत्र जमा करने होंगे।</p>
(d)	वर्तमान पते का प्रमाण (कृपया संलग्न प्रपत्र के सम्मुख सही का निशान लगायें)	<p>(1) मतदाता पहचान पत्र</p> <p>(2) पासपोर्ट</p> <p>(3) ड्राइविंग लायसेंस</p> <p>(4) राशन कार्ड</p> <p>(5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र</p> <p>(6) प्रचलित बैंक एकाउण्ट पासबुक</p> <p>(7) तात्कालिक जल/टेलिफोन/विद्युत/गैसकनेक्शन बिल</p> <p>(8) इंकम टैक्स असेसमेंट आदेश</p>
(e)	अन्य कोई प्रपत्र (कृपया स्पष्ट करें)	
12	क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
13	क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
14	क्या किसी संस्था जिसके आवेदक मालिक/हिस्सेदार/निदेशक का कार्यकारी निदेशक रहे हो के विरुद्ध राशि शेष है – हाँ/नहीं	
	कृपया कॉलम 12, 13 व 14 का उत्तर यदि हाँ हो तो अलग प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।	

मैं/हम यह घोषणा करते हैं –

(अ) इस आवंटन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।



- (ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता पढ़ लिया है तथा उसमें दर्शित शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं।
- (स) मैं/हम संदर्भित टैरिफ तथा अन्य शुल्कों के साथ प्रतिमाह विद्युत बिल का भुगतान करेंगे।
- (द) मैं/हम मीटर/कटआउट तथा उसकी स्थापना की रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक .....  
हस्ताक्षर  
स्थान .....

उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति के

नाम—

पद—

- टीपः** पहचान के प्रमाण पत्र, विधिक स्वामित्व/अधिवासी के प्रमाण पत्र तथा वर्तमान पते के प्रमाण पत्र के सिवाय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र भी संलग्न होने चाहिए।
1. हिस्सेदारी फर्म के प्रकरण में आवेदक पार्टनरशिप डीड तथा आवेदन प्रपत्र व अनुबंध में हस्ताक्षर करने हेतु आवेदक के नाम पर अधिकार पत्र।
  2. पब्लिक व/या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में आवेदक कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन सहित आवेदन प्रपत्र तथा अनुबंध में हस्ताक्षर करने हेतु आवेदक के नाम पर अधिकार पत्र।
  3. अन्य प्रपत्र जो कि विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को लागू होगा —
    - (अ) औद्योगिक उपभोक्ता — प्रभावशील उद्योग लायसेंस जहां आवश्यक हो पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
    - (ब) कृषि पम्प — जल का स्रोत, नदी, नाले, तालाब, नहर आदि होने की स्थिति में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
    - (स) अस्थाई कनेक्शन हेतु भूस्वामी/नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत/ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/भूमि विकास अधिकरण जो प्रयुक्त हो से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
    - (द) किसी नियम के तहत आवश्यक स्थानीय/शासकीय विभाग की अनुमति।

### पावती

श्री ..... ग्राम ..... से .....  
कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र दिनांक ..... को प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक ..... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील  
नाम एवं पद:

## संलग्न प्रपत्र-2

**आवेदन प्रपत्र – नए उच्च व अति उच्चदाब संयोजन हेतु  
(जो आवश्यक नहीं है उसे काट देवे)**

1	आवेदक/संस्था का नाम	
2	पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम	
3	पत्राचार हेतु पोस्टल पता दूरभाष व ई-मेल सहित	
4	पता जहां के लिए नए संयोजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है। (स्थान की पहचान हेतु किसी निर्दिष्ट चिन्ह को दर्शाए)	
5	वोल्टेज जिस पर आपूर्ति चाहिए	11KV    33KV    66KV    110KV    132KV 220KV
6	आपूर्ति का प्रकार स्थाई/अस्थायी	
(a)	यदि अस्थायी है तो अवधि दर्शाए	दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
7	कुल संविदा मांग के.व्ही.ए. में	
8	संविदा मांग का आधार एवं ली गई डायवर्सिटी फेक्टर	
9	क्या संविदा मांग फेज में चाहिए हों/नहीं यदि हों हो तो निम्न विवरण दें	अनुमानित तिथि जब से चाहिए
	(a)	
	(b)	
	(c)	
10	संयोजन का उद्देश्य	
11	टैरिफ की श्रेणी जिसके लिए आवेदन दिया गया	
12	उत्पादन क्षमता	
13	उद्योग की श्रेणी	SSI                      MSI                      LSI
	इकाई का प्रकार: स्वामित्व/हिस्सेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सहकारी/शासकीय/शासकीय उपक्रम	
14	संस्था का नाम जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहा है	
15(a)	क्या अधिकार पत्र /अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है	हाँ/नहीं
15(b)	संस्था द्वारा प्रदत्त (प्रति संलग्न)	संख्या ..... दिनांक
16	क्या आपूर्ति स्वतंत्र फीडर से चाहिए	हाँ/नहीं
17	क्या उपरोक्त इकाई कहीं चालू थी या कनेक्शन हेतु आवेदन किया था (यदि हों तो कृपया विवरण दें)	(ए) स्वीकृत भार (बी) सर्विस क्रमांक (सी) बकाया राशि यदि कोई हो
18	क्या पूर्व में इस स्थल में कनेक्शन हेतु आवेदन किया था (यदि हों तो कृपया विवरण दें)	(ए) यूनिट का नाम (बी) सर्विस क्रमांक (सी) बकाया राशि यदि कोई हो

19	भूमि अधिग्रहण की स्थिति	
20	वित्तीय व्यवस्था की अनुमानित तिथि	
21	क्या पर्यावरण विभाग से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है यदि हाँ तो प्रति संलग्न करें।	
22	क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
23	क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
24	क्या किसी संस्था जिसके आवेदक मालिक/हिस्सेदार/निदेशक का कार्यकारी निदेशक रहे हो के विरुद्ध राशि शेष है – हाँ/नहीं	
	कृपया कॉलम 22, 23 व 24 का उत्तर यदि हाँ हो तो अलग प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।	
25	कृपया दर्शित करें कि क्या लाइन विस्तार कार्य आप स्वयं करना चाहते हैं	हाँ / नहीं

मैं/हम यह घोषणा करते हैं –

- (अ) इस आवंटन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।  
 (ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता पढ़ लिया है तथा उसमें दर्शित शर्तें मुझे/हमें  
 मान्य हैं।  
 (स) मैं/हम संदर्भित टैरिफ तथा अन्य शुल्कों के साथ प्रतिमाह विद्युत बिल का भुगतान करेंगे।  
 (द) मैं/हम मीटर/कटआउट तथा उसकी स्थापना की रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

स्थान .....

उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति के

नाम—

पद—

**टीप—** आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होने चाहिए—

- परिसर का स्वामित्व का प्रमाण
- 1 सेमी =12 मीटर स्केल का परिसर का प्लान, नक्शा, जहाँ विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है  
(लाल रंग से सीमा दर्शाते तथा विद्युत प्रदाय बिन्दु दर्शाते हुए) ।
- विधिक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक हो या आवेदक का घोषणा  
पत्र कि उसके संयोजन के लिए किसी भी प्रकार की विधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की  
आवश्यकता नहीं है।
- स्वामित्व वाले संस्थान के प्रकरण में प्रतिज्ञा पत्र कि आवेदक संस्थान/फर्म में पूर्णरूपेण स्वामी  
है।
- हिस्सेदारी फर्म के प्रकरण में हिस्सेदारी अनुबंध।
- लिमिटेड कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा सर्टिफिकेट आफ  
इनकार्पोरेशन।
- उपभोक्ता के स्थाई निवास का पता, पान (PAN) नंबर यदि कोई हो। भविष्य में पता बदलने पर  
उपभोक्ता द्वारा अविलंब अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जायेगा।
- लगाये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची तथा अनुमानित भार।
- हस्ताक्षर हेतु अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र।
- उद्योग विभाग का पंजीकरण।

11. उद्योग के प्रकरण में विद्युत एवं प्रक्रिया की आवश्यकता से संबंधी परियोजना प्रतिवेदन का सुसंगत भाग।
12. प्रचलित टैरिफ आदेश के संबंधित कंडिका की प्रति जो कि उपभोक्ता द्वारा चयनित टैरिफ श्रेणी का विवरण दर्शाती हो तथा उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। यह उपभोक्ता द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात अनुबंध का भाग होगा।

### पावती

श्री ..... ग्राम ..... से .....  
कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र दिनांक ..... को प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के  
संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक ..... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील  
नाम एवं पद:

## संलग्न प्रपत्र-3

## उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत एक समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिसका निगमित कार्यालय डंगनिया, डाकघर-सुन्दरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492013 है (जिसे एतस्मिन् पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में, इसके उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञात समनुदेशित (permitted assigned) सम्मिलित होंगे जब तक कि इस संदर्भ या अर्थ में विरुद्ध ना अभिव्यक्त किया गया हो) एक पक्ष होगा तथा श्री/श्रीमती/मेसर्स .....

..... पुत्र/पुत्री/मालिक/संचालक .....

..... (जिसे एतस्मिन् पश्चात उपभोक्ता कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसे स्वीकार किया गया है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि, व्यावसायिक उत्तराधिकारी एवं समनुदेशित सम्मिलित होंगे) दूसरा पक्ष होंगे।

यह कि उपभोक्ता को उसके (पूर्ण पता) .....

..... स्थित परिसर (25 अश्वशक्ति एवं उससे अधिक विद्युत भार वाले निम्नदाब/उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के परिसर को लाल स्याही से सीमा रेखाओं से चिह्नित संलग्न नक्शे) में ..... उद्देश्य के लिये विद्युत आपूर्ति उपलब्ध/अपेक्षित है और अनुज्ञप्तिधारी एतस्मिन् पश्चात उपबंधित शर्तों एवं दशाओं पर उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु सहमत हो गया है।

अब एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा एवं सहमति दी जाती है।

1. यह कि उपभोक्ता/उपभोक्ताओं द्वारा घोषणा की जाती है कि वह/वे ..... में स्थित स्थल (एतस्मिन् पश्चात इसे परिसर के रूप में संदर्भित किया गया है) के वैधानिक अधिगृहिता है/हैं।
2. (क) यह कि एतस्मिन् पश्चात उपबंधित प्रावधानों के अध्यधीन तथा इस अनुबंध के जारी रहने तक, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करेगा तथा जैसा कि, उपभोक्ता चाहता है, उपभोक्ता इस अनुज्ञप्तिधारी से अपने स्वयं के उपयोग हेतु एवं अपने परिसर में ऊपर दिए उद्देश्य हेतु निम्नानुसार अधिकतम निर्धारित सीमा में विद्युत प्राप्त करेगा -

..... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से .....

..... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से .....

..... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से .....

(एतस्मिन् पश्चात इसे अनुबंधित/संविदा मांग अथवा अनुबंधित/संविदा भार कहा जाएगा)

- (ख) अनुज्ञप्तिधारी ऊपर अनुच्छेद 2(क) के अंतर्गत उल्लेखित मात्रा में विद्युत ..... वोल्ट दाब पर उपभोक्ता को प्रदाय करने हेतु सहमत है एवं उपभोक्ता विद्युत प्रदाय के एवज में विद्युत अधिनियम, 2003 (एतस्मिन् पश्चात इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अनुच्छेद 45 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (एतस्मिन् पश्चात इसे 'प्रदाय संहिता' कहा जाएगा) तथा सामान्य एवं विविध प्रभारों की अनुसूची एवं समय-समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

(एतस्मिन् पश्चात् इसे 'आयोग' कहा जाएगा) के विनियमों के अधीन भुगतान हेतु सहमत होगा।

3. इस अनुबंध का आरम्भ उपभोक्ता को विद्युत संयोजन प्रदान करने की वास्तविक तिथि, अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्धता के संबंध में जारी सूचना की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद के दिन से जो भी पहले हो, माना जाएगा।
4. इस अनुबंध से जुड़े हुए दोनों पक्ष अधिनियम तथा इस संबंध में लागू नियमों/विनियमों एवं समय-समय पर संशोधित प्रदाय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे। दोनों पक्ष इस बात के लिए भी सहमत हैं कि वे अन्य नियम अथवा विनियम, जो समय-समय पर विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत उपयोग हेतु लागू किए जायेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशों व आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।
5. यह अनुबंध उपरोक्तानुसार दर्शित दिवस से लागू होगा तथा तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कि विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अध्याधीन विद्युत प्रदाय समाप्त एवं पारिणामिक रूप से बंद नहीं किया जाता है।
6. उपभोक्ता प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु सहमत है।
7. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय को सुगम बनाने के लिए तथा विद्युत खपत का हिसाब रखने हेतु लगाये जाने वाले मीटर प्रणाली, यंत्र एवं उपकरण लगाने हेतु, स्वयं के व्यय पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा।
8. मीटर को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उचित रूप से सील किया जाएगा इस सील को दोनों पक्षों में किसी के भी द्वारा छेड़ा नहीं जाएगा सिवाय इसके कि अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जब उसे बदलने/दूसरा लगाने की आवश्यकता हो तब उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही ऐसा किया जा सकेगा।
9. इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय एवं विद्युत उपयोग का नियमन समय-समय पर संशोधित प्रदाय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार ही होगा।
10. प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए उपभोक्ता यह जिम्मेदारी लेता है, कि वह अपने परिसर में लगी हुई मीटर प्रणाली, यंत्र, उपकरण जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाई जाएगी की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखेगा और यह भी कि वह अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उपभोक्ता के परिसर में लगाई गई मीटर प्रणाली, यंत्र, उपकरण अथवा तृतीय पक्ष को उपभोक्ता परिसर की विद्युत स्थापना में आने वाली किसी भी खराबी के कारण हुए किसी भी नुकसान की भरपाई हेतु भी जिम्मेदार होगा।
11. इस अनुबंध में समाहित अथवा संशोधित कोई भी प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता का उन स्वत्वों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से वंचित नहीं कर सकेगा जो विद्युत प्रदाय एवं उपयोग के संबंधित किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुबंध अवधि में प्राप्त किये जा सकते हों।

12. उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक माह आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में अवधारित विद्युत एवं अन्य प्रभार जिसमें परिवर्तनीय ईंधन मूल्य समायोजन प्रभार भी सम्मिलित है का भुगतान किये जावेंगे। वर्तमान में प्रचलित विद्युत दर का विवरण निम्नानुसार है—
  1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का टैरिफ आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....
  2. दर सारणी .....
  3. लागू दर .....
13. यह कि विद्युत विक्रय के ऊपर केन्द्र/राज्य शासन/स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों/प्रभारों को उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा एवं भुगतान किया जाएगा।
14. यह कि उपभोक्ता इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वह परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशियों/संचित राशियों का भुगतान करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से इस तरह की राशि की वसूली उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूदा कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो, में स्थानांतरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।
15. यह कि उपभोक्ता यह घोषित करता है कि वह, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिस प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग स्वीकृत किया गया है, उसी प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग करेगा एवं किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नहीं करेगा।
16. यह कि उपभोक्ता यह वचन देता है / घोषित करता है कि वह इस विद्युत आपूर्ति को किसी अन्य परिसर तक न तो बढ़ाएगा न ही इसे किराये पर किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।
17. यह कि उपभोक्ता यह घोषित करता है कि उसके परिसर में संचालित उद्योग/व्यवसाय शासन की किसी संस्था द्वारा असाधारण/खतरनाक/प्रदूषणयुक्त घोषित नहीं किया गया है तथा इस परिसर पर विद्युत कनेक्शन देने में न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है। किसी भी समय यदि बाद में यह अन्यथा पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया जाएगा एवं इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. यह कि मांगे गए विद्युत कनेक्शन स्वीकृत होने पर उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन होने के आधार पर उस भवन के नियमितीकरण/भूमि उपयोग हेतु कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
19. यह कि अनुबंध की समाप्ति की दशा में अथवा संविदात्मक चूक के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार की बकाया, जिसमें विद्युत उपभोग की राशि भी सम्मिलित है, उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति या अन्य किसी भी जमा राशि से समायोजित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
20. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के समस्त अधिकृत कर्मचारियों को मीटर वाचन, संधारण, निरीक्षण, जाँच तथा परीक्षण आदि के कार्यों के लिए स्पष्ट एवं बाधा रहित पहुंच प्रदान करेगा।

21. यह कि अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर का विद्युत प्रवाह, कोई चूक होने पर/सांविधिक आवश्यकताएं पूरी न करने और/अथवा किसी संवैधानिक अधिकारी या न्यायालय के आदेश पर बिना किसी उत्तरदायित्व के विच्छेद करने का अधिकार होगा।
22. इस अनुबंध से संबंधित सभी विवादों एवं दावों का निराकरण अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
23. (क) इस अनुबंध के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्रदाय होने वाली विद्युत आपूर्ति की अधिकतम मांग की अवधि में, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखित में निर्देशित किया जायगा, के अनुसार, उपयोग को सीमित या नियंत्रित करने हेतु उपभोक्ता सहमत है।  
(ख) उपभोक्ता सहमत है कि विद्युत प्रदाय या विद्युत तंत्र में आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होने पर, अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकतानुसार इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति में कटौती करने, बांटने या पूर्ण रूप से बन्द कर सकेगा।
24. यह कि अनुज्ञप्तिधारी इस अनुबंध की किसी भी शर्त का उपभोक्ता द्वारा पालन न करने, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समय-समय पर लागू होने वाले विनियमों के उल्लंघन करने पर विद्युत प्रवाह विच्छेद करने हेतु उपभोक्ता को लिखित में विद्युत विच्छेद की सूचना जारी करने हेतु अधिकृत होगा।
25. इस अनुबंध में प्रयुक्त ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, जो कि अनुबंध में, अधिनियम में अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बने किसी भी नियम एवं विनियम में अथवा साधारण खण्ड अधिनियम-1897 के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो सामान्य बोलचाल की भाषा में मान्य है।
26. दोनों पक्षों को इस अनुबंध के प्रावधान ज्ञात व स्वीकार्य हैं कि इस अनुबंध के प्रावधान सदैव अधिनियम तथा इनके अन्तर्गत जारी नियमों, विनियमों एवं संहिता तथा समय-समय पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही पढ़ें जाएंगे। यदि इस अनुबंध की ऊपर वर्णित शर्तों में अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता, निर्देश आदि के प्रावधानों से भिन्नता पाई जाती है तो अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता एवं आयोग के आदेशों के प्रावधान लागू होंगे।
27. विशिष्ट शर्तें (यदि कोई हो) :- . . . . .

निम्न साक्षियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित के आदेश पर एवं उसके वास्ते .....  
 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं उपभोक्ता .....  
 ..... द्वारा प्रथम दर्शायी गई तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षर किये एवं सामान्य मुद्रा अंकित की गई।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने  
 अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये  
 (नाम व पता)

गवाह: (नाम व पता)

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर  
 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित

गवाह: (नाम व पता)

गवाह: (नाम व पता)

अनुज्ञप्तिधारी की मुद्रा



गवाह: (नाम व पता)  
नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने  
अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये

गवाह: (नाम व पता)

उपभोक्ता के हस्ताक्षर  
नाम व पता

गवाह: (नाम व पता)

स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो (शासकीय व  
स्थानीय निकाय को  
छोड़कर)

रबर/सामान्य सील निम्न व्यक्तियों की  
उपस्थिति में यहां अंकित की गई

गवाह: (नाम व पता)

उपभोक्ता की रबर की सामान्य सील  
(यदि लागू हो कंपनी/फर्म के लिए)

गवाह: (नाम व पता)

## संलग्न प्रपत्र-4

आवेदन प्रपत्र – पंजीकृत उपभोक्ता के नाम परिवर्तन/विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में संयोजन के स्वामित्व का स्थानांतरण/उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन/परिसर का स्थानांतरण  
(जो आवश्यक है उसे सही करें)

1	सर्विस कनेक्शन क्रमांक	
2	वर्तमान के पंजीकृत उपभोक्ता का नाम	
3	उपभोक्ता की श्रेणी	
4	संविदा मांग / भार	
5	पता	
		दूरभाष/मोबाइल क्रमांक ई-मेल
6	उस व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में कनेक्शन स्थानांतरित करना है (बड़े अक्षरों में)	
7	प्रयोजन बदलने हेतु आवेदन	
(i)	यदि आवेदन उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन के लिये है, तो वांछित टैरिफ श्रेणी दर्शित करें।	(इस आवेदन के साथ संलग्न टैरिफ कैटेगरी देखें)
(ii)	यदि आवेदन परिसर में परिवर्तन का है तो— (अ) नया पता जहां वर्तमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना है। (ब) उपकरण जिसे स्थानांतरित करना है। (मीटर, सर्विस लाईन, निम्न/उच्चदाब लाइन, ट्रांसफार्मर आदि)	
7	प्रयोजन बदलने का कारण	

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है (जो उपयुक्त हो चिन्हांकित करें) –

1. हाल में भुगतान किये बिल की प्रति।
2. विधिक स्वामित्व/अधिवासी का दस्तावेज़।
3. यदि उपलब्ध है/सम्भव है तो वर्तमान उपभोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. रजिस्ट्रीकृत अनुबंध/वसीयतनामा/उत्तराधिकार पत्र/तब्दीली (म्यूटेशन) पत्र (अन्य कोई प्रपत्र हो तो स्पष्ट करें)
5. अन्य उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कनेक्शन एक उत्तराधिकारी के नाम से परिवर्तित करना है।

दिनांक—  
स्थान—

उपभोक्ता का हस्ताक्षर  
नाम :

## पावती

वर्तमान में सर्विस कनेक्शन क्रमांक ..... जो कि श्री ..... के नाम है का आवेदन पत्र दिनांक ..... को श्री ..... के नाम पर बदलने/अन्य हेतु प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक ..... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील  
नाम एवं पद:

## संलग्न प्रपत्र-5

**आवेदन प्रपत्र – संविदा मांग/भार में वृद्धि /कमी तथा प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन हेतु  
(जो आवश्यक है उसे सही करें)**

1	आवेदक /संस्था का नाम	
2	सर्विस कनेक्शन नंबर	
3	परिसर का पता जहां विद्युत प्रदाय किया जा रहा है	
		दूरभाष / मोबाइल क्रमांक ई-मेल
4	संविदा मांग/भार में वृद्धि के प्रकरण में (i) वर्तमान संविदा मांग/भार (ii) प्रस्तावित संविदा मांग/भार	
5	संविदा मांग/भार में कमी के प्रकरण में (i) वर्तमान संविदा मांग/भार (ii) प्रस्तावित संविदा मांग/भार	
6	संविदा मांग/भार में वृद्धि/कमी करने का कारण	
7	भार में वृद्धि/कमी का विवरण (उपकरण का नाम सहित) (अ) प्रकाश (ब) मोटर (अ) कृषि (अ) अन्य (स्पष्ट करें)	
8	यदि आवेदन प्रयोजन/प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन का है (जो लागू हो उसे चिन्हीत करें)	(अ) एलटी एकल फेज से एलटी 3 फेज (ब) एलटी तीन फेज से एलटी एकल फेज (स) निम्नदाब से उच्चदाब (द) उच्चदाब से निम्नदाब (इ) उच्चदाब से अति उच्चदाब

दिनांक—

स्थान—

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

नाम :

टीप :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है (यदि लागू हो)–

- यदि उपभोक्ता की स्थापना में परिवर्तन किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं जांच रिपोर्ट।
- हस्ताक्षर हेतु अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र।

**पावती**

संविदा भार में वृद्धि/कमी हेतु श्री ..... का आवेदन पत्र सर्विस कनेक्शन क्रमांक..... दिनांक .....प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक ..... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील  
नाम एवं पद:

## संलग्न प्रपत्र-6

विद्युत आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन पश्चात उपभोक्ता को सूचित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

दिनांक .....

अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय का पता  
 सर्विस कनेक्शन नंबर  
 उपभोक्ता का नाम  
 उपभोक्ता की श्रेणी  
 संविदा भार / मांग  
 उपभोक्ता का पता

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी विद्युत आपूर्ति दिनांक ..... से निम्नलिखित कारणों से अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई है—

.....  
 .....

आपके द्वारा माह ..... से विद्युत बिल का भुगतान बंद कर दिया गया है तथा वर्तमान में आपके उपरोक्त कनेक्शन के विरुद्ध रु. .... की बकाया राशि देय है।

आपसे निवेदन है कि विद्युत विच्छेदन के कारणों को दूर कर शीघ्र इस कार्यालय को सूचित करें। आपसे यह भी निवेदन है कि विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन व पुनर्संयोजन हेतु रु. .... सहित रु. .... (यदि कोई शेष है तो) का भुगतान करें।

यदि इस नोटिस के 15 दिवस के भीतर विद्युत विच्छेदन के कारणों को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया गया तथा उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया तो यह मान लिया जायेगा कि आप विद्युत आपूर्ति चालू रखने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके परिसर में लगाया गया मीटर हटा लिया जायेगा तथा आपकी विद्युत आपूर्ति अनुबंध अवधि के बीतने के पश्चात आगे और कोई बिना नोटिस के स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम व पद

सील

## संलग्न प्रपत्र-7

## स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन तथा अनुबंध की समाप्ति हेतु आवेदन

दिनांक .....

सर्विस कनेक्शन नंबर  
 उपभोक्ता का नाम  
 उपभोक्ता की श्रेणी  
 संविदा भार / मांग  
 उपभोक्ता का पता  
 महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर संबंधित अनुबंध समाप्त करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है—

1. पिछले बिल की कॉपी।
2. पिछले बिल की भुगतान रसीद।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर  
 नाम  
 दूरभाष  
 पता

दिनांक —  
 स्थान —

पावती

विद्युत विच्छेदन एवं अनुबंध समाप्ति हेतु श्री ..... का आवेदन दिनांक .....  
 .....प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक .....  
 आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील  
 नाम एवं पद:

## संलग्न प्रपत्र-8

## अनुबंध समाप्ति पश्चात उपभोक्ता को सूचित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

दिनांक .....

अनुज्ञापिधारी के कार्यालय का पता  
 सर्विस कनेक्शन नंबर  
 उपभोक्ता का नाम  
 उपभोक्ता की श्रेणी  
 संविदा भार / मांग  
 उपभोक्ता का पता

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके ..... हासपावर/किलोवाट के ..... प्रयोजन हेतु लिया गया विद्युत कनेक्शन जिसका सर्विस कनेक्शन क्रमांक ..... से संबंधित आपके व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य हुआ अनुबंध दिनांक ..... से निम्नलिखित कारणों से समाप्त कर दिया गया है –

.....

.....

आपकी विद्युत आपूर्ति स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई है। विद्युत बिल व अन्य शुल्क के समायोजन पश्चात –

1. रु. .... की राशि जो आपको देय है का चेक क्रमांक ..... दिनांक .... संलग्न है।
2. रु. .... की राशि आपके द्वारा देय है। आपसे निवेदन है कि इस पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर इसका भुगतान करें अन्यथा उक्त राशि के वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर  
 नाम व पद  
 सील

## संलग्न प्रपत्र-9

## मीटर से संबंधित शिकायत/ मीटर परीक्षण हेतु आवेदन

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त शिकायत क्रमांक ..... (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखा जायेगा)

1. सर्विस कनेक्शन नंबर
2. उपभोक्ता का नाम
3. उपभोक्ता का पता एवं दूरभाष क्रमांक
4. शिकायत का संक्षिप्त विवरण – मीटर का जल जाना/पूरी तरह से रुक जाना/मीटर की तीव्र गति/सील का टूटना/मीटर की जाँच
5. अन्य कोई सूचना यदि हो

दिनांक .....

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

1. स्थल परीक्षण सूचना

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

2. संबंधित अधिकारी द्वारा टिप्पणी

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

## पावती

शिकायत दर्ज नंबर ..... (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जायेगा)

शिकायत प्राप्त किया गया द्वारा ..... (नाम एवं पद)

शिकायत प्राप्ति की तिथि .....

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील  
नाम एवं पद:

## संलग्न प्रपत्र-10

## सर्विस कनेक्शन/ट्रांसफार्मर तथा पावर लोड हेतु अनुशंसित केबल साइज

क्रमांक	प्रयोजन व वोल्टेज	विवरण	भार क्षमता
1	सड़क बत्ती 250/440V	केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम 1 कोर 1.5 वर्ग मि.मी. पॉलिथीन	समस्त श्रेणी के लेम्प (लाइट)
2	घरू कनेक्शन 250/440V 650/1100 V	(अ) 2.5 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन (ब) उपरोक्त 2(अ) अनुसार (स) 6 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू. पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन (द) उपरोक्त 2(स) अनुसार	10 एम्पियर तक 3 से 5 हार्सपावर 20 एम्पियर 7.5 से 10 हार्सपावर
3	पावर सर्विस 650/1100 V	(अ) 2.5 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन/पी.व्ही.सी. (ब) 95 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3 कोर 95 वर्ग मि.मी. 650/1100 या पॉवर केबल एल्युमिनियम 3.5 कोर 90/55 वर्ग मि. मी. (स) 120 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3 कोर (120 वर्ग मि.मी.) 3.5 कोर (150/70 वर्ग मि. मी.) पी.व्ही.सी./पी.व्ही.एल.	15 से 30 हार्सपावर और 25 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर 50 से 60 हार्सपावर 60 से 100 हार्सपावर तक
4	वितरण ट्रांसफार्मर	(अ) 120 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर 3(स) अनुसार (ब) पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3. 5 कोर 300/150 वर्ग मि.मी. पी.व्ही.सी. /650/1100 वोल्ट	63 से 100 के.व्ही.ए. 160 से 200 के.व्ही.ए.



## संलग्न प्रपत्र-11

1500 चक्कर प्रति मिनट के किसी इन्डक्शन मोटर में सीधे लगाये जाने हेतु अनुशंसित केपेसिटर का विवरण

मोटर कि.वा.	मोटर हार्सपावर	अधिकतम के.व्ही.ए.आर. क्षमता
1.865	2.5	1
3.730	5	2
5.595	7.5	3
7.460	10	4
9.325	12.5	4.5
11.2	15	5
13.1	17.5	5.5
14.9	20	6
16.8	22.5	6.5
18.7	25	7
20.5	27.5	7.5
22.4	30	8
24.2	32.5	8.5
26.1	35	9
28.0	37.5	9.5
29.8	40	11
31.7	42.5	11
33.6	45	11.5
35.4	47.5	12
37.3	50	13
41.0	55	13.5
44.8	60	14.5
48.5	65	15.5
52.2	70	16.5
56.0	75	17
59.7	80	19
63.4	85	20
67.1	90	21
70.9	95	22
74.6	100	23

टीप- उपरोक्त सारणी में दर्शित केपेसिटर की अनुशंसित क्षमता मुख्यतः सामान्य मार्गदर्शन हेतु है। जहां लगाये गये मीटर में औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित करने की सुविधा नहीं है वहां उपरोक्त दर्शित सारणी में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित अनुशंसित कार्यरत केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेगी

केपेसिटर लगाते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है-

1. बेहतर परिणाम के लिए हर मोटर के टर्मिनल पर मोटर की क्षमता के अनुरूप केपेसिटर लगाना चाहिए ताकि विद्युत प्रदाय के साथ केपेसिटर भी स्विच आफ/स्विच आन हो सके।
2. यदि कोई छोटे मोटरों के लिए एक स्थल पर सम्मिलित केपेसिटर लगाया गया है तो सिर्फ प्रकाश व पंखे चालू रहने की स्थिति में केपेसिटर स्विच आफ करे अन्यथा कम लोड या लोड नहीं होने की स्थिति में ओवर कम्पन्सेशन के कारण औसत मासिक पावर फेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है।

## संलग्न प्रपत्र-12

(ए) शिरोपरि लाइन के सबसे नीचे तार की भूमि से ऊंचाई (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 58)

- (1) सर्विस लाइन सहित सड़क के आरपार खींची गई शिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
  - (i) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो 5.8 मीटर
  - (ii) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो 6.1 मीटर
- (2) सर्विस लाइन सहित सड़क के साथ खींची गई शिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
  - (i) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो 5.5 मीटर
  - (ii) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो 5.8 मीटर
- (3) सर्विस लाइन सहित सड़क के साथ व उसके आरपार के अतिरिक्त अन्य स्थल पर खींची गई शिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
  - (i) लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही तक यदि खुला तार हो 4.6 मीटर
  - (ii) लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही तक यदि इंसुलेटेड तार हो 4.0 मीटर
  - (iii) लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो हो 5.2 मीटर
- (4) 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज के लाइन के लिये भूमि से ऊंचाई 5.2 मीटर तथा प्रति 33 के.व्ही. या उसके भाग पर 0.3 मीटर की दर के योग से कम नहीं होनी चाहिए बशर्त कि किसी भी सड़क के आरपार या उसके साथ ऊंचाई 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(बी) ऐसे सर्विस लाइन तथा लाइन की भवन से दूरी जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 60)

- (1) जहां तक सम्भव हो कोई शिरोपरि लाइन किसी स्थित भवन के ऊपर से नहीं जानी चाहिए तथा किसी स्थित लाइन के नीचे कोई भवन निर्माण नहीं करनी चाहिए।
- (2) जहां ऐसी शिरोपरि लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो किसी भवन के ऊपर से या पास से गुजरती है या किसी भवन के पास समाप्त होती है तो अधिकतम झूल के आधार पर भवन के किसी पहुंच बिन्दु से तार की दूरी निम्नानुसार से कम नहीं होनी चाहिए —
  - (i) किसी समतल छत, खुले बालकनी, बरामदा छत तथा झुके छत के लिए —
    - (अ) जब लाइन भवन के ऊपर से जाती है तो भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु से ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) ऊंचाई 2.5 मीटर
    - (ब) जब लाइन भवन के पास से गुजरती है तो भवन के सबसे पास बिन्दु से क्षैतिज (हारिजेन्टल) दूरी 1.2 मीटर
  - (ii) झुके छत के लिये —
    - (अ) जब लाइन भवन के ऊपर से गुजरती है तो लाइन के एकदम नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 2.5 मीटर
    - (ब) जब लाइन भवन के पास से गुजरती है तो क्षैतिज (हारिजेन्टल) दूरी 1.2 मीटर

- (3) ऐसा तार जिसकी स्थिति उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम होती है को पर्याप्त इन्सुलेटेड होनी चाहिए तथा उपयुक्त दूरी पर तार से जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ 350 किलो से कम न हो के माध्यम से भूयोजित होनी चाहिए।
- (4) क्षैतिज दूरी का माप ऊर्ध्वाधर से वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन (डिप्लेशन) की स्थिति में मापा जायेगा।
- (सी) भवन से 650 से अधिक वोल्टेज के लाइन की दूरी (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 61)
- (1) शिरोपरि लाइन किसी स्थित भवन के ऊपर से नहीं जानी चाहिए तथा किसी शिरोपरि लाइन के नीचे कोई भवन निर्माण कार्य नहीं करनी चाहिए।
- (2) जहां 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट की शिरोपरि लाइन किसी भवन या उसके भाग के ऊपर या पास से गुजरी है तो अधिकतम झूल की स्थिति में लाइन के एकदम नीचे स्थित भवन के सबसे ऊंचे भाग की दूरी निम्नांकित से कम नहीं होनी चाहिए—
- |      |   |   |
|------|---|---|
| (i)  | लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु<br>33 के.व्ही. से अधिक न हो | 3.7 मीटर  |
| (ii) | लाइन जिसका वोल्टेज 33 के.व्ही. से अधिक हो                       | 3.2 मीटर + प्रति<br>33 के.व्ही. या भाग<br>पर 0.3 मीटर<br>अतिरिक्त |
- (3) भवन के किसी भाग तथा सबसे पास के तार में वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन की स्थिति में दूरी निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
- |       |  |   |
|-------|--|---|
| (i)   | लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु<br>11 के.व्ही. से अधिक न हो   | 1.2 मीटर  |
| (ii)  | लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही. से अधिक हो परन्तु<br>33 के.व्ही. से अधिक न हो | 2.00 मीटर   |
| (iii) | लाइन जिसका वोल्टेज 33 के.व्ही. से अधिक हो                                    | 2.0 मीटर + प्रति<br>33 के.व्ही. या भाग<br>पर 0.3 मीटर<br>अतिरिक्त |
- (डी) उच्च व अति उच्चदाब लाइन से सुरक्षित कार्य दूरी :- जहां 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति, परिवर्तन, ट्रांसफार्म या उपयोग किया जाता के लिये न्यूनतम सुरक्षित कार्य दूरी निम्नानुसार है—
- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| उच्चतम प्रणाली वोल्टेज कि.वोल्ट में | सुरक्षित कार्य दूरी मीटर में |
| 12                                  | 2.6                          |
| 36                                  | 2.8                          |
| 145                                 | 3.7                          |
| 245                                 | 4.3                          |

## संगलन प्रपत्र 13 (ए)

**कंडिका 4.53 संबंधी उदाहरण – अपूर्ण विकसित कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति**

मान लीजिए कुल प्लोटों की संख्या 100 है जिसमें से 30 संयोजन प्राप्ति के इच्छुक हैं कंडिका 4.51 के आधार पर 30 आवेदनों के आकलित भार 120 किलोवाट है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित औसत दर रु.3000 प्रति किलोवाट है, तो 30 आवेदकों से प्राप्त राशि रु.3.60 लाख ( रु.3000X120) होगी।

यदि इन 30 आवेदकों को विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु. 12 लाख होती है जो कि अनुमति योग्य विस्तार कार्य की राशि रु.14.4 लाख (3.6 x4) से कम है तो 30 आवेदकों से विस्तार कार्य हेतु 3.6 लाख रुपए प्राप्त कर लाइन विस्तार कार्य किया जा सकता है।

यदि इन 30 आवेदकों को विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु.16 लाख होती है जो कि अनुमति योग्य विस्तार कार्य की राशि रु. 14.4 (3.6 x4) लाख से अधिक है तो अतिरिक्त प्राक्कलित राशि रु.1.6 (16-14.4) लाख की राशि इन 30 आवेदकों से उनके भार के समानुपात में रु.3000 प्रति किलोवाट की दर से आकलित राशि से अतिरिक्त ली जायेगी।

वितरण ट्रांसफॉर्मर का स्थान सभी 100 प्लोटों के भार को ध्यान में रख कर भार केन्द्र के आधार पर तय किया जायेगा परन्तु ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वर्तमान के 30 आवेदकों के भार के आधार पर तय की जायेगी।

तत्पश्चात 100 प्लोटों में से विद्युत आपूर्ति हेतु आने वाले आवेदकों को रु.3000 प्रति किलोवाट की दर से राशि जमा करनी होगी भले ही लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न पड़े।

भविष्य में इन 100 प्लोटों में से आने वाले संयोजन में यदि लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता होती है तो ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी होगी।

## संगलन प्रपत्र 13 (बी)

**कंडिका 4.56 संबंधी उदाहरण – छोटे/गृह उद्योगों को विद्युत आपूर्ति**

मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में 15 हास्रपावर के हालर/आटा चक्की हेतु आवेदन प्राप्त होता है जिसके लिये लाइन विस्तार कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रु.80000 होती है यदि आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र हेतु औसत दर रु.3500 प्रति हास्रपावर हो तो आवेदक द्वारा लाइन विस्तार कार्य हेतु देय राशि रु.52500 (3500 x 15) होगी।

चूंकि लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु.80000 जो कि अनुमति योग्य राशि रु. 105000 (52500 x 2) से कम है अतः आवेदक से लाइन विस्तार कार्य हेतु रु.52500 प्राप्त कर लाइन विस्तार कार्य किया जा सकता है।

यदि लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु.1.2 लाख होती है जो कि लाइन विस्तार हेतु अनुमति योग्य राशि अर्थात् रु.1.05 लाख से अधिक है तो अतिरिक्त राशि रु.0.15 (1.2-1.05) लाख आवेदक द्वारा रु.52500 के अतिरिक्त लाइन विस्तार कार्य हेतु देय होगा।

भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में अन्य आने वाले छोट/लघु उद्योग के लिये रु. 3500 प्रति हास्रपावर की दर से आवेदक द्वारा लाइन विस्तार कार्य राशि जमा की जायेगी भले ही उसके लिये लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो।

\*\*\*\*\*

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 309]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर 2011 — अग्रहायण 7, शक 1933

---

## **Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission**

Irrigation Colony, Shantinagar, Raipur - 492 001 (Chhattisgarh)

Tele: 771-5073555, Fax:771-5073553

**Raipur Dated: 28/11/2011**

No.39/CSERC/2011. In exercise of powers conferred by section 43 (1) read with section 181 (t), section 44, section 46 read with section 181 (1), section 47 (1) read with section 181 (v), section 47(4) read with section 181 (w), section 47(2), (3) and (5), section 48 (b) and section 50 read with section 181 (x) and section 56 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and the Electricity (Removal of Difficulties) order, 2005 issued by the Ministry of Power, Government of India on 08/06/2005, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Code to be known as "**Chhattisgarh State Electricity Supply Code-2011**" to govern distribution and supply of electricity and the procedures thereof, such as the systems of billing, modality of payment of bills, the powers, functions and obligations of the distribution licensees and the rights and obligations of consumers, etc. This Code also specifies the set of practices that shall be adopted by licensee to provide efficient, cost effective and consumer friendly services to the consumers.

## **CHAPTER 1:      SHORT TITLE, SCOPE COMMENCEMENT AND REVIEW PROCESS.**

- 1.1 This Code may be called the “Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011”.
- 1.2 This shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Rajpatra.
- 1.3 It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.
- 1.4 It shall apply to all persons engaged in the business of distribution of electricity as distribution licensees including the Chhattisgarh State Power Distribution Company (CSPDCL) and its agents, under the Electricity Act, 2003 and to the consumers of electricity. It shall also apply to all persons exempted from distribution licence under sec.13 of the Act.
- 1.5 Copies of *this Code* and Regulations for Redressal of Consumer Grievances, as duly amended from time to time, shall be kept in the registered offices, regional offices, circle offices, division offices, centres of the licensees and such other offices as may be specified by the licensees or by the Commission.

### **Mechanism for review of Electricity Supply Code**

- 1.6 The Commission shall constitute an Electricity Supply Code Review Committee (Review Committee) to review this Code along with and Regulations for Redressal of Consumer Grievance on regular basis. The Review Committee shall consist of such number of persons, as the Commission may consider necessary, adequate and will be appointed by the Commission, including persons representing the following:
  - (a) Each Distribution Licensee of the State;
  - (b) State Transmission Utility (STU) or Transmission licensee;
  - (c) LT consumers, HT consumers, EHT consumers, their associations and any consumer groups; and
  - (d) Any other interested group including NGO as the Commission may think fit.
- 1.7 The Commission shall appoint a Chairman from among the representatives of the licensees. The Chairman of the Review Committee shall appoint an officer as Member Secretary. The concerned licensee shall provide all the required support, administrative or otherwise to the Committee in the discharge of its functions. All members of the Review Committee shall be appointed for a period of two years.
- 1.8 The Review Committee shall meet at least once every six (6) months.

- 1.9 The Member Secretary of the Review Committee shall send the proceedings of the meetings of the Committee to the Commission within 15 days of the meetings.
- 1.10 The Commission may amend the Electricity Supply Code suo motu or on the recommendations of the said Committee. However, before any amendment is made in the Code, comments on the proposed changes shall be obtained from all the Distribution licensees, STU, Transmission licensees and the public.
- 1.11 A notice regarding amendment made in the Electricity Supply Code shall be published by the licensee in at least two newspapers having wide circulation in the area of supply stating that copies of the amended Electricity Supply Code are available for purchase in the offices mentioned in clause 1.5.

## CHAPTER 2: DEFINITION

2.1 In this Code, unless it is repugnant to the context

- (a) **‘Act’** means The Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) as amended from time to time
- (b) **‘Agreement’** with its grammatical variations and cognate expressions means an agreement entered in to between the licensee and the consumer under this Code;
- (c) **‘Apparatus’** means electrical apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances in which conductors are used;
- (d) **“Applicant”** means an owner or occupier of any land/premises who files an application form with a licensee for supply of electricity, increase or reduction in sanctioned load/contract demand, change in title, disconnection or restoration of supply, or termination of agreement, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act and the Code, rules and regulations made thereunder or other services;
- (e) **“Application”** means an application form complete in all respects in the appropriate format, as required by the Distribution licensee, along with documents showing payment of necessary charges and other compliances;
- (f) **“Application form”** means an application form complete in all respects in the appropriate format, as required by the Distribution licensee, before any payment of applicable charges;
- (g) **‘Area of supply’** means the geographic area within which a licensee is authorized by his license to supply electricity;
- (h) **‘Average Power Factor’** means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the billing month; the ratio being rounded off to two decimal figures, 5 or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher place in the second. In case KWh or KVAh reading is not available, then average monthly power factor shall be calculated on the basis of KVARh reading, if the meter has KVARh recording feature.
- (i) **‘Billing Month or Month’** means a period of about 30 days between the two consecutive meter readings for the purpose of billing in case of monthly billing.
- (j) **‘Billing cycle’** means a period of more than 30 days between two consecutive meter readings for the purpose of billing such as bimonthly / trimonthly billing.
- (k) **‘Breakdown’** means an occurrence relating to the equipment of the electric energy supply system including electrical line that prevents its normal functioning;
- (l) **‘Code or Supply Code’** means the Chhattisgarh State Electricity Supply Code, as in force from time to time;



- (m) **‘Commission’** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;
- (n) **‘Conductor’** means any wire, cable, bar, tube, rail or plate used for conducting electrical energy and so arranged as to be electrically connected to a system;
- (o) **‘Connected load’** means aggregate of the manufacturer’s rating of all energy consuming devices, in the consumer’s premises, which can be simultaneously used. This shall be expressed in KW, or HP units and can also be determined as per the procedure laid down in clause 5.52 on ‘Rating of Installations’ in this Code;
- (p) **‘Connection point’** means a point at which the consumer’s installation and/or apparatus are connected to distribution licensee’s distribution system;
- (q) **‘Consumer’** means as defined in section 2(15) of the Act and for the purpose of this Code shall also include a person who has applied for an electricity connection or a person who had a connection but whose electricity supply has been disconnected for the time being for whatever reason.
- (r) **‘Consumer’s installation’** means any composite electrical unit including electric wires, fittings, motors and apparatus, portable and stationary, erected and wired by or on behalf of the consumer at the consumer’s premises;
- (s) **‘Contract Load or Contract demand’** means the maximum load in KW, KVA or HP, as the case may be, agreed to be supplied by the licensee and contracted by the consumer and mentioned in the agreement executed between consumer and licensee;
- (t) **‘Cut-out’** means any appliance for automatically interrupting the supply of energy through any conductor when the current rises above a predetermined quantum, and shall also include fusible cut-out;
- (u) **‘Date of release of connection’** is the date when licensee energize the installation of consumer by connecting the distribution main through the meter.
- (v) **‘Date of commencement of Agreement’** means the day immediately following the date of expiry of a period of one month for in case of LT connections and three months in case of HT and EHT connections from the date of intimation to an intending consumer of the availability of power to its premises or the actual date of release of connection to such consumer, whichever is earlier;
- (w) **‘Demand charge’** for a billing month means a charge levied on the consumer based on the billing demand and shall be calculated as per the procedure provided in the tariff order, passed by the Commission, under part VII of the Act;
- (x) **‘Distribution mains’** means the portion of any main with which a service line is, or is intended to be, immediately connected;

- (y) **‘Distribution system’** means the system of wires and associated facilities of distribution licensee connected to or to be connected to the installation of the consumer. It shall also include electric line, substation and electrical plant that are primarily maintained for the purpose of distributing electricity in the area of supply of such distribution licensee notwithstanding that such line, sub-station or electrical plant are high pressure cables or overhead lines or associated with such high pressure cables or overhead lines; or used incidentally for the purposes of transmitting electricity for others;
- (z) **‘Earthed’** or **‘connected with earth’** means connected with the general mass of earth in such a manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger;
- (aa) **‘Electrical Inspector’** An inspector as defined in section 54 of the Act.
- (bb) **‘Electric line’** means any line which is used for carrying electricity for any purpose and includes:
  - (i) any support for any such line, that is to say, any structure, tower, pole or other thing in, on, by or from which any such line is, or may be, supported, carried or suspended; and
  - (ii) any apparatus connected to any such line for the purpose of carrying electricity;
- (cc) **‘Energy’** means electrical energy:
  - (i) generated, transmitted or supplied for any purpose, or
  - (ii) used for any purpose except the transmission of a message;
- (dd) **‘Energy charge’** refers to a charge levied on the consumer based on the quantity of electricity (units in *KWh* or *KVAh* as per tariff) supplied;
- (ee) **‘Extra High Voltage’** or **‘Extra High Tension’** means the voltage, which exceeds 33,000 volts subject, however, to the percentage variation as shown in clause 3.3 of this Code;
- (ff) **‘Feeder’** means a LT, HT or EHT distributor, emanating from a sub station, to which a distribution sub station or LT, HT or EHT consumers are connected;
- (gg) **‘Fixed charges’** shall be as per the provisions of the prevailing Tariff Order issued for the licensee by the Commission;
- (hh) **“Harmonics”** means a component of a periodic wave having frequency that is an integral multiple of the fundamental power line frequency of 50Hz causing distortion to pure sinusoidal waveform of voltage or current, and as governed by IEEE STD 519-1992, namely “IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems” and corresponding standard as may be specified in accordance with clause (c) of subsection (2) of section 185 of the Act;
- (ii) **‘High Voltage (HV) or High Tension (HT)’** means the voltage higher than 650 volts but which does not exceed 33,000 volts under normal conditions subject to the percentage variation in clause 3.3 of this Code;

- (jj) **‘Independent Feeder’** means a feeder constructed at the cost of consumer or a group of consumers and supplying electricity to only that consumer or group of consumers.
- (kk) **‘Initial period of agreement’** means the period of two years starting from the date of commencement of agreement. The initial period of agreement shall continue till the end of the month, on which the last date of the two year period expires;
- (ll) **‘Installation’** means any composite electrical unit used for the purpose of generating, transforming, transmitting, converting, distributing or utilizing energy;
- (mm) **‘Licensed Electrical Contractor’** means a contractor licensed as per clause 29 of CEA Safety Regulation 2010;
- (nn) **‘Licensee’** means a distribution licensee, granted licence for distribution of electricity under section 14 of the Act unless the context otherwise requires.
- (oo) **“Load Factor”** means the ratio of the total number of units consumed during a given period to the total number of units which may have been consumed had the contract demand/sanctioned load been maintained throughout the same period, and shall usually be expressed as a percentage;  

$$\text{Load Factor in percentage} = \frac{\text{Actual units consumed in a given period} \times 100}{(\text{Contracted load in KW} \times \text{No of hours in the period})}$$
- (pp) **‘Low Voltage (LV) or Low Tension (LT)’** means the voltage, which does not exceed 230 volts under normal conditions subject, however, to the percentage variation as per clause 3.3 of this Code;
- (qq) **‘Maximum demand’** for a category of consumer shall be determine as specified in the tariff order passed by the Commission;
- (rr) **‘Medium voltage’** means the voltage higher than 230 volts but which does not exceed 650 volts under normal conditions subject, however, to the percentage variation as per clause 3.3 of this Code;
- (ss) **‘Meter’** means a set of necessary integrating instruments and equipments wherever required, used to measure and/or record and/or store the electrical quantities like energy in KWh or KVAh, maximum demand in KW or KVA, reactive energy in KVARh etc. in a given time, which include whole current meter and metering equipment such as Current Transformers (CT), Capacitor Voltage Transformer (CVT), Potential Transformers (PT) with cable, wiring, where used in conjunction with such meter or its accessories and any devices like test terminal block switches or MCB/ load limiter or fuses used for protection and testing purposes and any enclosure used for housing or fixing such meter or its accessories; and shall also include any seal or sealing arrangement provided by licensee.
- (tt) **‘Point of supply’** means the point at the incoming terminals of switchgear installed by the consumer;
- (uu) **‘Power factor’** is the cosine of the electrical angle between the voltage and current vectors in an AC electrical circuit;

- (vv) **‘Premises’** means land, building or infrastructure or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the licensee for supply of electricity;
- (ww) **‘Rural areas’** means the areas covered by Gram Panchayats;
- (xx) **‘Sanctioned load’** means the load in kW, kVA or BHP, which the licensee has agreed to supply from time to time subject to the governing terms and conditions in the absence of an Agreement between the Distribution licensee and the consumer;
- (yy) **‘Tariff order’** in respect of a licensee means the most recent order issued by the Commission for that licensee indicating the rates to be charged by the licensee from various categories of consumers for supply of electricity;
- (zz) **‘Theft’** shall mean theft of electricity as defined in Section 135 of the Act;
- (aaa) **‘Transmission licensee’** means a person who has been granted a license under Section 14 of the Act authorizing him to establish or operate transmission lines;
- (bbb) **‘Transmission system’** means the system consisting of extra high voltage electric lines being operated at EHV (excluding generator interconnection facilities) owned and/or operated by the Transmission licensee for the purposes of the transmission of electricity from one power station to a sub-station or to another power station or between sub-stations or to or from any external interconnection equipment up-to the interconnection with the distribution system and includes the plant and apparatus and meters owned or used by the transmission licensee in connection with the transmission of electricity, but shall not include any part of any licensee’s distribution system;
- (ccc) **‘Urban areas’** means the areas covered by all Municipal Corporations and other Municipalities Nagar Panchayat including the areas falling under the various Urban Development Authorities, Cantonment Authorities and industrial estates or townships;

2.2 All other expressions used herein but not specifically defined, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to electricity industry in the state or stated in the tariff order passed by the Commission, under section 62 of the Act shall have the meaning assigned to them in such law. Subject to the above, the expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act or any law passed by the Parliament shall have the meaning as is generally assigned to them in the electricity supply industry.

## CHAPTER 3: SYSTEM OF SUPPLY AND CLASSIFICATION OF CONSUMERS

### System of Supply

- 3.1 The declared frequency of the alternating current (AC) shall be 50 cycles per second.
- 3.2 The declared voltage of the AC supply is as follows:
- (a) Low voltage (LV) or Low tension (LT)
    - (i) Single Phase: 230 volts between phase and neutral;
    - (ii) Three Phase: 400 volts between phases;
  - (b) High Tension (HT) - Three Phase: 11 KV or 33 KV between phases; and
  - (c) Extra High Tension (EHT) - Three Phase: 132 KV or 220 KV between phases.
- For Railway traction two-phase supply may be given.
- 3.3 The licensee shall design and operate a distribution system in conjunction with the transmission system. The licensee shall not permit the voltage at the point of supply to the consumer to vary from the declared voltage which is:
- (a) In the case of low voltage, by more than 6%;
  - (b) In the case of high voltage, by more than 6% on the higher side or by more than 9% on the lower side;
  - (c) In the case of extra high voltage, by more than 10% on the higher side or by more than 12.5% on the lower side.

Any exception to the above will only be allowed with the written consent of the consumer and with prior approval of the Commission.

### Voltage of Supply to Consumers

- 3.4 The supply voltage-wise minimum and maximum contract demands shall normally be as follows.

Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
230 volts	-	3 KW
440 volts	Above 3 KW	100 HP or 75 KW
11 KV	60 KVA	500 KVA
33 KV	60 KVA	10000 KVA
132 KV	4000 KVA	40000 KVA
220 KV	15000 KVA	150000 KVA

Provided that due to technical reasons, the licensee may relax above provision after due approval from Commission. The HT and EHT consumers having contract demand exceeding the maximum limit as prescribed above, shall be levied additional charges as specified by the Commission in relevant tariff order.

- 3.5 The minimum contract demand specified at clause 3.4 of this Code shall not be applicable to generators availing start-up power and to such captive and non-captive consumers of captive generating plant (CGP) who can reduce their contract demand to any extent even to zero as specified in clause 12.14 and 12.15 of this Code.
- 3.6 In case of Railways traction, the maximum and minimum limits of contract demand shown in clause 3.4 of this Code may be relaxed by the licensee on mutual agreement depending on the actual requirement and feasibility.

### Harmonics

- 3.7 The maximum permissible limit of harmonics as specified in Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standard 519 (1992) adopted in clause (5) of part-II of Central Electricity Authority (Technical standard of connectivity to the grid) Regulations 2007 (hereafter CEA (Technical Standard Regulations)) is as follows:

(a) Voltage distortion limit – Utilities responsibility

Bus Voltage	Maximum individual voltage distortion	Total maximum voltage distortion
33KV & 132 KV	3.0	5.0
220KV	2.0	2.5
400KV	1.5	2.0

(b) Current distortion – users responsibility

The total harmonics distortion for current drawn from the transmission system at the connection point shall not exceed 8%.

- 3.8 The voltage unbalance i.e. difference of voltage between any two phases on 33 KV and above shall not exceed 3% at supply point.

### Load Balancing

- 3.9 All the consumers availing three phase supply shall balance their load in such a way that difference in loading between each phase does not exceed 5% of average loading between phases.

### **Classification of Consumers**

- 3.10 The classification of consumers, tariff and conditions of supply applicable to each category of consumers shall be as fixed by the Commission from time to time in the tariff order passed under section 62 of the Act or otherwise. The licensee may classify or reclassify consumers into various categories from time to time as per classifications done by the Commission in tariff order.
- 3.11 Interpretation of Commission on classification of consumer and applicability of tariff will be final and binding on licensee and consumer both.

## **CHAPTER 4: PROCEDURE FOR RELEASE OF NEW CONNECTION AND CHANGE IN EXISTING CONNECTION.**

### **Licensee's Obligation to Supply**

- 4.1 The licensee shall, on an application by the owner or lawful occupier of any premises located in his area of license give supply of electricity to such premises within the time limit specified as shown in clause 4.58 of this Code, provided
- (a) the supply of electricity is technically feasible,
  - (b) the applicant has observed the procedure specified in this Code, and
  - (c) the applicant bears the cost of extension for supply as specified in this Code.

Application referred to above means the application complete in all respects in the appropriate form, as required by the distribution licensee, along with documents showing payment of necessary charges and other compliances such as execution of agreement and submission of test report / approval from Electrical Inspector etc. as the case may be.

### **Licensee's obligation to extend the distribution system and consumer's share in cost**

- 4.2 The licensee shall bear the cost for strengthening / upgradation of the system for quality supply to the existing consumers which shall be recovered from the consumers through tariff.
- 4.3 The cost of extension of distribution mains and extension / upgradation of the system required up to the point of supply for meeting demand of new consumers and load enhancement of existing consumers, shall be borne by the consumer/applicant unless otherwise specifically mentioned in this Code or in Misc. and General Charges as approved by the Commission as per provision in section 46 of the Act.
- 4.4 In case, release of a new LT industrial connection or enhancement of load of an existing LT industrial connection requires augmentation of capacity of existing transformer or installation of a separate transformer, the consumer shall be liable to bear the cost of transformer proportionate to the load requisitioned by him only. The land/room with easy access required for housing the transformer sub-station and switch gears shall be provided by the consumer free of cost for which no rent or premium shall be payable by the licensee, in case it is not possible to set up the substation in the public land.
- 4.5 The extension of distribution mains, notwithstanding the fact that it has been paid for by the consumer, shall be the property of the licensee. The licensee shall maintain it at his cost and shall also have the right to use the same extension of distribution mains for supply of electricity to any other person, provided that such use does not adversely affect supply to the consumer already connected to distribution network.



- 4.6 When the licensee is ready to give supply, he shall serve a notice to the consumer intimating that supply has been made available up to his premises and the consumer may avail connection within one month, in case of LT consumers, and three months, in case of HT or EHT consumers. The notice shall be sent through registered post or by hand duly acknowledged. If the consumer fails to avail connection within the notice period, he shall be liable to pay charges due thereon as per the provisions of this code at the rate specified in prevailing tariff order from the day following the end of the notice period.

**Conditions for grant of connection and consumer's obligations:**

- 4.7 An applicant for electricity supply shall have to lay the service line of specifications approved by the licensee. The length of such service line from the distribution mains to the point of supply where meter is to be installed should not normally be more than 30 meters. The service line may be overhead or underground with cable, and no joint in the service line shall be allowed. Apart from laying of service line, the consumer shall be required to pay security deposit, service connection charges and agreement charges. The consumer shall carryout augmentation in size of service connection cable wherever required due to enhancement of load.
- 4.8 Whether release of LT connection involves extension of line or not, the laying of work of service line shall be got done by the consumer through authorized licensed electrical contractor and submit the test report to licensee before release of connection.
- 4.9 However, in cases, where extension of distribution mains is required, the consumer may get the line extension work done through an authorized licensed electrical contractor as per layout, drawing and design approved by licensee. In such cases, the consumer shall be required to pay supervision charges as approved by Commission on the cost of materials plus labour charges. This asset on completion of line extension work be handed over to the licensee and after release of connection, line will be owned and maintained by licensee.
- 4.10 In cases where consumer intends to get the line work executed by licensed electrical contractor, the consumer himself may procure the materials of approved make and from approved vendors list of licensee else the responsibility of replacement in case of failure of equipment within the guarantee period shall rest on consumer. The material should, conform to relevant BIS specification or its equivalent and should bear ISI mark wherever applicable. The licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used. The transformer sub-station installed should be in accordance with provision in clause 5.10 to 5.17 of this Code.
- 4.11 Where the line extension work is done by the consumer, the consumer shall get the work done within the timeframe as provided in clause 4.58 of this Code, failing which the licensee may, on giving fifteen days' notice, treat the application for supply as cancelled.

## **PROCEDURE FOR PROVIDING NEW SERVICE CONNECTION:**

### **Application form for Supply**

- 4.12 Application form for supply of electricity as the case may be shall be made in the form as prescribed in Annexure 1 / Annexure 2, copies of which shall be made available by the licensee free of cost at its local offices. Acknowledgement shall be issued forthwith on receipt of an application form. Photocopies of blank form or form downloaded from the website of the licensee may also be used by the consumer and shall be accepted by the licensee.
- 4.13 The occupier of the premises, for whom supply is required, shall mention in application form his full name and postal address with telephone/mobile number (if available) the location where the supply is required. Any assistance or information required in filling up the form should be given to the consumer at the office where application form is to be submitted. The occupier of the premises has to ensure that the work of wiring/installation of machines/equipments is got done through a licensed electrical contractor duly authorized to execute such work.
- 4.14 The licensee shall also provide new avenues for applying for new connection or modification in existing connection through website, call centres, etc. which will minimize the applicant's interface with the utility during the process.
- 4.15 Application forms for new connection must be accompanied with self attested photocopies of identity proof of the applicant, proof of applicant's ownership or occupancy over the premises for which new connection is being sought, proof of applicant's current address, and in specific cases, certain other documents as detailed in clause 4.17 of this Code.
- 4.16 Registration-cum-processing fees as decided by the Commission shall be levied while applying for new connection. These charges shall be adjusted by the licensee while issuing future bill. However, in case the consumer does not complete the formalities and his application is cancelled, the processing fee will not be refunded to the consumer.

### **Proof of Identity:**

Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of identity:

- (A) If the applicant is an individual:
- (i) Electoral identity card;
  - (ii) Passport;
  - (iii) Driving license;
  - (iv) Ration card;
  - (v) Photo identity card issued by Government agency;
  - (vi) PAN card;
  - (vii) Photo Certificate from Sarpanch or any village level Government functionary like Patwari /postmaster/ in-charge of primary health centre etc.
  - (viii) Unique ID (Adhar Card)
- (B) If the applicant is a company, trust, educational institution, government department etc, the application form shall be signed by a competent

authority along with a relevant resolution/ authority letter of the institution concerned.

**Proof of legal ownership / occupier:**

Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of legal ownership or occupancy of premises:

- (1) Copy of sale deed or lease deed/partnership deed/succession or heirship certificate/ deed of last will.
- (2) Registered General Power of Attorney;
- (3) Latest Municipal tax receipt;
- (4) Letter of allotment of land / house from Government authority.
- (5) Certificate of Sarpanch about ownership of house in case of village.
- (6) Patta issued by Government authorities.
- (7) An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall, along with any one of the documents listed at (1) to (6) above shall also furnish a No Objection Certificate from legal owner of the premises.
- (8) In case of supply for agriculture/ irrigation pump set, the copy of the current Khasra map with copy of B1 giving the 'khasra' number of the field where supply is required along with location of well dug. In case of lifting of water from tank, river nala, the NOC from authorized Revenue authority and In case of joint land owner power of attorney in the name of applicant also to be submitted.

**Proof of current address:**

Any of the following documents shall be considered as acceptable proof of current address for communication:

- (1) Electoral identity card;
- (2) Passport;
- (3) Driving license;
- (4) Ration card;
- (5) Photo identity card issued by any Government agency;
- (6) Statement of running Bank Account;
- (7) Most recent Water / Telephone / Electricity / Gas connection Bill;
- (8) Income Tax assessment order

4.17 The consumer shall also furnish, along with the application form, copies of the following documents wherever applicable.

- (a) Approval / permission of the local / statutory authority, if required under any law /rules. This may be required for industrial connections, large non-domestic connections and multi-consumer complexes.

- (b) In case of a partnership firm, partnership deed, authorization in the name of the applicant for signing the application form and agreement.
- (c) In case of a Public or Private Limited Company, the Memorandum and Articles of Association and Certificate of incorporation together with an authorization in the name of the applicant for signing the application form and agreement.
- (d) Environmental clearance wherever required from the concerned Department/competent authority if available at the time of submission of application form, or else shall have to be submitted before release of connection.
- (e) SSI registration in case of small industries and registration from Industries Department in case of other industries..
- (f) In case of applications for supply of electricity to stone crushers, stone polishing and hot-mix plants, the following additional information shall also be furnished.:
  - (i) Documentary proof from the Department concerned to show that the supply of electricity is required for at least two years; and
  - (ii) Permanent address of applicant.
- (h) In case of industries, extract of project report relevant to power and process requirements.
- (i) The consumer shall also intimate whether the extensions work, if any, will be done by him or the licensee.
- (j) Proof of having deposited the necessary processing fee, as fixed by the Commission.

**Note:** The licensee may ask for the original documents, from the consumer, for verification.

- 4.18 In case the applicant for a new connection for domestic category is unable to provide the proof of legal occupation of the premises, the officer in charge of local office may waive such requirement and record, in writing, the reasons thereof. But in such cases, the applicant shall execute an indemnity bond, indemnifying the licensee against any damages payable on account of any dispute arising out of supply of power to the premises and to authorize the licensee to disconnect the supply in case of any dispute subsequently by actual land owner. However, the consumer has to provide NOC from the owner of the land in cases where extension of line is required on such land. The security deposit to be paid by the consumers in such cases shall be equal to the amount of ninety day's of average consumption to be determined by the licensee's local office. The serving of connection to such premises shall not be used as a proof of legal rights on the premises or for any other legal purposes.
- 4.19 If the consumer, in respect of an earlier agreement executed in his name or in the name of a firm or company with which he was associated either as a partner, director or managing director, has any arrears of electricity dues on the premises for which the new connection is applied and such dues are payable to the licensee, the requisition for supply may not be entertained by

the licensee until the dues are paid in full. In case of a person occupying a new property, it will be the obligation of that person to check the electricity bills for the previous months or, in case of disconnected supply, the amount due as per the licensee's records immediately before his occupation and ensure that all outstanding electricity dues as specified in the bills are duly paid up and discharged. The licensee shall be obliged to issue a certificate of the amount outstanding against the connection that was installed or is installed in such premises on request made by such person within 30 days from the date of receipt of such request and release the connection after clearance of outstanding dues.

- 4.20 (i) Electricity will be supplied to a consumer at a single point for the entire premises. For the purpose of terms and conditions of supply, premises shall be deemed to be separate-
- (a) if owned by different persons or taken on lease by different persons, the terms of lease being valid for a period of at least two years at the time of connection;
  - (b) if domestic households have relevant document from local authorities identifying the premises as separate;
  - (c) if the part of domestic premises is used for non-domestic purposes; and
  - (d) in case of industries, if the industrial establishment are manufacturing different products, not as part of single manufacturing process, and their physical locations are different and distinct.
- ii) Each separate premise will be given separate point of supply.

Provided that HT consumer may avail separate LT connection in same premises to meet out its essential load as per provision in clause 4.40 of the Code.

- 4.21 An **application form** shall be deemed to be received on the date of receipt of consumer's requisition of supply in the prescribed format of the application form, complete in all respects and attached with all relevant documents.

An **application** shall be deemed to be received on the date of receipt of all applicable charges including the security deposit in accordance with clause 6.4 and 6.5 of this Code, after receipt of the application form, execution of agreement and other obligation by consumer such as submission of test report / NOC from Electrical Inspector and other relevant documents as per provision in clause 4.17 of this Code.

## **Processing of application form**

- 4.22 The licensee shall verify the application form and the enclosed documents at the time of its receipt. On receipt of application form complete in all respects, the licensee shall issue a written acknowledgement to the consumer immediately indicating its registration number. If the application is incomplete, or otherwise the entries are defective, the shortcomings shall be intimated to the applicant in writing within 5 working days. After receipt of application form complete in all respect along with other relevant documents, the licensee shall intimate the consumer, proposed date of inspection, within the time period specified which should be within the next 2 working days in urban areas and 5 working days in rural areas.
- 4.23 The licensee shall maintain a permanent record of all application forms received in an Application Register/Database. Each application form shall be allotted a permanent application number (for identification) serially in the order in which it was received. Separate registers/databases for different category of applications i.e. where extension work is involved and where no extension is required may be maintained. The licensee shall keep the registers/databases updated with stage-wise status of disposal of each application form.
- 4.24 During the inspection of premises, the licensee shall fix the point of supply and the place where the meter shall be installed, in consultation with the consumer:
- Provided that the service line shall be laid at an accessible location and the meter shall be fixed at the entry point of the premises in such a manner that it is protected from elements like rain etc. and is easily accessible for reading purpose without getting the premises unlocked or opened in accordance with clause 8.9 and 11.64 of this Code;
- 4.25 Licensee shall record the correct full postal address of the premises, if not properly provided in the application form, and note down landmarks near the premises and the pole number from where service connection is proposed to be given;
- 4.26 When the consumer's premises has no frontage on a street and the service line from the licensee's mains has to go upon, over or under the adjoining premises of any other person (whether or not the adjoining premises be owned jointly by the consumer and such other person), or in any other case, the consumer shall bring at his own expense necessary way-leave, license or sanction for extension of distribution mains and service line and furnish it to the licensee. The licensee shall not arrange supply of electricity until the way-leave, or sanction is received. It shall not be incumbent on the licensee to ascertain the validity or adequacy of way-leave, it shall be the responsibility of the consumer to ensure this. Any extra expense incurred in placing the supply line in accordance with the terms of the way-leave, or sanction shall be borne by the consumer.

- 4.27 In the event of the way-leave, or sanction being cancelled or withdrawn, the consumer shall, at his own cost arrange for, or in case the work is carried out by the licensee at the consumer's request, pay full cost of any diversion of the service line or the provision of any new service line thus rendered necessary. In case of non-payment or delay in payment, supply of consumer is liable to be disconnected.
- 4.28 In case it is possible to extend supply from the existing mains, the licensee will forward to the consumer, within 5 working days in urban areas and 7 working days in rural areas, an advice for the service connection the amount of security deposit and any other charges as applicable. The amount shall be payable in full within 15 days, after which the work for laying the service line may be taken up. In the advice (demand note) it shall be mentioned that after payment the consumer shall execute necessary agreement, and shall submit test report after laying of service line for availing the connection.
- 4.29 In case it is necessary to extend distribution line for giving supply to the consumer, the licensee will forward to the consumer, within 10 working days in urban areas and within 15 working days in rural areas, an advice (demand note) containing the charges for extension of the distribution line, the amount of security deposit and any other charges as applicable and will also intimate additional formalities, if any, to be carried out by the consumer including execution of agreement and submission of test report after laying of service line for availing connection. The amount shall be payable in full within 15 days along with completion of other formalities, after which the work for laying the distribution lines can be taken up.
- 4.30 In case the consumer fails to complete the formalities within the time stipulated in demand note, the licensee shall give him notice to complete the formalities within the next 15 days failing which, his application for supply shall be cancelled under intimation to consumer. Thereafter the consumer shall have to apply afresh along with processing fees.
- 4.31 On payment of necessary charges including security deposit and execution of agreement the licensee shall take up the work of extension of distribution line. The extension work shall be completed within maximum period of 60 days for the LT consumer (excluding pump), 90 days for HT consumers and 180 days for EHT consumers. For agriculture pump permissible period for extension is 90 days when access to field is available and 180 days when access to field is not available. The responsibility of way leave clearance shall rest with consumer. The licensee after completion of extension of mains up to consumer's premises, and after being ready to release the connection, shall issue a notice as per clause 4.6 of this Code.
- 4.32 In case the line extension work is executed by the licensee after payment of estimated cost of work. The licensee within 90 days after completion of work shall come out with actual expenditure incurred in the extension work and refund the excess amount collected if any within above stipulated time. In case of delay in refund the licensee have to pay interest @1% per month or part thereof on amount refundable. For this purpose, date of issue of notice as per clause 4.6 of this Code shall be considered as date of completion of work.

In case the amount of actual expenditure incurred is found more than estimated and collected, the same is recoverable from consumer. If the consumer does not pay, the same can be added in regular monthly bill after giving due notice to consumer and action be taken for recovery.

- 4.33 In case the consumer prefers to execute the line extension work by himself after paying the supervision charge to the licensee, the consumer shall give advance intimation in writing to the licensee about commencement of extension work for taking up necessary supervision of the work by licensee. The consumer shall have to obtain necessary statutory clearance in advance before commencement of the work. The consumer shall also complete the extension work within the time schedule prescribed in clause 4.58 of this Code, and shall intimate the date of completion of extension work in writing to licensee.

**Release of LT connection:**

- 4.34 On receipt of test report and document related to other necessary statutory clearances and intimation that the installation work in consumer's premises and service line work have been completed, the licensee shall inform the consumer, within 3 working days, the date of inspection/testing of the consumer's installation, if inspection is required to be carried out. In such case, the licensee shall inspect and test the consumer's installation as required of him under regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (hereafter CEA Safety Regulation) in the presence of the applicant or his authorized representative and his Licensed Electrical Contractor. If on inspection, the licensee finds any defect (e.g. consumer's installation not completed, bare ends of conductor/joints not properly covered with insulating tape, wiring of such nature that it is dangerous to life/property, etc.), he shall intimate the same to the applicant preferably on the spot under proper receipt.
- 4.35 The applicant shall get all defects / rectified within 10 working days from receipt of intimation of defects as specified in clause 4.34 of this Code and inform the licensee in writing under acknowledgement. In case the applicant fails to rectify such defects or fails to inform the licensee about rectification of defects within above time limit, the application form shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh. The licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same, within 10 working days from receipt of intimation of defects.
- 4.36 On receipt of information from the applicant about removal of defects, the licensee shall on the spot stipulate a date for re-inspection of applicant's premises in mutual consultation with the applicant, under-written acknowledgment. The date of re-inspection must be scheduled within 3 working days in urban areas and 5 working days in rural areas from the date of receipt of such information after payment of necessary fee.



- 4.37 If on re-inspection the defects pointed out earlier are found to persist, the licensee shall again record the same and hand over a copy of the same to the applicant or his authorized representative available on site. The application form shall then stand lapsed and the applicant shall be informed accordingly in writing under acknowledgement:

Provided that if the applicant feels aggrieved by the licensee's action or omission, the applicant may file his representation to the concerned Electrical Inspector.

- 4.38 If satisfied with the test results, the licensee shall arrange to install and seal the meter in presence of the consumer and release the connection within the stipulated time specified in this Code. A cubical for housing the meter shall be provided by the licensee.
- 4.39 The recommended size and ratings of cable for service connection, transformers and power load are shown in Annexure 10. For single phase connection twin core cable and for 3 phase connection four core cable shall be used for service connection.
- 4.40 On request of HT industrial consumer, licensee may provide a separate independent LT connection in same premise of HT industrial connection, to meet out its essential load during emergency on non-availability of supply in HT connection, subject to following conditions:
- (i) Maximum permissible connected load - 20 KW
  - (ii) Billing shall be done at non-domestic tariff.
  - (iii) Consumer will be required to pay necessary charges including cost of extension, service connection charges and security deposit as per prevailing rates.
  - (iv) The LT connection should be separate and isolated from installation from which power is used in HT connection, and in no way inter-connected with HT installation.
  - (v) The consumer shall be required to make foolproof arrangement to the satisfaction of licensee to ensure that there should not be any possibility of feed back from one supply to other. In such case LT connection can be disconnected.
  - (vi) Separate LT agreement to be executed and sub clause (iv) and (v) above will be incorporated in LT agreement.
  - (vii) LT connection will be provided when there is no outstanding dues against HT connection.

**Release of HT/EHT connection:**

- 4.41 On receipt of an application form for supply of electricity at HT/EHT the licensee shall inform the consumer in writing the date of inspection of the site to examine the feasibility of the supply applied for within 5 working days. The consumer or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. In case supply at EHT / connectivity at EHV sub-station is required, the applicant may submit a copy of application to transmission company simultaneously for connectivity. The distribution licensee and the Transmission Licensee shall carry out joint inspection, check the feasibility of supply, fix the take off point, point of entry of the supplier's line, the position of meter, metering equipment and other equipments of the supplier. The transmission licensee shall intimate the feasibility of connectivity or otherwise within 30 working days of receipt of the application forms and issue demand note for estimate of charges after sanctioning the estimate within 60 days after issue of feasibility report. After payment of necessary charges related to extension of EHT system Distribution Company shall carry out load sanction, and issue demand note for payment of security deposit and execution of agreement by consumer.
- 4.42 In case of HT connection where connectivity is from distribution system, feasibility certificate shall be issued within 15 days of receipt of application form. Further within 30 days of issue of feasibility certificate licensee shall communicate sanction of estimate and demand note indicating the amount of security deposit and other charges relating to execution of agreement. Meter shall be fixed at entry point of premises in such a manner that it is protected from rain etc. and is easily accessible without getting premises unlocked or open for reading purpose. The last span of an HT connection shall be preferably through the Aerial Bunched Cable, and all connections of CT/PT and meter shall be through armoured cable for both HT and EHT connections.
- 4.43 Supply to HT industrial consumers shall normally be given through HT feeder exclusively meant for industries. Supply through a separate feeder from the nearest 33/11 KV or EHT substation should be preferred in case of continuous process industries or load of 3 MVA or more. In no case should a line connecting two EHT sub-stations (i.e. trunk line) be tapped for giving supply to any consumer.
- 4.44 Supply to HT consumer (both at 11 KV or 33 KV) shall normally not be extended from a rural feeder. If supply is given from a rural feeder, the consumer shall be informed that the supply shall be restricted and regulated in accordance with the restrictions imposed on the rural feeders as per grid conditions. Such consumer may be required to furnish a declaration to the licensee that no claim for indemnification shall be made by the consumer for the restrictions in supply.

- 4.45 At the point of supply, the HT & EHT consumers shall provide suitable protective devices as per the provisions of regulation 35 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010. The co-ordination of protection system of consumer with licensee's system shall have to be approved by the licensee before commencement of supply. Meters, and associated equipment shall be installed by the licensee at the point of supply.
- 4.46 HT (33KV and 11KV) consumers shall install step-down transformers with a vector group with delta winding on the high voltage side and star winding on the low voltage side, with the neutral terminal brought out and solidly earthed. The transformer may preferably be energy efficient.
- 4.47 The consumer after completion of installation work in his premises shall furnish to the licensee permission from electrical inspector to energize the installation and environment clearance wherever applicable. In case of mines permission from Inspector of Mines shall have to be furnished.

**Damage to licensee's equipment in consumer's premises:**

- 4.48 The meter and its accessories etc. must on no account be handled or removed by anyone who is not an authorized employee/representative of the licensee. Seals which are fixed on the meters/metering equipments and meter box must on no account be tampered with, damaged or broken. It is the consumer's responsibility to keep in safe custody the licensee's equipments and seals on the meters/metering equipments within the consumer's premises.
- 4.49 In the event of any damage caused to the licensee's equipments within the consumer's premises by reason of any act, neglect or default of the consumer or his employees, the cost thereof as claimed by the licensee shall be payable by the consumer. If the consumer fails to do so within 30 days after demand, it shall be treated as a contravention of the terms and conditions of this code and the electricity supply is liable to be disconnected, after due notice. The consumer shall however be liable to pay the charges as per the provision in relevant tariff order and shall have to clear the outstanding dues before reconnection as per provision in clause 10.19 of the Code.

**Dedicated Feeder**

- 4.50 Consumers desirous of getting power supply from dedicated feeder may request for such facility to the licensee. The dedicated feeder may be extended from the substation to the consumer's point of supply. In such cases the consumer shall be liable to pay the cost of bay and all protection switchgears and its accessories provided at the substation for this feeder in addition to the cost of laying of the feeder. On receipt of such request, the licensee will check the feasibility based on merit of providing a dedicated feeder to the consumer's premises. Such dedicated feeder shall be the property of the licensee and shall be maintained by the licensee. Such feeder shall not be used to extend supply to any other consumer within the initial period of two years from the date of its commissioning without written consent of the consumer who has paid the cost of line and bay.

#### 4.51 Basis for assessment of light and fan load for LT connections:

For assessment of load of a building / group of buildings or multi-consumer complex, the following norms shall be adopted:

	<b>Load</b>
<b>(i) Residential Use</b>	
For every 400 sq. ft. built up area or part thereof	1 KW
Provided that the assessment of load for houses for economically weaker section (EWS) being constructed under any scheme of the Govt., shall be as follows:-	
Up to 400 sq. ft. built up area in the area of a-	
a. Municipal Corporation (Nagar Nigam)	1 KW
b. Municipal Committee (Nagar Palika)	0.75 KW
c. Nagar panchayat / Grampanchayat	0.50 KW
<b>(ii) Non-Residential Use</b>	
(a) For every 200 sq. ft. built up area or part thereof	1 KW
(b) 1000 sq.ft. built up area or part thereof for shed / godown / school	1 KW
For assessment of load of a housing colony and non- residential plots in the housing colony the following norms shall be adopted:	
<b>(i) For residential colonies</b>	
For every 500 sq. ft. plot area or part thereof	1 KW
<b>(ii) For non-residential plots</b>	
For every 200 sq. ft. plot area or part thereof	1 KW

**Note:**

- (i) The aforesaid norm for assessment of load shall not be applicable where consumer applies for demand bases tariff connection.
- (ii) Load assessment shall be done as per the plan approved by the competent authority.
- (iii) The load of the common facilities like lift, water pump, street lights etc. shall be taken as declared by the developer/builder/society/consumer.
- (iv) The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of bringing about uniformity in the assessment of the load and for providing infrastructure. However, security deposit, etc. shall be worked out on the basis of the actual load as requested by the consumer and individual consumer(s)/multi consumer complex and housing colony(s).
- (v) For the purpose of computation of load, the built up area of individual consumers in the case of residential multi-consumer complexes shall be taken whereas in the case of non-residential multi-consumer complexes the entire built up area of the complex shall be taken.

- (vi) However, the applicant may apply for more than computed load based on his actual need and in such cases the infrastructure is to be developed for the load requisitioned.

**4.52 Supply to Multi-Consumer Complex and Housing colonies-Special conditions:**

- (i) A building or a group of buildings which normally require(s) one or more than one LT connection and for a total load of 50 KW or above, assessed as per clause 4.51 of this Code, shall be treated as multi-consumer complex for the purpose of electric supply. A multi-consumer complex shall include residential, non-residential and commercial complexes, housing colony, office complexes, educational and training institutions etc.
- (ii) Supply to a multi-consumer complex shall be arranged through a separate distribution transformer of adequate capacity but not less than capacity of 100 KVA. The cost of extension including 11 KV line, distribution transformer and L.T. lines/ cables shall be borne by the developer/ builder/ housing society/ group of consumers/ consumer, who applies for the connection. The applicant shall have to provide suitable space required for the construction of the distribution transformer substation free of charge.
- (iii) In case no outdoor space can be provided by the applicant for installation of distribution transformer / sub-station or if the applicant wants to install the transformer sub-station indoor, the required space for housing the transformer substation and meters shall be provided by him free of cost for which rent or premium shall not be payable by the licensee. In such case transformer shall be of dry type apart from being energy efficient and all safety measures as per prevailing rules and regulations should be taken up and followed.
- (iv) If such an applicant wants to lay 11 KV and/or LT line through underground cable, he shall be allowed to do so subject to the condition that the relevant Indian Standards are followed.
- (v) If such applicant wishes to provide transformer of rating more than 315 KVA, 11/0.4 KV with special type of protection equipment (with ISI mark), such consumer shall have to install one extra transformer unit of same capacity. The applicant shall bear the cost of extension of 11KV line, sub-station bay, if any, distribution transformer and LT lines / LT cables.
- (vi) In case the total load of the multi-consumer complex/housing colonies including all phases exceeds 1500 KW, assessed as per clause 4.51, the applicant shall provide necessary land measuring not less than 40 x 30 meters at a token premium of Re.1, for construction of 33/11 KV sub-station by the licensee. The location of the same shall be selected by the Engineer in-charge of the area in consultation with the applicant.

- (vii) If a building/ group of buildings come(s) under the category of multi-consumer complex or housing colony due to additional construction or additional requirement of load, and if a separate distribution transformer of sufficient capacity for giving supply to such building(s) was not provided earlier then, it will be provided at the cost of the applicant. In case, for such purpose, capacity of the existing distribution transformer substation is required to be augmented, the same may be done by the licensee at the cost of the applicant. Further, in case the total load of multi consumer complex/housing colonies including all phases (existing and adjacent proposed) exceeds 1500 KW, applicant has to provide land measuring not less than 40x30 meters for construction of 33/11 KV sub-station at a token premium of Rs./1-.

#### **4.53 Supply in under developed colonies – special provisions:**

There are instances of cluster of plots or houses, developed and constructed, either fully or partly, by developer/builder for which necessary permissions/sanctions from the State Government/local bodies/competent authorities under the appropriate laws and rules for colonies have not been obtained and extension of line work has not been completed. In such cases generally the individual buyer of plots /houses may apply for electricity connection. The connections may be served to such individual consumers on payment of proportionate cost of external electrification by such applicants. The proportionate cost for single phase and three phase connection which shall be worked out on the basis of the average cost of electrification of housing colonies/multi-consumer-complexes, sanctioned in the past in licensee's area. Such charges shall be approved by the Commission from time to time. Extension works for such applicants or colonies shall be done subject to realisation of minimum of 25% of the cost of extension including 11KV line and transformer sub-station, required to release connections to present applicant(s). If the amount payable by the applicant(s) is found less than 25% of the cost of extension, the applicants shall have to pay the excess cost of estimate in proportion to the load applied so as to enable the licensee to carry-out the extension work. For subsequent connection in said colony consumers shall have to pay extension charge fixed by the Commission even where no extension is involved to compensate the expenditure already incurred by the licensee. However, if further extension is involved for the subsequent applications same procedure be followed.

An Illustration in this respect is shown in Annexure 13(A).

#### **4.54 Supply to LT Agriculture/irrigation pumps sets-Special Conditions:**

- (i) Electricity supply to agriculture/irrigation pump set, may also be given to a registered co-operative society of consumers or to a group of farmers recognized by the licensee, at one point.
- (ii) The limit to which expenditure may be incurred by the licensee for supply of electricity to agriculture/irrigation pump shall be fixed by the Commission if any from time to time. Expenditure involved in giving supply in excess of the limit fixed by the Commission shall be borne by the consumer.

- (iii) The consumer shall be intimated within 30 days of inspection whether the licensee can take up the work with its own funds or whether the work can be taken up only after the extra cost of the works is deposited by the consumer, if extension of line is required. The licensee shall inform the consumer accordingly and also intimate the exact amount required to be deposited by the consumer.
- (iv) In case the State Government wishes to bear the cost involved in giving supply to agriculture pumps either fully or partly, such subsidy amount should be deposited with the licensee in advance. The licensee should also explore the possibility of taking up the work of extension of distribution mains and/or augmentation of distribution transformer capacity, if required, to supply electricity to irrigation pumps through financial assistance available under any scheme of the State or Central Government or financial institution like REC, etc.

#### **4.55 Supply for Public Street Lights- Special Provisions:**

- (i) Application for supply of electricity to public street lights shall be submitted in the prescribed form (Annexure-1) to the local office of the licensee by the Municipal Corporation or Municipality or Nagar Panchayat or Gram Panchayat or local body or any Government Department or any other organization made responsible by the State Government to maintain public street lights (which shall herein after be called by the generic term 'local body').
- (ii) Application for public street lights shall be accompanied by resolution of the local body and the sketch indicating the number of poles, existing or new, where streetlights are required. The licensee shall not provide a new street light connection or additional street light points if the local body has any electricity dues against it.
- (iii) The local body shall bear the cost of arranging of electricity supply to public streetlights as provided in clause 4.3 of this Code.
- (iv) The licensee shall intimate the cost of extension, if required, in writing, within 15 days in urban areas and within 30 days in rural areas from the date of application form. The work shall be taken up only after the amount is deposited and necessary agreement is executed by the local body.
- (v) A suitable double compartment weatherproof box be provided by the licensee, to house the energy meter.
- (vi) The fixtures, bulbs/timer etc. shall be supplied by the consumer and replaced by the licensee within 7 days of receipt. The timer shall be set to switch on street lights fifteen minutes before sunset and switch off the street lights fifteen minutes after sunrise. The licensee shall carry out switching on and switching off of street light / replacement of fixtures/bulbs/timer, etc. on the poles on the request of the streetlight consumers. All such services shall be on chargeable basis. Maintenance work of special street light support such as on tubler support, high mast light with under ground wiring etc. executed by local body shall be done by local body only.

- (vii) New connection for public street line in urban area be preferably with suitable timer.

**4.56 Supply to small / cottage industry – special provisions:**

In order to rationalize the cost of extension payable by small / cottage industries up to 25 HP load, the average cost of extension based on such sanction in the past in licensee's area may be worked out separately for urban and rural area and got approved by the Commission. This cost of extension shall be payable by the consumer for small / cottage industry up to 25 HP load on per HP basis, irrespective of any extension is required or not. The extension work wherever required can be done subject to realization of minimum 50% of cost of extension required to release the connection on the basis of per HP rate approved by the Commission and load applied. In case the estimated cost of extension is found more than twice the amount payable by the applicant on the basis of rate approved by Commission and load applied the applicant have to pay the excess cost of extension in addition to the cost of extension per HP basis as fixed by the Commission.

An illustration in this respect is shown in Annexure 13 (B).

This facility will be available till charges for extension of line for release of connection to such category of consumer is decided by the commission under Miscellaneous and General Charges if any as specified in clause 4.3 of this Code.

**One point supply to group of connections**

- 4.57 In order to encourage HT connection instead of individual connections to group of LT consumers in residential colonies or commercial complexes, the Commission may consider to provide certain percentage of rebate to such HT consumer in the applicable HT tariff. The distribution company may install 11/4 KV transformer, its related HT & LT protective devices and maintain the distribution transformer by billing the monthly charges as approved by the Commission. This will avoid initial capital investment by consumer for installation of transformer sub-station and will give relief to the consumer from routine maintenance of transformer.

The distribution company may take up the matter with Commission through petition after proper study and evaluation, which will be approved by the Commission after following due regulatory process.



#### 4.58 Schedule for completion of various activities relating to new connection and increase of load

The licensee shall process and give supply of electricity to various consumers within the time specified in the table below. For the purpose of this code urban area means area of Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Panchayat and other than urban area means rural area:

Sl. No.	Type of Service	Time Limit for Rendering the Service
1	<b>Low Tension (LT) connection</b>	
a)	Notice of inspection on receipt of complete application form	3 working days
b)	Inspection after sending notice	
	Urban areas	2 working days
	Rural areas	5 working days
c) i)	Issue of demand note after inspection to the applicant for payment of estimated charges (if extension work is not required and the connection is to be given from the existing network)	
	Urban areas	5 working days
	Rural areas	7 working days
ii)	Issue of demand note after inspection to the applicant for payment of estimated charges (if the extension work or enhancement of transformer capacity is required)	
	a) Urban areas	10 working days
	b) Rural areas	22 working days
d)	Where no extension is required/after completion of extension work - Release of connection after payment of necessary charges, execution of agreement and submission of test report by the applicant after completion of extension work/ where no extension required,	
	a. Urban area	10 working days
	b. Rural area	15 working days
e)	Completion time for extension of work where extension /augmentation of distribution main is required	
	a) All connections excluding agriculture	60 days
	b) Agricultural connection when clear access to fields is available	90 days
	c) Agricultural connection during season when no clear access is available	180 days from the date access is made available
2.	<b>High Tension (HT) Connection</b>	
a)	Informing feasibility after receipt of the application form	15 working days
b)	Issue of demand note of estimated charges (after the date of issue of notice of feasibility)	30 days
c)	Completion time for extension of works after payment	90 days
d)	Serving of connection after payment of necessary charges and execution of agreement by the applicant, subject to receipt of clearance from Electrical Inspector within reasonable time after completion of extension work	30 days
3.	<b>Extra High Tension (EHT) Connection</b>	
a)	Informing feasibility after receipt of the application form including connectivity consent required if any	30 days
b)	Issue of demand note of estimate charges after issue of notice of feasibility	60 days
c)	Completion time of extension work after payment	180 days
d)	Serving of connection after payment necessary charges and execution of agreement by the applicant subject to receipt of clearance from Chief Electrical Inspector after completion of extension work	30 days

#### **4.59 Temporary Power Supply for LT and EHT/HT connection:**

(i) Any person requiring supply of electricity for a purpose that is temporary in nature, and for a period of one year or less, may apply for temporary power supply in the prescribed form (Annexure- 1 or 2) along with documents prescribed in clause 4.16 and 4.17 of this Code. The applicant shall also furnish the proof of occupation of premises or NOC from owner of premises as the case may be. If the supply is required at a place owned by local authority, NOC from local authority is required. A temporary supply shall be initially for a period maximum up to one year subject to extension based on technical feasibility at the time of extension.

(ii) Release of temporary connections is not a matter of right. It can be given only when it is technically feasible and subject to compliance of safety requirements as specified in CEA Safety Regulation, 2010.

(iii) In case temporary supply is required for construction purposes, where permanent connection will be required subsequently, feasibility of permanent connection shall first be examined prior to sanction of temporary connection. The feasibility of subsequent permanent connection shall be informed to the applicant before serving temporary connection.

(iv) The grant of temporary connection does not create a right in favour of the applicant for claiming a permanent connection, which should be governed by provisions of the Act and Regulations.

(v) If extension work is involved and is to be executed by the licensee at the request of the consumer then the licensee shall intimate to the applicant the charges to be paid for laying and also dismantling the extension work, meter rent together with the charges for the estimated monthly consumption and the rental of equipment and material.

Provided the consumer shall have the option either to take back the material used for temporary connection or receive credit of the depreciated value, as per prevailing rules, for materials dismantled and returned to stores, in good condition, after disconnection of supply. Licensee may recover security deposit from consumer for line or plant as per clause 6.3 of this Code.

(vi) An amount equal to estimated bill for three months or for the period of temporary connection requisitioned whichever less is payable before serving temporary connection, subject to replenishment from time to time and adjustment in the last bill after disconnection. In case the consumer fails to pay the bills in time and the advance with the licensee does not cover the charges for the balance period, the supply is liable for disconnection.

(vii) The licensee shall release the supply maximum within 3 working days of payment of charges and compliance of other requirements by the consumer, where extension of distribution mains is not required. Where extension of distribution mains is required, the supply shall be released within the 30 days in case of LT consumers, 60 days in case of HT/EHT consumers.

(viii) The consumer shall be responsible for upkeep of the line from the distribution mains to the point of supply.

(ix) The regular readings of the meter may be taken during the period of the temporary connection to ensure that the charges payable for actual consumption do not exceed the advance payment received. A month for the purpose of billing of temporary supply shall mean 30 days from the date of connection or part thereof.

(x) For extension of the period of temporary supply, the consumer shall apply to the licensee in writing at least 7 working days before the date of expiry of temporary supply.

(xi) After, the period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill and send it to the consumer within 30 days from the date of disconnection of supply and return the balance amount, if any, within 90 days after disconnection of supply or within 60 days of submission of original money receipt or indemnity or declaration in case of loss of receipt by the consumer whichever is latter. The licensee will be liable to pay simple interest @ 1% per month or part thereof on the amount of refund outstanding from the due date of refund. The consumer may mention the desired mode of refund in application form.

#### **Exceptions:**

- 4.60 Nothing contained in this chapter shall be taken as requiring a licensee to give supply of electricity to any premises if he is prevented from doing so due to force majeure conditions as given in clause 13.1.
- 4.61 Provided that in case temporary supply is required in premises/place where 100 or more persons are likely to assemble, applicant shall submit NOC from District Magistrate and clearance of Electrical Inspector.
- 4.62 Provided further that in case any permit/NOC is withdrawn by the competent authority after energization of connection, supply shall be disconnected forthwith and shall be reconnected only after the permit/NOC is restored.
- 4.63 If there are outstanding dues on the premises, temporary connection shall not be given till such dues are paid by the consumer in full.

## **CHAPTER 5: GENERAL CONDITION OF SUPPLY**

### **Point of Supply:**

5.1 Unless otherwise agreed to, the point of supply shall mean the point of incoming terminals of the switch gear installed by consumers:

- (a) cut-outs /MCB in the case of LT consumers; and
- (b) control switchgear that may be installed in the licensee's or consumer's premises as agreed mutually in the case of HT or EHT consumers.

5.2 Supply shall be given at a single point in the premises otherwise as provided as clause 4.20 of this Code. However, in case of coal mines the licensee may provide supply at more than one point to consumer having regard to the physical layout of the installation and the requirements of the consumer. One of the connections of an existing industrial consumer who has two different connections for supply for the same purpose, if any, in his premises shall be discontinued on expiry of their present agreement after issue of 15 days notice.

### **Licensee's Equipment at Consumer's Premises**

5.3 The consumer shall provide free of cost to the licensee necessary land belonging to the consumer and provide all reasonable facilities for bringing in not only the direct cables or overhead lines from the licensee's system for serving the consumer, but also cables or overhead lines connecting licensee's other consumers and shall permit the licensee to install all requisite switchgears and connections thereto on the above premises and to extend supply to such other consumers through the cables and terminals situated at the consumer's premises, provided supply to the consumer in the opinion of the licensee is not thereby unduly affected.

5.4 The licensee is responsible for maintaining the meters and equipments, installed at consumer's premises from where electricity is supplied to the consumer.

### **Failure of fuse / supply:**

5.5 If the licensee's service fuse blows off at any time, complaint thereof should be made to the licensee's call centre / local office as specified. Only authorized employees / persons possessing the photo-identity card of the licensee are permitted to replace these fuses in the licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses. The licensee should not allow its employees / authorized persons to carry out any repairs in the consumer's installations.

5.6 The licensee shall take all reasonable precautions to ensure continuity of supply of electrical energy to the consumer but shall not be responsible for or liable to the consumer for any loss to him or damage to his plant and equipment due to interruptions in supply of electrical energy due to force majeure conditions provided in clause 13.1 of this Code.

- 5.7 The licensee shall always be entitled for the purpose related with the working of its supply system to temporarily discontinue the supply for such period as may be necessary, subject to reasonable advance notice being given in this behalf, with the object of causing minimum inconvenience to the consumer.

**Protection system after point of supply-**

- 5.8 As per provision in regulation 35 of Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply) Regulations 2010 (hereinafter CEA Safety Regulation) the following controls shall be installed by the consumer after the point of supply so as to be readily accessible and capable of being early operated to completely isolate the supply to the installation. Such equipment being in addition to any equipment installed for controlling individual circuits or apparatus namely
- (i) A linked switch with fuse or a circuit breaker by consumer of voltage which does not exceed 650 V.
  - (ii) A linked switch with fuse(s) or a circuit breaker for consumers having aggregate installed transformer/ apparatus capacity up to 1000 KVA if supplied at voltage of 11 KV and 2500 KVA if supplied at a voltage of 33 KV.
  - (iii) A circuit breaker along with linked switch by consumers having an aggregate installed transformer/ apparatus capacity above 1000 KVA if supplied at 11 KV and above 2500 KVA if supplied at 33 KV.
  - (iv) A circuit breaker of appropriate capacity by consumer availing supply at voltage exceeding 33 kV

**Protection system for individual transformer-**

- 5.9 Every individual transformer shall have following protective equipments:
- (i) A circuit breaker of adequate rating on both primary and secondary side of transformer having capacity 1000 KVA and above.
  - (ii) A linked switch with fuse or circuit breaker of adequate capacity on both primary and secondary side of transformer having capacity below 1000 KVA.

Provided that link switch on primary side of transformer may be of such capacity as to carry the full load current in closed condition and magnetising current of transformer at the time of opening on no load condition.

**Distribution Transformer Sub-station (DSS)**

- 5.10 As per provision in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2010 (hereinafter CEA Construction Standard Regulation). Particulars / parameters for distribution transformer/sub-station shall be as follows:

Parameter	33 KV	11 KV	0.415 V
Nominal system voltage (kV)	33	11	0.415
Highest system voltage (kV)	36	12	0.450

System earthing	Solidly earthed system	Solidly earthed system	Solidly earthed system
Frequency (Hz)	50	50	50
Lightning impulse withstand voltage (kV <sub>peak</sub> )	170	75	-
Power frequency withstand voltage (dry) (kV <sub>mms</sub> )	70	28	3

- 5.11 The distribution transformer can be indoor or outdoor type. The sub-station can be constructed underground where there is paucity of space or for supply to underground installations. Dry type transformers only shall be installed for installation inside residential and commercial buildings. Transformer in flood prone areas shall be above the expected water level during flood.
- 5.12 The maximum losses of oil filled distribution transformers shall not exceed as that for at least three star rating transformer specified by Bureau of Energy Efficiency (BEE).

#### **Transformer Mounting Structure:**

- 5.13 The following types of transformer mounting arrangement may be provided.
- (1) The transformer shall be mounted on a single pole, double pole structure or on a plinth depending upon site requirements, size and weight of the transformer.
  - (2) Direct single pole mounting shall be used for transformer upto 25 kVA only.
  - (3) The transformers of more than 25 kVA and upto 250 kVA can be mounted on double pole structure or on plinth. Transformers above 250 kVA shall be mounted on plinth only.

#### **Protection of transformer**

- 5.14 For 33/4 kV transformer, suitable high rupturing capacity cartridge fuses or moulded case circuit breakers (MCCB) or miniature circuit breakers (MCB) or air break switch shall be provided on low voltage side of transformers. The high voltage side of these transformers shall be protected by drop out expulsion type fuses or circuit breakers.
- 5.15 For 11/4 kV transformer suitable high rupturing capacity cartridge fuse or MCCB or MCB or Air break switch shall be provided on low voltage side of transformer of 100 KVA and above. The high voltage side of these transformer shall be protected by drop out expulsion type fuses or circuit breakers.
- 5.16 Surge arresters of rating 9 kV on 11 kV, 20kV on 22 kV and 30 kV on 33 kV outdoor type shall be used for diverting the lightning surges to earth.

#### **Earthing of transformer**

- 5.17 Connectivity of equipments with earthing shall be as follows:

- (1) Pipe earthings or rod earthing shall be provided for the distribution sub-station complying with relevant IS. Three (3) Nos. earth pits with three grounding electrodes shall be provided. Adequate to keep the earth resistance low.
- (2) Earth connections shall be made as under:
  - (a) To one of the earth electrode:
 

One direct connection from the high voltage surge arrester and another direct and separate connection from low voltage surge arrester if low voltage surge arrester is provided.
  - (b) To each of the remaining two electrodes:
    - (i) Separate connection from the neutral side of the transformer.
    - (ii) Transformer body earthing 1 No., one connection from the handle of the 33 kV or 11 kV air break switch, and channel earthing.
    - (iii) One separate connection from the earthing terminal of the poles.
- (3) The transformer neutral earth pit shall be independent just opposite the surge arrester earth pit.

#### **Reactive Compensation for transformer:**

5.18 The following points be taken into consideration at the time of reactive compensation:

- (1) Where the power factor is low, reactive compensation shall be provided on the distribution transformers by fixed or automatic switched type capacitors of adequate rating.
- (2) In case of fixed capacitors, it shall be ensured that the rating of the capacitors is such as to prevent over compensation during off peak period.
- (3) In cases where loads fluctuate very fast, a suitable dynamic compensation switched capacitors shall be considered.

#### **Setting of protective equipment of HT Consumers:**

5.19 All transformers, switch-gears and other electrical equipments in the installation of the consumer and also those directly connected to the feeders or lines of the licensee shall be of suitable design and be maintained by the consumer to the satisfaction of the licensee. The setting of fuses and relays on the consumer's control gear, as well as the rupturing capacity of any of his circuit breakers, shall be subject to the approval of the licensee. The rupturing capacity of circuit breaker shall be at least 20% more than the fault level where circuit breaker is proposed to be installed to meet out future increase of fault level.

### **Apparatus interfering with licensee's system**

- 5.20 The licensee may discontinue the supply giving reasons if the consumer installs any instrument, apparatus that are likely to affect adversely, the supply to other consumers by giving 24 hrs notice to the consumer.. Supply shall be restored on taking appropriate remedial action by the consumer to the satisfaction of the licensee

### **Prior approval from Electrical Inspector**

- 5.21 Notwithstanding the provisions under clause 5.8 and 5.9 of the Code, it is necessary that the HT & EHT consumer should obtain prior approval of the Electrical Inspector about the suitability of protective devices or circuit breakers and its charging in accordance with the provisions of the prevailing laws, rules and regulations and shall be submitted to licensee before availing connection. Manufacturer's test certificate in respect of all H.T. apparatus shall be produced, if required.

### **Distinction of different circuits:**

- 5.22 The owner of every generating station, sub-station, junction-box or pillar in which there are any circuits or apparatus, whether intended for operation at different voltages or at the same voltage, shall ensure by means of indication of permanent nature that the respective circuits are readily distinguishable from one another.

### **Danger Notices:**

- 5.23 The owner of every installation of voltage exceeding 250 V shall affix permanently in a conspicuous position a danger notice in Hindi and English.

### **Inspection and Testing of Consumer's Installation**

- 5.24 Before any wiring or apparatus in the case of low-tension consumer, is connected to the system, it shall be subject to inspection and approval of the licensee and no connection shall be made without the licensee's approval.
- 5.25 If the consumer's installation is found to be not safe for connection, the licensee shall advise the consumer in writing specifying the defects to be rectified. On receipt of intimation of rectification of defects, the licensee shall retest the installation.
- 5.26 The licensee shall levy no charge for the first test. Subsequent tests, necessitated due to faults found at the initial test shall be charged for in accordance with the rates approved by the Commission. The licensee will not accept any responsibility with regard to the maintenance or testing of wiring or apparatus on the consumer's premises.

### **Precautions against leakage before connection:**

- 5.27 The supplier shall not connect with his works the installation or apparatus on the premises of any applicant for supply unless he is reasonably satisfied that



the connection will not at the time of making the connection cause a leakage from that installation or apparatus of a magnitude detrimental to safety which shall be checked by measuring the installation resistance as under in accordance with provision in regulation 35 of CEA Safety Regulation.

- (i) all equipments shall have the insulation resistance (IR) value as stipulated in the relevant Indian Standards;
- (ii) on application of 500 V DC between each live conductor and earth for a period of one minute the insulation resistance of installation and equipment of voltage not exceeding 650 V shall be at least 1 MEGA OHM or as specified in the relevant Indian Standards:
- (iii) on application of 2.5kV-DC between each live conductor and earth for a period of one minute, the insulation resistance of installation and equipment of voltage exceeding 650 V but not exceeding 33 kV shall be at least 5 MEGA OHM or as specified in the relevant Indian Standards.

5.28 If the supplier declines to make a connection under the provisions of clause 5.27 of this Code, he shall convey to the applicant the reasons in writing for so declining.

#### **Extensions and Alterations:**

5.29 As per provision in regulation 29 of CEA Safety Regulation, no electrical installation work, including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations, except such replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances and fittings as in no way alters its capacity or character, shall be carried out upon the premises of or on behalf of any consumer, for the purpose of supply to such consumer except by an electrical contractor licensed in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency. Extension or alteration of load to all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and similarly for all extensions and alterations of electrical installation in mines will have to be approved by Inspector of Mines.

5.30 If as a result of such proposed extensions and alterations, there is possibility of an increase in connected load or contract demand over the sanctioned connected load or contract demand, the consumer shall take steps to submit requisition for additional supply. Failure to regularize the increase in connected load or contract demand may not only result in billing at the penal rates, as provided for under this Code, but may also result in disconnection of supply after due notice.

#### **Access to Consumer's Premises for inspection of Consumer's Installation**

5.31 The Distribution Licensee or any person duly authorized by Distribution Licensee may, at any reasonable time, and on informing the occupier of his intention, enter any premises to which electricity is, or has been, supplied by him, or any premises or land, under, over, along, cross, in or upon which the electric supply-lines or other works have been lawfully placed by him for the purpose of:

- (1) Inspecting, testing, repairing or altering the electric supply lines, meters, fittings, works and apparatus for the supply of electricity belonging to the Distribution Licensee;
  - (2) Ascertaining the amount of electricity supplied or the electrical quantity contained in the supply; or
  - (3) Removing where a supply of electricity is no longer required, or where the Distribution Licensee is authorized to take away and cut off such supply, any electric supply-lines, meters, fittings, works or apparatus belonging to the licensee.
- 5.32 A licensee or any person authorized as aforesaid may also, in pursuance of a special order in this behalf made by an District Magistrate and after giving not less than 24 hours' notice in writing to the occupier:
  - (1) Enter any premises or land referred to in clause 5.31 of this Code for any of the purposes mentioned therein;
  - (2) Enter any premises to which electricity is to be supplied by him, for the purpose of examining and testing the electric wires, fittings, works and apparatus for the use of electricity belonging to the consumer.
- 5.33 Where a consumer refuses to allow the licensee or any person authorized as aforesaid to enter his premises or land in pursuance to the provisions of above clauses, or when such licensee or any person has so entered, refuses to allow him to perform any act which he is authorized by those clauses to perform, or fails to give reasonable facilities for such entry or performance, the licensee may, after the expiry of 24 hours from the service of a notice in writing on the consumer, cut off the supply to the consumer for so long as such refusal or failure continues.
- 5.34 The HT and EHT consumers shall maintain average monthly power factor as specified by the Commission in tariff order from time to time. Consumers shall be liable to pay penalty or receive incentive as may be specified by the Commission, from time to time, on account of variation from specified power factor. The licensee may discontinue supply, after due notice of 15 days, to any installation where the average monthly power factor is found less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy demand/ minimum charges as applicable during the period of disconnection.

## **PROTECTION AND EARTHING IN LT CONSUMER PREMISES:**

### **Wiring and installation of equipments and apparatus in LT consumer's premises**

- 5.35 For the protection of the consumer and the public in general, it is necessary that the wiring of the consumer's premises should conform to the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply) Regulations 2010 (CEA Safety Regulations) and be carried out by a licensed electrical contractor. The materials used for wiring shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards or its equivalent. Wherever applicable the materials used shall bear ISI mark. As soon as the consumer's installation for LT connection is completed in all respects and tested by the consumer's contractor, the consumer should submit to the licensee, the contractor's test report. The test report form for this purpose shall be submitted duly filled to the local office of the licensee before release of connection. It is important that the conditions stated therein are fully complied with, as otherwise there may be a delay in releasing the connection.
- 5.36 Provisions of regulation 15 of CEA Safety Regulation should be complied with in respect of consumer's installation. Only linked switch to operate the earthed and live conductors simultaneously, shall be used in the consumer's installation.
- 5.37 The consumer's mains shall, in all cases, be brought back to the licensee's point of supply and sufficient cable shall be provided for connecting up with the licensee's apparatus.

### **Switches and Fuses:**

- 5.38 The consumer shall provide proper linked quick-make and break main switches of requisite capacity to carry and break current in each conductor near the point of supply. The switches in the consumer's premises shall be on the live wire and the neutral conductor shall be marked for identification where it leaves the consumer's main switch for connecting up to the meter. No single pole switch or cut-out should remain inserted in any neutral conductor.

### **Domestic appliances:**

- 5.39 For the safety of the wiring at the consumer's premises, separate circuit for heaters, geysers, air-conditioners and for cooking apparatus like oven, micro wave oven shall be run with adequate size of wire from the main distribution board of the consumer. Wall plugs used on the circuits for domestic appliances shall be of the three-pin type, the third pin being connected to "earth". Two pin plugs shall not be allowed. All appliances used in bathroom for heating or washing purposes or in any damp location must be effectively earthed.

### **Earthed terminal on consumer's premises:**

- 5.40 The supplier shall provide and maintain on the consumer's premises for the consumer's use, a suitable earthed terminal in an accessible position at or near the point of supply.

Provided that the consumer shall in addition to the aforementioned earthing arrangement, provide his own earthing system with an independent electrode.

- 5.41 The consumer shall take all reasonable precautions to prevent mechanical damage to the earthed terminal and its lead belonging to the supplier.

**Earthing in consumer's premises:**

- 5.42 As Safety provision for electrical installation for voltage not exceeding 650V consumer shall make following arrangements:

- (1) Neutral conductor of three phase four wire system shall be earthed by not less than two separate and distinct connection with minimum two different earth electrodes or such large number as may be necessary to bring the earth resistance to a satisfactory value.
- (2) Earth electrodes so provided shall be interconnected to reduce earth resistance.
- (3) Neutral conductor shall also be earthed at one or more points along the distribution system in addition to any connection with earth which may be at consumer's premises.
- (4) In case of system comprising electric supply lines having concentric cables, the external conductor of such cables shall be earthed by two separate and distinct connections with earth.
- (5) The frame of every generator, motors, transformers and any other apparatus used for regulating or controlling electricity exceeding 250 V but not exceeding 650 V shall be earthed by two separate and distinct connections with earth.
- (6) Neutral point of every generator and transformer shall be earthed by connecting it to the earthing system by not less than two separate and distinct connection.

- 5.43 Gas and water pipes shall on no account be used for earthing purposes. All wiring shall be kept as far as possible away from gas and water pipes. Separate neutral and separate earthing be provided for alternate supply system such as diesel generating set, etc. Consumer has to ensure that there is no possibility of feed back of supply to the grid.

**Testing of LT consumer's installation:**

- 5.44 As per provision in clause 31 of CEA Safety Regulations, upon receipt of an application for a new or additional supply of electricity and before connecting the supply or reconnecting the same after a period of 6 months, the supplier shall either test the installation himself or accept the test results submitted by the consumer when the same has been duly signed by licensed electrical contractor.

- 5.45 Before taking the insulation test of the installation the wiring must be completed in all respect. All fittings must be connected to the conductors and all fuses must be placed all switches in on position before the test are carried out. A pressure of 500 V will be applied between installation and earth, (by megger) and the insulation resistance to earth after one minute charging shall be such as will not cause a leakage from the insulation exceeding on five thousandth part of maximum current demanded. The test between conductors should give at least half the result that to “earth”.
- 5.46 If as a result of such inspection and test if the supplier is satisfied that the installation is likely to be dangerous, he shall serve on the applicant a notice in writing requiring him to make such modification as are necessary to render the installation safe and may refuse to connect or reconnect the supply until the required modification have been completed.
- 5.47 If during inspection the insulation resistance of the consumer's installation is found to be so low as to prevent safe use of energy, the licensee or his authorized representative after giving 48 hours notice shall, without prejudice to other actions as per law, disconnect the supply of power to the premises till the defects are removed, in accordance with regulation 34 of CEA Safety Regulation.

#### **Rating of LT Installations:**

- 5.48 All installations other than those of domestic category are subject to rating/re-rating by the licensee at its discretion in case the name plate rating is not clearly visible or doubtful. If the consumer is not satisfied with the rating determined by the licensee, he may get his apparatus rated by one of the Govt engineering institutes for determination of load of apparatus. Both the consumer and the licensee may depute their respective representatives to be present during the process of determination of rating of apparatus at the institute. The final report issued by the institute shall be accompanied with the details of test(s) conducted. The rating determined by the said institute shall be final and acceptable to both the consumer and the licensee.

#### **Installation of AC Motors**

- 5.49 No AC motor shall be connected to the low voltage system of the licensee unless the motor and the installation thereof has a suitable device to limit the starting current in accordance with the requirement indicated below.
- 5.50 Motors of low voltage shall be provided with control gear to satisfactorily prevent the maximum current drawal from the consumer's installation as shown in the following table under all possible conditions:

Nature of Supply	Size of Installation	Max. Current Demand
Single phase/ three phase	(a) Up to and including 1 BHP.	Six times full load current
	(b) Above 1 BHP and up to and including 10 BHP	Three times full load current
	(c) Above 10 BHP and up to and including 15 BHP	Two times the full load current
	(d) Above 15 BHP	One and a half times the full load current

Failure to comply with these requirements shall render the consumer liable to be disconnected after issue of due notice by giving him at least 15 days time for compliance. The licensee may, depending on the location and condition of working and on technical consideration, relax the starting current limit.

- 5.51 A triple pole linked switch protected by a no-volt release and triple pole fuses (or overload release) shall control the motor circuit. It is important that the release shall be maintained in good working order. Wiring for motors shall be run with all three-phase wire bunches in a metallic conduit, which shall be effectively earthed throughout and shall be connected to the frame of the motor from which two separate earth wires shall run. The minimum permissible size of the earth wire permitted shall be No. 14 SWG. Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, shall be complied with in every respect.

**Power Factor of Apparatus: Low Tension Shunt Capacitor:**

- 5.52 Every L.T. Consumer except agriculture/irrigation consumer, whose connected load includes induction motor(s) of capacity of 3 BHP and above, shall arrange to install low tension shunt capacitors of appropriate capacity at his cost, across the terminals of his motor(s). Agriculture pump, consumers with connected load of more than 3 HP shall arrange to install low tension shunt capacitors of appropriate capacity. The recommended value of capacitor for direct application with terminal of induction motor of 1500 Revolution per minute (rpm) is shown in Annexure 11 as a general guideline. However, the consumer shall ensure that the capacitors installed by him are properly matched with the actual requirement of the motors so as to ensure average monthly power factor as specified by Commission in tariff order from time to time. Where the meters capable of recording power factor have been installed, the monthly power factor of connection shall be actual power factor recording, irrespective of the capacity of capacitors installed.

Provided that where meters installed are not capable of recording average monthly power factor of load, the capacitor of capacity indicated in Annexure 11 against the respective capacity of motor found in working condition will be considered in order.

- 5.53 Supply to LT installations with induction motor/s of capacity of 3 BHP and above shall not be given unless suitable capacitors to improve power factor are installed.
- 5.54 All LT consumers, other than consumers covered in clause 5.52 (i.e. other than agriculture pump and motive load) with load of 15 KW or above shall install capacitor of appropriate capacity so as to ensure minimum average monthly power factor as specified by Commission. Consumers shall be liable to pay power factor surcharge or receive incentive as may be specified by the Commission in the relevant tariff order, on account of variation in power factor. However, condition for installation of capacitor on domestic and non-domestic light and fan connection of 15 KW and above may be considered in subsequent tariff order.

- 5.55 The licensee may discontinue supply, after a notice of 15 days, to any installation where the average monthly power factor is found less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy minimum charges as applicable during the period of disconnection.

## **CHAPTER 6: SECURITY DEPOSIT**

- 6.1 A licensee may require security deposit from any person who requires supply of electricity as per provisions of clause (a) of sub-section(1) of section 47 of the Act.
- 6.2 The security deposit shall be accepted in the form of cash, draft or cheque. In case of cheque, commencement of supply will be effected only on realization of the cheque.

### **Security Deposit against plant/line for giving new supply**

- 6.3 The licensee may recover security deposit from consumers for line or plant where such electric line or electrical plant is to be provided by the licensee on hire for supplying electricity to the consumer.

### **Security Deposit for Energy (ESD)**

- 6.4 For any new service connection the licensee may take a security deposit, which shall be calculated on the basis of contracted load/contract demand in HP/KW, or KVA as the case may be, as in the Supply agreement, for various categories of consumers in the following manner:

S.No.	Category	Assessed consumption in <b>units per month (30 days)</b> for calculation of security deposit
1	Domestic	i) 140 units per KW ii) 35 units per 250 Watts or part thereof
2	Non-domestic	i) 140 units per KW ii) 35 units per 250 Watts or part thereof
3	Water works	150 units per KW or 110 units per HP
4	Industrial	270 units per KW or 200 units per HP
5	Agriculture	120 units per HP
6	Street light	180 units per KW
7	HT consumers	420 units per KW or 380 units per KVA

- 6.5 The security deposit shall be determined on the basis of assessed consumption as per clause 6.4 of this Code and shall be an amount equivalent to the estimated consumption of specific number of days, applying the prevailing tariff and other charges, as indicated in the following table:

S.No.	Nature of Consumer	No. of Days
1	Agricultural i) permanent ii) temporary	90 For the entire period of temporary connection, subject to maximum of 90 days
2	Stone crusher, hot-mix plants	90
3	Consumers unable to provide proof of legal occupation of premises	90
4	Other consumers	45

- 6.6 The security amount calculated as above shall be rounded to the next 10 (ten) rupees.
- 6.7 If the applicant for a new connection fails to give such security, the licensee may, if thinks fit, refuse to commence the supply of electricity for the period during which the failure continues.
- 6.8 The licensee shall not be entitled to require energy security deposits if the person requiring the supply is prepared to take the supply through a pre-payment meter.

#### **Additional Security Deposit for Energy / Refund of Security Deposit**

- 6.9 An amount of the security deposit taken from any consumer shall be reviewed by the licensee, on the basis of his annual consumption during the previous 12 months, in the month of April every year. Based on this review, the licensee shall fix the amount of security deposit equivalent to the average consumption, as per the applicable tariff for the period mentioned in clause 6.5 of this Code.

Provided that the amount of security deposit held by the licensee may be varied (increased / decreased) on review, only when the security deposit required on review is  $\pm 20\%$  and above of security deposit available in case of LT and Rs.10,000/- (Rupees ten thousand and above) in case of HT/EHT consumers.

- 6.10 Additional security deposit, if required, shall be included in the regular electricity bill and the payment shall be due along with the energy bill within due date. If the consumer fails to pay the additional security deposit as per the bill, the licensee is entitled to discontinue the supply of electricity so long as such failure continues.

Provided that in case of refund of excess security deposit, the same shall be credited by the licensee to the account of the consumer by way of adjustment, in the electricity bills of the consumer for the next month. If there is any balance after such adjustment, the same shall be refunded to the consumer within seven days.



- 6.11 In the case of consumers who have been sanctioned additional load, the additional security deposit shall be calculated for the additional load as if it is a new service. Similarly, if the contract demand is reduced, the licensee may recalculate the security and give credit of excess security deposit, if any, by way of adjustments in next month electricity bills of the consumer.
- 6.12 On consumer's request, the licensee may allow the consumer the facility to pay additional security deposit in appropriate monthly instalments.

#### **Interest on security deposits**

- 6.13 The licensee shall pay interest as per directive / guidelines of Reserve Bank of India (RBI) on the security deposits. It shall be the responsibility of the licensee to ascertain the such rate from RBI and to inform the consumers through the billing mechanism.
- 6.14 The amount of interest shall be calculated in April every year for the preceding year. The interest amount so calculated shall be paid by way of adjustment in full against the monthly electricity bill for the month of May of that year and if so required in the bills for subsequent months.
- 6.15 In case of delay in payment of interest on security deposit, the licensee shall be liable to pay an interest on the amount of interest at the rate of 1% per month or part thereof by way of simple interest.
- 6.16 In case of delay/exceeding a period of three months in adjustment of interest on security deposit, the consumer may lodge a complaint in the concerned Consumer Grievance Redressal Forum as constituted under sub section (5) of section 42 of the Act by the licensee.

#### **Adjustment of Security Deposit:**

- 6.17 In case the supply of consumer is disconnected due to non-payment of electricity dues, the security deposit of consumer available with the licensee is liable for adjustment against outstanding arrears on due intimation to consumer.
- 6.18 In case consumer subsequently comes up for reconnection he has to pay the amount equivalent to the amount adjusted from his security deposit before reconnection.

#### **Refund of Security Deposit:**

- 6.19 After disconnection of a regular connection or after period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill adjusting the security deposit available and send it to the consumer within 30 days from the date of making connection permanently disconnected / date of disconnection of temporary supply as the case may be and return the balance amount if any within next 60 days. However, in case of temporary connection refund be made within 90 days after disconnection of supply or within 60 days of surrender of original money receipt/submission of indemnity or declaration in case of loss of receipt by consumer whichever is latter as per clause 4.59 of this Code.

- 6.20 The licensee will be liable to pay simple interest @1% per month or part thereof on the amount of refund outstanding from due date of refund.

**Mode of refund of Security Deposit:**

- 6.21 The consumer may opt for mode of refund of security deposit such as in cash, cheque etc. In case consumer opts for refund through demand draft / money order, the refund may be made after deduction of demand draft / money order charges.

**CHAPTER 7: CONTRACT DEMAND, AGREEMENT**

**Contract Demand**

**LT Consumers without Maximum Demand (MD) based (two part) tariff**

- 7.1 The Contract Demand for LT consumers without MD based (two part) tariff will be the contracted load of the premises as per the agreement into between the consumer and the licensee.

**LT Consumers with MD based tariff and all HT and EHT consumers**

- 7.2 The Contract Demand shall be as per the agreement entered into between the consumer and the licensee and having regard to the requirement of the consumer's installation and will be independent of connected load.

**Procedure for Enhancement of Contract Demand / Contracted Load**

- 7.3 Application form for enhancement of contracted load / contract demand shall be submitted to the licensee in the prescribed form (Annexure 5).
- 7.4 The licensee shall examine the feasibility of supply to the enhanced load within thirty days and inform the consumer with demand note showing the following:
- (a) whether the additional power can be supplied at the existing voltage or at a higher voltage;
  - (b) addition or alterations, if any, required to be made to the system and the cost to be borne by the consumer;
  - (c) amount of additional security to be deposited; and;
  - (d) change in the classification of consumer, if so required.
- 7.5 The application form for enhancement of the contract demand /load will not be accepted if the consumer is in arrears of payment of the licensee's dues. However, the application form may be accepted if the payment of arrears due from the consumer has been stayed by a court of law, or by the Commission or an authority appointed by the Commission or facility has been granted by the licensee for payment of arrears in instalments.

- 7.6 On receipt of demand note from licensee, the consumer shall:
- (a) furnish work completion certificate of consumer's installation and test report from a licensed electrical contractor in case of LT connection where alteration of his installation is involved.
  - (b) furnish letter of approval for the electrical installation of the consumer from the Electrical Inspector in case of HT and EHT connection, and other statutory clearance under other regulations in force, if required. Similarly, approval from Inspector of Mines shall be provided for additional load for electrical installation for mines.
  - (c) pay additional security deposit and cost of addition or alteration required to be made to the system, if any.
  - (d) execute a supplementary agreement.
- 7.7 If no addition or alteration to the system including change in metering arrangement is required, the enhanced load will be released from a date as stated in supplementary agreement or after completion of the requisite formalities by the consumer whichever is latter. The metering arrangement be changed within 15 days of completion of requisite formalities by the consumer, if required and additional supply be released.

If the system needs any alteration or addition, the procedure as given for a new connection shall be followed.

**Notice of availability of additional supply when extension work is required:**

- 7.8 One month notice of availability of excess supply be issued to the consumer (LT, HT and EHT) in writing when the licensee is in position to release excess supply such as after completion of necessary extension work and change of meter/metering equipment if required. The supply of additional power be given effect on expiry of one month notice to the consumer by licensee, or any other date before expiry of said period, but not earlier than the date of notice, if the consumer intimates the date from which he has commenced availing additional power.

**Procedure for Reduction of Contract Demand/contracted load**

- 7.9 No application form for reduction of contract demand / contracted load for more than 50% shall be entertained by the licensee within the initial period of agreement, which is two years from the date of commencement of contract. However, reduction to the extent of 50 percent of the contract demand/contracted load subject to minimum contract demand as specified for respective voltage of supply as per clause 3.4 of this Code shall be permitted once during the initial period of agreement of two years.

Provided that reduction of contract demand in respect of a consumer who becomes captive / non-captive load of a CPP shall be dealt as per provision in clause 12.14 of this Code.

7.10 Application form for reduction of load, shall be filed with the licensee in the prescribed form as per Annexure 5 along with the following documents:

- (a) Details of alteration/ modification/ removal of the electrical installation with work completion certificate and test report from a licensed electrical contractor where alteration of installation is involved in case of LT connection.
- (b) Any other reason for reduction of contract demand.
- (c) Details of generators, if any, installed by the consumer along with copies of the safety clearance certificate issued by the competent authority for installation of the generators.

7.11 On receipt of the application form for reduction of load/contract demand, the licensee shall take the following steps:

- (a) The licensee shall consider the grounds stated in the application, verify the same and decide the application within a period of 30 days. If the consumer is not satisfied with the decision of the licensee, an appeal can be made to the Electricity Grievance Redressal Forum set up by the licensee under section 42 (5) of the Act and then to the Electricity Ombudsman as appointed or designated by the Commission under section 42 (6) of the Act whose decision shall be final subject to such remedy as may be available under any statute.
- (b) If the request is not decided by the licensee within the above-mentioned period of 30 days, the applicant may, by a written notice to the licensee, draw its attention to the matter and if no decision is still communicated to him within the period of further 30 days, the permission of reduction of load /contract demand shall be deemed to have been granted, immediate after expiry of 30 days from the date of receipt of application by the licensee and the consumer may submit supplementary agreement to licensee for reduction of load/contract demand.
- (c) The LT consumer after execution of supplementary agreement and after reduction of load shall inform to licensee by submitting test report from authorized licensed electrical contractor. Licensee shall arrange for inspection within 2 days in case of urban and 5 days in case of rural area. After inspection and verification of load reduction the licensee will change the meter if required within 15 days of inspection. The reduction of load shall be with effect from the first day of the following billing month thereafter.
- (d) In case of HT and EHT connection, after sanction and execution of supplementary agreement, the licensee shall change the metering equipment and meter if required within 15 days and give effect of reduction of contract demand. The reduction of contract demand shall take effect from the first day of the next billing month. In case no change of meter and metering equipment is required then the effect of reduction in contract demand be given from the first day of billing month following the execution of supplementary agreement for reduction in contract demand or at latter date as indicated in supplementary agreement.

- 7.12 After expiry of the initial period of agreement, the consumer may apply for reduction of his contract demand / load up to any extent. The above reduction is subject to permissible minimum contract demand as specified in clause 3.4 of this Code. In case the consumer reduces the contract demand with the utility and sources power from another supplier but not as captive user, he shall be liable to pay additional surcharge as provided in Section 42 (4) of the Act i.e. cross-subsidy surcharge as approved by the Commission in relevant tariff order.
- 7.13 When reduction of contract demand / load is agreed to, the consumer shall execute a supplementary agreement. The licensee shall recalculate the security deposit and the excess security deposit left with the licensee, if any shall be adjusted in electricity bill of consumer for the next month. If there is any balance after adjustment same shall be refunded to the consumer within 7 days from issuance of such bill.
- 7.14 If a consumer, who has reduced his contracted load/contract demand due to any reason, desires to restore the load within one year of such reduction, it shall be permitted but such restoration shall be subject to the technical feasibility and the condition that reduction of load/demand shall not be permitted again within the initial period of agreement.

**Conversion from LT connection to HT connection:**

- 7.15 When on account of increase of load in LT connection, if consumer is required to avail HT connection, the following procedure need to be followed:
- (i) The consumer shall clear all the outstanding dues, and undertake to pay the amount that become subsequently due in respect of LT connection.
  - (ii) The LT agreement shall cease to have further effect from the date of release of HT connection.
  - (iii) LT supply shall be disconnected and dismantled on the date the HT connection is served in the premises.
  - (v) In case the HT connection could not be served after expiry of 3 months notice period on account of non-completion of any obligation by consumer and LT supply remained available to the premises of consumer, apart from bill for LT connection, the minimum/demand charges for HT connection at reduced demand ignoring actual contract demand as specified in clause 10.23 of this Code be billed and period of agreement of HT connection be increased accordingly.
  - (vi) The security deposit available against LT connection be transferred against HT connection.
  - (vi) The consumer has to execute agreement for HT connection incorporating aforesaid points.

### **Conversion from HT connection (11KV) to LT connection:**

7.16 On account of reduction in contract demand if a HT consumer requests to avail LT connection the following shall be followed:

- (i) Consumer may be permitted to change over to LT with connected load not exceeding 100 HP.
- (ii) HT metering arrangement shall continue and billing of electricity supplied shall be made as per applicable LT tariff after deduction of 3% transformation loss. Billing of meter rent shall be as per HT metering.
- (iii) Consumer shall clear all the outstanding dues of HT connection and undertake to pay the amount that would become subsequently due in respect of HT connection.
- (iv) The HT agreement shall cease to have further effect from the date of release of LT connection.
- (v) Ownership of the transformer of HT connection has to be transferred to the licensee free of cost and responsibility of maintenance and replacement after failure lies with licensee.
- (vi) The security deposit available against HT connection be transferred against LT connection.
- (vii) Consumer shall enter LT agreement incorporating aforesaid points.

### **Agreement**

7.17 The consumer is required to execute an agreement for obtaining new connection before commencement of supply. For change of name/purpose and for enhancement or reduction of sanctioned load/contract demand, the consumer is required to execute supplementary agreement which will be a part of agreement. The consumer is required to sign at bottom of all the pages of agreement.

7.18 The agreement shall include the following:

- (1) Name and address of the consumer;
- (2) Postal address of the premises for which electricity supply has been requisitioned and for which the agreement is being executed;
- (3) Sanctioned load/ contract demand;
- (4) Purpose of usage of electricity;
- (5) Declaration by the consumer.
  - (i) To abide by provisions of Act and this Code;
  - (ii) To pay for the supply of electricity based on the prevailing tariff;
  - (iii) To pay for all other charges payable in accordance with this Code and the Schedule of Miscellaneous Charges of the licensee approved by the Commission from time to time;
  - (iv) To deposit such security money as the licensee may be entitled to recover from him under the Act and this Code

- 7.19 A copy of the agreement executed shall be given to the consumer. If there is no separate written agreement between the Distribution Licensee and the Consumer; after the supply of electricity has commenced as applicable to temporary connection and generators not availing start-up power and captive consumer draws power from the grid through open access, shall be deemed to be governed by terms and conditions of Supply Code and shall be billed as per provision in relevant tariff order.
- 7.20 In case the name of consumer has not been got changed even after change of ownership/occupant, the terms and conditions of this Code shall remain applicable to the person availing supply from said connection.
- 7.21 The consumers who are governed by some special clauses in the agreement executed with licensee, shall continue to be governed by such special clauses in the agreement.
- 7.22 An agreement, in the standard form, shall be executed by the consumer on the stamp paper of a prescribed value, for getting a new connection. In case of any special circumstances, special clauses may be added to the agreement, if agreed to between the licensee and the consumer, provided such clauses do not contravene the provisions of the Act, this Code, and other rules and regulations in force. These special clauses shall form a part of the agreement.
- 7.23 With the agreement the consumer other than domestic and single phase non-domestic connections shall submit a plan of map of scale not less than 1 Cm=12 meters (1"=100ft) showing the boundary within which supply is required, clearly marked and distinctly coloured showing the point of supply and proposed extension. The maps submitted, agreed upon and signed by both the consumer and the licensee shall form a part of the agreement.

**Transfer of connection in the name of new occupant:**

- 7.24 A connection may be transferred in the name of another person upon death of the consumer or in case of transfer of the ownership or occupancy of the premises, upon filing an application form in the prescribed format given in Annexure 4 of this Code for change of name by the new owner or occupier:
- 7.25 The licensee shall deal with applications relating to change of consumer's name due to change in ownership/occupancy of property in accordance with the procedure detailed below:
- (1) The applicant shall apply for change of consumer's name in the format prescribed in Annexure 4 of this Code, along with a copy of the latest bill duly paid. The request for transfer of connection shall not be accepted unless all dues recoverable against the concerned connection are settled. The application form shall be accepted on showing proof of ownership/occupancy of property. A "No Objection Certificate" from the registered consumer/ authorized person/ previous occupant of the premises shall be required for cases involving transfer of security deposit in the name of applicant.

- (2) In case the “No Objection Certificate” from the registered consumer/ authorized person/ previous occupant for transfer of security deposit in the name of applicant is not submitted, an application form for change of name shall be entertained only if security deposit as stipulated in this Code is paid afresh. However, the original security deposit shall be refunded to the claimant as and when a claim is preferred by the concerned person.
- (3) Change of consumer’s name shall be effected within two billing cycles after acceptance of application form and execution of supplementary agreement by new applicant.

**Transfer of connection in the name of legal heir:**

7.26 The licensee shall deal with applications relating to transfer of consumer’s name to legal heir in accordance with the procedure detailed below:

- (1) The applicant shall apply for change of consumer’s name in the format prescribed in Annexure 4 of this Code, with a copy of the latest bill duly paid. The application form shall be accepted on showing the Registered Will/deed, Succession/Legal heir Certificate, Mutation in municipal/land records or any other proof of legal heirship.
- (2) The change of consumer’s name including security deposit shall be effected within two billing cycles after acceptance of application, and execution of supplementary agreement by new applicant.
- (3) Any charge for electricity or any sum other than charge for electricity as due and payable to licensee which remains unpaid by a deceased consumer or the erstwhile owner/occupier of any land/premises as the case may be, shall be a charge on the premise transmitted to the legal representative/ successors-in-law or transferred to the new owner of the premise as the case may be, and same shall be recoverable by the licensee as due from such legal representative or successor-inlaw or new owner/occupier of the premises as the case may be.

**Shifting of meter/existing connection:**

7.27 The applicant shall apply for shifting the service connection in existing premises or for deviation of existing lines in the format prescribed in Annexure 4 of this Code. The licensee shall process the application form in accordance with clauses 4.22 to 4.30 of this Code, for site inspection and issuance & payment of demand note for the estimated cost of works,

7.28 The following time schedule shall be observed for completing the works from the date of payment of charges:

- (1) Shifting of meter/service line: 7 days
- (2) Shifting of LT/HT lines: 20 days
- (3) Shifting of transformer: 30 days



**Change of purpose/category:**

- 7.29 If it is found that a consumer has been wrongly classified in a particular tariff category, the licensee may consider reclassifying the consumer under appropriate category. The consumer shall be informed of the proposed reclassification through a notice and duly given a 30-day notice period to file objections, if any. The licensee after due consideration of the consumer's reply, if any, may alter the classification. In case of any dispute, the matter can be referred to the Consumer Grievance Redressal Forum.
- 7.30 If a consumer wishes to change his consumer category, he shall submit an application form to the licensee in the format given in Annexure 4 of this Code. If on inspection the consumer's request for reclassification is found valid, change of category shall be effective from the commencement of billing month of inspection and a written confirmation shall be sent to the consumer.
- 7.31 The consumer can opt for change in tariff category once during initial agreement period of two years such option can be permitted to consumer from first of the billing month following the month in which request has been made or any other latter month as requested by consumer subject to inspection / verification by licensee. The actual effect of change of tariff category in billing shall be given after finalization of supplementary agreement subject to the condition as mentioned in clause 7.5 of this Code.
- 7.32 If the licensee does not find the request for reclassification valid, it shall inform to the applicant in writing, giving reason(s) for the same, within 10 days from date of inspection.
- 7.33 For the period in which the consumer's application for reclassification is pending, the consumer shall not be liable for any action of unauthorized use of electricity on this ground.

**Commencement of agreement:**

- 7.34 The date of commencement of agreement shall be from the date of expiry of one month notice of availability of supply upto consumer's premises for LT consumers and 3 months notice for HT and EHT consumers or the date of release of connection whichever is earlier.

**Continuity of agreement:**

- 7.35 After expiry of initial period of two years of agreement from the date of its commencement, the agreement shall automatically continue on year to year basis on same terms and conditions.

## Termination of Agreement

- 7.36 If power supply to a consumer after expiry of initial period of 2 years of agreement (irrespective of having entered into any supplementary agreement) remains disconnected for a period of two months for non-payment of charges or dues or non-compliance of any direction issued under this Code, the licensee shall issue a show cause notice in the format shown in Annexure 6 to be replied within fifteen days, to the consumer for termination of the agreement. In case no effective steps are taken by the consumer for removing the cause of disconnection and for restoration of power supply, the agreement of the licensee with the consumer for power supply shall be terminated from the last date of billing month on expiry of the period of fifteen days. During the period of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay the demand charges or minimum charges as per provision in relevant tariff order.
- 7.37 If supply of a consumer is disconnected during currency of agreement period, the demand / minimum charges be billed as per provision in tariff order. In case the consumer remained disconnected for 2 months without payment a 15 days notice be issued to the consumer in the format shown in Annexure 6 to pay the dues and get supply reconnected or else the meter and metering equipment will be removed. If no action is taken by consumer the meter and metering equipment be removed after period of 6 months ending at the end of billing month from the date of disconnection or on the last date of the month in which agreement period expires, whichever is earlier after issuing due 15 days subsequent notice to consumer.
- 7.38 In case consumer comes to avail supply within agreement period, meter and metering equipment if removed be installed and connection served after submission of fresh test report/approval from electrical inspector.
- 7.39 Domestic, single-phase non-domestic and streetlight category of consumers may terminate the agreement after giving one month's notice in the format shown in Annexure 7 even during the initial period of agreement of two years.
- 7.40 All consumers other than domestic, single-phase non-domestic and street light category can terminate the agreement after the expiry of the initial period of two years on giving at least one month's notice in the format shown in Annexure 7 irrespective of having executed any supplementary agreement. One month time will be considered from the date of receipt of notice by licensee. The licensee shall arrange for special meter reading, at a mutually acceptable date, to facilitate preparation of the final bill of the consumer. The agreement shall be terminated on the last day of the billing month and the licensee shall raise the final bill accordingly.

**Illustration:** If one month notice dated 3 Sept. is served on 5<sup>th</sup> Sept. to the licensee and billing cycle completes on 15 Sept. then agreement will be terminated on 15<sup>th</sup> Oct. if one month notice is served on 15 Sept. then also agreement will be terminated on 15<sup>th</sup> Oct. i.e. date of termination shall be on last date of billing month after expiry of one month notice period.

- 7.41 However, if such agreement is to be terminated for reasons whatsoever, for categories other than domestic, single phase non-domestic and street light consumer before expiry of the initial period of agreement, the consumer shall be billed demand /minimum charges as per provision in clause 7.37 of this code for the balance period of the agreement of two years.
- 7.42 After permanent disconnection of supply and termination of agreement due intimation shall be given by the licensee to the consumer in the format shown in Annexure 8.
- 7.43 On termination of the agreement, the licensee shall be entitled to remove the meter/ service line and his other equipment from the premises of the consumer installed for supply of power. In case the licensee has not been able to remove the meter, metering equipment due to consumer's premises being locked and is not opened even after issue of notice, the licensee may claim the charges towards cost of meter and metering equipment. After permanent disconnection, if the consumer wishes to revive the connection, his application would be treated as an application for new connection and would be entertained only after all outstanding dues have been cleared.

### **Miscellaneous**

- 7.44 In case of breakdowns in electricity supply system of the licensee, the supply of electricity to the consumer may be curtailed, staggered or cut-off as may be warranted according to the situation. The licensee may also curtail, stagger or cut-off electricity supply to consumers on account of periodical maintenance of electricity supply system, after giving due notice to the consumers.
- 7.45 The licensee may resort to regulation of supply (planned load-shedding) to the consumers, after due notice, if the Commission orders according to the provisions of section 23 of the Act.
- 7.46 The electrical energy supplied to the consumer shall not be utilized by the consumer in any manner prejudicial to the licensee and all usage must be in accordance with the provisions of the agreement and this Code.
- 7.47 No consumer shall use the energy for any other purpose, other than that mentioned in the agreement or extend the line beyond its premises other than that for which it was sanctioned by the licensee, until and unless prior sanction of the licensee is obtained for such diversion or extension.
- 7.48 Where the consumer's installation is disconnected from the licensee's supply system as per direction of the Government, the Electrical Inspector or other appropriate authority on account of violation of any Act, Rules and Regulation, the supply shall be reconnected on payment of prescribed disconnection and reconnection charge with the approval of the Government or the Electrical Inspector or other appropriate authority, as necessary. During the period of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay the demand/minimum charges as per provision in relevant tariff order. However, in case disconnection is not on account of violation of any Act, rules and regulation by the consumer but on account of law and order situation as per order of District Magistrate then in such condition no demand / minimum charges and disconnection and reconnection charges be levied.

- 7.49 The consumer shall not supply any energy supplied to him by the licensee to another person or to other premises unless he holds a suitable sanction of license for distribution and sale of energy granted by the Commission/State Government or has been exempted from obtaining the license or has been appointed as franchisee.

## **CHAPTER 8: METERING**

### **Requirement of Meters**

- 8.1 No new connection shall be served without a meter of appropriate specification and capacity.
- 8.2 All consumers shall have to accept the installation of an appropriate metering device, load-limiter, tamper proof boxes or other apparatus when the licensee approaches them to install one, and the consumer shall be required to provide appropriate and suitable site and place for placement of meter and related equipments to the satisfaction of the licensee in accordance with clause 11.64 and 4.24 of this Code.
- 8.3 In case of HT supply, if HT metering cannot be readily provided, LT metering may be provided on the LT side of the consumer's transformer. In such cases, electrical quantities for billing purposes shall be computed by adding three percent to the quantities registered by the LT meter towards transformation loss. This arrangement shall not continue for more than three months and the licensee shall arrange to install a meter on the HT side within such period.
- 8.4 If supply to an HT or EHT consumer is given on an independent feeder for his exclusive use, the metering arrangement may be installed either at the consumer's premises or, if mutually agreed, at the licensee's substation.
- 8.5 The licensee is authorised to review the status of the meters already installed. If better quality of meters are available because of technology up-gradation, those be introduced subject to suitability of the site where meter is placed in the consumer's premises. The licensee may install remote metering device in the consumer premises as per the technical requirements of the specific device. The licensee may also install maximum demand (MD) meter having MD recording feature and ToD features or such additional features in the consumer's premises. The licensee may also install 'check meter' at a consumer's location or on pole including for a group of consumers.
- 8.6 In case the difference in consumption recorded by the 'check meter' and the 'billing meter' of LT consumer is continue to be found more than permissible limits, the licensee shall be free to install the billing meter on electricity pole or pillar boxes after giving due intimation in writing to the consumer. In such case where transformer supplies to only one consumer the licensee may shift the metering on HT side, and consumer may be billed by deducting 3% transformation loss from the reading of HT metering. In such case meter rent be billed for LT meter.

## **Supply and Installation of Meters**

- 8.7 The licensee shall install the meter and metering equipments, to consumer's premises at the time of serving new connection or at any other time as required. The licensee shall keep the meter in proper working condition and the consumer shall pay the monthly rent, if any, for the meter and metering equipments at the rate approved by the Commission as per miscellaneous charges from time to time. If the licensee fails to keep the meter or metering equipment in proper working condition, the consumer shall not be liable to pay the meter rent for the period the meter remains defective.
- 8.8 Consumer meter shall generally be owned by licensee. Any consumer, if he so desires, can purchase and provide his own meter and metering device of the specifications from the vender list as approved by the licensee. In such case the consumer shall maintain the meter in accurate working condition. Scheduled testing of meter/metering device will be conducted by licensee on payment of approved testing fees. Such consumers shall not be required to pay the monthly meter-rent.
- 8.9 Meter should ordinarily be fixed in such a manner that it is protected from the elements (rain etc.) and can be read from outside without the need of meter reader to get the premises unlocked or opened for meter reading purpose. In special situation, the licensee may permit the meter to be fixed at a place different from the one indicated above and this permission shall be accorded by the officer not below the rank of Assistant Engineer or equivalent and shall be in writing. The meter box shall normally be mounted at a height between 1.5 to 2 meters above ground level so that meter reading counter/ display window is at eye level. Meter be installed by the licensee within the protected premises of the consumer near to main entry gate (within boundary wall looking to safety of meter as per clause 11.64 of this Code. The consumer shall run his wiring from such point of supply.
- 8.10 In case of multi-storeyed complexes, meters shall be provided at one place, normally in the pillar box, close to main entry gate, as may be decided by the licensee preferably on ground floor having proper ventilation and illumination.
- 8.11 For LT temporary connection, the meter shall be installed on the pole provided at the point of extension of distribution mains or service lines.
- 8.12 All new meters should be installed in a tamper-proof meter box. The licensee shall prepare and implement a phased plan to install tamper-proof meter boxes for all the meters, which are at present installed without tamper –proof meter boxes.
- 8.13 In case of semi-permanent (kuchha) houses the licensee shall ensure that the meter is properly fixed on a wall and is accessible to the meter reader. In case the consumer does not provide good quality wall for fixing the meter, the licensee shall be free to fix the meter on the electricity pole or in a pillar-box to be provided by the licensee.

- 8.14 Whenever new meter/ metering equipment is installed (as a replacement or for a new connection), the meter shall be properly sealed in the presence of representatives of both the parties. Both the representatives witness to the sealing, shall affix their signatures on the specified documents mentioning their full name. The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the meter and metering equipment shall not be broken, erased, altered or in any way interfered with by either party except in the presence of a duly authorized representative of the other party. Copy of this document be given to consumer.
- 8.15 The consumer shall be responsible for safe custody of meter installed in his premises. In case a meter is lost or stolen from the premises of the consumer, the consumer shall report such matter in the police station and the supply shall be restored by the licensee after installation of a new meter at the cost of consumer.
- 8.16 In a situation where the licensee is facing problems in collection of energy dues, the licensee may install pre-paid meters. The scheme of prepayment be got approved by the licensee from the Commission and shall be implemented after ensuring adequate publicity. The meters shall conform to the technical requirements as prescribed in Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations 2006. (CEA Metering Regulation hereafter)

### **Periodical Testing of Meters**

- 8.17 It shall be the responsibility of the licensee to satisfy himself regarding the accuracy of the meter before it is installed and may test it for this purpose.
- 8.18 The licensee shall also conduct periodical testing of the meters as per the following schedule:-
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| (a) Single phase meters                             | -once in every five years |
| (b) LT 3 phase meters including CT if any           | -once in every 3 years    |
| (c) HT and EHT meters along with metering equipment | —once in a year           |

### **REPLACEMENT OF METER:**

#### **Testing of Defective Meters**

- 8.19 The licensee shall have the right to test any meter and related apparatus if there is a reasonable doubt about the accuracy of the meter, and the consumer shall provide the necessary assistance to conduct the test. The consumer shall be allowed to be present during the testing.
- 8.20 If during periodic or other inspection by the licensee, any meter is found to be not recording correctly, or a consumer makes a complaint in this regard in the format shown in Annexure 9, the licensee shall arrange to test the meter within 7 days in urban area and 15 days in rural areas. In case LT consumer's meter is found defective, it should be replaced within 15 days in urban areas, and within 30 days in rural areas. In case of HT consumers, meter should be replaced within 15 days

- 8.21 A consumer may request the licensee to test the meter, if he still doubts its accuracy, by applying to the licensee along with the requisite testing fee. The licensee shall test the meter in testing laboratory within 30 days of the receipt of the application and testing fee.
- 8.22 In all cases of testing of a meter in the laboratory, the consumer shall be informed of the proposed date of testing at least 7 days in advance, so that he or his representative may present at the time of testing, personally or through an authorized representative. The signature of the consumer or his authorized representative, if present, shall be obtained on the Test Result Sheet as a token of witness. In case the consumer / authorized representative is not present, the licensee's representative and the testing laboratory official shall sign on the test report. The licensee shall dispatch the copy of test report to the consumer, to be received under acknowledgment, within 2 working days of the date of testing. In case of faulty meter billing for a maximum period of six months or from the date of last testing / inspection, or the month from which consumption has reduced considerably whichever is less be done, on the basis of the test result.
- 8.23 If a consumer disputes the results of testing, he may make a representation to the Electrical Inspector within one month from date of conveying the test result by the licensee who may get the test conducted in his presence.

**Miscellaneous:**

- 8.24 In case the meter is found to be burnt due to technical reasons attributable to licensee such as voltage fluctuations, transients etc. the licensee shall not charge the cost of meter. However, in case of burnt meter attributable to consumer such as increase of load, drawal of excess power etc. the licensee shall be entitled to recover the cost of the meter.
- 8.25 The provisions of CEA Metering Regulations as amended from time to time and the orders/guidelines of the Commission in this regard shall be applicable with regard to installation and operation of meters.
- 8.26 In case CT & VT forms the part of meters, the meter shall be installed near the instrument transformer as far as possible to reduce the potential drop in the secondary lead.
- 8.27 The distribution licensee shall put in place a system of quality assurance and testing of meter by setting up accredited meter testing laboratory or utilize the service of other accredited laboratory.
- 8.28 Testing of consumer meters may be done at site or may remove and replace the same by a tested meter. The standard reference meter of better accuracy class than the meter under test shall be used for site testing of consumer meter up to 650 volts. The testing of consumer meter above 650 V should cover entire metering system including current transformer (CTs) and voltage transformers (VTs).
- 8.29 The accuracy clause of CTs and VTs shall not be inferior to the associated meter. The voltage transformer shall be electro-magnetic VT or capacitive VT.

Meters shall meet the following requirement of accuracy class:

Upto 650V	1.0 or better
Above 650V and up to 33KV	0.5 S or better
Above 33KV	0.2 S or better

## **CHAPTER 9: BILLING**

### **Meter Reading**

- 9.1 The periodicity of meter reading for various categories of consumers, shall be as approved by the Commission. The consumer shall extend all facilities to the licensee or his authorized representative to read the meter.

As far as practicable the meter reading should be taken on same date of the month. In respect of domestic consumers meter should be read only during day light hours.

- 9.2 The meter reader/inspecting officer shall have with him the photo identity card provided by the licensee and shall wear it in such a manner that it is visible during the meter reading and shall record reading in meter reading card.
- 9.3 For the purpose of meter reading the licensee may use meter reading instrument (MRI) or any other system such as automated meter reading (AMR) or on the basis of remote meter reading. In such case, if the consumer wishes to have a record of the reading taken, then the licensee shall provide the details of such meter reading.
- 9.4 It is the responsibility of the meter reader to note down the details of every connection where the meter reading could not be taken, every stopped / suspected defective meter and to file a report at the end of each working day in prescribed proforma to the officer in charge of the local office in case of LT consumers, and officer in charge of the circle office in case of HT and EHT consumers, who shall be responsible to take immediate steps to replace the stopped/ defective meter/equipment. The licensee shall develop and have in place a detailed procedure prescribing a system and fixing the responsibility and accountability for timely replacement of stop/defective meters and metering equipments, and proper assessment of consumption.

### **Special Reading of Meters in cases of Change of Occupancy / Vacation of Premises for Domestic Consumers**

- 9.5 It shall be the responsibility of the owner of the connection to get a special reading done by the licensee at the time of change of occupancy or on the premises falling vacant.



- 9.6 The owner/user of the connection may request the licensee in writing for special reading at least 7 days in advance of the said vacation of the premises by the existing user or change of the occupancy, as the case may be.
- 9.7 The licensee shall arrange a special reading to be done and deliver the final bill, including all arrears till the date of billing, on the request of consumer.
- 9.8 The licensee may charge fee for the above service as per the miscellaneous charges approved by the Commission
- 9.9 It shall be the licensee's obligation to assign a unique consumer number for each consumer and communicate the same to the concerned consumer. The unique consumer number may include pole number, transformer number, 11KV feeder number, distribution centre number and division number which should be mentioned on the energy bills.

**Billing:**

- 9.10 Bills shall be prepared for each consumer on the basis of the prevailing tariff order of the Commission.
- 9.11 When supply to a new consumer is commenced at any time during the billing month, the demand charges, minimum charges and/or any other similar fixed charges shall be levied on prorata basis for the number of days for which supply is given in that particular billing month. The units to be charged under various blocks or slabs shall also be accordingly prorated. For the purpose of this sub-clause, number of the days in a billing month shall be 30 days.
- 9.12 If, for any reason meter is not accessible for reading, the meter reader shall leave a notice in writing to the consumer to keep the meter available for reading at the time and date given in notice or to convey the reading himself. If after notice the consumer neither convey reading nor give access to meter for reading, the licensee shall be free to send a provisional bill prepared on the basis of average monthly consumption of previous financial year.
- 9.13 The average amount thus billed shall be adjusted against the bill raised on the basis of actual meter reading during subsequent billing month / cycle by considering 50% consumption in each month. Such provisional billing shall not continue for more than two billing months / billing cycles as the case may be at a stretch. If the meter remains inaccessible even for the next meter reading, the consumer will be served with a notice to open his premises for reading of the meter at a fixed time and date. If the meter is not accessible at the time and date fixed in the notice, the supply will be liable to be disconnected after serving a 24-hour notice under section 163 (3) of the Act.
- 9.14 The licensee may send bills to consumers by hand or by post. On a receipt of a request from a consumer the licensee shall send it by registered post and the expenses of such delivery of bill shall be recoverable from the consumer.
- 9.15 The licensee shall distribute the bills to consumers at least not less than seven days before the due date for payment in cash.

### **Assessment of consumption in case of stop/defective meter**

9.16 The guidelines for assessment of consumption and billing in case the meter installed in premises of consumer remained stopped/defective is shown as below:

(A). If check meter is also installed:-

1. If main meter is stopped and check meter is found working, billing to be done as per check meter.
2. If both meters found working and consumption difference between these two meters is within the permissible limit, billing be done as per consumption recorded by main meter.
3. If both meters found working but consumption difference between these two meters is more than permissible limit, both meters to be tested and billing be done on the basis of consumption recorded by main meter considering its percentage error.

(B). When only main meter is installed the consumption of previous three years period or from the date of connection whichever is less need to be reviewed to know the trend of consumption and to arrive the conclusion about the month from which meter became defective. Any of the following method or its combination can be adopted to arrive to reasonable assessment of energy consumed during the period meter remained stop/defective.

1. On the basis of average of previous 3 months consumption if meter is found functioning correctly during such 3 months period and consumption is found uniform.
2. On the basis of average of last 1 year consumption if meter is found functioning correctly during last one year and there is appreciable fluctuation in consumption.
3. On the basis of consumption of corresponding month of previous years— in case consumption found varying based on season and the meter is found functioning correctly during corresponding month of previous year.
4. In case the meter became stop / defective from the date of connection or reliable consumption of sufficient period after connection is not available then average consumption of subsequent three billing month / billing cycle period after installation of good meter, may be considered.
5. In case of 3 phase 4 wire LT meter for balanced load if during checking / testing meter is not found functioning in 1 phase and found functioning properly in other 2 phases then recorded consumption and demand be multiplied by 1.5 i.e. 50% additional to be billed based on recorded demand and consumption corresponding for two phases.
6. If during checking / testing 3 phase 4 wire LT meter for balanced load is not found working properly in 2 phases but found working

properly in third phase, the recorded demand and consumption be multiplied by 3 i.e. two times additional demand and consumption to be billed, corresponding to recorded demand and consumption of one phase.

7. If proper recorded data is available in memory of electronic meter through MRI / AMR, billing to decide based on available data, after computation.
8. Meter to be tested, percentage error to be found out and billing be done based on percentage error arrived during testing.
9. To substantiate the assessment wherever required licensee may consider other basis such as connected load, working hour and load factor, consumption of similar type of other connection, production data of industries approved by excise department etc.

9.17 Basis of billing and reasoning of adopting such basis need to inform to consumer.

9.18 The assessed billing shall be for the period of 6 month including the month during which assessment is made or actual period when meter is considered not functioning properly whichever is less and to be continued till replacement of meter.

9.19 In case load during the period of assessment is increased or decreased as compared to the period on the basis of which assessment is being made the assessed demand, consumption may be increased or decreased accordingly in that proportion.

**9.20** For low tension consumers, the defective meter shall be replaced within a maximum period of fifteen days in urban area and thirty days in rural area, from the date of detection of the fault. In case of HT and EHT consumers, meter should be replaced within fifteen days of detection of fault.

9.21 Licensee shall ensure that sample check of least 5% of LT light and fan and pump connections are carried out in a year apart from 100% connections of 15 HP and above.

### **Contents of the Energy Bill**

9.22 The bill for metered connections shall have the following details:

- (a) Service Connection Number (unique consumer number as per clause 9.9)
- (b) Bill number
- (c) Period of bill
- (d) Name and address of the consumer
- (e) Pole Number from which connection is served.
- (f) Name, address and telephone number of the distribution centre
- (g) Date of issue of bill
- (h) Tariff category

- (i) Tariff, rate of electricity duty and cess as applicable
- (j) Contracted/ Connected load/ demand
- (k) Single phase or three phase connection
- (l) Identification details of the meter
- (m) Reading date - past and present
- (n) Meter reading - past and present
- (o) Units assessed, / consumed
- (p) Credit
- (q) Basis of bill
- (r) Meter rental
- (s) Current month's charges - Energy Charges, fixed/demand charge, Minimum Charges, Variable Cost Adjustment (VCA) Charges, Electricity Duty, Cess, meter rent, welding/capacitor surcharge, security deposit instalment, Rebate allowed, others if any
- (t) Arrear of Electricity Charges, Delayed Payment Surcharge arrears.
- (u) Bill delivery charges if applicable
- (v) Total charges
- (w) Delayed payment surcharge
- (x) Due dates of payment – for payment through cheque and cash
- (y) Authority in whose favour cheque/Bank draft is to be issued. (To be printed on reverse of the bill)
- (z) Security deposit held and required.
- (aa) Confirmation of last payment received – amount and date of payment

9.23 The following information would also need to be provided to the consumer as an attachment to the bill or printed/ stamped on the bill:-

- (a) The names(s)/address(es) of collection centres
- (b) Working hours for collection of bills.
- (c) Designation and address of the authority of licensee with whom grievance pertaining to bills, meter, meter reading etc. can be lodged. Address, phone number of Forum and Electricity Ombudsman.
- (d) Any other message that the Licensee may like to give e.g. requesting the consumer to indicate their phone / mobile number, if available, on the portion of the bill retained by the licensee on receipt of payment. This information can be used for better communication with consumers.

9.24 The bill may contain additional information, if any, as desired by the licensee.

- 9.25 The licensee shall make arrangements to provide guidance and information to the consumer on telephone or mobile and for this purpose the licensee shall set-up call centre / customer care centres at central level and up to divisional level with facility of voice based complaint recording facility. Details of payment status, arrear status, authorized load, contract demand etc. may be provided to the consumer if he discloses his connection number and address.

**Supplementary (other than regular) bill:**

- 9.26 Separate (supplementary) bills shall be issued for audit recovery and recoveries other than the regular monthly bill except for demand of additional security deposit.

- 9.27 While issuing the supplementary bill (for other than cases related to prejudicial use of energy) to the consumer the licensee along with the supplementary bill shall send a written details to the consumer explaining the reason, basis and period of such billing by giving fifteen days time for payment. For billing in respect of prejudicial use of energy the procedure as stated in clause 11.10 to 11.26 and 11.33 to 11.39 of this Code shall be followed.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of supplementary bill. In case of non-payment within due date the amount of supplementary bill is liable to be added in next months regular monthly bill.

- 9.28 The consumer within seven days of receipt of supplementary bill may ask for further details related to supplementary bill, if so required, which shall be provided by the licensee within next 15 days, by giving 7 days time for payment.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of this bill. In case of non-payment within due date the amount of supplementary bill is liable to be added in next month regular monthly bill.

- 9.29 The consumer within 7 days of receipt of additional information/within 15 days of issue of supplementary bill as the case may be, may file an objection if any to the bill issuing authority. After according reasonable opportunity of hearing and considering oral/written material fact submitted by the consumer, the licensee may review/confirm the bill already issued in writing within next 15 days time indicating the reasons for acceptance/rejection of representation of consumer by giving next 7 days time for payment.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of this bill. In case of non-payment within due date the amount of supplementary bill is liable to be added in next month regular monthly bill.

- 9.30 Aggrieved with the review/confirmation of supplementary bill the consumer may prefer representation to respective Executive Engineer or equivalent for LT connection and respective Regional Chief Engineer or equivalent of licensee for HT and EHT connection or any other officer designated by licensee provided that 50% of the billed amount is deposited with licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed with representation.

- 9.31 The authority to whom representation is made will dispose the representation after hearing both the sides and convey his decision within 30 days of representation by the consumer. During the hearing the officer concern shall give due consideration to the fact submitted by the consumer, and pass a speaking order. The order shall also contain the submission made by the consumer during hearing, and reasons for acceptance or rejection of the same. The consumer will be served a revised bill if any to be paid in 7 days.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of this bill. In case of non-payment within due date the amount of supplementary bill is liable to be added in next month regular monthly bill.

- 9.32 In case the authority to whom representation is made has come in to conclusion that there is no case of supplementary billing or the amount already paid on this account is in excess of actual amount payable, the balance amount be credited to consumer's account in next month's bill along with an interest @1% per month or part thereof on the amount refundable till the date of its payment.
- 9.33 Aggrieved with decision of authority to whom representation is made the consumer may approach Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) framed under section 42(5) of the Act.
- 9.34 The licensee may nominate and authorize it's employee(s) / officer(s) to approve issue of supplementary bill based on type of connection/load/amount of supplementary bill, etc.

## **CHAPTER 10: PAYMENT OF BILL, TEMPORARY AND PERMANENT DISCONNECTION OF SUPPLY**

### **Payment of bill:**

- 10.1 The Consumers has to make payment every month as per the bills served by the licensee for the power used and energy consumed by consumer.
- 10.2 The licensee shall ensure adequate publicity of the addresses/ locations and working hours of the collection centres including those of banks where consumers can make payments. The licensee shall provide a choice of maximum alternative modes of payment to the consumers like payment through cash, local cheque, bank draft, banker's cheque, Electronic Clearing System (ECS), credit/debit card etc.
- 10.3 During the days when there is rush at the collection window, separate queuing arrangement should be provided for senior citizens, women and physically challenged persons and they should be attended on priority.
- 10.4 The collection centres should have the facility of receiving payment from consumers/ representatives of consumers who wish to make payments on behalf of a number of consumers. Separate counters should be provided for this purpose so that the waiting time for other consumers is not increased.
- 10.5 In order to reduce the workload of the collection counter, all payments of bills above Rupees five thousand should be made through cheque / banker's cheque / demand draft payable at local branch of the bank concerned.
- 10.6 The licensee should make arrangements to receive payment through drop boxes where the consumer may drop the cheque (crossed account payee). The licensee should keep the drop boxes at the collection centres and at other locations as notified from time to time to facilitate the payment without the need for standing in the queue. Cheques should be drawn in favour of the licensee, as specified in the bill. The service connection number, consumer name and telephone/mobile number if any should be clearly written on the back of the cheque. In case the bank levies any clearance charge, the same amount shall be recoverable from the consumer in the subsequent bill.
- 10.7 The due date of payment for all consumers shall normally be fifteen days from the date of issue of bill. If due date of payment mentioned in the bill is a public holiday, the succeeding working day shall be treated as the due date.
- 10.8 In the event of non-realization of cheque, the licensee shall have the right to increase the security deposit from the consumer. The licensee shall also have the right to levy cheque dishonour charges besides delayed payment surcharge and also take other actions as per law. The licensee may also insist on future payment by demand draft or by cash.
- 10.9 In case of non-receipt of bill within the specified date of receipt of bill, the consumer may contact the bill issuing office to collect the duplicate bill and arrange payment of the bill. The licensee shall investigate the cause of non-receipt of bill and take suitable steps to ensure that the consumer receives electricity bills promptly in future.

10.10 Receipt of payment of electric bill shall be issued to the concerned consumer/ representative on payment.

10.11 The consumer may also be allowed to make advance payment of future bills, which shall be adjusted in the succeeding months. However, only the regular bill amount shall be adjusted from the advance payment. Before adjusting any other amount, the consent of the consumer shall be sought. The license will provide suitable rebate in case of advance payment as per provision in relevant tariff order.

10.12 All consumers who default in the payment of the billed amount shall be liable to pay delayed payment surcharge, on the amount outstanding, at rates as approved by the Commission from time to time in tariff order.

While accepting payment after the due date, the surcharge payable, shall be calculated and the additional amount payable shall be collected along with the normal billed amount.

10.13 All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:

- (a) Electricity Duty and Cess on the current consumption
- (b) Arrears of Electricity Duty plus arrears of Cess, if any
- (c) Delayed payment surcharge
- (d) Balance of arrears, if any
- (e) Current bill amount

#### 10.14 **Instalment facilities:**

The licensee may lay down a policy for grant of instalment facility for the purpose of recovery of dues. The said policy shall also designate the officer(s) authorized to grant instalment facility.

#### 10.15 **Disputed/Erroneous monthly bills**

- (a) In the event of any objection to the amount of monthly bill, the consumer may lodge a complaint before the designated officer as mentioned in the energy bill. The supply of electricity shall not be cut off; if such person deposits, under protest,
  - (i) an amount equal to the sum claimed from him, or
  - (ii) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months, whichever is less, pending disposal of dispute between him and the licensee.
- (b) A complaint may be lodged with the designated officer in the complaint form available at the licensee's complaint receiving office. In case such form is not available in the office, complaint may be lodged on plain paper along with the following details:
  - (i) Name and address of the consumer along with telephone number / mobile no , if any
  - (ii) Service connection number
  - (iii) Category / purpose of connection
  - (iv) Details of complaint in brief



The designated officer shall resolve the dispute within a maximum period of seven days from the date of receipt of written complaint and shall send a written report to the officer in charge of the division and the consumer giving reasons for the discrepancy, if any.

- (c) If on investigation, the licensee finds the bill to be erroneous, a revised corrected bill shall be furnished to the consumer indicating the revised due date not less than seven days from the date of delivery of revised bill. Excess amount found paid by the consumer, if any, shall be adjusted in the subsequent bill(s).
- (d) In the event if it is established that the original bill was correct, the consumer shall be informed accordingly and notified to pay the balance, if any, with surcharge as applicable within 7 days.
- (e) In case the consumer is not satisfied with the decision on the dispute, he may take further action as provided in the relevant regulation for Redressal of Consumer Grievance.

### **Responsibility of legal heir:**

- 10.16 In case of death of a consumer, the legal heir shall be liable to pay the dues of such consumer. The legal heir should also take steps to get the connection transferred in his name within a period of three months or else the terms and conditions of this Code and the agreement executed with licensee for the said connection shall remain effective.

### **Temporary Disconnection**

- 10.17 If a consumer fails in payment of any bill in full, without the approval of the authorised officer, by the due date, the service connection of the consumer will be liable to be disconnected on temporary basis. Before disconnection of a consumer's installation, the licensee would serve a notice of fifteen clear days. Effort should be made that before disconnecting a domestic connection; an adult member of the family should be informed. If the proof of removal of the cause for disconnection is produced to the satisfaction of the Licensee's employee deputed for the purpose, the supply shall not be disconnected. In this regard, the licensee shall follow provisions of section 56 of the Act.
- 10.18 No sum due from any consumer under section 56 of the Act shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.
- 10.19 After temporary disconnection, the supply shall be restored only after the consumer pays the total outstanding charges/dues/ amount of instalment fixed along with disconnection-reconnection charges.

10.20 It shall be the responsibility of the licensee to ensure that no default in payment is continued beyond a reasonable period subject to a maximum of three months without action for temporary disconnection. The authorised official of the licensee will ensure that all the cases pertaining to default in payment are monitored regularly and timely action is initiated as per prescribed procedure for temporary disconnection and thereafter for permanent disconnection

#### **Temporary disconnection on request of consumer:**

10.21 A consumer shall be required to make a written request to the office of the licensee if the consumer wishes to get his connection temporarily disconnected for a period upto six months. For duration of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay in advance all the monthly charges that are fixed in nature like demand charge, minimum charge, meter rent etc. The consumer shall also be liable to pay disconnection / reconnection charges to avail the facility of temporary disconnection. The period of 'disconnection on request' can be extended on receipt of a request in writing and on necessary charges being deposited in advance.

#### **Permanent disconnection and termination of agreement:**

10.22 After temporary disconnection in case the consumer does not come up to get supply reconnect, by making payment of outstanding dues, the connection be permanently disconnected after termination of agreement by following the procedure as stated in para 7.36/7.37 of this Code whichever is applicable.

#### **Unconnected LT industrial and HT connections:**

10.23 In case a LT industrial / HT consumer who could not avail connection even after expiry of one month / 3 months notice period, as the case may be regarding availability of supply up to consumer's premises, consumer shall be billed at demand / fixed charges as per provision in relevant tariff order. When consumer comes up to avail connection after his readiness, billing already done may be revised based on following reduced load / demand ignoring actual contracted load/demand from the date of commencement of agreement and connection be served after clearing the revised outstanding dues. The period of agreement be increased equivalent to the period for which billing on the basis of reduced load / demand is done.

For LT industries up to 50 HP	-	10 HP
For LT industries more than 50 HP	-	20 HP
For HT connection 33 and 11KV	-	60 KVA

10.24 In case the consumer mentioned in clause 10.23 above does not avail connection during the period of agreement, billing be stopped from the date the period of agreement expires, and billing be revised based on reduced load/demand ignoring actual contracted load/demand as stated in clause 10.23 above of this Code.

- 10.25 In case the consumer comes up to avail connection after expiry of agreement period, it would be treated as new connection and shall be dealt accordingly after payment of outstanding dues if any.

**Disconnected LT industries and HT consumers:**

- 10.26 If supply of a LT industrial / HT consumer is disconnected during currency of agreement period, the demand/fixed charges be billed as per provision in tariff order. In case the consumer remained disconnected for 2 months without payment, a 15 days notice be issued to the consumer as per format shown in Annexure-6, to pay the dues and get supply reconnected or else the meter and metering equipment will be removed. If no action is taken by consumer the meter and metering equipment be removed after period of 6 months ending at the end of billing month from the date of disconnection or on the last date of the month in which agreement period expires, whichever is earlier after issuing due 15 days subsequent notice to consumer.
- 10.27 In case consumer mentioned in clause 10.26 above comes to avail supply within agreement period, meter and metering equipment if removed be installed and connection served after submission of fresh test report/approval from electrical inspector.
- 10.28 In case the consumer mentioned in clause 10.26 above does not come up to avail supply till expiry of agreement period, the billing be revised on the basis of following reduced load/demand ignoring actual contracted load / demand from the date of disconnection till expiry of agreement period and subsequent billing be stopped.
- |                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| For LT industries up to 50 HP     | - | 10 HP  |
| For LT industries more than 50 HP | - | 20 HP  |
| For HT connection 33 and 11KV     | - | 60 KVA |
- 10.29 If the consumer comes to avail supply after expiry of agreement period, it would be treated as new connection and shall be dealt accordingly after payment of outstanding dues if any.

## **CHAPTER 11:      PREJUDICIAL USE OF SUPPLY**

- 11.1 The licensee shall take all necessary measures to prevent theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plants, electric lines, equipments or meters.
- 11.2 The consumer shall not make such use of supply given to him by the licensee for which he is not authorized by licensee or which may be prejudicial to the licensee within the provision of Act and this Code.

### **Access to consumer premises**

- 11.3 The licensee or his authorized person shall be entitled to enter the premises immediately after informing the consumer, for checking unauthorised use of energy, unauthorized additions and alterations to equipment, theft and misappropriation of energy, diversion of power, by-passing or tampering of the meter, or for general inspection and testing. On detection of unauthorised use of energy, unauthorized additions and alterations to equipment, theft and misappropriation of energy, diversion of power or bypassing or tampering of the meter the licensee may take actions as per the provisions of the Act and this Code.
- 11.4 Inspection, testing or checking of any domestic place or domestic premises however shall not be carried out between sunset and sunrise except in the presence of an adult male member occupying such premises.
- 11.5 If the consumer does not provide reasonable facility to the licensee to enter into the premises for the purposes stated in clause 11.3 above, the licensee may give 24 hours' notice in writing to the consumer, of its intention to discontinue the supply. If the consumer still does not provide access, the licensee shall be entitled to discontinue supply to the consumer.
- 11.6 The inspection team of the licensee, headed by an Officer shall carry along with them their Photo Identity Cards. Photo Identity Card should be shown to the consumer before entering the premises.
- 11.7 The report of inspection shall be signed by the Inspecting Officer, members of the inspection team and by the consumer, if the consumer refuse to sign the report then the same has to be recorded in the inspection report and a copy of report must be handed over to the consumer or his/her representative at site immediately under proper receipt.. In case of refusal by the consumer or his/her representative to either accept or give a receipt, a copy of inspection report shall be pasted at a conspicuous place in/outside the premises and photographed. Simultaneously, the report shall be sent to the consumer under Registered Post on the day or the next day of the inspection.

### **Unauthorized use of electricity:**

- 11.8 Unauthorized use of electricity shall mean the usage of electricity -  
(i) by any artificial means; or

- (ii) by a means not authorised by the concerned person or authority or licensee; or
- (iii) through a tampered meter; or
- (iv) for a purpose other than for which the usage of electricity has been authorized;

Thus, this include following in (ii) above:

- (a) Use of electricity in the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorised; or
- (b) shifting of location of meter;

### **Assessment-**

- 11.9 If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgement the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use considering the charges already paid by the consumer during the period for which assessment is made.
- 11.10 The assessing/authorised officer shall prepare the bill for unauthorized use of electricity for the entire period during which unauthorised use has taken place. If, however, this period can not be ascertained, it shall be limited to a period of twelve months immediately preceding the date of inspection.
- 11.11 In cases where connection was served less than one year back or the connection was checked within last one year period, the period for assessment will be from the date of connection or last checking of connection whichever is less till the date of inspection.
- 11.12 Assessment shall be made at a rate equal to two times (2 times) the tariff applicable for the relevant category of consumer using electricity for the same purpose as found during inspection.
- 11.13 In case the consumption recorded by the meter is found in order and there is no dispute on the consumption recorded by meter, billing as per two times tariff applicable be done based on recorded consumption.

### **Provisional and final assessment:**

- 11.14 The following officers of distribution company has been authorized in the rules notified by the State Government (rules) for provisional and final assessment which may be amended by State Government from time to time:

- (i) Officers of rank of Asstt. Engineer – For all LT connections up to 15KW
- (ii) Officers of rank of Executive Engineer – For all LT connections more than 15KW
- (iii) Officers of rank of Superintending Engineer and above – For all HT & EHT connection.

Provided that in case the superior officer himself has inspected the premises then such superior officer can exercise the powers of assessing officer indicated as above.

- 11.15 The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises within a period of 3 working days from the date of inspection in the manner as prescribed in the Rules by registered post or by hand and the acknowledgement shall be obtained.
- 11.16 Any person served with the order of provisional assessment as per clause 11.15 above, may accept such assessment and deposit the assessed amount within seven days of service of such provisional assessment order upon him.
- 11.17 Any person, who has been served notice under clause 11.15 above, may file objections, if any, within 7 days from the date of receipt of the provisional bill, to the assessing officer, as designated by the State Government in the Rules, who may, after according reasonable opportunity of hearing to such person, pass final order of assessment of electricity charges within one month of the date of the provisional assessment.
- 11.18 During the hearing, the Assessing Officer shall give due consideration to the facts submitted by the consumer and pass, a speaking order as to whether the case of unauthorized use of electricity is established or not. The order shall contain the brief of inspection report, submissions made by consumer in his written reply and oral submissions during hearing and reasons for acceptance or rejections of the same.
- 11.19 Any person served with the order of final assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the licensee within 7 days of service of assessment order upon him.
- 11.20 In case of non-payment of bill amount within 7 days of serving the final assessment order, the connection will be disconnected by serving a 15 days notice, which will not be reconnected until the assessed amount is deposited. In case of non-payment, the amount will be shown as arrear in the subsequent regular bill and action be taken for recovery.

#### **Appeal against final assessment:**

- 11.21 Any person aggrieved by the final order may prefer an appeal within 30 days of the final order to an appellate authority as designated by the State Government in the Rules, provided that 50% of the assessed amount along with fee of 1% of finally assessed amount subject to minimum of Rs.500/- and maximum of Rs.10000/- as decided by the Commission from time to time is deposited with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed with the appeal.
- 11.22 Following officers of distribution licensee have been designated as appellate authority in the rules notified by the State Government, which may be amended by State Government from time to time:
- (i) Next immediate officer – Executive Engineer – For all LT connection up to 15KW

- (ii) Next immediate officer – Superintending Engineer – For all LT connection above 15KW
- (iii) Next immediate officer – Chief Engineer – for HT & EHT consumer.

Provided that in case the superior officer himself has inspected the premises and has issued final assessment order, next immediate officer to such superior officer shall be the Appellate Authority.

- 11.23 The Appellate Authority will dispose of the appeal after hearing the parties and pass an appropriate order within 30 days of appeal being admitted and send copy of the order to the Assessing Officer and the appellant. The order of the Appellate Authority shall be final and shall not be appeal-able.
- 11.24 The consumer will be served with a revised bill as per order of the Appellate Authority to be paid in 7 days. If a consumer defaults in making payment within 7 days of serving the order of the Appellate Authority, the connection will be disconnected after serving a 15 days notice, and will not be reconnected until the bill amount is cleared. In case of nonpayment, the amount will be indicated as arrear in subsequent regular bill and action be taken for recovery.
- 11.25 When a person defaults in making payment of assessed amount, he shall be liable to pay, in addition to the assessed amount, on the expiry of thirty days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of sixteen percent per annum compounded every six months as provided in Section 127(6) of the Act.
- 11.26 In case the Appellate Authority holds that no case of unauthorized use of electricity is established, no further proceedings will be initiated by the licensee and the amount deposited by the appellant shall be refunded along with interest at the rate of 16 percent per annum compounded every six months for the period from the date of deposit till the amount recovered is adjusted through adjustment in the electricity bills of the immediately succeeding months. The appellant may also opt for cash refund of the amount deposited by the appellant along with interest at the rate of 16 percent per annum compounded every six months, till payment of such amount is made by the licensee.

#### **Maximum demand exceeding of contract demand / load found increased**

- 11.27 The cases related to enhancement of load / exceeding the contract demand by the consumer shall be dealt as per provision given in relevant tariff order
- 11.28 Where two motors of same capacity are installed with common delivery pipe, capable to be used by only one motor at a time i.e. when other motor is installed as standby to meet out emergency then in such case load of only one motor shall be considered for billing purposes.

## **Theft of Electricity**

11.29 Section 135 of the Act deals with theft of electricity stating that whoever, dishonestly

- (i) taps, makes or causes to be made any connection with overhead, underground or underwater lines or cables, or service wires or service facilities of a licensee or supplier, as the case may be; or
- (ii) tampers a meter, installs or uses a tampered meter, current reversing transformer, loop connection or any other device or method, which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or otherwise results in a manner whereby electricity is stolen or wasted; or
- (iii) damages or destroys an electric meter, apparatus, equipment, or wire or causes or allows any of them to be so damaged or destroyed as to interfere with proper or accurate metering of electricity, so as to abstract or consume or use electricity; or
- (iv) uses electricity through a tampered meter; or
- (v) uses electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorised

shall be punishable under the provision of section 135 of the Act.

11.30 Entry, search and seizure for the purpose of detection of theft as per sub-section(2) of Section 135 of the Act shall be undertaken by an officer not below the rank of junior engineer of distribution licensee as authorized by the State Government in the Rules and such entry, search and seizure shall be carried out as per the procedure laid down therein.

11.31 After detailed examination of the evidence if the licensee or supplier is convinced that a prima-facie case exists for the abstraction, consumption or use of electricity dishonestly against the consumer, the licensee or supplier as the case may be, may, upon detection of such theft of electricity, immediately disconnect the supply of electricity.

Provided that such disconnection can be effected by a person not below the rank of Junior Engineer or equivalent in respect of LT connection and Executive Engineer or equivalent in respect of HT and EHT connection, of the licensee or supplier, as the case may be, or any other officer of the licensee or the supplier as the case may be, of the rank higher than the rank so indicated in these clauses.

Provided further that such officer of the licensee or supplier, as the case may be, shall lodge a complaint in writing relating to the occurrence of such offence in police station having jurisdiction within 24 hours from the time of such disconnection.

11.32 The officer authorised in this behalf by the State Government in the Rules as specified in clause 11.14 of this Code above shall prepare the bill for theft of electricity pending adjudication by the special court, as per provision in section 154(5) of the Act.



## **Period of Assessment**

- 11.33 The assessment shall be an amount equivalent to two-and-half times the rates as per applicable tariff for the relevant category of consumer for a period of twelve months preceding the date of detection of theft of energy or the exact period of theft if determined, whichever is less.  
The period of assessment may be arrived at after taking into consideration the following guidelines or any combination thereof or any other reasonable evidence which may be provided by the consumer:
- (1) Actual period from the date of commencement of supply to the date of detection of theft;
  - (2) Actual period from the date of replacement of component of metering system in which the evidence is detected to the date of detection of theft;
  - (3) Actual period from the date of previous checking of installation to date of detection of theft;
  - (4) Meter Reading Instrument (MRI) data should be considered wherever available.
- 11.34 In making such assessment the authorized officer shall also take into account the representation of the consumer submitted within 48 hours of the detection of theft or any other evidence he considers relevant. The authorized officer shall record reasons for the assessment made. Charges, if any, paid by the person during the period for which the assessment is done, shall be duly credited.
- 11.35 The authorized officer shall serve an order for charges against the theft of electricity committed by the person within 3 (three) working days in the manner as provided in the Rules through in person or through registered post.
- 11.36 The supply shall be restored to the consumer within 48 hours after removal of the cause of theft, provided that the assessed amount is deposited in full. The licensee shall take all measures to avoid recurrence of theft in the same premises before restoration of supply.
- 11.37 The above action shall be without prejudice to the filing criminal proceedings by the licensee in the special court constituted under chapter XV of the Act against the person involved in theft of electricity.

## **Responsibility on consumer to prove otherwise**

- 11.38 If, it is proved that any artificial means not authorised by the distribution licensee or supplier, as the case may be, exist for the abstraction, consumption or use of electricity by the consumer, it shall be presumed, until the contrary is proved, that any abstraction, consumption or use of electricity has been dishonestly caused by such consumer.
- 11.39 The methodology for assessment of consumption in case of theft of energy**

(A) In respect of existing connection:

Units assessed =  $L \times D \times H \times F$

Where

L = Load (connected load found in the consumer's premises during the course of inspection in KW.

D = Period of assessment in days:

H = is hours of use per day,

F = Load factor, which shall be taken for different categories of use as given below:-

S.No	Particulars	Load factor
1.	HT industries	100%
2.	HT connection other than industries (Residential, General purpose) water work.	75%
3.	LT Industry	75%
4.	LT Non domestic and Agriculture allied.	50%
5.	LT Domestic	40%
6.	LT Agriculture	50%
7.	LT Water supply	50%
8.	Street light	50%
9.	Direct theft – All categories (without availing connection)	100%

H = 8 hours all consumers (other than domestic and street light)

6 hours for domestic

12 hours for street light

For industries period of working to be decided based on its normal functioning but shall not be less than 8 hours.

(B) Assessment of energy in case of direct theft (without availing) connection:

Units assessed =  $L \times D \times H$

Where,

L = Load (found connected at the time of inspection) in KW

D= Period of assessment in days; and

H= is hours per day, which shall be taken as 8 hours for all consumers except industrial consumers in respect of whom the hours of use shall be as per the hours the industry generally operates in a day which in any case shall not be less than 8 hours.

### **Theft of electricity in premises having no connection (direct hooking)**

11.40 In case theft of electricity is detected in the premises which do not have regular electricity connection, the licensee shall forthwith disconnect the supply to such premises and shall remove the cause of theft immediately by removing the line/ cable/ plant or illegal meter up to the distribution main and other apparatus which are found being used for the purposes of theft of electricity as per the provisions of the Act and the procedure laid down in the Rules. The licensee may subsequently remove or divert or convert the line, cable or electrical plant to prevent further theft of electricity provided that such action shall not result in any inconvenience or disruption of supply to other consumers.

**Procedure in case of suspected theft:**

11.41 In case of suspected theft, the Authorized Officer shall remove the meter under a seizure memo and seal it in the presence of the consumer or his authorized representative and the Authorized Officer and the consumer have to sign on the seal affixed on the meter. The Authorized Officer shall record reasons to suspect theft in the premises in his report. The licensee or supplier shall continue the supply to the consumer with a new meter. The old meter shall be tested in the presence of the consumer and the Authorized Officer at the licensee's testing lab which shall give a test report, in writing, which along with photographs / video-graphs if any shall constitute evidence thereof.:

Provided that if consumer insists, the testing of the meter will be carried out at a third party facility approved by the Commission if any / or in presence of electrical inspector.

11.42 No case for theft shall be booked only on account of seals on the meter missing or tampered or breakage of glass window, unless corroborated by consumption pattern of consumer and such other evidence as may be available.

11.43 In the event of second and subsequent conviction of a person when the load abstracted, consumed or used or attempted abstraction or attempted consumption or attempted use exceeds 10 KW, such person shall be debarred from getting any supply of electricity for a period which shall not be less than three months but may extend to two years and shall also be debarred from getting supply of electricity for that period from any other sources or generating station. Such cases may be brought to the knowledge of special court and pleaded accordingly.

**Abetment:**

11.44 Whoever abets an offence punishable under this Act, shall, notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code (45 of 1860), be punished with the punishment provided for the offence.

11.45 Without prejudice to any penalty or fine which may be imposed or prosecution proceedings which may be initiated under this Act or any other law for the time being in force, if any officer or other employees of the distribution licensee or the licensee enters into or acquiesces in any agreement to do, abstains from doing, permits, conceals or connives at any act or thing whereby any theft of electricity is committed, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

11.46 The licence or certificate of competency or permit issued to any electrical contractor, supervisor or worker who abets the commissioning of an offence shall be liable for punishable under sections 135, 136, 137 or 138 of the Electricity Act, 2003 and such license or certificate of competency or permit is liable for cancellation by the licensing authority. All such cases need to be brought to the notice of the licensing authority no sooner it is detected.

11.47 Under section 151 of the Act, it is provided that the Court may also take cognizance of an offence punishable under the Act, upon a report of a police officer filed under section 173 of the Code of Criminal Procedures, 1973. In all theft cases report should generally be filed with the police.

11.48 Under section 151A of the Act, for the purposes of investigation of an offence punishable under the Electricity Act, 2003 the police officer have been given all powers as provided in Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973.

### **Compounding of offences**

11.49 Compounding of offences shall be as per the provision of Section 152 of the Act. In compounding offences the authorised officer i.e. Chief Electrical Inspector shall act in accordance with the procedure laid down in the Rules.

11.50 A person or consumer in custody, in connection with the offence of theft of electricity, shall be set at liberty on payment of sum of money in accordance with the Sub-Section (1) of Section 152 of the Act mentioned as below as may be specified by the State Government from time to time. No proceeding shall be instituted or continued against such consumer or person in any criminal court as per Section 152(2) of the Act.

Nature of Service	Rate at which the sum of money for compounding to be collected per Kilowatt (KW)/Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT)/ Extra High Tension (EHT).
1. Industrial Service	Twenty thousand rupees;
2. Commercial Service	Ten thousand rupees;
3. Agricultural Service	Two thousand rupees;
4. Other Service	Four thousand rupees;

11.51 The compounding of an offence under Section 152 of the Act shall be allowed only once for any person or consumer.

### **Preventive measures to control theft of electricity**

11.52 The Electricity (Removal of Difficulties) Order 2005 [S.O.790 (E) dated 8<sup>th</sup> June'2005] notified by Ministry of Power, Govt. of India mandates adoption of measures to control theft of electricity.

11.53 The licensee shall arrange to provide tamper proof meter boxes on meters so as to ensure that all the premises have tamper proof meter boxes. The licensee shall simultaneously review the status of the service lines to ensure that it is proper and wherever required, it should be replaced to prevent theft/ bypassing of meter.

11.54 The licensee shall undertake regular inspection of premises of consumers and keep up necessary vigilance and shall take up necessary action to ensure

prevention of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter. Priority shall be given in inspection/ vigilance to theft-prone areas.

- 11.55 The licensee shall evolve a system and put in place such a system, for regular monthly monitoring of consumption of high value consumers, which shall include all the HT connections and LT connections having contract demand/connected load of 25 HP and above. Wide variations in consumption shall be carefully analyzed. The licensee shall arrange prompt inspection in doubtful cases.
- 11.56 The licensee shall arrange to ensure that 33 KV & 11 KV feeder-wise losses are worked out for identified cities and district headquarter and towns of the State in phases and thereafter for other areas. The licensee shall take suitable steps for reduction of losses in the pockets of high loss identified by working out losses in the above manner.
- 11.57 The licensee shall also install meters on all distribution transformers and carry out energy audit so as to identify high loss pockets and take further suitable action for reduction of losses in such pockets.
- 11.58 The licensee shall endeavour to install remote metering devices on all 50 HP and above connections on priority for the purpose of monitoring of consumption and prevention of theft of electricity. The licensee shall further endeavour to install remote metering devices on LT connection up to 25 HP subsequently.
- 11.59 The licensee shall arrange to give due publicity through the media, TV and newspapers to bring awareness about the level of commercial losses, its implications on honest consumers and seek their co-operation in prevention and detection of theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter.
- 11.60 The licensee may, as early as possible, arrange to suitably display in its website region wise, circle wise, division wise, sub-station wise and feeder wise losses. Efforts be made for prevention of diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter and results obtained. The website may be updated every quarter.
- 11.61 The licensee shall arrange to provide requisite security / police force to the authorised officers for their safety. Such security squads shall invariably accompany the authorised officers during raids in order to ensure their safety.
- 11.62 The licensee may replace overhead bare conductors with aerial bunch cables in theft-prone areas to prevent theft by direct hooking of the licensee's lines.
- 11.63 The licensee may provide HV distribution system (LT less system) in theft-prone areas using small capacity distribution transformer, wherever necessary.
- 11.64 The licensee is authorized to relocate the meters of existing consumers to an appropriate location within the boundary wall so that it is easily accessible for reading, inspection, testing and other related works as per provision in clause 8.9 of this Code. In case of doubtful cases where continuous vigil is not possible, the licensee may install check meters on its poles / feeder pillars. In

cases of repeated theft of electricity the licensee may install billing meters for such connections on its poles/ feeder pillars under due intimation to consumer.

- 11.65 A list of cases where theft of electricity has been detected shall be maintained by the licensee. The licensee shall also maintain list of cases to clearly identify where second offence and subsequent offence (s) of theft have been detected and take action as per the provisions of the Act.

## **CHAPTER 12: GENERATOR CONNECTIVITY WITH THE GRID**

### **Generator in consumer's installation**

- 12.1 Operations of a generator in the consumer's installation to run in parallel with the licensee's system is permissible only with the written consent of the licensee.
- 12.2 Where no such consent has been given to consumer, he shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode and the generator, in no case, should get connected to the licensee's system so as to avoid the possibility of feedback in licensee's system. The licensee, on intimating the consumer can enter the premises and inspect the arrangement to ensure that at no time the generator gets connected to its system.
- 12.3 In case the consumer's supply gets extended to the licensee's system from a generator or from any other source, without appropriate approval from the licensee, causing damage to the licensee's apparatus or to human life, the consumer shall be liable for the same and shall duly compensate the licensee for all losses caused to the licensee and to other affected person apart from the disconnection of supply.
- 12.4 Where consent has been given for connectivity with grid, the consumer shall arrange to install appropriate protective system in his installation and ensure its proper functioning. The consumer should also ensure that his supply does not get incorrectly connected to the licensee's system. The licensee shall not be liable for any damage caused to the consumer's plant, machinery and apparatus on account of such connectivity, or any adverse consequence arising thereof.

### **Connectivity with the grid**

- 12.5 Procedure for availing connectivity with the grid by a generator shall be in accordance with provisions contained in CSERC (Connectivity and intra-State open access) Regulations, 2011 as amended from time to time. The technical standard safety and operational criteria with grid shall be in accordance with Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply) Regulations 2010 and Central Electricity Authority (Technical Standards for construction of electrical plant and electric lines) Regulations 2010 as amended from time to time and Central Electricity Authority (Grid standards for operation and maintenance of transmission line) Regulations, as and when they come into force.

- 12.6 The voltage level-wise prescribed quantum of power for injection by a generating station/captive generating plant to the intra-State transmission system and distribution system shall be as specified in Chhattisgarh State Electricity Grid Code, 2007 as amended from time to time (State Grid Code hereafter).
- 12.7 The voltage level-wise prescribed quantum of power for drawal by a consumer (including captive consumer) from the intra-State transmission system and distribution system (i.e. sum of quantum of open access power and contract demand with licensee) shall be as specified in clause 3.4 of this Supply Code.
- 12.8 Connectivity of the generator's system to the State Transmission Utility system / distribution system shall be covered by a connection agreement between the generator and State Transmission Utility / distribution licensee. The generator granted connectivity will be required to sign "Connection Agreement" prior to the physical connection with grid.
- 12.9 The grant of connectivity shall not entitle the generator to inject any power to the grid unless it obtains long-term open access, medium-term open access or short-term open access or have agreement to supply to distribution licensee.
- 12.10 A generating station or captive generating plant can construct, operate and maintain its dedicated transmission line. A generator may get the work of dedicated transmission line for connecting its power plant to the grid executed by the licensee or may execute itself. In such case, procedure and time schedule for extension of line for release of connection to a consumer as specified in clause 4.58 of this Code shall be applicable.
- 12.11 In case the generator desires to maintain its dedicated transmission line itself, it need not require to get the work supervised by the licensee and hence not required to pay supervision charges.

#### **Start-up power by generator**

- 12.12 Generator have option either to avail or not to avail start-up power from the licensee's system. In case the generator has not contracted with licensee for start-up power but eventually draws power from the grid, shall be billed as per tariff decided by the Commission in relevant tariff order.
- 12.13 The generator may contract for start-up power with licensee for contract demand as per provision specified by the Commission in relevant tariff order. Start-up power can be availed for commissioning of the generator and its auxiliaries and thereafter. The import / export meter installed at interface point to record the energy injected in to the grid shall be used as billing meter for recording demand and consumption for start-up power purpose. For the purpose of meter reading, billing and payments etc. for start-up power the relevant provisions of this Code shall be applicable.



**Reduction of contract demand by prospective captive and non-captive consumer:**

- 12.14 A consumer of distribution licensee who becomes captive / non-captive consumer of captive generating plant (CGP) may reduce their contract demand with the licensee to the extent desired even to zero. This facility will be available once during the initial period of agreement, subject to condition that the contract demand has not been reduced already during the initial agreement period in accordance with provision in clause 7.9 of this Code. This relaxation will be applicable for new captive power plant for the purpose to attract new investment in the field of power generation. For the purpose of meter reading, billing and payment etc. for the electricity used by generator and captive load from the grid the relevant provision of this Code shall be applicable.
- 12.15 In case of outage of CGP supplying power to a captive/non-captive consumer who has reduced its contract demand to zero and availed open access, standby arrangement of supply may be provided by the licensee, and billing for power drawn will be as per the standby charges fixed by Commission in relevant tariff order considering the supply availed as temporary in nature, subject to prior intimation by CGP to the distribution licensee.

**Metering at interface point:**

- 12.16 Interface meters (main meter) shall be installed and maintained by the State Transmission Utility or transmission licensee or distribution licensee for and at the cost of generator seeking connectivity at STU or transmission licensee or distribution licensee system as the case may be.
- 12.17 The metering at the inter-connection point for main meters and check meters shall be ABT compatible. All matters and arrangements relating to metering shall be governed by CEA (Installation and Operation of meter), Regulations, 2006 and as amended from time to time. The interface meters for measuring the quantum of energy injected into the grid by generator or captive generating plant shall be installed at the grid sub-station of licensee. For bulk consumers availing power through open access, the interface meter for measurement of energy drawal shall be installed in consumer's premises.
- 12.18 The main and check meters shall always be maintained in good condition and periodically tested and calibrated by the concerned licensee in the presence of the generator as per clause 8.18 of this Code. The meters shall be sealed in the presence of both parties. Defective meters shall be replaced immediately.
- 12.19 Reading of the main and check meters shall be taken periodically, on appointed date by an officer of the concerned licensee authorized for the purpose, and the generator or his representative, as the case may be.

**Assessment in case of defective meters:**

- 12.20 If in any month the readings of main meter differs from the reading of corresponding check meter beyond permissible accuracy limit, as prescribed, the main and check meters shall be tested in turn and errors at various levels as per standard procedure would be determined and billing shall be done accordingly.

- 12.21 When main meter is found to be defective or has stopped, reading of the check meter shall be considered for billing purpose subject to condition that the check meter has been found working properly.
- 12.22 In case of outage of both the main and check meters, if any energy is interchanged in the intervening period the assessment has to be done on the basis of reading recorded in generator's sending end meter if found working properly by considering average of previous 3 months percentage line loss when both interface meter and generators meter were found working properly.
- 12.23 In case of outage of both the main meters and check meters so also generator's sending end meters, the energy injected into the State grid may be assessed considering energy balancing and on the basis of average of previous three months energy loss calculated of the respective sub-station of licensee when main/check meters were working properly by way of energy balancing.
- 12.24 In case the meter installed in the premises of bulk consumer who is availing open access becomes defective, the assessment of energy drawal is to be done as per the provisions specified for consumers in clause 9.16 of this Supply Code.

## **CHAPTER 13: MISCELLANEOUS**

### **Force Majeure:**

13.1 Any event which is beyond the control of the agencies involved which they could not foresee or with reasonable amount of diligence could not have foreseen or which could not be prevented and which substantially affect the performance by either agency such as but not limited to:-

- a) Acts of God, natural phenomena, including but not limited to floods, droughts, earthquakes and epidemics;
- b) Acts of any Government domestic or foreign, including but not limited to war declared or undeclared, hostilities, priorities, quarantines, embargoes;
- c) Riot or civil commotion;
- d) Grid's failure not attributable to agencies involved.

13.2 The licensee shall not be liable for any claim for loss, damage or compensation whatsoever arising out of failure of supply when such failure of supply is due to force majeure condition either directly or indirectly.

If at any time during the continuance of the agreement between the licensee and the consumer, the use of electricity is not possible either fully or partially, to the consumer due to force majeure conditions stated in para 13.1 above, the consumer may, on giving 7 days notice in writing to the licensee, about such a situation, take a reduced supply of power as may be necessary and feasible. In all such cases where the consumer claims force majeure conditions, the licensee's authorized representative shall verify the same. Such a facility shall be available to the consumer only if the period of reduced supply is for a minimum period of 30 days. The aforesaid period of reduced supply shall not be counted towards the initial period specified in the agreement and the period of agreement shall be extended for further period equal to the period of reduced supply.

13.3 In case the licensee is unable to supply power to a consumer who is not otherwise a defaulter, disconnected or unconnected, for a period of 10 days (each day shall consist of power cut from 00 hours to 24 hours) or more in a calendar month, the licensee shall bill charges on the consumer in the following manner:

- (a) Energy charges shall be on the basis of actual meter reading recorded in the energy meter.
- (b) Other charges (excluding electricity duty and cess) shall be prorated on the basis of the number of days power was provided to the consumer.

### **Damage to electrical plant, lines or meter**

- 13.4 If the electrical plant, lines or any other equipment. of the licensee placed in the consumer premises is found damaged by the consumer or otherwise then the licensee shall be entitled to recover the expenses incurred for restoration of such plant, line, or equipment., without prejudice to his right to take action under appropriate provisions of the Act, including disconnection of supply for non-payment of the cost for replacement/rectification, and action for theft or assessment for unauthorized use, as the case may be.

### **Clearance from electric lines (clause 63 of CEA Safety Regulation):**

- 13.5 If at any time subsequent to the erection of an overhead line, whether covered with insulating material or not, any person proposes to erect building or structure or flood bank or to raise any road level or to carry out any other type of work whether permanent or temporary or to make in or upon any building or structure or flood bank or road, any permanent or temporary addition or alteration, he and the contractor whom he employs to carry out the erection, addition or alteration, shall-give intimation in writing of his intention to do so, to the supplier or owner and to the Electrical Inspector and shall furnish therewith a scale drawing showing the proposed building, structure, flood bank, road or any addition or alteration and scaffolding thereof required during the construction.
- 13.6 The licensee without undue delay shall convey an estimate of the cost of the expenditure likely to be incurred to so alter the overhead line as required by him to deposit, within thirty days of the receipt of the notice, with the supplier.
- 13.7 Any addition or alteration to the building or structure shall be allowed only after the deposit of such estimated cost to the supplier or owner.
- 13.8 Consumers shall ensure that buildings, structures, additions, alterations modifications and any other construction projects keep the minimum clearances required from existing supply lines of the licensee. These minimum clearances are specified in CEA Safety Regulations as shown in Annexure 12.
- 13.9 Due care should also be taken at the time of plantation below electric line. Dwarf size plantation be preferred to ensure maintenance of safe recommended clearance with electric line after full growth of tree.

### **Authorisation of Franchisees**

- 13.10 A licensee may authorise a franchisee to distribute electricity on its behalf in a particular area within the former's area of supply as per the provisions of the Act and this Code will be applicable to such franchisees also.

### **Distribution in SEZ area**

The relevant provision of this Code shall also be applicable on the person / body corporate / agency authorized by State Government to supply power in SEZ area.

## **Service of Notice**

- 13.11 Any letter, order or document addressed by the licensee to the consumer shall be deemed to be duly given, if served in writing and delivered by hand at, or sent by post /courier, to the address specified in the consumer's application or in the agreement with the consumer if entered into or as subsequently notified to the licensee. In case there is no person on the premises to whom the notice can with reasonable diligence be delivered, the notice may be served by affixing it on some conspicuous part of the premises.
- 13.12 The licensee may serve any general notice like message regarding shutdowns load regulatory measures, applicability of new tariff or change in due date of payment etc. in a widely circulated local newspaper(s).
- 13.13 All communications to the licensee shall be addressed to:
- (a) The officer authorized or designated by the distribution licensee for HT and EHT consumer.
  - (b) The licensee's Executive Engineer or person holding an equivalent post of the area or his authorised representative in the case of L.T. consumers.

## **Unforeseen Circumstances**

- 13.14 If any circumstances not envisaged in the provisions of this Code, should arise, the licensee shall, to the extent reasonably practicable in the circumstances, consult promptly and in good faith all affected parties in an effort to reach an agreement as to what should be done. If an agreement between the licensee and those parties cannot be reached in the time available, the licensee shall determine it in the manner best to its ability.
- 13.15 Wherever the licensee makes such a determination, it shall do so having regard, wherever possible, to the views expressed by the affected parties and, in any event, to what is reasonable in the circumstances. Each party shall comply with all instructions given to it by the licensee following such a determination, provided that the instructions are consistent with the Act and prevailing Codes and Regulations. The licensee shall promptly refer all such unforeseen circumstances, and any such determination to the Commission.
- 13.16 The licensee may issue a manual/guideline indicating the detailed procedure to be followed by the officers and employees of licensee for their guidance and proper functioning so as to ensure timely execution of work and quick release of connection.
- 13.17 To standardize the voltage-wise type of support and minimum size of conductors to be used in urban/semi urban/rural areas, in order to have uniformity. For construction work other than related to individual consumer for connection, size of conductor be used so as to be able to meet out developing load for at least coming five years.

**Interpretation:**

- 13.18 These conditions shall be read and construed as being subject, in all respects, to the provisions of the Electricity Act, 2003. CEA Metering Regulations, CEA Safety Regulation and CEA Construction Regulation and as amended from time to time and the Rules made therein and to the provisions of any other law relating to the supply of electricity for the time being in force; and nothing contained in this Code shall abridge or prejudice the rights of the licensee and the consumer under any Central Act or State Act or Rules made there under.
- 13.19 In case of any dispute regarding the meaning or scope or interpretation of this Code, the interpretation of the Commission shall be final and binding on all concerned.

**Repeal**

- 13.20 With the notification of this Supply Code, the following Supply code and Regulations shall cease to operate from the date of publication of this Supply Code in the Chhattisgarh Rajpatra.
1. Chhattisgarh State Electricity Supply Code 2007
  2. Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2005
  3. Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the appellate authority) Regulations, 2005

**Power to remove difficulties:**

- 13.21 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Code, the matter may be referred to the Commission who after consulting the parties affected, where considered necessary, may pass any general or special order, not inconsistent with the provisions of the Act or any other enactment relating to supply of electricity for the time being in force, which appears necessary or expedient, for the purpose of removing the difficulty.

**Jurisdiction of Court:**

- 13.22 Proceedings arising out of this Code and the agreement made there under if any, shall be filed in the Court under whose jurisdiction the agreement was executed,

**Savings**

- 13.23 Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 13.24 Nothing in this Code shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Code, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

- 13.25 Nothing in this Code shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Codes have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.
- 13.26 Licensee is authorized to modify the structures of format provided in Annexures of this Code in order to meet any requirement that may arise as a consequence of the provisions of this Code so that formats are consistent with the prevailing rules, regulations and provision of this Code
- 13.27 **Power to amend**  
The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend the provisions of this Code.
- 13.28 **Power to relaxation**  
The Commission may, in the public interest and after recording reasons in writing, relax the provisions of this Code, in appropriate cases
- Note-** In case of any difference / dispute in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of this Supply Code with that of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission

(N.K.Rupwani)  
Secretary

**Annexure-1**

**Application from – for new Low Tension Connection**

*(Please strike-off of purpose that is not applicable)*

1	Name of the Applicant / Organization:	
2	Name of father/husband/Director/Partner/Trustee:	
3(a)	Postal Address for communication	House/Plot/Premise no. Street Area/Colony Town/City/Village District Mobile No. E-mail:
(b)	Location where the new connection is applied for  <i>(indicate any landmarks to identify the location)</i>	House/Plot/Premise no. Street Area/Colony District
4	Plot size:..... sq. feet	Covered area:.....sq. feet
5	Category of Supply:(list of categories attached)	
6	Purpose of Supply:	
7	Total Load applied for (in kW)/HP:	
8	Type of Supply (permanent/Temporary):	
8(a)	If Temporary supply, specify period of requirement:	From (date): To (date)
9	Please indicate whether you want to carry out the works of laying service line and/or dedicated distribution facility for the electricity supply requisitioned (Yes/No)	
10	Please indicate whether you want to install your own CEA approved meter (Yes/No)	
11	List of documents attached:	
(a)	Photograph to be affixed on application form (Yes/No)	
(b)	Identity Proof submitted along with this application form:	
	- If applicant is a person <i>(Tick any one)</i>	(i) Electoral identity card; (ii) Passport (iii) Driving License; (iv) Ration Card; (v) Photo identity card issued by Government agency; (vi) PAN card; (vii) Certificate from village Pradhan/Patwari
	- If Applicant is an organization <i>(Tick any one)</i>	Signature of competent authority along with relevant resolution/authority letter of the institution concerned
(c)	Proof of legal occupancy of premises for	(i) Copy of Registered sale deed/lease



	which electricity connection is required along with a copy of map of premise/land indicating proposed point of supply ( <i>Tick any one</i> )	deed/partition deed, succession or heirship certificate or deed of last will/ certificate from Sanpanch/Patwari, payment of property tax or in the case of agriculture connection a copy of khasra/khatauni/khata nakal along with location of water source. (ii) Registered General Power of Attorney; (iii) Municipal tax receipt or Demand notice or other related document; (iv) Letter of allotment issued by competent authority (v) An applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall along with any one of the documents listed at (i) to (iv) above also furnish a no objection certificate from owner of the premises.
(d)	Proof of current address ( <i>Tick any one</i> )	(i) Electoral identity card; (ii) Passport; (iii) Driving license; (iv) Ration card; (v) Photo identity card issued by any Government agency; (vi) Statement of running Bank Account; (vii) Water/Telephone/Electricity/Gas connection Bill; (viii) Income Tax assessment order.
(e)	Any other document as applicable ( <i>Please specify</i> )	
12	Any electricity dues outstanding in licensee's area of operation in consumer's name: Yes/No	
13	Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes/No	
14	Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director: Yes/No	
	<i>(For questions 13,14 &amp; 15 if the answer is 'Yes' in any case please provide details on a separate sheet)</i>	

I/We hereby declare that

- (a) The information provided in this application is true to my knowledge.
- (b) I/We have read the Chhattisgarh Electricity Supply Code and agree to abide by the conditions mentioned therein.
- (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- (d) I/We own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Date:  
Place:

Signature of the consumer/Authorized Signatory  
Name:  
Designation:

Note: Apart from documents for identify proof, proof of ownership/occupancy of premises and proof of current address, the following documents shall be attached with the application form

1. In case of a partnership firm – The applicant shall furnish the partnership deed and an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement.
2. In case of public and/or private limited company – the applicant shall furnish a Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation along with an authorization in the name of the applicant for signing the requisition form and agreement.
3. Other documents applicable only for select consumer categories:
  - (a) Industrial consumers: Valid industrial license, NOC from Pollution Control Board if applicable
  - (b) Agriculture consumer: No Objection Certificate from competent government authority, if source of water is river, tank, canal etc.
  - (c) For Temporary Structure: No Objection Certificate allotment order from the nagar nigam/nagar palika/ nagar panchayat/ gram sabha/ gram panchayat/land development authority/land owning agency.
  - (d) Approval/permission of local authority if required under any law/statue.

### **Acknowledgement**

Application of .....(name of applicant)  
for ..... (purpose) is hereby received on  
.....(date). In the regard, the applicant is given a reference no.  
..... to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of licensee's representative

Name and Designation:

1	Name of the Applicant / Organization	
2	Name of father/husband/Director/Partner/Trustee:	
3	Postal Address for communication with Telephone Nos and E-mail address.	
4	Address where the new connection is applied for  (Indicate landmarks to identify the location)	
5	Voltage at which supply is required (kV) (Please tick the category applicable)	11KV      33KV      66KV      110KV 132KV    220KV
6	Type of Supply (Permanent/Temporary):	
6(a)	If Temporary supply, specify period of requirement:	From (date): To (date):
7	Total Contract Demand applied for kVA:	
8	Basis for projection of Contract Demand – Diversity Factor assumed:	
9	Phasing of Contract Demand required (Yes/No):	
	If Yes, then provide the following details in the given format:	
	CD required (kVA) along with remarks, if any	Tentative Date from which required
	(a)	
	(b)	
	(c)	
10	Purpose of connection	
11	Category of Tariff opted for:	
12	Production capacity:	
13	Category of Industry: (Tick the applicable one)	SSI    MSI LSI
	Type of unit: (viz. Ownership/Partnership/Private Ltd. /Public Ltd/Society/ Govt. Dept./Govt undertaking)	
14	Name of Institution developing Industrial Premises: if any	
15(a)	Possession Letter or No-Objection Certificate attached	Yes / No
15(b)	Issued by the Institution (attach a copy)	Number:    Date:
16	Whether supply is needed through an independent feeder	Yes / No
17	Whether the above unit ever operated at some other place or applied for connection? (if Yes, please provide details)	(a) Sanctioned Load: (b) Service Connection No. (c) Arrears of payment (if any):
18	If electricity connection for the premises was requested in the past?(If Yes, please provide details)	(a) Name of unit: (b) Service Connection No: (c) Arrears of payment (if any):
19	Status of land acquisition:	
20	Expected date by which finance will be available:	
21	Whether the requisite consent / NOC (if applicable as per the list of Pollution Control Board) has been obtained as per statutory requirements (If yes, attach a copy)	
22	Any electricity dues outstanding in licensee's area of operation in consumer's name: Yes / No	
23	Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes / No	
24	Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner. Partner. Director or Managing Director: Yes / No	

	<i>(For questions 22, 23 &amp; 24 if the answer is 'Yes')</i>	
25	Please indicate whether you want to carry out work of laying of line.	Yes / No

I/We hereby declare that

- (a) The information provided in this application is true to my knowledge.
- (b) I/We have read the Chhattisgarh Electricity Supply Code and agree to abide by the conditions mentioned therein.
- (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
- (d) I/We own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Date:

Signature of the consumer/Authorized Signatory

Place:

Name:

Designation and Seal:

Note: The following documents shall be attached with the application form:

1. Proof of ownership of the premises.
2. A map indicating the proposed location of the plant/office duly marked the area by red ink where supply is to be utilized and the point where supply is required. MoP should normally be scale of 1 Cm representing 1200 Cm.
3. Licence/NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.
4. In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.
5. In case of partnership firm, partnership deed.
6. In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.
7. Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the licensee immediately.
8. Letter of intent for production/enhancement in production may be furnished.
9. List of equipments proposed to be installed along with the expected load.
10. Resolution for authorized signatory.
11. Registration from Industries Department.
12. Extract of project report relevant to power and process requirements (in case of industries)
13. Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with the agreement after completion of formalities.

### Acknowledgement

Application of .....(name of applicant) for  
 ..... (purpose) is hereby received on  
 .....(date). In the regard, the applicant is given a reference no.  
 ..... to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of licensee's representative

Name and Designation:

## AGREEMENT FOR ELECTRICITY SUPPLY TO THE CONSUMERS

This agreement is made on this ..... day of ..... Year ..... between Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited being a deemed licensee under Section III of the Electricity Act 2003 and having its corporate office at Danganiya, P.O. Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492 013 (hereinafter referred to as **"the license"** which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) of the one part and Shri/Smt/M/s .....

Son/daughter/wife/proprietor/Director of .....

(hereinafter called **"the Consumer"** which expression where the context so admits shall include his heirs, executors, administrators, legal representatives, successors in business and assigns) of the other part.

WHEREAS the Consumer is being supplied/has agreed to receive supply of electricity in his premises situated at (Full Address) .....

(as per enclosed plant, (where boundaries are marked by red ink) as required only in case of HT and LT industrial consumers having connected load above 25 HP); for the purpose of ..... and the licensee has agreed to supply to the consumer such electricity upon the terms and conditions hereinafter contained.

### NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS:

1. That the consumer (s) declares that he is / are lawful occupant (s) of the premises situated at ..... (hereinafter referred to as **"the premises"**).

Signature of the Applicant  
Name of the applicant

2 (a). Subject to the provisions hereinafter contained and during the continuance of this agreement, the licensee shall supply to the consumer and consumer shall take from the licensee such electricity as the consumer requires for his own use and for the above mentioned purpose at his premises referred to above up to a maximum of:

..... KVA/Kilo Watt/HP from .....  
..... KVA/Kilo Watt/HP from .....  
..... KVA/Kilo Watt/HP from .....

(hereinafter called the "contract demand or contracted load")

(b) The Licensee agrees to provide the requisite quantum of electricity as stipulated under foregoing Para 2(a) at ..... Volts for supply to the consumer and the consumer agrees to pay the necessary charges for receiving supply in accordance with the provisions under Section 45 of the Electricity Act, 2003 and other applicable provisions (hereinafter referred to as the "Supply Code") and Schedule of General and Misc. Charges and other Regulations of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as 'CSERC') as amended from time to time.

3. The commencement of this agreement shall be either from the actual date on which connection is served to the consumer or the day immediately following the expiry of notice of intimation served by the licensee on the consumer that supply of electricity is available under this agreement in accordance to the provisions of Supply Code, whichever is earlier.

4. The parties to this Agreement are bound to comply with the relevant provisions of the Act and all regulations made thereunder including the Supply code, as amended from time to time. Parties also agree to abide by all other rules and regulations in force from time to time and having bearing on such supply and use of electricity as well as directions and orders that may be issued by the CSERC from time to time.

5. This agreement shall remain in force from the date hereto and shall, continue in force subject to termination of electricity supply and consequent cessation in accordance with the provisions of the Supply Code.

6. The consumer agrees to deposit necessary security and additional security as the case may be, as regulated in accordance to the provisions under the Supply Code as amended from time to time.

7. That the consumer shall provide at his cost, adequate space for the installation of metering devices, equipment and other apparatus to facilitate supply of electricity to the consumer and for keeping the account of consumption.

8. The meter shall be properly sealed by the licensee in the presence of consumer or his representative and shall not be interfered with by either party, except that the licensee may change/replace the seals as and when required, in the presence of the consumer or his representative.

9. The supply and use of electricity under this agreement shall be strictly regulated in accordance with the various provisions of the Supply Code as amended from time to time.

10. Subject to the provisions of the applicable laws, the consumer undertakes that he would take due care of the security of all the metering devices and equipments and other apparatus installed in his premises by the licensee and also undertakes to indemnify the licensee for any loss or damage to such metering devices, equipments and other apparatus or to any third party on account of any fault in electric work at the premises of consumer.

11. Nothing contained in this agreement or any amendment thereof shall restrict any rights, obligations and discretions which the licensee or the consumer may derive under any law enacted regarding supply and consumption of electricity during the period of this agreement.

12. The consumer shall pay to the licensee every month, charges for the electricity supplied to him during the preceding month at the tariff applicable to the consumer category for which supply of electricity has been agreed including variable cost adjustment charges, if any, as per the orders of CSERC from time to time. The current applicable schedule of tariff is as indicated below:-

- (i) Tariff order references of CSERC ..... order dated .....
- (ii) Tariff schedule .....
- (iii) Tariff applicable .....

13. That all or any taxes/duties as may be levied by the Central/State Government, local bodies on the sale of electricity shall be paid and borne by the consumer.

14. That the consumer undertakes to clear all accumulated/outstanding dues against the premises and the Licensee is authorized to recover the same from the consumer or transfer the dues to any existing electricity connection existing in favour of the consumer even at other premises.

15. That the consumer declares that he shall use electricity only for the purpose for which it has been sanctioned by the licensee and shall in no way be used for any other purpose(s).

16. That the consumer undertakes/declares that he shall not extend/sublet this electricity supply to any other premises/person.

17. That the consumer declares that, the industry/trade has not been categorized as be obnoxious, hazardous/pollutant by any Government agency and that no court orders are being infringed by grant of applied electricity connection at his premises. In case at a later date it is found otherwise, then the electricity supply would immediately be disconnected by the Licensee without any liability.

18. That grant of the electricity connection applied for will not confer any legal right for regularization of building/land use in respect to the electricity connection provided at the consumer's premises.

19. That the licensee shall be at liberty to adjust any dues including electricity consumption charges against the security deposit or any other deposit made by the consumer with the licensee, in the event of termination of the agreement or in case of any contractual default.

20. That the consumer would allow clear and encumbered access to all authorized officials of the licensee to his premises for the purpose of meter reading, maintenance, inspection, checking, testing etc.

21. That the licensee shall have the right to disconnect the electricity of the consumer premises in the event of any fault and/or non-compliance of statutory requirement and/or in consequence of an order by statutory authority/court of law without any liability.

22. All disputes and claims arising out of this agreement shall be subject to the resolution as per the provisions of Section 42 of the Act.

23 (a) The consumer agrees to regulate consumption of electricity supplied to him under this agreement during peak hours as may be directed by the licensee in writing.

(b) The consumer agrees to the supply of electricity under this agreement being curtailed, staggered or cut off altogether by the licensee if the power position or any other emergency in the power system warrants such a course of action.

24. That the licensee is authorized to disconnect the supply of electricity by issuing a disconnection notice in writing to the consumer in the event of non-compliance by the consumer of any of the conditions of this agreement and violation of any provision of the Act and Regulations notified by the CSERC as applicable from time to time.

25. Where any expression used in this agreement is not defined in it or the Act or Rules and Regulations framed thereunder or in the General Clauses Act, 1897 such expression shall have the meaning generally assigned to it in common parlance.

26. The parties acknowledge and accept that the provisions of this Agreement shall at all times be read subject to the provisions of the Act, Rules, Regulations and Codes issued thereunder, the orders, directions etc. made by the CSERC from time to time and in case of any inconsistency between the provisions of this Agreement and the provisions of the Act, Rules, Regulations, Codes, Directions etc. mentioned above, the later shall prevail.

**27. Special conditions (if any):-**

IN WITNESS WHEREOF the .....  
Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited by order and direction of and on behalf of Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. .... and the consumer ..... have hereunto set their signature and the common seals, the day, month and years first written above.

Signed by the above named  
In the presence of



1. (Name and address)

Authorized Representative of Chhattisgarh  
State Power Distribution Co. Ltd.

2. (Name and address)

The common seal was hereunto  
affixed in presence of

1. (Name and address)

Seal of the Licensee

2. (Name and address)

Signed by the above named  
In the presence of

1. (Name and address)

(Consumer)  
(Name and Address)

.....  
.....  
.....

2. (Name and address)

Paste passport  
size photo and  
Put signature  
across it for  
connection other  
than Govt. and  
local body

The common seal was hereunto  
affixed in presence of

1. (Name and address)

(Rubber / Common Seal of the  
Consumer, if applicable)

2. (Name and address)

## Annexure-4

### Application form – Change in Name of Registered Consumer/Transfer of Ownership to Legal Heir/Change of Consumer Category/ Shifting of premises (Tick the applicable purpose)

1	Service Connection No.	
2	Name of Registered Consumer (at present)	
3	Consumer category	
4	Contracted load	
5	Address:	
		Telephone No.                      Mobile No.
6	Name of the person in whose name connection to be changed (in capital letters)	
7	Request for change in service:	
i)	If request is for change in consumer category, mention the tariff category to which consumer wants to shift	(See list of all tariff categories attached with this form)
ii)	If request is for change in premises: a) New address to which existing service connection is to be shifted.  b) Details of equipment to be shifted (Meter/service line, LT/HT line, transformer etc):	
7	Reason for change in service	

Note: The following documents are attached with the application form:

(Tick whichever applicable)

1. Copy of latest bill duly paid
2. Proof of ownership/legal occupancy of premises
3. No objection certificate from the existing consumer if available/possible.
4. Registered deed/Succession or legal Heir certificate/Mutation deed/..... (if any other document, please specify)
5. NOC from other legal heir(s) in case connection is to be changed in the name of one of the legal heirs.

Date:

Signature of the Consumer

Place:

Name:

### Acknowledgement

Application form of Service Connection No..... at present in the name of .....(name of applicant) has been received on .....(date) for changing the name of consumer to ..... In this regard, the consumer is given a reference no. .... to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of licensee's representative

Name and Designation:

**Annexure-5**

**Application form – Load Enhancement / Load Reduction/Change in Supply Voltage**  
(Tick the applicable purpose)

1	Name of the Applicant/Organization	
2	Service Connection Number	
3	Address of premises to which electricity is being supplied	Telephone No. .... Mobile No.
4	In case of Load Enhancement Existing sanctioned load (in kW)	Enhanced load requested (in kW)
5	In case of Load Reduction Existing sanctioned load (in kW)	Reduced load requested (in kW)
6	Reason(s) for Load Enhancement / Reduction	
7	Details of load added/disconnected from supply, if applicable <i>(please attach list of equipments category-wise)</i>  a) Lighting b) Motive power c) Agricultural d) Other (please specify)	
8	If request is for conversion of service/change in supply voltage <i>(Tick whichever applicable)</i>	a) Conversion from LT single phase to LT 3-phase b) Conversion from LT 3-phase to LT single phase c) Conversion from LT to HT d) Conversion from HT to LT e) Conversion from HT to EHT

Date:  
Place:

Signature of the Consumer  
Name:

Note: The following documents are attached with the application from (if applicable)  
 1. A work completion certificate & test report from Licensed Electrical Contractor, if the consumer's installation has been altered.  
 2. Resolution for authorized signatory.

**Acknowledgement**

Application of ..... for load enhancement / load reduction against Service Connection No. .... is hereby received on .....(date). In this regard, the applicant is given a reference no. .... to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of licensee's representative  
Name and Designation:

**Format for Intimation to Consumer after Temporary Disconnection of Supply**

Licensee's Office Address

Date .....

Service Connection No. ....

Name of consumer:.....

Consumer category .....

Contracted Load: .....

Address of consumer.....  
.....  
.....

This is to inform you that your supply has been temporarily disconnected with effect from (date) due to the following reasons (s):

.....  
.....  
.....

You have stopped payment of electricity bill from the month of ..... and presently dues of amount Rs..... In outstanding against you in respect of said connection.

You are requested to remove the cause of disconnection and intimate this office at the earliest. You are also requested to pay a sum Rs..... towards disconnection & re-connection charges and ..... (mention if any other dues are to be deposited, with a detailed break-up).

If the cause of disconnection is not removed to the satisfaction of this office and above amount is not paid, with 15 days of this notice it will be presumed that you are not interested to avail the electric supply, accordingly the meter installed in your premises will be removed and your supply will be disconnected permanently after expiry of agreement period without any further notice, which please note.

Thank you,  
Sincerely,

Signature / Seal of licensee's representative  
Name and Designation:

### Request for Permanent Disconnection & Termination of Agreement

Service Connection No. ....

Name of the consumer .....

Consumer category .....

Contracted Load .....

Address : .....

It is requested that the above connection may be disconnected permanently and the relevant Agreement with the licensee be terminated forthwith.

Note: The following documents are attached with the application form

1. Copy of last bill.
2. Copy of payment receipt of last bill

Thank you,

Date:.....

Place:.....

Signature of the Consumer

Name

Phone No. :

Address

---

### Acknowledgment

Application of .....(name of applicant) complete in all respects for disconnection and termination of Agreement has hereby been received at this office on .....(date).

In this regard, the applicant is given a reference No. .... to be used for all future correspondence.

Signature / Seal of licensee's representative

Name and Designation:

**Format for Intimation to Consumer after Termination of Agreement**

Licensee's Office

Office Address

Date .....

Service Connection No. ....

.....(Name of consumer)

.....(Address of Consumer)

.....

.....

.....

This is to inform you that an agreement dated .....against Service Connection No..... between yourself and .....(name of licensee) regarding supply of .....HP/kW (contracted load/ demand) in the ..... consumer category has been terminated w.e.f. ....(date) on account of (reason).....

.....  
.....

Your supply has been disconnected permanently.

After final adjustment of all charges and energy bills an amount of:

1. Rs..... is payable to you for which Cheque No. .... is enclosed.

2. Rs..... is due from you. You are requested to pay the amount within a week of receipt of this letter, failing which, action as prescribed under the law shall be initiated for recovery of the amount.

Thank you,

Sincerely,

Signature / Seal of licensee's representative

Name and Designation:

**Meter Related Complaints / Request for Testing of Meter**

Complaint reference No.: ..... (to be given by licensee)

1. Service connection No.: .....

2. Name of the consumer: .....

3. Address and Telephone No. of the consumer: .....

.....  
.....

4. Brief description of the complaint – Meter burnt out / Completely stopped/ Fast meter/ Seal broken / Testing of meter

5. Any other information

Date: \_\_\_\_\_ (Signature of Consumer)

*(For Office Use)*

1. Site verification report

Signature (concerned official)

3. Comments of concerned official

Signature (concerned official)

---

**Acknowledgement**

Complaint reference no.:..... (to be given by licensee)

Complaint received by: ..... (name and designation)

Date of receiving complaint: .....

Signature / Seal of licensee's representative

Name and Designation:

## Annexure-10

### Recommended sizes and Ratings of cable for service connection / transformer and power loads:

S.No.	Purpose & Voltage	Description	Service Rating
1	Street Light Fitting 250/440V	Cable W.P. Alu 1 core 1.5 Sqmm Polythene	All categories of lamps
2	Domestic Service 250/440V 650/1100 V	(a) 2.5 Sqmm 1 core cable W.P. Alu. P.V.C. polythene  (b) As above 2(a)  (c) 6 Sqmm 1 core cable W.P. Alu PVC polythene  (d) Same as 2(c)	Upto 10 Ams.  3 to 5 HP  20 Amps.  7.5 to 10 HP
3	Power Service 650/1100 V	(a) 25 Sqmm 1 core cable W.P. Alu. P.V.C. poly/PVC  (b) 95 Sqmm 3.5 core power cable Arm. Alu. 3 core 95 Sqmm 650/1100 or power cable Aru 3.5 croe 90/55 Sqmm  (c) 120 Sqmm 3.5 core power cable Arm. Alu3 core (120 Sqmm) 3.5 core (120/70 sqmm) 3.5 core (150/70 sqmm) PVC/PVL	15 to 30 HP and 25 KVA Transformer  50 to 60 HP  Above 60 to 100 HP
4	Distribution Transformer	(a) 120 sqmm 3.5 core as 3(c)  (b) Power cable Arm Alu 3.5 core 300/150 sqmm PVC/ 650/1100 V	63 to 100 KVA  160 to 200 KVA



**Recommended values of capacitor for Direct Application with individual induction motor of 1500 RPM.**

<b>Motor K.W.</b>	<b>Motor H.P.</b>	<b>Maximum kVAR Ratings</b>
1.865	2.5	1
3.730	5	2
5.595	7.5	3
7.460	10	4
9.325	12.5	4.5
11.2	15	5
13.1	17.5	5.5
14.9	20	6
16.8	22.5	6.5
18.7	25	7
20.5	27.5	7.5
22.4	30	8
24.2	32.5	8.5
26.1	35	9
28.0	37.5	9.5
29.8	40	11
31.7	42.5	11
33.6	45	11.5
35.4	47.5	12
37.3	50	13
41.0	55	13.5
44.8	60	14.5
48.5	65	15.5
52.2	70	16.5
56.0	75	17
59.7	80	19
63.4	85	20
67.1	90	21
70.9	95	22
74.6	100	23

**Note:**

The recommended rating of capacitor given in above mentioned table are mainly for guidance purposes. However, where there is no facility of recording average monthly power factor in the meter installed, the capacitor recommended as above for the respective capacity of motor will be considered in order.

The following points need to be kept in mind while installing capacitor:

1. For better result capacitors be installed at the terminal of individual motors matching to its capacity so that capacitors may be switched on / switched off along with the motor with supply.
2. In case common capacitor is installed at one point for number of small motors, capacitor shall be switched off when there is only light and fan load in circuit or else it may affect the average monthly power factor due to over compensation during no load or less load period.

## Annexure-12

**(A) Clearance above ground of the lowest conductor of overhead line (Clause 58 of CEA Safety Regulation):** (1) No conductor of an overhead line, including service lines, erected across a street shall at any part thereof be at a height of less than-

- |      |   |   |            |
|------|---|---|------------|
| (i)  | for lines of voltage not exceeding 650 Volts                    | - | 5.8 metres |
| (ii) | for lines of voltage exceeding 650 Volts but not exceeding 33kV | - | 6.1 metres |

(2) No conductor of an overhead line, including service lines, erected along any street shall at any part thereof be at a height less than-

- |      |  |   |            |
|------|--|---|------------|
| (i)  | for lines of voltage not exceeding 650 Volts                     | - | 5.5 metres |
| (ii) | for lines of voltage exceeding 650 Volts but Not exceeding 33 kV | - | 5.8 metres |

(3) No conductor of an overhead line including service lines, erected elsewhere than along or across any street shall be at a height less than-

- |       |   |   |            |
|-------|---|---|------------|
| (i)   | for lines of voltage upto including 11,000 Volts, if bare           | - | 4.6 metres |
| (ii)  | for lines of voltage upto and including 11,000 Volts, if insulated  | - | 4.0 metres |
| (iii) | for lines of voltage exceeding 11,000 Volts But not exceeding 33 kV | - | 5.2 metres |

(4) For lines of voltage exceeding 33 kV the clearance above ground shall not be less than 5.2 metres plus 0.3 metre for every 33,000 Volts or part thereof by which the voltage of the line exceeds 33,000 Volts;

Provided that the minimum clearance along or across any street shall not be less than 6.1 metres.

**(B) Clearance from building of lines of voltage and service lines not exceeding 650 Volts (Clause 60 of CEA Safety Regulation)-**

(1) An overhead line shall not cross over an existing building as far as possible and no building shall be constructed under an existing overhead line.

(2) Where an overhead line of voltage not exceeding 650 V passes above or adjacent to or terminates on any building, the following minimum clearances from any accessible point, on the basis of maximum sag, shall be observed, namely-

- (i) for any flat roof, open balcony, varandah roof and lean-to-roof-
  - (a) when the line passes above the building a vertical clearance of 2.5 metres from the highest point and
  - (b) when the line passes adjacent to the building a horizontal clearance of 1.2 metres from the nearest point, and
- (ii) for pitched roof-

- (a) when the line passes above the building a vertical clearance of 2.5 meters immediately under the line and
- (b) when the line passes adjacent to the building a horizontal clearance of 1.2 metres.

(3) Any conductor so situated as to have a clearance less than that specified above shall be adequately insulated and shall be attached at suitable intervals to a bare earthed bearer wire having a breaking strength of not less than 350 kg.

(4) The horizontal clearance shall be measured when the line is at a maximum deflection from the vertical due to wind pressure.

**(C) Clearances from building of lines of voltage exceeding 650 V (Clause 61 of CEA Safety Regulation)-** (1) An overhead line shall not cross over an existing building as far as possible and not building shall be constructed under an existing overhead line.

(2) Where an overhead line of voltage exceeding 650 V passes above or adjacent to any building or part of a building it shall have on the basis of maximum sag a vertical clearance above the highest part of the building immediately under such line, or not less than-

- (i) for lines of voltages exceeding 650 Volts - 3.7 metres  
Upto and including 33,000 Volts
- (ii) for lines of voltages exceeding 33 kV - 3.7 metres plus 0.30 metre for every additional 33,000 Volts or part thereof.

(3) The horizontal clearance between the nearest conductor and any part of such building shall, on the basis of maximum deflection due to wind pressure, be not less than –

- (i) for lines of voltages exceeding 650 V upto and including 11,000 Volts - 1.2 metres
- (ii) for lines of voltages exceeding 11,000 V and up to and including 33,000 V - 2.0 metres
- (iii) for lines of voltages exceeding 33 kV - 2.0 metres plus 0.3 metre fore every additional 33kV or part thereof.

**(D) Safe Working Clearance from High voltage and EHV lines:**

Minimum safety working clearance where electricity at voltage exceeding 650 V is supplied, converted, transformed or used is as follows:

Highest system voltage in KV	Safe working clearance in meter
12	2.6
36	2.8
145	3.7
245	4.3

### **Annexure-13(A)**

#### **Illustration on clause 4.52 – Supply in under developed colonies**

Suppose – Total number of plots in colony is 100, out of which 30 are ready to avail connection and assessed load for these 30 applicants based as per clause 4.51 is 120 KW.

If proportionate rate fixed by Commission is Rs.3000 per KW, so amount collectable from 30 applicants will be Rs.3.60 lakh (Rs 3000X120).

If estimated cost of extension to supply to these 30 connection is Rs.12 lakh which is less than permissible cost for extension i.e. Rs.14.4 (3.6X4) lakh, the work can be executed by collecting Rs.3.6 lakh from 30 applicant towards cost of extension.

If estimated cost of extension to supply to these 30 connection is Rs.16 lakh which is more than permissible cost of Rs.14.4 lakh, excess estimated cost of Rs.1.6 (16-14.4) lakh shall be payable by these 30 applicants in proportion to their load in addition to Rs.3000 per KW.

The location of distribution transformer shall be fixed at load centre considering all the 100 plots, but capacity of transformer shall be to meet incoming load of present 30 applicants.

Any connection coming subsequently in the colony out of 100 plots has to pay @3000 per KW even if no extension is required.

For connection coming subsequent where extension is required similar procedure is to be followed.

### **Annexure-13(B)**

#### **Illustration on clause 4.55 – Supply to small/cottage industries**

Suppose – An application for 15 HP Huller / Flours Mill is received in rural area and estimated cost of extension work to provide connection to is Rs.80,000.

If proportionate rate fixed by Commission is Rs.3500 per HP in rural area so amount collectable from applicant is Rs.52500 (3500X15).

Since the estimated cost of work is Rs.80000 which is within permissible cost of Rs.105000 (52500X2), the work can be executed by collecting Rs.52500 from applicant towards cost of extension.

If estimated cost of extension work is 1.2 lakh which is more than permissible cost of extension of Rs.1.05 lakh the excess cost of work Rs.0.15 lakh (1.2-1.05) shall be payable by applicant towards cost of extension in addition to Rs.52500.

For any such connection of small/cottage/industry up to 15 HP comes in rural area, Rs.3500 per HP shall be payable towards cost of extension even if no extension is involved.